राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 10] चौदहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का तीसवां दिवस [संख्या: 19

मंगलवार,

6 मार्च 2018

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। राम-राम, साहब।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज तो जवान लग रहे हो, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अच्छा। नजर क्यों लगा रहे हो? नमस्कार, नमस्कार। प्रश्नकाल। श्री मोहन लाल गुप्ता।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट

329. **श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्ष 2017 में वाहनों के हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने का ठेका एक ही फर्म के पास था? यदि हां, तो फर्म का नाम व पता एवं ठेके की शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने हेतु दोपहिया एवं चौपहिया वाहनों की अनुमोदित दर क्या थी तथा जयपुर में फर्म द्वारा क्या राशि वसूली जा रही थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने हेतु निविदा की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से जनता को नम्बर प्लेट लगाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है? यदि हां, तो निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने की निविदा प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री (श्री युनुस खान): (1) जी हां। यह सही है कि दिनांक 16.05.2012 से 31.08.2017 तक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने का ठेका पूरे प्रदेश में एक ही फर्म "मैसर्स रियल मैजान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" का था। अनुबंध की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने हेतु दोपहिया वाहन एवं चौपहिया वाहनों की अनुमोदित दरों के संबंध में विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। जयपुर में भी इन्हीं दरों के आधार पर वसूली की गई थी।

(3) जी हां। यह सही है कि वर्तमान में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने हेतु अनुबंध की अवधि पूर्ण होने के पश्चात नई शर्तों के तहत निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अन्य निविदादाता ने विभिन्न न्यायालयों में इस प्रक्रिया को चुनौती दी जिसके कारण अभी यह मामला न्यायालय में लम्बित है।

(4) जी हां। न्यायिक विवादों के अंतिम विनिश्चय हो जाने पर यथाशीघ्र ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण करा दी जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर-1

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस फर्म के खिलाफ ज्यादा राशि प्राप्त करने की कितनी शिकायतें आईं और उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्योंकि इस फर्म की काफी शिकायतें थीं और अखबारों में भी कई बार आया है कि यह पैसा ज्यादा वसूल कर रही है, लेकिन परिवहन विभाग द्वारा इस फर्म के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाहियां की गई इसकी अभी कोई जानकारी लोगों को नहीं है। यह बताने का कष्ट करें, फिर मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: यस-यस। दूसरा है आपका।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भर से कुल 55 शिकायतें इस फर्म के खिलाफ आईं। जब हमने उनकी जांच करवानी शुरू की तो शिकायतकर्ताओं ने शिकायतें वापस ले लीं, लेकिन उसके बावजूद भी इसके खिलाफ यहां पर हमने दो प्रकरणों में विलम्ब के लिए लिक्वीडेटेड डैमेज 27 लाख 75 हजार शास्ति किया। पांच प्रकरणों में निर्धारित कीमत से अधिक वसूली के लिए पांच लाख रुपये की शास्ति लगाई।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, फर्म की अवधि बार-बार क्यों बढ़ाई गई? समय से पूर्व टेण्डर क्यों नहीं किया गया? सरकारी विभागों में अधिकतर यह होता है कि पुरानी फर्म का ठेका हम बार-बार बढ़ा देते हैं और पुराने अनुभव भी यही कहते हैं तो आपने समय से पूर्व टेण्डर क्यों नहीं किया और टेण्डर करके कार्यादेश क्यों नहीं दिया गया और इस फर्म को जब टेण्डर किया तो न्यायालय में जाने का अवसर दिया गया दोषी फर्म को। न्यायालय में कैसे गयी और न्यायालय में क्या स्थिति है? यह बतायें जरा और वर्तमान में किन-किन व कितनी फर्मों ने दुबारा टेण्डर में भाग लिया?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस फर्म को जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में कहा कि 16.5.2015 से 31.8.2017 तक इसका टेण्डर था और यह बात सही है कि हमने इसका दो बार समय बढ़ाया भी और वो इसलिए बढ़ाया कि हमारी जो टेण्डर प्रक्रिया थी वो पूरी नहीं हुई। जब टेण्डर प्रक्रिया पूरी हो गई तो उसके बाद में जैसा कि किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान में जब हमने नया टेण्डर लगाया तो इसमें जैसा कि प्रश्न की जो मूल भावना है उसमें यह कहा गया कि इसकी बार-बार शिकायतें आती थीं, क्योंकि ये जो निर्धारित दर थी उससे ज्यादा वसूल कर रहा था तो पहले वाले टेण्डर में जो 2012 में हुआ उसमें इस तरह के प्रोविजन्स नहीं थे कि उसके खिलाफ नार्मल कार्यवाही के अलावा सख्त कार्यवाही की जा सके और जब-जब भी उसके खिलाफ इस तरीके की कार्यवाही प्रस्तावित की, वो कोर्ट में चला गया सरकार के खिलाफ और एक बार नहीं, अब यह व्यक्ति पचपन बार सरकार के खिलाफ अलग-अलग विषयों को लेकर के कोर्ट में गया है और माननीय न्यायालयों के अलग-अलग निर्णय इस विषय में आये।

दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि ये जो देरी हुई, यह बात सही है कि तीन महीने देरी हुई, लेकिन हमने अबकी बार ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन रखी है कि कोई भी व्यक्ति जो नय आयेगा वो निर्धारित दर से ज्यादा नहीं ले सकता अगर लेता है तो अगर एक शिकायत आएगी तो उसकी मिनिमम पैनल्टी एक कंपलेंड की हमने पांच लाख रुपये रखी है। उसके अलावा उसको टरमीनेट करने के प्रोविजन्स भी रखे हैं जिससे कोर्ट से भी रिलीफ नहीं

(श्री युनुस खान)

ले सके और कुछ हमने जो नोर्म्स थे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन के वो भी चेंजेज किये हैं। अभी माननीय सदस्य ने पूछा कि अब कितने लोग जो हमने, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हाउस को बता दूं कि ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का इश्यू 2001 से चल रहा है। 2001 से 2004 में जब मैं पिछले टर्म में मंत्री था तब भी निरस्त हुआ फिर 2008 तक यह चलता रहा और 2008 में भी न्यायालयों में चलता रहा, कोई सरकार नहीं कर पायी फिर 2012 में न्यायालयों के निर्णयों के बाद में पिछली सरकार ने पांच वर्ष के लिए किया था जो टेण्डर अब खतम हुआ है। अब हमने वापस किया तो जो इसमें पार्टीसिपेंट्स थे उसमें जो रियल मेजोन इंडिया लिमिटेड है उसने जिस पार्टी ने क्वालिफाई किया तीन पार्टियों में से एक पार्टी ने, उसके खिलाफ वो कोर्ट चला गया और कोर्ट ने यहां माननीय उच्च न्यायालय ने तो राज्य सरकार के पक्ष में दिया फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको सुनो। उस रियल मेजोन को हमने दुबारा सुना। सुनकर के तकनीकी कारणों से उसके अन्य जो तकनीकी कारण थे उसके आधार पर उसको रिजेक्ट कर दिया। अब वह अभी विचाराधीन है माननीय उच्च न्यायालय में और जो हमने दुबारा आर्डर निकाला उसको भी इसने चुनौती दे दी और उस चुनौती की अगली सुनवाई इसी 12 मार्च को है। अब माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा उसके अनुसार राज्य सरकार फैसला लेगी। यह बात सही है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की जगह अभी हम साधारण प्लेट लगा रहे हैं और पिछले कार्यकाल में उसने लगभग पचास लाख वाहनों पर इस तरह की नंबर प्लेट लगायी थी और यह बात भी सही है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि शिकायतें इसकी खूब आई। हमने भी इसके खिलाफ कार्यवाही की है और चूंकि नया टेण्डर प्रोसेस में है, माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जो भी माननीय न्यायालय के निर्देश आएंगे उसके अनुसार सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर-1 श्री नन्द किशोर महरिया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सात माह से राजस्थान में वाहनों की नंबर प्लेट नहीं लग रही है और इन सात माह में लगभग आठ लाख से ऊपर वाहन रजिस्टर्ड हुए हैं जिनका हजारों करोड़ रुपया रेवेन्यू के रूप में डिपार्टमेंट को मिला है और उन लोगों को साधारण प्लेट लगानी पड़ती है उसका भी डेढ़ सौ-दो सौ रुपये खर्चा आता है तो 15-16 करोड़ रुपये प्रदेश की जनता के लग गये तो या तो सरकार अलाउ करे कि

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

उनको ये जब टेण्डर का मामला मंत्रालय निपटा लेगा उसके बाद ये ही प्लेटें लगाये रखेंगे और या सरकार फिर उनको यह अलाउ करे कि जब नया ठेका होगा तो उनको फ्री प्लेट लगायेंगे। आज उनकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, लोग नंबर प्लेट नहीं लगायें तो पुलिस पकड़ती है। एक ऐसा कोई आदेश निकालें कि पुलिस उनको अलाउ करे। इस तरह की अफरा-तफरी पूरे प्रदेश में मची हुई है। मंत्रालय पूर्णतया इस मामले में फेल हो चुका है सात महीने हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, फतेहपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार का रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे साधारण प्लेट लगे...।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): सरकार का नुकसान नहीं हुआ लोगों के पैसे लग गये साधारण प्लेट के। सरकार ने तो टैक्स के पूरे पैसे ले लिये।

श्री अध्यक्ष: महरिया साहब, विराजिए। जवाब सुनिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा मोटर व्हिकल रूल्स, 1989 है उसके रूल नंबर-50 में 2001 में अमैंडमेंट किया। अमैंडमेंट करने के बाद में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना आवश्यक हुआ। उसके बाद में 2005 में जो मि. बिट्टा हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाई और पीआईएल लगाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में हर राज्य हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लगायेगा। उसकी प्रक्रिया अलग-अलग राज्यों में चली और चूंकि एक राज्य को एक ही यूनिट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में माना गया। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद में कोई भी राज्य साधारण प्लेट नहीं लगा सकता और साधारण प्लेट लगाने का ही प्रोविजन था पहले अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट आ गयी तो चाहे साधारण लगाये चाहे हाई सिक्योरिटी लगाये, पैसा वाहन मालिक को ही देना है।

राज्य सरकार को एक रुपया भी नहीं देना है। अब चूंकि 8-9 लाख व्हिकल जो भी इस दौरान आ गये, उनके साधारण प्लेट लग रही हैं और

(श्री युनुस खान)

माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है कि इन पर हाई सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन प्लेट है। इन पर ही नहीं जो 50 लाख नये वाहनों पर हमने लगा दी, उनके अलावा भी जो राजस्थान में लगभग 50 लाख वाहन अभी भी पुराने ऐसे हैं, उनमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कह रखा है कि इन पर भी आप यह नंबर प्लेट लगाओ। फतेहपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया वह सही है कि अभी वह साधारण प्लेट लगा रहे हैं फिर जब जिसका टेंडर हो जाएगा और वर्क आर्डर हो जाएगा उसके बाद उनको एचएसआरपी की प्लेट लगानी पडेंगी। यह बात सही है कि उन पर दोहरी मार पड़ेगी। इस पर माननीय न्यायालय के निर्णय आने के बाद हम माननीय न्यायालय में हमारा पक्ष रखेंगे और हमारी जनता के हित में कोई न कोई अच्छा निर्णय लेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, श्री फूलसिंह मीणा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूं कि हमारा उदयपुर पूरा ट्राइबल एरिया है और बरसात के अलावा उनके कोई संसाधन नहीं है जो दूसरी फसल हो जाये या कोई रोजगार हो। यह प्राइवेट बसें उनको ऊपर नीचे भरकर लेकर आते हैं।

श्री अध्यक्ष: यह प्लेट का मामला है।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि जनजाति एरिया के लिये हमारी सरकारें जो बहुत सारे बेनिफिट देती हैं, क्या उनके लिये कोई पास की व्यवस्था करेंगे जो हमारी सरकारी बस में आ सके।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए। तीसरा पूरक प्रश्न श्री बनवारी लाल जी।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ठीक है साहब, आपने दो मिला दिये, एक में ही काम हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: हो गया।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि कोर्ट के निर्देश पर या विभागीय निर्देश पर आपने हाई सिक्योरिटी प्लेट को लगाने का काम राजस्थान भर में एक ही कंपनी को दे रखा है। पहली बात तो यह कि क्या राजस्थान में इसको जिलेवार कर सकते हैं या आपका जो प्रादेशिक परिवहन कार्यालय है, उसके

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

आधार पर एक आदमी को पूरे राजस्थान का ठेकेदार नहीं बनाकर, क्योंकि जब तक काम्पिटेटिव नहीं होगा तब तक एक आदमी मोनोपॉली रखेगा तो वह 55 बार कोर्ट में जाएगा, 120 बार भी जाएगा। राजस्थान में आपके जितने प्रादेशिक परिवहन कार्यालय हैं, उनके एक-एक कार्यालय के आधार पर आप इसका ठेका करने की मंशा रखते हैं क्या? दूसरी बात, यह भी साथ में बता दीजिए कि क्या यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने के बाद चोरी हुए वाहन इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के किसी भी तरह के फीचर्स के कारण से पकड़े गये? अगर पकड़े गये तो इसका लगाना सार्थक है, अन्यथा सरकार को कोर्ट में अपना पक्ष रखकर जनता पर जो अनावश्यक भार इस हाई सिक्योरिटी प्लेट का आ रहा है, उसको समाप्त करने का काम किया जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है यह बात सही है, इससे मैं भी सहमत हूं कि यह वैसे तो हाई सिक्योरिटी रैस्ट्रिक्शन प्लेट है लेकिन अगर इसको चोर चोरी करके ले जाता है तो उसको पकड़ने का इसमें कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय के यह निर्देश हैं, इसलिए उसकी पालना हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा मुद्दा उठाया, यह सही है कि एक राज्य में एक ही व्यक्ति को हम टेंडर दे सकते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्चतम न्यायालय ने यह थोड़े ही कहा है कि हाई सिक्योरिटी ...

श्री अध्यक्ष: नहीं, जवाब आने दीजिए, जवाब आने दीजिए, बैठिए। आप बीच में कैसे खड़े हो गये, विराजिए। मोहनलाल जी गुप्ता, कृपया विराजिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा राजस्थान को अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स का ग्रुप आफ मिनिस्टर्स का चेयरमैन बना रखा है। हमने भारत सरकार को 32 अमेंडमेंट्स दिये हैं जिसमें से अमेंडेंड बिल लोक सभा में पास हो गया, राज्य सभा में लंबित है। हमारी कमेटी ने एक रिपोर्ट यह भी दी है कि जो मैन्यूफैक्चरर्स हैं, जो यह गाड़ियां बनाता है, वो ही इस तरह का प्रोविजन कर दे कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश हैं, उसकी

(श्री युनुस खान)

पालना हो जाए। हमने क्या है कि राजस्थान में रजिस्ट्रेशन के सारे पावर डीलर्स को दे दिये। डीलर के यहां ही आजकल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वहीं टैक्स जमा हो जाता है और जो हमारे मैन्यूफैक्चर्स हैं, वह इस तरह के प्रोविजन कर देंगे, जैसे वहां एसेसरीज देने का प्रोविजन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी तरह की एसेसरीज लग जाएगी और यह नंबर प्लेट भी बनकर आ जाएगी, खाली एम्बोस होने का काम, एक सस्ती सी मशीन आती है, वह डीलर कर देगा क्योंकि डीलर को ही रजिस्ट्रेशन के पावर हैं, वह एम्बोस करके दे देगा तो मैं सोचता हूं कि फ्री आफ कास्ट इसका रजिस्ट्रेशन हो जायेगा और माननीय उच्चतम न्यायालय की भी पालना हो जाएगी। हमारी कोशिश यह है इन बिटविन कि माननीय केन्द्रीय मंत्रालय हमारी इस बात को मान ले, तो मैं सोचता हूं कि जो आपने यह मुद्दा उठाया है, उसका समाधान हो जाएगा, जनता पर अनावश्यक भार भी नहीं पड़ेगा और राजस्थान सरकार भी इसका समर्थन करती है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): डिस्ट्रिक्ट-वाइज वाला भी बता दो, डिस्ट्रिक्ट-वाइज ठेका क्यों नहीं करना चाहते?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से उत्तर में अभी पहले भी बताया कि यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही निर्देश है कि एक स्टेट में एक ही वेंडर होगा, एक ही व्यक्ति को ठेका दे सकते हो, जिलेवार नहीं दे सकते। अगर जिलेवार हमें अलाउ करेंगे तो निश्चित रूप से हमें कोई एतराज नहीं है और मैं तो आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो अलवर शहर से आने वाले माननीय सदस्य का ही समर्थन कर रहा हूं कि भारत सरकार हमारी बात को मान ले तो माननीय जन प्रतिनिधियों की और जनता की भावना के अनुसार यह काम डीलर कर लें और मैन्यूफैक्चर्स इसके प्रोविजन कर लें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। अगला सवाल, श्री सुखराम विश्नोई।

जालौर जिले में किसानों को मूंगफली खरीद का भुगतान

330. श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जालौर जिले में "राजफेड" की ओर से किसानों से मूंगफली खरीदने के बाद किसानों के खातों में रुपये जमा करवाने के आदेश

(श्री सुखराम विश्नोई)

जारी किये गये थे? यदि हां, तो अब तक किसानों के खातों में भुगतान की राशि जमा नहीं होने के क्या कारण हैं व अब कब तक भुगतान की राशि उनके खातों में जमा कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अजय सिंह): जी हां। दिनांक 09.02.2018 तक जालौर जिले में 66 किसानों से समर्थन मूल्य पर 1341.90 क्विंटल मूंगफली राशि 5971481.00 रुपये की खरीद कर समस्त किसानों को राशि 5971481.00 रू. का भुगतान कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष जी, आपके मार्फत मैं जानना चाहूंगा सुराज संकल्प पत्र में 100 प्रतिशत मूंगफली खरीदने का आपने वादा किया था। पिछले चार सालों में 800 लाख मैट्रिक टन मूंगफली का उत्पादन हुआ, उसमें से केवल 21 लाख मैट्रिक टन मूंगफली ही खरीदी गई, 2.63 प्रतिशत ही मूंगफली खरीदी गई। मेरे जालौर जिले में सिर्फ 66 किसानों से खरीदी। क्या अगले साल 100 परसेंट मूंगफली खरीदोगे? क्या आप सुराज संकल्प पत्र के वादे की पालना करोगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिए, माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जालौर जिले में ..

श्री अध्यक्ष: अशरफी जी, बातचीत नहीं।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): जालौर जिले में मूंगफली के खरीद केन्द्र पहली बार वर्तमान सरकार ने शुरू किये हैं। पिछली बार पूरे पांच सालों में आप कोई भी मूंगफली खरीद केन्द्र वहां नहीं खोल पाये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अब नहर आई है।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): आप मेरे को सुन तो लो। आप जो मूंगफली खरीद की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे पांच वर्षों में गत सरकार के द्वारा केवल 13 हजार ...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): सुराज संकल्प में आपने वादा किया था कि 100 परसेंट मूंगफली खरीदेंगे, आप पांच साल पुरानी बात क्यों कर रहे हो, आप चार साल की बात करो। आप अपनी बात करो, पीछे क्यों जा रहे हो।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): मैं पीछे भी जा रहा हूं और आगे भी आ रहा हूं, आपको अभी बताता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच वर्षों में गत सरकार के द्वारा मूंगफली खरीद केवल 13911.43 हजार मैट्रिक टन खरीदी, मैंने कहा न कि हम किसानों के प्रति चिंतित हैं, किसानों के प्रति सरकार हमेशा संवेदनशील रही है। आपकी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए हमने 357038.99 मैट्रिक हमने मूंगफली खरीदी है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपकी पत्रिका में सिर्फ 21 लाख टन का ही है।

श्री अध्यक्ष: नो, नो, ऐसा नहीं है, उनका जवाब आ जाने दीजिए, आपको अधिकार है पूरक प्रश्न और कर लेना।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप फर्क देखिए कि गत सरकार में जो मूंगफली खरीदी थी उसका मूल्य था 55 करोड़ 64 लाख रुपये और जो हमने अभी तक खरीदी है उसका है 1461 करोड़ रुपये की हम मूंगफली खरीद चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अभी जो सुराज संकल्प के बारे में बताया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार का पूरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों की जींसों को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाये और उसके लिये हम कृत संकल्प हैं। आपके समय जो पूरे राज्य में 132 खरीद केन्द्र थे, हमने उसको बढ़ाकर 232 कर दिया। मैं आपको आपके जिले के बारे में भी बताना चाहूंगा कि अब चने और सरसों की खरीद आ रही है, पूरे राज्य में 173 तो हम सरसों के खरीद केन्द्र खोलेंगे, 113 चने के खरीद केन्द्र खोलेंगे। जालौर में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरसों के खरीद केन्द्र भीनमाल, रानीवाड़ा, आहौर, जालौर, सायला और सांचौर में, जिसमें आपका भी क्षेत्र है सांचौर और चने का आहौर में हम जल्दी से शुरू करेंगे। पूरा प्रयास है ज्यादा से ज्यादा किसानों के माल को लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: दूसरा, पूरक प्रश्न।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष जी, नवम्बर, 2017 में मूंगफली की खरीद की है और भुगतान मेरा प्रश्न लगने के बाद हुआ, इन तीन-चार महीनों का ब्याज दोगे?

श्री अध्यक्ष: आपको प्रश्न लगने का लाभ हुआ?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): जी। चार महीनों के ब्याज का भुगतान किसानों को मिलेगा या नहीं मिलेगा?

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भुगतान किसान को नहीं हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवल तीन किसानों का भुगतान समय पर नहीं हो पाया है, उसका कारण यह रहा है कि किसानों ने आई.एफ.एस.सी. कोड गलत भर दिया, गलत भरने से उस शाखा की जानकारी नहीं हो पाती है और वे पैसे दूसरे खातों में चले गये, ज्यों ही हमें जानकारी हुई "राजफैड" के माध्यम से निर्देशित किया गया और उस समिति ने जरिए चैक पूरा भुगतान कर दिया।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि आपने रानीवाड़ा में मूंगफली सेंटर खोला। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को 10 से 12 रुपये तक फायदा हुआ। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आपने सांचौर, रानीवाड़ा और भीनमाल में सरसों व चने के केन्द्र भी खोलने की बात कही है तो उसका भी मैं आभारी हूं। मैं आपसे मात्र इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आगामी अक्टूबर से लेकर जनवरी में, रानीवाड़ा में खूब मूंगफली होती है, वहां पर वापस सेंटर खोलने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो हम सरसों और चने की खरीद कर रहे हैं। उसके बाद भारत सरकार "नैफेड" के माध्यम से इसकी खरीद करती है। सहकारिता विभाग तो दलहन और तिलहन के लिये नोडल विभाग है, उस समय भी पूरा प्रयास किया जायेगा, मैंने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा फसलों समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए, इसके लिए बिल्कुल कृतसंकल्प हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री गोविंद सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। किसानों से जुड़ी हुई समस्या है।

श्री अध्यक्ष: सवाल करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सवाल ही पूछ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत उदारमना हैं और मंत्रीजी बड़ी बेबाकी से जवाब देते हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) किसानों को समर्थन मूल्य पर मूंगफली तो बाद में आएगी, चना और सरसों खरीदने

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

की बात है, लेकिन अकसर यह देखा जाता है कि जो समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदती है, कोई जिंस 11 परसेंट, कोई 20 परसेंट, 30 परसेंट, 40 परसेंट से ऊपर किसान की खरीदते नहीं हैं। उनका जो पेमेंट जाता है, वह चार-छह महीने तक लेट जाता है। कई किसान ऐसे हैं कि गलत खाते में चला जाता है और जिसके खाते में चला गया, वह पैसा उठा लेता है, फिर आपका डिपार्टमेंट यह कहता कि जब उससे पैसा वसूल होगा तब किसान को वापस देंगे। तो क्या सरकार शत प्रतिशत इन जिंसों को समर्थन मूल्य पर खरीदने का विचार रखती है? अगर रखती है, तो उनके पेमेंट को कितने समय-सीमा में बांधती है कि इतने समय में हम पेमेंट दे देंगे और अगर किसी का गलत खाते में चला जाए तो क्या विभाग जिम्मेदारी लेता है कि उसको तो पेमेंट मिलेगा, चाहे वह पैसा उससे वसूल हो या नहीं हो, ये तीनों बातें बताएं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सदस्य ने कहा कि गलत खाते में जाता है, उसका पेमेंट। मैं कह रहा हूं अभी जो सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताये हैं, उनका पेमेंट सरकार के खाते में नहीं आया है, लेकिन इनको हमने पेमेंट कर दिया है। इस तरह का कोई और है तो किसान को किसी तरह की समस्या नहीं आने दी जाएगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरे विधान सभा क्षेत्र का तुलछाराम भंवरिया मीलों की ढाणी में, अलवर वाले लक्ष्मणगढ़ चला गया, चार महीने से मूंग का पैसा नहीं मिल रहा है। चार महीने से मूंग का पैसा नहीं मिल रहा है।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह की कोई भी समस्या है तो उसको तुरन्त भुगतान करवा दिया, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। मैंने आपको बताया कि सरकार कृतसंकल्प है कि ज्यादा से ज्यादा लें, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो आपकी योजनाएं हैं, हम तो उसको हिमालय की तरह ऊंचाई पर ले जा रहे हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री महोदय, किसान के पेमेंट की समय-सीमा बांधो, किसान बर्बाद हो रहा है। मंत्रीजी, आप तो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

उदारमना हैं। आज तो वैसे भी अच्छे लग रहे हैं। आज किसान के हित का मुद्दा है, इतना-सा बता दो कि कितनी समय-सीमा में उसको भुगतान मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: नो, नो। जवाब देने की जरूरत नहीं, मेरी बिना परमिशन के पूछ रहे हैं। तीसरा पूरक प्रश्न, श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कई जगह जिनमें जालौर भी शामिल है, कई जगह इस प्रकार की शिकायत मिलती है कि जिंस तो किसी दूसरे व्यक्ति की और जमा बंदी किसी दूसरे व्यक्ति की और जो आपकी गुणवत्ता तय है कि इस गुणवत्ता के साथ इतनी नमी की हम मूंगफली खरीदेंगे, उसके बावजूद भी उसमें कई प्रकार का घालमेल करके जिंस की खरीद की गयी है, इस प्रकार की जहां पर शिकायतें मिलती हैं, तो क्या आप उनके खिलाफ कार्यवाही करने का मन रखते हैं?

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर जो दस्तावेज किसान से लिये जाते हैं, उसमें हम मुख्य रूप से गिरदावरी लेते हैं और गिरदावरी में उसका नाम भी अंकित होता है और फसल कितने क्षेत्रफल में उसने की है, उसके आधार पर हम लेते हैं, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। भामाशाह से इसको जोड़ रखा है। जब भामाशाह के अंदर वे कार्ड लेकर आते हैं तो उसके अन्दर उसके पूरे परिवार का प्रोफाइल आ जाता है कि कितनी जमीन है, लघु है या सीमांत है, विधवा है, दिव्यांग है, इस तरह से भामाशाह से जोड़ने से किसी तरह की दिक्कत नहीं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष: नो नो, हो गया, तीन सवाल हो गये, आप कृपया बैठिए, मैं अगला सवाल अलाउ नहीं करूंगा। अगला सवाल श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

जालौर के गांवों को पेयजल की आपूर्ति

331. **श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नर्मदा पेयजल परियोजना से जालौर के कितने ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त जिले की किस-किस तहसील में पेयजल हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

(3) उक्त योजनाएं कब तक पूर्ण हो जाएंगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) नर्मदा योजना में E.R. प्रोजेक्ट की मुख्य ट्रांसमिशन लाइन कहां तक आ गयी है व उससे आगे के गावों को जोड़ने की (जालौर एवं आहोर के ग्राम) क्या योजना है तथा उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री सुरेन्द्र गोयल): (1) सतही जल स्रोत नर्मदा नहर आधारित परियोजनाओं से जालौर जिले के वर्ष 2001 की जन गणनानुसार कुल 697 ग्रामों को लाभान्वित करने हेतु चार आधारभूत परियोजनाएं (समस्त 697 ग्रामों हेतु) स्वीकृत की गयीं। इनमें से सिल्लू-जैसला -भाटकी आधारभूत परियोजना के कार्य दिनांक 31.08.2008 को पूर्ण कर विधान सभा क्षेत्र, सांचौर के 22 ग्रामों की निवर्तमान प्रणाली से जोड़कर लाभान्वित किया जा चुका है।

जिला जालौर के शेष रहे 675 ग्रामों में 419 ग्रामों हेतु कलस्टर वितरण प्रणाली की तीन योजनाएं विभाग द्वारा स्वीकृत की गयी हैं। इनमें से विधान सभा क्षेत्र जालौर के 14 ग्रामों की कलस्टर वितरण प्रणाली की योजना पूर्ण की जाकर इन ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है। 405 ग्रामों की स्वीकृत कलस्टर परियोजनाओं का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। इनमें से 40 ग्रामों को एफ.आर. आधारभूत पेयजल परियोजना से तथा 18 ग्रामों को डी.आर. आधारभूत पेयजल परियोजना से अस्थाई रूप से जोड़ा जा चुका है।

ई.आर. कलस्टर परियोजना के अंतर्गत जालौर जिले के शेष रहे 256 ग्रामों को कलस्टर वितरण प्रणाली से लाभान्वित करने हेतु बनायी गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) पर सैद्धान्तिक सहमति के पश्चात् तकनीकी क्लीएरेंस एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

परियोजनावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जालौर जिले के तीन शहर क्रमश: जालौर, भीनमाल एवं सांचौर पाइप्ड जल योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं। जिले में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल सम्मिलित 793 आबाद राजस्व ग्रामों में से 64 ग्राम पाइप्ड जल योजना, 498 ग्राम क्षेत्रीय जल योजना, 212 ग्राम पम्प एवं टैंक

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जल योजना, 2 ग्राम हैण्डपम्प जल योजना तथा 17 ग्राम अन्य जल योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं।

जालौर जिले के उक्त शहर एवं ग्रामों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाये रखने हेतु शहरी क्षेत्र में 2 एवं ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत 136 स्वीकृत जल योजनाएं/कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। योजना/कार्यवार स्वीकृति का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) उक्त प्रगतिरत योजनाओं/कार्यों को पूर्ण करने संबंधी विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब में निहित है।

(4) जालौर जिले के भीनमाल शहर एवं 256 ग्रामों (विधान सभा क्षेत्र आहौर, भीनमाल, जालौर, रानीवाड़ा एवं सांचौर के क्रमश: 22, 77, 21, 24 एवं 112 ग्राम) को सतही जल स्रोत नर्मदा नहर से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नर्मदा ई.आर. आधारभूत परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 191वीं बैठक दिनांक 19.09.2013 द्वारा राशि रुपये 455.16 करोड़ की जारी की गई। इस परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु एस.पी.एम.एल. इन्फ्रॉ लिमिटेड, गुड़गांव को दिनांक 24.09.2013 को राशि रुपये 372.70 करोड़ का जारी किया गया।

उक्त स्वीकृत परियोजना में प्राकृत जल (रॉ-वाटर) के प्रवाह हेतु एक मुख्य ट्रांसमिशन लाइन तथा स्वच्छ जल के प्रवाह हेतु दो मुख्य ट्रांसमिशन लाइनें निम्नानुसार डाली जानी प्रावधित हैं:-

(अ) तहसील सांचौर के ग्राम डेडवा स्थित हैड वर्क्स से ग्राम पालड़ी सोलंकियान तक रॉ-वाटर के प्रवाह हेतु प्रस्तावित 1200 मिलीमीटर व्यास की 10.100 किलोमीटर एम.एस. पाइप लाइन के विरुद्ध 5.68 किलोमीटर पाइप लाइन अब तक बिछाई गई है।

(ब) तहसील सांचौर स्थित मुख्य हैड वर्क्स पालड़ी सोलंकियान से तहसील जसवन्तपुरा स्थित रामसीन हैड वर्क्स तक स्वच्छ जल के प्रवाह हेतु प्रस्तावित विभिन्न साइज एवं प्रकार की 92.70 किलोमीटर मुख्य ट्रांसमिशन पाइप लाइन के विरुद्ध तहसील रानीवाड़ा के ग्राम वणधर तक 50.87 किलोमीटर पाइप लाइन अब तक बिछाई जा चुकी है।

(स) तहसील सांचौर स्थित मुख्य हैड वर्क्स पालड़ी सोलंकियान से

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

तहसील चितलवाना के ग्राम अगड़ावा हैड वर्क्स तक स्वच्छ जल के प्रवाह हेतु प्रस्तावित विभिन्न साइज एवं प्रकार की 39.45 किलोमीटर मुख्य ट्रांसमिशन पाइप लाइन के विरूद्ध 8.90 किलोमीटर पाईप लाईन अब तक बिछाई जा चुकी है।

उक्त आधारभूत परियोजना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा यह परियोजना माह अक्टूबर, 2018 तक पूर्ण करना अपेक्षित है।

ई.आर. क्लस्टर परियोजना से जालौर जिले के उक्त वर्णित 256 ग्रामों को कलस्टर वितरण प्रणाली से लाभान्वित करने की परियोजना की स्वीकृति पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार निर्णय लिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक। श्री शंकर सिंह।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह धन्यवाद दूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाला था। आपने और मुख्य मंत्रीजी ने इस योजना को स्पीड दी है। अब मेरे आहौर विधान सभा क्षेत्र के जो 22 गांव रामसिंह ट्रांसमिशन के बाद में जो क्लस्टर से जुड़ने वाले हैं, उन आहौर के 22 गांवों में आज भी पानी ट्रांसपोर्ट से हमको भेजना पड़ता है। बहुत ही प्राब्लेमेटिक गांव हैं। उन गांवों को पानी इस योजना के तहत कोई एडिशनल योजना जोड़कर आप उन गांवों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था के लिए क्या प्रस्ताव करेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ई.आर. जो आधारभूत संरचना का कार्य है, वह अक्टूबर तक पूरा होगा। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं जैसा आपने कहा और यह वाकई में आपकी आवश्यक मांग है। चूंकि आधारभूत संरचना का काम अक्टूबर में पूरा हो जाएगा। क्लस्टर के लिए रामसिंह तक आधारभूत संरचना का काम होगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके इन 22 गांवों के लिए 15 करोड़ रुपए की मैं क्लस्टर वितरण प्रणाली के लिए स्वीकृति प्रदान करने के लिए आदेश जारी करवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे। आ गया इतना बड़ा।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा जवाब आ गया है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री पूराराम चौधरी।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को पूछना चाहूंगा कि भीनमाल शहर जिसके लिए क्लस्टर की योजना है, ई.आर., एफ.आर. व डी.आर.। एफ.आर. प्रोजेक्ट में भीनमाल के 40 से 45 गांव हैं। ई.आर. प्रोजेक्ट के अन्दर 15 व 18 कुल 33 पंचायतें हैं जो भीनमाल विधान सभा क्षेत्र की हैं और शहर भी साथ में हैं। भीनमाल शहर में जो पुरानी पाइप लाइन थी, वह चालीस साल पुरानी है और उस पाइप लाइन के जरिये पानी जा नहीं सकता है। भीनमाल शहर की 36 करोड़ की इसी ई.आर. प्रोजेक्ट में योजना बनायी हुई थी।

श्री अध्यक्ष: सवाल पूछिए।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि भीनमाल शहर में आप बता रहे हो कि पाइप लाइन हमने बिछा दी, पाइप लाइन तो आयी ही नहीं, कहां से बिछेगी? भीनमाल के अन्दर एक स्टोरेज है, एक खारा के अन्दर है और एक है रामसिंह। ये सारे के सारे इसी प्रोजेक्ट में अधूरे पड़े हैं, आज की तारीख में एक तरह से काम बिलकुल बंद है, यह कब चालू करवाएंगे?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने एफ.आर. क्लस्टर और डी.आर. क्लस्टर के बारे में जिक्र किया है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि एफ.आर. क्लस्टर के अन्दर..

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): ई.आर. प्रोजेक्ट। मेन बात ई.आर. क्लस्टर की ही है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ई.आर. क्लस्टर की 256 गांवों के लिए 450 करोड़ की योजना तकनीकी परीक्षण के लिए भेजी हुई है और वित्तीय संसाधनों के उपलब्धानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माफर्त मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जालौर जिले की हमारी तीनों परियोजनाओं में आपने बहुत काम किया है। मंत्री जी को और भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने ई.आर. क्लस्टर में आज ही

(श्री नारायण सिंह देवल)

15 करोड़ की स्वीकृति दी है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि डी.आर. प्रोजेक्ट जो 2014 तक पूर्ण होना था परन्तु यह काम बहुत स्लो चल रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के सभी गांवों में कब तक यह काम पूर्ण कर दिया जाएगा?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने डी.आर. प्रोजेक्ट के बारे में कहा है इनके 121 गांव डी.आर. क्लस्टर में है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि 31 मार्च, 2019 तक इन 121 गांवों को लाभान्वित करने का प्रस्तावित है। आप निश्चिंत रहें, हम लगे हुए हैं, जल्दी से जल्दी काम पूरा हो इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने वृहत् स्तर पर राजस्थान में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। परन्तु आज भी कई ऐसे गांव हैं, जहां पर फ्लोराइड युक्त विशेषकर चंबल नदी के किनारे ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां कोई न कोई ..

श्री अध्यक्ष: छोड़ो ये छोड़ो। यह जालौर से संबंधित है? जालौर से संबंधित सवाल कीजिए। विराजिए। अगला सवाल श्री भंवर सिंह।

कोलायत में खनिज निर्गमन से प्राप्त आय

332. श्री भंवरसिंह (कोलायत): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोलायत के विभिन्न गांवों में क्ले, बजरी, कंकर, मोर्रम व लिग्नाइट व जिप्सम आदि खनिजों का प्रचुर मात्रा में खनन किया जाता है?

(2) कोलायत व बीकानेर तहसील क्षेत्र में खनिजों के निर्गमन से सरकार को प्रतिवर्ष कितना राजस्व प्राप्त होता है? गत चार वर्षों में प्राप्त राजस्व का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि खनिज वाहनों के लगातार आवागमन से खनन क्षेत्र के गांवों की अधिकांश सड़कें अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गई हैं?

(श्री भंवरसिंह)

(4) क्या सरकार कोलायत व बीकानेर तहसील के खनन क्षेत्र के आस-पास के गांवों की सड़कों का पुनर्निर्माण व नवीनीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा खनन क्षेत्र की सड़कों का नवीनीकरण का कार्य करवाया गया? यदि हां, तो प्रदेश में कितनी सड़कों का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार वर्ष 2018-19 में कोलायत के खनन क्षेत्र की सड़कों के नवीनीकरण का कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खान (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (1) जी हां। यह सही है कि बीकानेर जिले की विधान सभा क्षेत्र कोलायत के विभिन्न गांवों में क्ले, बजरी, कंकर, मोर्रम, लिग्नाइट व जिप्सम का खनन किया जाता है।

(2) बीकानेर जिले की तहसील कोलायत एवं बीकानेर क्षेत्र में खनिज के निर्गमन से रायल्टी के रूप में राजस्व की प्राप्ति होती है। गत चार वर्षों में उपरोक्त दोनों तहसीलों से वर्षवार प्राप्त आय का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) खनन क्षेत्र के गांवों की सड़कें खनिज एवं अन्य वाहनों के आवागमन से क्षतिग्रस्त होती हैं।

(4) राज्य सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में कोलायत एवं बीकानेर तहसीलों के खनन क्षेत्रों की निम्न पांच खनन सडकों का नवीनीकरण करवाया गया:-

1	**जेडी मगरा से बंधाला**	**07.00 किमी**
2	देशनोक से जेगला	09.00 किमी
3	रणजीतपुरा ओसिया वाया कोलायत-गोडू-पांचू रोड (एमडीआर" 37)	14.00 किमी
4	बीकानेर से झझू	04.00 किमी
5	आरडी 837 से 3 बीएलएम मानकासर	10.00 किमी

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्तमान में तहसील कोलायत में चानी ग्राम से एनएच 15 तक 04.00 किलोमीटर खनन सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट की मैनेजिंग कमेटी के अनुमोदन पश्चात्, गवर्निग काउंसिल के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है।

(राज्य मंत्री, खान)

(5) विगत तीन वर्षों में खनन क्षेत्र की 118 सड़कों का नवीनीकरण का कार्य करवाया गया अथवा वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(6) बिन्दु संख्या 4 के जवाब में वर्णित प्रस्ताव के साथ-साथ, अन्य सड़कों के नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव डी.एम.एफ.टी. की गवर्निंग काउंसिल एवं मैनेजिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होता हैं तो नियमानुसार अनुमोदन एवं स्वीकृति होने पर नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: विराजिए। पूरक प्रश्न नंबर एक श्री भंवरसिंह।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि कोलायत में भारी मात्रा में खनन होता है, उससे बड़ी राजस्व रायल्टी प्राप्त होती है। खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन से सड़कें भी बहुत ज्यादा टूटी हैं और इन सड़कों के रिन्युअल के लिए, नवीनीकरण के लिए पांच सड़कें मंत्री महोदय ने निर्माण करवाए जाने की भी बात कही है। लेकिन ये जो सड़कें मंत्री महोदय ने बताई हैं, ये सड़कें खनिज विभाग से प्राप्त आय की बजाय पीडब्ल्यूडी विभाग की जो नियमित विभागीय योजनाएं हैं, उन योजनाओं के तहत करवाई गई हैं।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि गत चार वर्षों में राज्य के खनिज क्षेत्र की सड़कों का नवीनीकरण खान विभाग के द्वारा आवंटित राशि से करवाया गया है? यदि हां, तो गत चार वर्षों में 240 करोड़ की रायल्टी कोलायत क्षेत्र में मिलने के बावजूद विभाग द्वारा बजट आवंटित करके कोलायत में सड़कों के नवीनीकरण का एक भी कार्य नहीं करवाया गया है। यदि हां, तो क्यों? क्या इस वर्ष कोलायत तहसील क्षेत्र की खनन क्षेत्र की जो मुख्य सड़कें हैं, उनको मंत्री महोदय अपने विभाग के बजट से ठीक करवाने का, नवीनीकरण करवाने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कोलायत से आने वाले सदस्य ने जो बात सड़कों के संबंध में कही है, यह सही है कि पूर्व में जो बीकानेर के अन्दर डीएमएफटी के अन्दर किसी भी सड़क का अभी तक निर्माण नहीं कराया गया है। डीएमएफटी के अन्दर आप

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

द्वारा जो प्रस्ताव भेजे गए थे, उसमें आपने कोई भी सड़क का प्रस्ताव नहीं भेजा। दो मीटिंग डीएमएफटी की हुई हैं जिसके अन्दर पहली जो मीटिंग थी...

पहले तो आय के संबंध में अभी डीएमएफटी में कोलायत में 3 करोड़ 88 लाख दो साल में आए हैं, बीकानेर में 5 करोड़ 23 लाख आए हैं, कुल 9 करोड़ 95 लाख रुपये वहां डीएमएफटी के जमा हैं। दो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई हैं। एक 20.11.16 को हुई थी, जिसमें आप द्वारा 20 प्रस्ताव भेजे गए थे, उनमें से चार प्रस्ताव हमने अनुमोदित कर दिए। उनमें से दो का कार्य पूर्ण हो गया है। दूसरी मीटिंग डीएमएफटी की 13.10.2017 को हुई थी, आप द्वारा उसमें 17 प्रस्ताव भेजे गए थे, जिसमें से 12 का अनुमोदन कर दिया गया, लेकिन उसमें सड़क का प्रस्ताव नहीं था। तीसरी मीटिंग 13.10.17 को हुई, आपने उसके अन्दर कुल 15 प्रस्ताव भेजे थे। 12.10.2017 को आपने प्रस्ताव भेजे, इसलिए एक दिन पहले जाने के कारण उस मीटिंग में वह नहीं हो सके। लेकिन अब वह पूरे 15 नैक्स्ट मीटिंग में रखे जाएंगे। आपकी एक सड़क पीडब्ल्यूडी ने भेजी थी, उसको तो हमने कर दिया। एक दूसरी सड़क और है। प्रस्ताव आपने अभी तक सड़क का नहीं भेजा। जो भी डीएमएफटी में आप भेजेंगे, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि डीएमएफटी का प्रावधान हुआ है इसमें दो तरह की कमेटियां हैं। एक कमेटी तो गवर्निंग काउंसिल है, जिसके अन्दर माननीय जिला प्रमुख अध्यक्ष है, जिला कलक्टर उपाध्यक्ष है, हमारे डीएम एमई वह इसके सैक्रेटरी जनरल हैं। (व्यवधान) सुनिए, उसमें एमएल है न। मैं आपको बता रहा हूं उसमें अध्यक्ष जिला प्रमुख है, उपाध्यक्ष जिला कलक्टर है, माननीय विधायक सदस्य है, डीएफओ ट्रेजरी है, सरकार के नोमिनी है। इसमें गैर सरकारी सदस्य हैं उसमें माइनिंग का, खान में काम करने वाले मजदूरों का, एनजीओ का, यह गवर्निंग काउंसिल है।

दूसरी है मैनेजिंग कमेटी। जितने भी माननीय विधायक, जिसने भी प्रस्ताव मैनेजिंग कमेटी के पास आते हैं इसका अध्यक्ष कलक्टर है। मैनेजिंग कमेटी के अन्दर सचिव हमारा एम ई है, सरकार के डी.एफ.ओ. या प्रदूषण बोर्ड का प्रतिनिधि है वह सदस्य है। जितने प्रस्ताव आते हैं मैनेजिंग कमेटी उन सारे प्रस्तावों को गवर्निंग काउंसिल में रखती है। गवर्निंग काउंसिल एक करोड़ तक के काम तो वही मंजूर कर देती है। एक करोड़ से ऊपर के हैं वह हमारे पास आते हैं, हम उसको अनुमोदन कर देते हैं। आप द्वारा सड़क का प्रस्ताव

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

नहीं दिया गया। अब आपने 15 दिए हैं वह नैक्स्ट मीटिंग में आ जाएंगे। आपका 9 करोड़ रुपया जमा है, आप खुद भी उस कमेटी के मैम्बर हो, उस गवर्निंग काउंसिल में आप बैठकर अपने प्रस्ताव निकालिए, हम यहां से उनको अनुमोदित कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे ? आ गया, लंबा-चौड़ा जवाब आ गया।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): एक और करूंगा।

श्री अध्यक्ष: कर लीजिए, आपका अधिकार है।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, कोलायत विधान सभा क्षेत्र में गोचर, पायतन, आबादी भूमि, वन भूमि सहित अन्य राजकीय भूमि व निर्धारित लीज एरिया से बाहर जिप्स, बजरी, आदि खनिजों का अवैध खनन लंबे समय से धड़ल्ले से चल रहा है। खान से ओवर लोड वाहन भारी मात्रा में भरवाए जा रहे हैं जिससे दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। विभागीय अधिकारियों को लगातार शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या कोलायत विधान सभा क्षेत्र में खनन विभाग की मिलीभगत से चल रहे अवैध खनन व ओवरलोड वाहनों के संचालन पर रोक लगाने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही करने का विचार रखते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय एमएलए साहब ने पूछा है, अवैध खनन के खिलाफ कोलायत तहसील में 1.78 करोड़ रुपये पिछली सरकार ने वसूल किए थे उसके अगेन्स्ट 2.18 करोड़ की पेनल्टी हमने आज तक वसूल कर ली है। इसी प्रकार से एफआईआर पिछली सरकार ने 589 की थी हमने चार साल में 454 कर दी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अवैध खनन हुआ है इसका मतलब तो यही हुआ न।

श्री अध्यक्ष: डोटासरा, डिस्टर्ब नहीं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): मैं आपको बता रहा हूं न। अवैध खनन के खिलाफ केवल कोलायत के अन्दर 454 एफआईआर हमने दर्ज करा दी हैं, 2.18 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। अब हमने जिप्सम के अन्दर, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोषणा की थी कि किसान को भूमि सुधार

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

के नाम पर परमिट जारी करेंगे, हमने बड़ी संख्या में परमिट जारी कर दिए हैं। अवैध खनन पर बहुत बड़ा अंकुश लगाया है। उसके अन्दर रायल्टी का पैसा भी आएगा। आपको पैसा डीएमएफटी में भी ज्यादा मिलेगा। बीकानेर के अन्दर अब तक वसूल की गई राशि 1.92 करोड़ है और 649 एफआईआर वहां करा दी गई है। जिला बीकानेर में 2.68 करोड़ की पिछली सरकार ने पेनल्टी लगाई थी उसके खिलाफ हमने 4.10 करोड़ की लगा दी है। पिछली सरकार में 948 केस आपने एफआईआर कराए थे, हमने 1103 करा दिए हैं। प्रभावशाली तरीके से अवैध खनन को रोकने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। हम और ज्यादा प्रयास करेंगे कि अवैध खनन रुके। अब जिप्सम के परमिट हमने जारी किए हैं उससे अवैध खनन पर और ज्यादा अंकुश लगा है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने नाम मात्र की...

श्री अध्यक्ष: आ गया, जवाब आ गया। श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): खानापूर्ति बताई है मंत्री महोदय ने, अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): रोकथाम नहीं हो पा रही। मंत्री महोदय जवाब नहीं दे पा रहे हैं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा अवैध खनन।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): नाम मात्र की कार्यवाही बता रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): खान घोटाला हुआ है, उसका सबसे बड़ा हमारे प्रदेश में है ...(व्यवधान) सरकार की नाक के नीचे है।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): महज खानापूर्ति है ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज अवैध खनन हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मिस्टर भंवरसिंह, बैठ जाइये, जवाब आ गया। आ गया, जवाब। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मुद्दा है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आ गया, जवाब। (व्यवधान) जब आप यह सारे मसले उठा सकते हो, फिर क्या है। श्रीमती चन्द्रकांता।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवैध खनन के संबंध में...

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप जवाब नहीं देंगे।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): ठीक है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं...

श्री अध्यक्ष: यह कोलायत और बीकानेर का सवाल है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): हां, कोलायत, बिलकुल कोलायत। आपने सवाल का जवाब दिया उसमें विगत तीन वर्षो की, ज़िले-वाइज सड़कों की संख्या यहां बताई उसमें आपने आठ ज़िलों को इसमें सम्मिलित किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे और भी जिले हैं। मैं एक सवाल करना चाहती हूं कि किसी भी सड़क या दूसरे विकास कार्य का प्रस्ताव डीएमएफटी की गवर्निंग काउंसिल में मैनेजिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होने पर विरोध के बावजूद कोई अन्य कार्य स्वीकृत होने के क्या नियम है? क्योंकि इस प्रकार की शिकायतें लगातार आपको प्राप्त हो रही हैं, अगर हां, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? इसके अलावा अगर हम कमेटी में विरोध कर रहे हैं, मान लीजिए बीकानेर में विरोध हुआ उसके बावजूद ऊपर से वह पैसा अन्यत्र कहीं दूसरी जगह लग जाए, तो मैं मानती हूं कि यह स्थानीय जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। इसमें भी आप इस तरह का नियम बनाएं कि पैसा कहीं दूसरी जगह नहीं लग पाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष: गोलमोल करके दे दीजिए।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, डीएमएफटी का जब से गठन हुआ है, मैं समझता हूं कि जिला-वाइज लोगों को बहुत बड़ी, इनकी पीड़ा थी कि हमारा पैसा हमारे ज़िले में लगना चाहिए, हमने दूर की है। इसके अन्दर मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा देना चाहूंगा आज तक हमने 773 करोड़ रुपया दो साल में इसमें इकट्ठा किया है, जो ज़िलों में गया है। इसके अन्दर 5230 कार्य विभिन्न विभागों के आधारभूत सुविधाओं के लिए हमने किए हैं। 2500 कार्य शिक्षा विभाग में किए हैं। 300 कार्य सड़कों के

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

लिए। हैल्थ के अन्दर 1020 कार्य किए। अध्यक्ष महोदय, मैं भीलवाड़ा की बात करूं, भीलवाड़ा में दो साल में 533 करोड़ राशि आई है, राजसमंद में 299, अजमेर में 106, उदयपुर में 103, चित्तौड़गढ़ में 93 है। सारा पैसा गवर्निंग काउंसिल में बैठकर आप लोगों ने सहमति के साथ अपने ज़िलों में आवश्यकतानुसार खर्च किया है। यह बहुत बड़ी अपर्चुनिटी हमने आपको ज़िले में दी है। आपकी पीड़ा थी कि हमारे ज़िले का पैसा आगे जाता है, अब आपको ही बांटना है। माननीय विधायक गवर्निंग काउंसिल के मैम्बर हैं, कृपया करके आप मीटिंग में जाइये, वहां अपना प्रजेंटेशन करिए, अपने क्षेत्र के आंकड़े लेकर जाओ और सब मिल बैठकर, इतना पैसा यूज़ करो, एक-एक विधायक को 50-50 करोड़ मिलेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए। दूसरा पूरक प्रश्न, श्री गोपाल कृष्ण। (व्यवधान) बैठिए, चन्द्रकांता जी बैठिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कोलायत और बीकानेर तहसील के कई क्षेत्रों के अन्दर जो पुरानी सड़कें हैं उसको तो आप मरम्मत और नवीनीकरण रिकमंडेशन से करवाते हैं, लेकिन मैं यह समझता हूं कि वाहन के आवागमन के कारण से कच्चे मार्ग जो बार-बार बन जाते हैं, कई जगह कच्चे मार्ग बन जाते हैं, अवैध खनन के कारण से भी बनते हैं और वैध खनन के कारण से भी बनते हैं। कच्चे रास्ते बनते हैं उनका नवीनीकरण या सड़क बनाने का काम सुओमोटो अपने आप, मतलब है कि सरकार या आपकी कमेटी, बिना किसी रिकमंडेशन के करेंगे या नहीं करेंगे, एक बात? मैं दुबारा नहीं पूछूंगा, दूसरा है बीकानेर शहर में भी अवैध खनन होता है उसमें आपने ऐसे कितने केसेज पकड़े हैं, उन पर कितने केसेज किए हैं, यह थोड़ा सा आप बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में मैंने अभी बताया था कि बीकानेर के अन्दर भी अवैध खनन के, जो मैंने अभी आंकड़ा दिया था।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): मैं शहर की बात कह रहा हूं। मैं पूरी तहसील और उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बीकानेर शहर।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): शहर की बात, मैं बीकानेर की बात कर रहा हूं। बीकानेर के अन्दर 1.92 करोड़ रुपये हमने पैनल्टी लगाई है और बीकानेर के अन्दर हमने 649 एफ.आई.आर. दर्ज कराई हैं। अवैध खनन के जो प्रकरण पकड़े हैं, उनका।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ शहर की बात कहता हूं। आप मुझे बीकानेर का बताएंगे तो इससे मुझे पता नहीं चलेगा।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): देखिये, बीकानेर का मतलब बीकानेर शहर। बीकानेर का आ गया न। मैं आपको अलग-अलग दे रहा हूं।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): बीकानेर शहर के अन्दर कितने अवैध खनन हो रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: बीकानेर शहर का आंकड़ा आपके पास अलग नहीं हो ... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): मैं आपको बता रहा हूं। बीकानेर जिले का आंकड़ा अलग है और बीकानेर जिले में 4.10 करोड़ रुपये पैनल्टी वसूल की गयी है। (व्यवधान) जबकि बीकानेर शहर के अन्दर 1.92 करोड़ वसूल की है। बीकानेर शहर के अन्दर 649 हमने एफ.आई.आर. दर्ज कराई हैं और टोटल बीकानेर जिले में 1103 हुई हैं। तो यह एक प्रभावशाली कार्यवाही हुई है। शहर में तो बाहर से लोग जाते हैं तो जो आपके बाई-पास है, वहां पर या जहां भी पकड़ में आता है, पकड़ करते हैं। (व्यवधान)

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): नहीं, नहीं। लगातार अवैध खनन हो रहे हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह पूछना चाहता हूं कि लगातार अवैध खनन हो रहे हैं तो हर साल कुल कितने बढ़े हैं?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): मैं आपको यह कह रहा हूं न कि बीकानेर के दो आंकड़े हैं। एक शहर का है, एक बीकानेर शहर और उसका है। बीकानेर के अन्दर हमने 1.92 करोड़ रुपये पैनल्टी वसूल की है, अवैध खनन वालों से, और 649 एफ.आई.आर. दर्ज की हैं। यह बहुत बड़ी फीगर है। इस तरीके से हमने पूरे जिले के अन्दर 1103 एफ.आई.आर. दर्ज की हैं और पूरे जिले में 4.10 करोड़ रुपये पैनल्टी वसूल की है। ...(व्यवधान) सबसे कर रहे हैं हम।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, माननीय विधायक, बैठिये।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): अभी भी अवैध खनन लगातार हो रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): यह आपके बीकानेर से की है। जो आपका सड़कों का है, तो डी.एम.एफ.टी. के अन्दर जो भी आप प्रस्ताव कलेक्टर को भेजेंगे, कलेक्टर उसको बर्निंग कोर्स में भेजेगा। आप उसके मैम्बर हो। वहां जाकर आप उसका ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): नहीं, मेरा क्वैश्चन यह था कि क्या सुओमोटो, अपने आप नहीं करेंगे क्या?

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, बीकानेर में जिस प्रकार से इन्होंने छोटी खानों को...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री हमीरसिंह भायल। (व्यवधान) श्री हमीर सिंह भायल। नहीं, बिलकुल नहीं, नहीं बिलकुल नहीं। (व्यवधान) नहीं, यह तरीका नहीं है, भंवरसिंहजी।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे बाड़मेर की डी.एम.एफ.टी. की मीटिंग भी हो गई।

श्री अध्यक्ष: बाड़मेर का सवाल, नाट अलाउड। नाट अलाउड।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): प्रस्ताव गया। आये हुए हैं, इसलिये जल्दी सड़क का कार्य स्वीकृत करावें।

श्री अध्यक्ष: नाट अलाउड।

अगला सवाल, डा. किरोड़ीलाल।

प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मियों की लम्बित मांगें

333. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में संविदा पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी एवं ग्राम साथिन अपनी सेवाएं दे रही हैं? यदि हां, तो कितनी व कब-कब से? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. किरोड़ी लाल)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त संविदा कर्मियों की मांग सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या-क्या व कब से? क्या सरकार उक्त संबंध में कोई निर्णय लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त संविदाकर्मियों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अरुण चतुर्वेदी): (1) जी नहीं। प्रदेश में आंगनबाडी केन्द्रों पर आंगनवाडी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी एवं साथिन संविदा पर सेवाएं नहीं दे रही हैं, बल्कि ये स्वैच्छिक आधार पर मानदेय कर्मी के रूप में सेवाएं दे रही हैं। उक्त मानदेय कर्मी चयन व नियुक्ति के बाद से अपने-अपने केन्द्रों पर सेवाएं दे रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 53357, मिनी कार्यकर्ता 5633, सहायिका 52547, आशा सहयोगिनी 48639 एवं साथिन 8069 कार्यरत हैं।

(2) जी हां। मानदेयकर्मियों के मांगों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। उक्त मानदेयकर्मियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। क्योंकि ये राज्य कर्मचारी नहीं होकर पूर्णत: अस्थाई एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने वाली मानदेयकर्मी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर-एक।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी एवं साथिन को कुशल मानते हुए श्रम कानूनों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी देने का इरादा रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो राजस्थान सरकार ने अलग-अलग समय में इनके मानदेय को बढ़ाने का काम किया है। 2016-17 में भी किया, 2017-18 में और 2018-19 में भी अभी बजट में घोषणा की है। जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न इनको न्यूनतम मजदूरी देने का है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

एक आदेश है। पहली इनकी यूनियन इस विषय को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में गई थी। इसमें मिनिमम वेजेज का भी था, और रेगुलराइजेशन का भी था। इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना आब्जर्वेशन है, "As regards grant of government employees' status to the AWWs/AWHs, it is stated that the AWWs/AWHs are honorary workers who come forward to render their services on payment of monthly honorarium. AWWs/AWHs being the honorary workers cannot be declared permanent government servants nor can be given any civil post. The Supreme Court in the case of Ameer B and others has held that the AWWs/AWHs being honorary workers can neither be declared as government servants nor covered under the Minimum wages. Therefore, request for grant of government employees' status to AWWs/AWHs cannot be accepted to."

सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर यह आब्जर्वेशन दे दिया कि इनको मिनिमम वेजेज और परमानेंट एमप्लाई, दोनों ही ट्रीट नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, माननीय किरोड़ी लालजी।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): यह सभी चारों महिलाओं के लिये हुआ है?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जी हां।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): या केवल सहयोगिनी के लिये?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): नहीं। ये उन दोनों को लेकर गये थे। इनकी पूरी यूनियन गई थी। सुप्रीम कोर्ट का ही आब्जर्वेशन है इसके ऊपर।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मंत्रीजी, चारों महिलाएं एक ही आंगनबाड़ी पाठशाला पर कार्य करती हैं। तो इनको अलग-अलग ग्रेड में क्यों रख रखा है? क्या आप इनका समानीकरण करने का इरादा रखते हैं?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके काम अलग-अलग प्रकार के हैं। यह बात सही है, लेकिन इन सबके काम की प्रकृति अलग-अलग प्रकार की है। इसलिये उसी तरह से मानदेय का तय हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार ने भी हालांकि इनकी स्थिति को देखते हुए पहले भी बढ़ाया है और अभी फिर

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

इसको 2018-19 के बजट में भी, पहले जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 4730 रुपये मिलते थे, अब छह हजार रुपये किया है। इसमें 1270 की वृद्धि की है जो कि 26.84 परसेंट की वृद्धि है। मिनी कार्यकर्ता को 3365 से 4500, सहायिका को 2565 से 3500, आशा सहयोगिनी को 1850 से 2500 किये हैं। यह टोटल जो वृद्धि है, वह 26.84 परसेंट से बढ़ाकर 37.50 परसेंट तक इसका इन्क्रीमेंट किया है, जितना इनको बढ़ाने की बात की है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्रीमती द्रोपती। श्रीमती द्रोपती, करेंगी आप?

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि तहसील रावतसर में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के पोषाहार का वितरण कितने स्वयं सहायता समूह में हो रहा है, एक। दूसरा यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में 175 आंगनबाड़ी केन्द्र कौन-कौन से विभागों के कार्यालयों में संचालित हो रहे हैं। 30 आंगनबाड़ी केन्द्र ऐसे हैं जो किराये के भवनों में चल रहे हैं। तो उनके कौन-कौन से भवन हैं, किरायेदार हैं, उनकी भी आप जानकारी प्रस्तुत कीजिये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक पोषाहार का विषय है, क्योंकि यह विषय मानदेय से सम्बन्धित, रैगुलराइजेशन से रिलेटेड है।

श्री अध्यक्ष: हां, वे आपकी समझ गयीं। अलग से भिजवा दीजिए।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं माननीय सदस्य को यह सूचना आपकी अनुमति से उपलब्ध कराने की करूंगा। अभी तक जो भवनों का है, उसको भी अलग, मैं सारा ले करके, मैं इनको उपलब्ध करा दूंगा। क्योंकि भवनों का भी ले लिया, अब सहमति भी निकाल चुके हैं कि कितने-कितने भवनों को हम बनाने का काम करेंगे। उसकी भी सूचना हम अलग-अलग निकाल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह यादव, दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो मिनिमम वेजेज का था, मेरा उत्तर आ गया।

श्री अध्यक्ष: आ गया। तीसरा पूरक प्रश्न, श्री शंकर सिंह रावत।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(श्री शंकर सिंह रावत)

माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय बढ़ाया है, उसके लिये तो मैं माननीया मुख्य मंत्री महोदया को और मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। साथ में निवेदन यह है कि, जो अभी चयन प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सुधार की आवश्यकता है कि ग्राम पंचायत लेवल पर हो तो ग्राम पंचायत के लोग ही वे उसमें एप्लाई करें। उसमें दूसरे आ जाते हैं। शहर के अन्दर है तो उस सम्बन्धित वार्ड से ही चयन हो, तो उसमें ठीक रहेगा। ऐसी मेरी मांग है। दूसरा, सवाल इसमें है कि भवन जो किराये में चल रहे हैं, उसके लिये सरकार की तरफ से ऐसे कोई बजट की व्यवस्था हो जाये तो प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र का अपना केन्द्र खुले। ये दो बातें हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके विषय में विस्तृत दिशा-निर्देश नवम्बर, 2016 में निकाले हुए हैं। इसमें चयन की प्रक्रिया कैसे होगी, वह भी तय किया हुआ है और चयन के सब मापदण्ड भी बना रखे हैं। इसी प्रकार पूरे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में किसको, कुल दस अंक देने का है, किस-किस कैटेगरी में अंक किस तरह से आबंटित होंगे, यह तय किया है। उसकी एक समिति बनी हुई है, समिति में ही जा करके तय होगा, यह भी, जो कुछ समिति का आता है, वह ग्राम सभाओं में पढ़ करके वहां पूरा का पूरा एप्रूव करने की बात इसमें रहती है। एक पूरा मापदण्ड बना हुआ है।

(12:00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में ट्रैक्टर ट्राली एवं व्यावसायिक वाहन ट्रोले के रजिस्ट्रेशन के लिए 01 अप्रैल, 2018 से नियम ए.आई.एस. 113 को लागू किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से नागौर सहित प्रदेश भर में 2004 से डार्क जोन लागू होने से किसानों को सिंचाई के लिए हो रही परेशानी के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री हीरा लाल दरांगी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से जालौर जिले में पिछले कुछ समय से रात्रिकालीन हैल्पलाइन बंद होने से आम जन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(5) श्री नन्दकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से सीकर जिले के रामगढ़ सेठान उपखण्ड पर डेढ़ साल से रिक्त पड़े उपखण्ड अधिकारी के पद को न भरे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से कनिष्ठ लेखाकार पद पर मंत्रालयिक श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(7) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में पेयजल की समस्या का समाधान किये जाने के संबंध में।

(8) श्री दर्शन सिंह, सदस्य की ओर से जल संसाधन विभाग की वर्ष 2016-17 की डी.पी.सी. में अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर नियम विरुद्ध पदोन्नति किये जाने के संबंध में।

(9) श्रीमती अंजू देवी धानका, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी में शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यों में जन-प्रतिनिधि की हो रही अनदेखी के संबंध में।

(10) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सीकर में अतिरिक्त जिला जज न्यायालय स्वीकृत नहीं करने पर वकीलों एवं आम जन द्वारा किये जा रहे आंदोलन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती शकुन्तला रावत, श्री दर्शन सिंह, श्रीमती अंजू देवी धानका एवं श्री गोविन्द सिंह डोटासरा को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम जाडन में अनूसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों के लिए अंत्योदय योजना में आवंटित भूमि का कब्जा दिलाये जाने के संबंध में।

(2) श्रीमती संजना आगरी, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग ब्यावर से पिंडवाड़ा पर सोजत, निंबली, नाड़ी विश्वकर्मा मंदिर के सामने फ्लाईओवर का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(3) श्री अमृतलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत वन क्षेत्र में आने वाली सड़कों का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(4) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में पूर्णकालिक खनिज अभियंता की नियुक्ति किये जाने के संबंध में।

(5) श्रीमती सुशील कंवर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मसूदा के ग्रामीण क्षेत्रों में बन रहे ग्रामीण गौरव पथों के निर्माण में बरती जा रही तकनीकी खामियों के संबंध में।

(6) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा किये गये निर्माण कार्यों की जांच एवं अधूरे पड़े कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाये जाने के संबंध में।

(7) श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में राजकीय कृषि महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।

(8) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से बाड़मेर शहर में स्थित ठोस कचरा संग्रहण केन्द्र को चालू करवाये जाने के संबंध में।

(9) श्री फूलसिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की ग्राम पंचायत डाकनकोटड़ा, कालामगरा के किसानों को वन विभाग द्वारा नाजायज तरीके से परेशान किये जाने के संबंध में।

(10) श्रीमती शिमला बावरी, सदस्य विधान सभा की ओर से विधान सभा

(श्री अध्यक्ष)

क्षेत्र अनूपगढ़ की तहसील घड़साना के नई मण्डी में खाली जमीन को छप्पर खोखा वालों को आवंटित किये जाने के संबंध में।

(11) श्री नाना लाल अहारी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के उपखण्ड मुख्यालय ऋषभदेव पर महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।

(12) श्री गोतम कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंगलवाड़ में ट्रोमा सेंटर खुलवाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज राजस्थान वित्त विधेयक और राजस्थान विनियोग विधेयक, दोनों महत्वपूर्ण विधेयक हैं, जिनका पारण होना है और फिर उस पर दोनों, नेता प्रतिपक्ष और सदन की माननीय नेता का जवाब आएगा और आपकी ओर से हाई-टी का भी आयोजन किया गया है इसलिए आज यह नियम-295 के प्रस्ताव हैं, उनको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष: सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव को पढ़े हुए मान लिया जाए, क्या आपकी सहमति है?

(स्वीकृत)

पढ़े हुए मान लिये गये।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

पर्ची

आज दिनांक 06 मार्च, 2018 को शून्यकाल में बोलने हेतु 40 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

1.	श्री जोगाराम पटेल	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर द्वारा इंदिरा गांधी मुख्य नहर को मरम्मत हेतु भविष्य में बंद रखने से उत्पन्न होने वाले पानी के भीषण संकट के संबंध में।
2.	श्री ललित कुमार	किशनगंज-शाहबाद में लम्बित पेयजल योजनाओं की स्वीकृति एवं पुरानी पेयजल योजनाओं का जीर्णोद्धार करने के संबंध में।
3.	श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा	उपखंड मुख्यालय चाकसू में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने के संबंध में।
4.	श्री प्रताप लाल भील	विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 में अतिवृष्टि से पुलियाओं एवं सड़कों को हुई क्षति के संबंध में।

माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे एक निवेदन है कि आज का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज विनियोग विधेयक भी पास होना है और यह भी होना है और इसलिए मैं यह चाहता हूं कि आपका सबका सहयोग मिले। छह बजे हमारे यहां पर श्रेष्ठ विधायकों का भी, दो टर्म से जो यह कार्यक्रम नहीं हो रहा था, उस कार्यक्रम को छह बजे हमको करना है। जो श्रेष्ठ विधायक हैं प्रतिवर्ष के उनको भी आज आदर देना है, सम्मानित करना है और इसलिए मैं यह चाहूंगा कि पांच बजे मुख्य मंत्रीजी अपना भाषण दें उस दृष्टि से दोनों सचेतक मिलकर अपने वक्ताओं का इस तरह से नाम सम्पादन करें कि पांच बजे मुख्य मंत्रीजी भाषण दे दें। छह बजे हमारे यहां क्योंकि एक सेरेमोनियल होगा, हमारे जो श्रेष्ठ विधायक रहे हैं, उनका सम्मान हो जाएगा और उसके बाद हाई-टी जैसी भी है इसलिए आज के दिन मैं आपका व्यक्तिगत रूप से सहयोग चाहता हूं कि आप पांच बजे तक अपने दोनों तरफ से एक समन्वय स्थापित करके वक्ताओं की सूची दे दें और वह बोलें, इतना ही मेरा निवेदन है।

श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): साहब, यह हाई-टी जैसी भी है, यह बात समझ में नहीं आई। आपने फरमाया कि हाई-टी जैसी भी हो, जैसी भी हो का क्या मतलब हुआ?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपको समझ में नहीं आएगी, कृपलानीजी।

श्री अध्यक्ष: हाई-टी भी हो, उसमें कई चीजें होती हैं। लो-टी भी होती है, हाई-टी भी होती है, अप-टी भी होती है, डाउन-टी भी होती है, सब चलने दो, चलेगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से आज जो राजस्थान वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर बहस है, वित्त विधेयक पर मेरे दो संशोधन हैं और आपने जो आदेश फरमाया है कि 'हां' पक्ष और 'ना' पक्ष के सचेतक आपस में बात करके .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपसे भी राय ले लेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हां, ठीक है। कृपा है आपकी।

श्री अध्यक्ष: आप तीन बार नहीं, एक बार बोल लेना। यह कहीं न कहीं आपको बोलने का अवसर मिल जाएगा, मैं दोनों से निवेदन कर देता हूं विराजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): जी, कृपा है आपकी।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पाइंट आफ इन्फार्मेशन है। आपकी अनुमति से एक गम्भीर मामला है, कोटा के एक महेन्द्र गौतम हैं, उनको अपने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने प्रधान मंत्रीजी को भी इस मामले गम्भीर रूप से वह किया है। ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, वह नहीं। विराजिए-विराजिए। नहीं, यह कोई पाइंट आफ इन्फार्मेशन नहीं है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, वह आदमी उनके हैं, ...(व्यवधान).

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): उनका पूरा परिवार आज सदमे में है। आज उसकी हालत यह है कि उसकी सरकार को ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। मिस्टर घनश्याम, बैठिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): नहीं, स्थिति खराब हो जाएगी उसकी।

श्री अध्यक्ष: आप गृह मंत्रीजी से मिल लीजिए। गृह मंत्रीजी से मिल लीजिए। कृपया आप बैठिये। घनश्यामजी, आप बैठिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि उसकी जान-माल की सुरक्षा की व्यवस्था ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। हां, सुरक्षा की व्यवस्था करवा देंगे। मैं गृह मंत्रीजी से कह दूंगा।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): करा देंगे?

श्री अध्यक्ष: हां, आप भी कह दीजिए और मैं भी कह दूंगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): पहले जानकारी ले लीजिए इस बात के लिए। यह जो बोल रहे हैं इस बात की अच्छे से जानकारी ले लें पहले आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। मैं गृह मंत्रीजी तक आपकी बात पहुंचा दूंगा, आप भी मिल लेना। हां, श्रीमती शकुन्तला रावत।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बानसूर में पेयजल समस्या

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव नियम-50 के अंतर्गत पानी की समस्याओं को लेकर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद, साहब।

आज की जो समस्या है, घटते हुए जल स्तर को लेकर पूरे अलवर जिले में डार्क जोन घोषित कर दिया लेकिन पानी की बहुत भारी समस्या सामने खड़ी है। आये दिन धरने और प्रदर्शन हो रहे हैं। मेरे बानसूर विधान सभा क्षेत्र में भी दिन प्रतिदिन जल स्तर घटता जा रहा है। पानी की समस्या इतनी भयानक हो गयी है कि अभी पिछले दो महीने से एक-एक करके एक-एक पंचायत में बोरिंग्स का पानी समाप्त होता जा रहा है। जैसे-रामपुर है, सबलपुरा पंचायत है, बानसूर है, ढाणी लुहारवाला है, काली पहाड़ी, अधोपिया की ढाणी, चंदूवाली और प्रोपर नारायणपुर में है, ज्ञानसिंह की ढाणी है, कोलाड़ा है, भाकरवाला है, गुढ़ा है, गुंता, शाहपुर है, ऐसी अनेक पंचायतें हैं जहां पर बहुत अधिक पानी की समस्या हो रही है।

ऐसी अनेक पंचायतें हैं, जहां पर बहुत अधिक पानी की समस्या हो रही है। जहां पर आप पाइप लाइन प्लास्टिक की दे रहे हैं, वह एक-दो महीने भी नहीं चलती है और टूट जाती है। उसकी जगह पर आप नई लाइनें स्वीकृत कर रहे हैं, हमने लाइनों का प्रपोजल भी यहां पर भिजवा दिया है तो कृपा

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

करके लोहे की लाइन वहां पर स्वीकृत करें और जो आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या आ रही है, जहां पानी बिलकुल बूंद भर भी नहीं है, पांच-छह किलोमीटर से वह टैंकर से पानी पैसे से मंगवा रहे हैं, लेकिन सभी व्यक्ति सम्पन्न नहीं हैं। कुछ लोग पानी टैंकरों से नहीं मंगवा सकते। आपसे मेरा अनुरोध है बानसूर में शिव कालोनी में टैंकर लगाया जाए। काली पहाड़ी ग्राम पंचायत सबलपुरा, मैं दो पाइंट बता देती हूं जहां बिलकुल पानी नहीं है। पी.एच.ई.डी. विभाग को सूचित कर दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): एक मिनट, मैं मंत्री महोदय उन गांवों की सूची बता दूं जहां पर अभी एक महीने के अन्दर पानी बिलकुल सूख गया। मैंने बोरिंग करवाया था। काली पहाड़ी है, पंचायत सबलपुरा है, मंशापुर है, लुहारवाड़ा है, गुढ़ा भाकरवाला, नीमाळी मालियों की ढाणी, यह ग्राम पंचायत रामपुर में हैं। ढेकलो की ढाणी पंचायत विजयपुरा है, जहां स्कूल भी है और नारायणपुर में एस.सी. बस्ती है, मालोणी की ढाणी, मालोणी की स्कूल, पुरोहितों का बास, खोड मौहल्ला, प्रजापतों का मौहल्ला ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब विराजें। आप बता देना।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जहां बूंद भर पानी नहीं है, कहां से टैंकर भिजवाने का ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: और बता देना। आपने ध्यान आकर्षित कर लिया। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मांदरी, मोती की ढाणी, उंदो की ढाणी, फ्लोराइड युक्त में और जहां तक सौर ऊर्जा देने का कष्ट करें, जो भी फार्म दें, जिससे कि बिजली की समस्या से भी निजात मिल सके ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): और मैंने यह जो गांव गिनाए हैं, यहां पर आप तुरन्त अभी टैंकर की व्यवस्था कृपा करके करवाएं, फिर बाद में जब बोरिंग देंगे, वह होती रहेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें। माननीय मंत्रीजी। आपकी समस्या दूर करेंगे।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या ने पानी की समस्या के बारे

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

में जिक्र किया। मैं माननीय सदस्या से निवेदन कर दूं कि वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बानसूर के पांच गांव पांसणा, कोलाबास, खरकेड़ा, चैनपुरा एवं बांस कर्णावट को हैण्डपम्प से पम्प एवं टैंक बनाने का कार्य राशि रुपये 190.99 लाख का प्रगति पर है। जिनमें 10 नलकूप एवं 15 किलोमीटर पाइप लाइन एवं 15 भूतल जलाशय हैं। इसी प्रकार जो आपने गांव बताये, आपने 9 गांव बताये हैं - रामपुर, गुढ़ाभाकर, देशन, ज्ञानपुरा, हाजीपुर, बिलाली, अजबपुरा, जोधपुरा और दड़ी में राशि रुपये 164.84 लाख के कार्य प्रगति पर हैं और जिनमें आपने पाइप लाइन का कहा कि प्लास्टिक की पाइप लाइन है, वह बहुत मजबूत पाइप लाइन है। इसलिये आपका यह कहना कि वह खुर्द-बुर्द हो जाएगी और किसी काम की नहीं, यह बिलकुल गलत बात है। इन्हें मई, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। इसके अलावा ग्राम विजयपुरा, लीलामांडण में 7.82 लाख रुपये की व तोलावास में 3.16 लाख की एवं ग्राम नारायणपुर में 14.82 लाख की स्वीकृत पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर है। विधान सभा क्षेत्र बानसूर में आपके अभी 100 नये हैण्ड पम्प निर्माण कार्य भी इस वर्ष में कराये जायेंगे। इसके अलावा जो असफल नलकूप हैं, उनके विरुद्ध नये नलकूपों का कार्य भी कराया जायेगा और रहा सवाल, आपने टेंडरों की बात की है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जहां पर भी पानी की समस्या आएगी, वहां पर पेयजल परिवहन भी किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, बस अब आ गया जवाब। अब बिलकुल नहीं। (व्यवधान) नहीं जवाब देने की जरूरत नहीं, जवाब नहीं आएगा। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): हमीरपुर में और रामपुर के पास में, सड़क पर पानी बह रहा है, मैं तो वह कह रही हूं, आप उसको भी दिखवा लें।

श्री अध्यक्ष: पर्याप्त जवाब आ गया। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): वहां से निकलते ही नदी पर ... (व्यवधान) पाइप लाइन टूटी हुई पड़ी है वर्तमान में। कल ही मैं जाकर आयी हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, जवाब नहीं आयेगा। मैं कह रहा हूं आप बैठिये शकुन्तला जी। श्री दर्शन सिंह (अनुपस्थित) श्रीमती अंजू देवी।

बस्सी में शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रमों में जन-प्रतिनिधि की अनदेखी

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): अध्यक्ष महोदय, नियम प्रक्रिया 50 के अन्तर्गत आपने समय दिया, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जितने भी सरकारी कार्य और निर्माण होते हैं, उनका शिलान्यास और उद्घाटन एक बीजेपी के पार्षद द्वारा कुछ कार्यकर्ताओं को ले-जाकर जबरन किया जाता है, जबकि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा किये गये विकास कार्यों के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम जन-प्रतिनिधियों द्वारा कराये जाने के निर्देश 14.11.1995 को 20.4.2007 को और 9.10.2015 को जारी किये गये हैं। इसके बावजूद भी मेरे क्षेत्र में एक बीजेपी का कार्यकर्ता जाकर उद्घाटन और शिलान्यास कर लेता है, इस मामले में अभी थोड़े दिन पहले काफी अखबारबाजी हुई थी। जब पार्षद से पूछा गया कि वह बिना जन-प्रतिनिधि को बताये, विधायक को बताये बिना क्यों करते हैं? जब उसने यह कहा था कि सरकार हमें कहती है कि जहां कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, चाहे वह हारे हुए हों, चाहे जीते हुए, वही करेंगे, चाहे वहां विधायक कोई भी हो। इसके लिये मैंने सोचा कि शायद हो सकता है, जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग से हमारी काफी सारी सड़कें हों, या तो हो सकता है कि मंत्री लोग हमसे भी साइन करा लेते हैं उनके अधिकारी और जाकर अपने कार्यकर्ता को भी खुश कर देते हों। इसके लिये मैंने किसी के जरिये एक आर टी आई लगवाई और आर टी आई में आया कि जितनी भी सार्वजनिक निर्माण विभाग से सड़कें सैंक्शन हुई हैं, वह वर्तमान विधायक, यानी मेरी अनुशंसा पर ही हुई हैं। इसके लिये मैंने मंत्रीजी को पहले भी धन्यवाद दिया था, और अब भी धन्यवाद देती हूं। लेकिन अब प्रश्न यह है कि जब सारे कार्य मेरी अनुशंसा पर होते हैं तो विधायक की अनदेखी क्यों होती है? स्थानीय जन-प्रतिनिधि की अनदेखी करने का मतलब यह है कि आपके जो कार्यकर्ता हैं, वह जनता के मैंडेट को सम्मान नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजें। आपने सवाल पूछ लिया। (व्यवधान)

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): सिर्फ एक सवाल है, 30 मार्च, 2016 को सम्माननीय गृह मंत्रीजी ने एक यहां पर बयान दिया था, इसी सदन में कहा था कि जो भी कार्य, निर्माण सरकारी खर्च पर बिना सरकारी अनुमति के करना व नाम-पट्टिका जो लगा दी है, उन्हें हटा दिया जाएगा तो मैं यह

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

पूछना चाहती हूं कि मेरे एरिया में जितनी भी इस तरह की नाम-पट्टिका उद्घाटन-शिलान्यास के समय लगी हैं, उसे मंत्रीजी कब तक हटवा देंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप रेस्पोंड करेंगे इसको? संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप रेस्पोंड कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्सी से आने वाली माननीय सदस्या ने जो स्थगन के माध्यम से सवाल किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, किस चीज का कौन उद्घाटन करे, कौन शिलान्यास करे, यह दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो वहां के जन-प्रतिनिधि की जागरूकता के कारण, दूसरा जनता किसको चाहती है। मुझे जो जानकारी मिली है ...(व्यवधान)

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): मंत्रीजी, जो आप कह रहे न, यह एक +++ बात है। इसके अन्दर जागरूकता क्या करेगी? अगर पता ही नहीं चलेगा, कार्यकर्ता जाकर कर लेगा। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह कोई बात है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता के विश्वास पर धब्बा लगा रहे हैं क्या? (व्यवधान) यह क्या बात कर रहे हो आप? जनता के विश्वास से ही तो यह जीतकर आये हैं। (व्यवधान)

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): आपको यह बोलते हुए +++ आनी चाहिये मंत्रीजी। मेरे क्षेत्र में आप खुद भी उद्घाटन करने गये थे और मुझे बताया तक भी नहीं था। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जनता जिसको चाहती है, वह जीतकर आता है। यह आपने कैसे कह दिया? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): एक बार मंत्रीजी का जवाब सुन लो, उसके बाद बोलोगे तो समझ में आयेगा। मंत्रीजी का जवाब तो सुनो। (व्यवधान)

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): मंत्रीजी, दो बार बीजेपी की जमानत जब्त हुई है बस्सी में। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सब एक साथ खड़े नहीं होना, मंत्रीजी का जवाब सुनो, उसके बाद बोलना। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आपने यह कैसे कह दिया कि जनता ने चाहा है। जनता के चाहे बिना थोड़े यहां आ सकता है। (व्यवधान)

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्सी में तो दो बार जमानत जब्त हुई है बीजेपी की मोदी लहर में भी। (व्यवधान) फिर आप यह कह रहे हो, यह तो +++ की बात है। आप खुद उस क्षेत्र में जाकर मुझे अवगत नहीं कराते हो औरों की तो मैं क्या बात करूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्षजी, बाकी बातें गृह मंत्रीजी कह देंगे पर यह कई कार्यक्रमों में गये, मेरी जो जानकारी है, पर वापस क्यों आ गयीं आप? कार्यक्रम में आप गये और जनता ने थोड़ा विरोध (व्यवधान)

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): आपने कभी नहीं बताया। +++, यह सदन एक मंदिर है। यहां +++ मत बोलिये। आप +++ रहे हैं +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द डिलीट किया जाए।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): असत्य बोल रहे हैं, महान् असत्य बोल रहे हैं। सदन के अन्दर असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंजू जी बैठिये, गृह मंत्रीजी रेस्पोंड कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): गृह मंत्रीजी, आप अपने बयान के ऊपर ही बयान देना, जो आपने 30 मार्च, 2016 को कहा था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी रेस्पांड कर रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्सी से आने वाली माननीय सदस्या का जो स्थगन है, वह है जितने भी कार्य सरकारी विभागों द्वारा शिलान्यास-उद्घाटन वार्ड नंबर 26 में बीजेपी के जिला पार्षद द्वारा कुछ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर ...(व्यवधान)

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): वार्ड नंबर 24 है, वह गलत प्रिंट हो गया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अब गलत या सही, मैं तो उत्तर वही लाऊंगा, जो आप मुझे कहोगे।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): संख्या बता रही हूं 24 है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपकी भावना थोड़े ही समझता हूं, भगवान होता जब तो समझ जाता। मैं तो आपका प्रस्ताव ही पढूंगा। (व्यवधान)

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): सिर्फ संख्या कह रही हूं कि गलत छप गयी है, 24 है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आज तक तो आप भगवान हैं, लेकिन गृह मंत्री बनने के बाद भगवान की आस्था आपसे हट गयी आपसे। मैं पहले आपके साथ रहता था, तब मैं समझता था कि गुलाबचन्द जी भगवान हैं। लेकिन गृह मंत्री बनने के बाद आस्था खतम हो गयी इनकी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्रवण कुमार जी, आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): आप सिर्फ एक ही उत्तर दे दीजिये, जो आपने 23 मार्च, 2016 को कहा था, उस पर आप कायम हैं या नहीं हैं। आपने कहा था कि हम सारे हटवा देंगे। जो इस तरह की बातें हुई हैं, अब वह मेरे एरिये में हटेगी कि नहीं? सिर्फ इतना-सा आपको जवाब देना है। आप अपनी बात पर कायम हैं या नहीं, बस यह बता दीजिये।

(12:19 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं तो जो प्रस्ताव दिया, माननीय विधायक महोदय, मैं तो आपने स्थगन प्रस्ताव में जो एरिया कवर किया, मैं तो केवल उसकी सूचना ही इकट्ठी करूंगा, उससे आगे-पीछे की तो मैं कर नहीं सकता। आपने जो लिखा है उद्घाटन वार्ड नंबर 26 में बीजेपी के जिला पार्षद द्वारा कुछ कार्यकर्ताओं के साथ जाकर किया, जबकि उसमें कोई प्रशासनिक अधिकारी और विभागीय कर्मचारी नहीं होता है। यह इतना ही प्रस्ताव है आपका।

अब यह जो राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर आदेश निकाले जाते हैं। 'राजकीय भवनों के शिलान्यास उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम माननीय मंत्रीगण अथवा जन प्रतिनिधियों से ही सम्पादित कराया जाना चाहिए।' यह आदेश दिये हुए हैं। कोई भी सरकारी अधिकारी इनका उद्घाटन या शिलान्यास नहीं कर सकते हैं।

'माननीय सांसद, विधायक, जन प्रतिनधियों के क्षेत्र में आयोजित होने वाले राजकीय शिलान्यास एवं उद्घाटन समय पर आमंत्रित किये जाने, उनके समारोह में निर्धारित स्थान नियत कर रखे जाने का सम्पूर्ण विशिष्टता और सम्मान के साथ व्यवहार करने के निर्देश भी समय-समय पर जारी किये गये।'

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बस्सी में वार्ड नम्बर 26 में जिला परिषद सदस्य ममताजी गुप्ता, ग्राम पंचायत के कार्यों का शिलान्यास, उद्घाटन कार्य उनके द्वारा सम्बन्धित सरपंच के साथ किये हैं। यह सही है कि कतिपय कार्यों में उद्घाटन, शिलान्यास कार्यक्रम में संबंधित विधायक उपस्थित नहीं थे। अब इसमें जो वहां सांसद हैं, वह भी इसमें उपस्थित रहे। सरकारी कोई भी अधिकारी इस कार्यक्रम में नहीं था। सरपंच के क्षेत्र का जो काम है, वह सरपंच, जिला परिषद भी जन प्रतिनिधि हैं। पंचायत समिति सदस्य भी जन प्रतिनिधि है। बुलाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सरकारी अधिकारी की उपस्थिति में 26 वार्ड में ये कार्यक्रम नहीं हुए हैं। वहां के सरपंच ने अपने क्षेत्र के जो लोकार्पण थे या शिलान्यास थे, वहां जिला परिषद के सदस्य, जो वार्ड नम्बर 26 में ममता है, उसकी उपस्थिति में कराया है। यह बात सही है। इस प्रकार के कार्यक्रम कई बार सरकारी अधिकारी की अनुपस्थिति में होता है। वैसे तो आपका क्षेत्र बहुत लम्बा चौड़ा है क्योंकि वार्ड नम्बर 24 में कन्हैया लालजी हैं, 25 में रामजीलाल हैं, 26 में ममता गुप्ता हैं, 27 में बेनी प्रसाद कटारिया हैं, 28 में मोहन लाल शर्मा हैं, 29 में नाथू लाल सैनी हैं।

आपका स्थगन प्रस्ताव केवल और केवल वार्ड 26 के बारे में था, जिसकी जिला परिषद सदस्य ममता गुप्ता है और वहां के सरपंच की उपस्थिति ये सारे के सारे कार्यक्रम हुए। उनके बोर्ड लगे हुए हैं। जन प्रतिनिधि के नाते आपको बुलाना चाहिए, पर ऐसा कोई भी सरकारी अधिकारी की उपस्थिति में इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, जिसमें आपको उनको बुलाना था। उन्होंने अपने स्तर पर ही, मान लो किसी वार्ड का कार्यक्रम है, वार्ड का पार्षद अपने वार्ड में कार्यक्रम कर सकता है क्योंकि वह भी जन प्रतिनिधि है। यह नहीं लिखा है कि जन प्रतिनिधि का मतलब एमएलए ही जन प्रतिनिधि होता है या एमपी ही जन प्रतिनिधि होता है, ऐसा नहीं है। पंचायत समिति सदस्य भी जन प्रतिनिधि है, जिला परिषद का सदस्य भी जन प्रतिनिधि है और वहां का सरपंच भी जन प्रतिनिधि है। उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम हुए हैं। निश्चित रूप से उसमें विधायक अनुपस्थित है। उन्होंने आमंत्रण दिया या नहीं दिया, इसका एकदम लेखा जोखा, तुरन्त इसको नहीं लिया। वैसे सामान्यत: बुलाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन अगर नहीं भी बुलाया, सरपंच ने अपने स्तर पर अपनी पंचायत में कोई कार्यक्रम किया है तो बहुत गुनाह नहीं किया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मतलब नहीं बुलाया तो गुनाह नहीं किया। नियम कायदा है कि बुलाना चाहिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने यह कहा कि बुलाना चाहिए लेकिन मेरे वार्ड का कार्यक्रम है और मैं ही कर लूं तो इसमे क्या हर्ज है।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): सूचना तो दे सकते हैं। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): कांग्रेस के राज में पांच साल तक, जन प्रतिनिधियों को नहीं बुलाने की परम्परा आपने डाली है। (व्यवधान) आप लोग बढ़-बढ़ कर बात कर रहे हो। पांच साल तक एमएलए को नहीं बुलाने की प्रथा आपने डाली है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एमपी का हसबैण्ड अगर करता है तो गुनाह है या नहीं? यह तो बता दो। (व्यवधान)

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): मैंने 24 नम्बर वार्ड की बात की थी। आपने 26 की कथा गा दी। मैं कह रही हूं कि गलत प्रिन्ट हो गया। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सरकारी कार्यक्रम तो वह माना जायेगा जो अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ है। उस कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों को बुलाना...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं कह रहा हूं कि एमपी का घर वाला अगर उद्घाटन करता है तो वाजिब है क्या? (व्यवधान) बट सांसद का घर वाला करता है तो रोंग है या राइट है? यह तो बता दो।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैंने यह पूछा था कि 20 मार्च, 16 को जो आपने कहा था ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सभी एक साथ बोलेंगे तो क्या समझ में आयेगा। मंत्री महोदय को जवाब तो दे देने दो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं यह कह रहा था कि पंचायत का कोई फंक्शन हो और आपको हर पंचायत में बुलाएं तो इतना समय आपके पास होगा क्या? आप उसमें अटकाओ मत। कार्यक्रम होने दो। जिसमें आपकी उपस्थिति हो सकती है, उसमें आप पधारो। आपका स्वागत होना चाहिए लेकिन यह जरूरी नहीं कि पंचायत का सरपंच हर कार्यक्रम आपकी बिना उपस्थिति के न कर सके। ऐसी कानूनी कोई रोक नहीं है। वह भी जन प्रतिनिधि के नाते अपने कार्यक्रम कर सकता है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): वह कर सकते हैं, आप रोक नहीं सकते। मैं कह रहा हूं कि ऐरा गैरा नत्थू खैरा कैसे कर सकता है? पार्षद कर सकता है, सरपंच कर सकता है, जिला परिषद सदस्य कर सकता है, एमएलए कर सकता है, पर किसी का घर वाला भी कर सकता है क्या? (व्यवधान)

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): मैंने पंचायत की बात ही नहीं कही है। मैं कह रही हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में करोड़ों का काम होता है। वहां पर बुलायेंगे या नहीं बुलायेंगे? यह बता दो। मैं विभागों की बात कर रही हूं। पंचायत की नहीं कर रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अब एक बार आप विराज जाओ। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्रीजी, यह आसन की तरफ से अब आपको स्पष्ट निर्देश हैं कि इस प्रकार के कोई भी कार्यक्रम जहां जनता के पैसे से किसी परिसम्पत्ति का निर्माण हुआ हो, किसी सर्विसेज का निर्माण हुआ हो या और ऐसी कोई गतिविधि, उसमें निर्वाचित जन प्रतिनिधि, चाहे वह सांसद है, चाहे वह विधायक है या पंचायत राज का है या नगर निकाय का, उनको बाकायदा निमंत्रण जाएंगे। अगर इस प्रकार का कार्यक्रम है कि जहां विधायक या सांसद के हस्तक्षेप के उपरान्त भी परिसम्पत्तियों या सर्विसेज का निर्माण हुआ तो सुनिश्चित किया जाएगा कि उनसे समय लिया जाए और उसके उपरान्त वह कार्यक्रम किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने निर्देश दिये, वह सिर माथे है, पर आप यह भी निर्देश दे दें कि इन माननीय विधायक महोदय के पते तो मालूम रहें हमको। एक पता दिल्ली का है, एक पता जयपुर का है। कभी विराजते ही नहीं हैं।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): सरकार ने क्वार्टर दे रखे हैं। आप अपनी कमियों को बेकार की बातों से क्यों छिपा रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्या का अपमान है, संसदीय कार्य मंत्रीजी। इनके पते दे दें। इनका पता है। ये विधायक हैं। दो सौ में चुनकर आयी हैं। इसको डिलीट किया जाए। (व्यवधान) इसका आशय क्या है? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप टिप्पणी कैसे कर सकते हो? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराज जाओ। संसदीय कार्य मंत्री महोदय, अगर माननीय सदस्य का, किसी का भी पता आपको अगर उपलब्ध नहीं है तो विधान सभा इसमें आपका सहयोग कर देगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हो गया उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, अपना पता इनको बताकर रिस्क कौन लेगा?

सीकर में अतिरिक्त जिला जज न्यायालय की स्वीकृति

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में 2875 से ज्यादा मुकदमे और अपीलें पैण्डिंग है। हम लोगो को सीकर आना पड़ता है एडीजे कोर्ट के लिए। फतेहपुर में उससे आधे भी मुकदमे नहीं होने के बावजूद भी आपने एडीजे कोर्ट खोल दिया। मुख्य मंत्रीजी ने करीब 35 कोर्ट की अपने बजट में घोषणा की है जिसमें से 11 के लगभग एडीजे कोर्ट भी खोले हैं लेकिन लक्ष्मणगढ़ को वंचित किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि 44 पंचायतें हैं। उप खण्ड कार्यालय 2002 से चल रहा है। नगरपालिका क्षेत्र है। सीकर में चार एडीजे कोर्ट हैं जिनका कोई लम्बा चौड़ा काम नहीं है। हम लोगों को सीकर जाना पड़ता है। लक्ष्मणगढ़ में पिछले दिनों अभिभाषक संघ और जनता ने आन्दोलन किये और लक्ष्मणगढ़ के अभिभाषक संघ ने 73 दिन तक हड़ताल रखी जो आपकी नालेज में भी है, आपसे भी मिले थे। हमारे प्रभारी मंत्रीजी राजकुमार रिणवांजी से से भी अभिभाषक संघ मिला था। मैं 73 दिन में इसलिए बीच में नहीं गया उपाध्यक्ष महोदय, कि यह लगता कि ये राजनीति कर रहे हैं। कांगेस के लोग इसको उकसा रहे हैं और हमने सोचा कि अगर हमारे जाने से हमारे अभिभाषक संघ का और लक्ष्मणगढ़ की जनता का भला होता है तो मैं राजनीति नहीं करूंगा। वैसे पेशे से मैं वकील हूं। उसके बावजूद भी मैं जानबूझकर वहां नहीं गया कि आप कम से कम यह नहीं समझें कि यह राजनीति कर रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी क्या एलर्जी हो गयी मेरे लक्ष्मणगढ़ से। चार एडीजे बैठते हैं सीकर के अन्दर। फतेहपुर में आप खोल रहे हो। 11-11 की बजट घोषणा मुख्य मंत्रीजी कर रही हैं और सबसे ज्यादा अगर किसी उप खण्ड के सिविल और क्रिमिनल अपीलें या मुकदमे लम्बित हैं, तो वह लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र है। इसलिए मेहरबानी करके आपको लक्ष्मणगढ़ में,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

भवन भी पांच सात साल पहले 72 लाख रुपये लगकर हमारे कार्यकाल में कांग्रेस के शासन में, वहां एडीजे कोर्ट खोलने के लिए भवन बना दिया। वह भवन पडा़ है। कुछ दिन पहले जब 73 दिन की हड़ताल हुई तो आपके यहां से सरकार ने वहां पर कोर्ट कैम्प लगाने की घोषणा की और चालू किया। राजकुमार रिणवांजी मंत्रीजी, जो हमारे प्रभारी हैं, गये थे। निश्चित रूप से यह घोषणा करने वाले मंत्री नहीं थे क्योंकि इनके पास विभाग नहीं था। आपको भी बुलाया था। आप किन्हीं कारणों से गये नहीं। लेकिन निश्चित रूप से सीकर में चार एडीजे कोर्ट चालू हैं। मैं समझता हूं हाई कोर्ट ने भी सरकार को लिखकर दे दिया। अब मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में नहीं रहा या लक्ष्मणगढ़ को आप वंचित करना चाहते हो या लक्ष्मणगढ़ से कोई यदि नाराजगी है तो मैं हाथ जोड़कर जनता के लिए लक्ष्मणगढ़ की, अभिभाषकों के लिए, चूंकि मैं भी एक अभिभाषक हूं, निश्चित रूप से आप हमारे यहां एडीजे कोर्ट स्थायी रूप से खोलेंगे तो जनता को राहत मिलेगी, वकील बन्धुओं को राहत मिलेगी और उद्घाटन में आपका नाम पट्टिका में लगवा देंगें। आपसे भी करवा देंगे।

वर्ना आने वाले समय में जब हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले ए.डी.जे. कोर्ट लक्ष्मणगढ़ में खोलेंगे और पट्टिका काटेंगे, आपको तकलीफ हो जाएगी। इसलिए समय रहते, आपके पास में अभी भी आठ महीने का समय है, आप घोषणा कीजिए, घोषणा वैसे तो माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ही ज्यादा कर सकते हैं लेकिन हम आपके साथ में हैं आप हिम्मत कर के घोषणा कीजिए। मेरे लक्ष्मणगढ़ की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वकील समुदाय से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वास्तव में सबसे ज्यादा अगर मुकदमे लक्ष्मणगढ़ में हों तो वहां पर ए.डी.जे. कोर्ट खोलने में सरकार को क्या दिक्कत हो सकती है?

इसलिए आप आज घोषणा करें नहीं तो मुझे आन्दोलन करना पड़ेगा और आने वाले समय में आन्दोलन से भी नहीं करोगे तो हमारी सरकार बनते ही दिसम्बर, 2018 के बाद में हम तत्काल ए.डी.जे. कोर्ट खोलेंगे, क्यों नहीं ये श्रेय आप ले लो, इसलिए आप घोषणा करो। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही कि लक्ष्मणगढ़ से क्या परेशानी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इस पूरे पांच साल में, चार-साढ़े चार साल में कभी भी किसी भी विधान सभा क्षेत्र

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

में कोई फर्क नहीं रखा। वो एक मात्र ऐसी नेता हैं जो पूरे राजस्थान को एक साथ लेकर चलने वाली हमारी नेता हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि लक्ष्मणगढ़ के प्रति भी हमने कभी कोई ऐसे गलत इरादे रखे नहीं हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय ने क्रमांक 1083/16.08.2017 को लक्ष्मणगढ़ में एक कोर्ट खोलने की परमिशन हमको मिली है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी राज्य सरकार ने अपने बजट भाषण में 11 ए.डी.जे. कोर्ट्स खोले हैं, कुल मिलाकर हमने 35 कोर्ट्स पूरे राजस्थान में खोले हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके यहां लक्ष्मणगढ़ में अभी हमने कैम्प कोर्ट प्रारम्भ किया है और वहां 1129 केस लम्बित हैं। यह बात भी सही है कि सीकर में चार ए.डी.जे. कोर्ट्स चल रहे हैं, उसमें लक्ष्मणगढ़ का भी आपके कैम्प कोर्ट के माध्यम से, पहले ए.डी.जे. कोर्ट सीकर है, सीकर से कैम्प कोर्ट आपका लक्ष्मणगढ़ जाता है, सीकर से ही आपका कैम्प कोर्ट दांतारामगढ़ जाता है परन्तु, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाई कोर्ट के डाइरेक्शंस के अनुसार जो प्रावधान है ए.डी.जे. कोर्ट खोलने के वो एक हजार, बारह सौ केसेज की पेंडेंसी होनी चाहिए जब वहां एक ए.डी.जे. कोर्ट खुलता है। यह हमारा प्रावधान है। परन्तु अभी हाई कोर्ट के डाइरेक्शंस हैं इसमें जहां भी हजार, बारह सौ केसेज के ऊपर 25 परसेंट ऊपर जिसके पास केसेज हैं, मतलब 25 परसेंट लगभग 1500 केसेज जिसके यहां लम्बित हैं, उनको हमने प्रायोरिटी दी है इसलिए लक्ष्मणगढ़ की प्रायोरिटी इस टाइम आयी नहीं।

अभी हमने जो 11 कोर्ट्स खोले हैं जिसके लगभग 1400, 1500, 1600 केसेज पैंडिंग हैं उन्हीं कोर्ट को, हाई कोर्ट के नये डाइरेक्शंस आये हैं कि ऐसे कई कोर्ट्स हैं कि हजार, बारह सौ; तो हमने एक क्राइटेरिया रखा है और आज भी ऐसे कई कोर्ट्स लम्बित हैं जिनके पैंडेंसी केसेज की संख्या 1500 से ऊपर है, उनको हमने प्रायोरिटी दी है। परन्तु फिर भी मैं विश्वास देता हूं कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा, वित्त मंत्रालय में स्वयं जाकर लक्ष्मणगढ़ में जो अभी कैम्प कोर्ट चल रहा है, उसका मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो जाए और मैं इस कोर्ट को जल्दी खुलवा सकूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय मंत्री महोदय, वित्त विभाग आपका, मुख्य मंत्रीजी का, आप स्थाई रूप से वहां करने की घोषणा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वित्त विभाग तो आपका है, हो जाएगा लेकिन

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

अगर आप घोषणा नहीं करोगे तो यह जैसे पहले सवा चार साल हुआ वैसे ही हो जाएगा।

तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, व्यक्तिगत रूप से भी प्रार्थना करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपसे सिफारिश भी करवाता हूं आसन की तरफ से कि आप फाइनेंस से जल्दी कराकर ए.डी.जे. कोर्ट लक्ष्मणगढ़ में स्थाई रूप से खोलने की घोषणा कीजिए।

एक माननीय सदस्य: आपकी आथोरिटी तो ले ही ली।

श्री उपाध्यक्ष: आसन कभी सिफारिश नहीं करता।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): निर्देश देता है। मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आसन अगर निर्देश दे दे तो, हुकुम उसकी पालना हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष: आसन आपसे निवेदन करता है कि इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके, माननीय सदस्य के कई ऐसे वक्तव्य हो जाते हैं जिससे कि यह सदन उद्वेलित हो जाता है, उनको थोड़ा नजर अंदाज करते हुए आप सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी सहानुभूति हो गयी तो निश्चित रूप से हम यह कोर्ट खोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, मैं आपके ध्यान में एक और चीज लाना चाहता हूं कि वहां के बार के कार्यक्रम में आसन को भी वहां जाने के लिए बुलाया गया था। बानसूर में आपके एम.जे.एम. कोर्ट है और ए.डी.जे. कोर्ट है लेकिन दिक्कत यह होती है क्योंकि एम.जे.एम. कोर्ट एक पर्टिकूलर राशि तक के ही मुकदमे सुन सकता है और 50 हजार से ऊपर के लिए तो उनको उसके लिए बहरोड़ जाना पड़ता है और फिर उसकी वापस अपील ए.डी.जे. में वहीं हो जाती है It's a technical sort of thing. हाई कोर्ट के जज साहब भी पधारे थे तो उन्होंने इस बात के लिए शायद सरकार को भी निवेदन किया है। इसको भी आप देख लें, अगर आप इसमें कुछ कर सकें तो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री महोदय, इसी वित्तीय वर्ष में खुला देंगे क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम जी पटेल। पर्ची के माध्यम से।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): जब उपाध्यक्ष महोदय ने इतनी सहानुभूति बता दी आपके प्रति तो हमारा फर्ज बनता है, आपके कोर्ट निश्चित रूप से खोलेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक हाथ से ही बजाई आपने, दोनों हाथ से नहीं बजाई। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं रामगढ़ का विधायक हूं, लक्ष्मणगढ़ मेरा छोटा भाई है ...(व्यवधान) इसलिए सहानुभूति पूर्वक अभी ए.डी.जे. कोर्ट का आदेश हो जाए, मैं इनको समर्थन के लिए कहता हूं, निवेदन करता हूं।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

इंदिरा गांधी नहर को मरम्मत हेतु बंद रखने से पानी का भीषण संकट

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर शहर और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है पेयजल की। अभी भी पेयजल की किल्लत है और आने वाली गर्मी में और भयंकर किल्लत होने वाली है। जल के बिना सब कुछ सून है, जल ही जीवन है और वैसे ही हम सूर्य नगरी के नाम से जाने जाते हैं और करीब 515 साल पहले श्रीनाथ जी ने हमें जल के सम्बन्ध में कोई शब्द भी कहे थे, वो भी हमारे लिए आज वरदान साबित नहीं हो रहे हैं, वो शब्द मैं यूज नहीं करना चाहता।

पूर्व रियासत काल में जोधपुर शहर में पेयजल की बहुत उत्तम व्यवस्था थी परन्तु अभी वर्तमान में जो पेयजल व्यवस्था है वो राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल पर निर्भर है और राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल जोधपुर शहर और जोधपुर शहर के आसपास लगते बड़े पांच कस्बे फलौदी, पीपाड़, बिलाड़ा, समदड़ी और बालोतरा, इन पांच कस्बों में जिसमें करीब 1251 गांव हैं और टोटल पापुलेशन 38 लाख की है। इन सब की इस लिफ्ट कैनाल से पेयजल की आपूर्ति हो रही है। यह टोटल जो नहर है वो ओपन नहर और पाइप लाइन को मिलावें, 175.95 ओपन नहर है और 29.66 पाइप लाइन है और यह करीब 205 किलोमीटर पाइप लाइन से पानी कायलाना और तख्तसागर का आता है।

(श्री जोगाराम पटेल)

आज अभी क्लोजर लेने जा रहे हैं, 29.03.2018 से 02.05.2018, करीब 35 दिन का कम्प्लीट क्लोजर होगा और पानी का एक मात्र जो सोर्स है, पानी का जो स्रोत है या जो पानी मिलता है इस 38 लाख की पापुलेशन को, चाहे वो जोधपुर शहर है, इसकी डवलपिंग कालोनियां हैं, चाहे वो आसपास के 1251 गांव हैं, चाहे वो फलौदी, पीपाड़, बिलाड़ा, समदड़ी और बालोतरा कस्बे हैं। इतने बड़े एरिया के लिए 35 दिन तक पानी की आपूर्ति नहीं होगी तो मेरा निवेदन है कि हाहाकार मच जायेगा।

पहले भी क्लोजर की वजह से बहुत दिक्कत हुई थी और वर्तमान में जो पेयजल सप्लाई हो रहा है वो 195 क्यूसेक पानी आप भेज रहे हैं, वो पानी पर्याप्त नहीं है। जिस समय नहर बनी थी आज से करीब 35-40 साल पहले उसमें और 30 साल पहले माननीय भैरोंसिंह जी ने जब इसका उद्घाटन किया था, उससे लगाकर आज दिन तक पानी की जो क्षमता है वो ही है जबकि पापुलेशन अनाप-शनाप बढ़ी है, जोधपुर शहर बढ़ा है, आसपास की कालोनियां बढ़ी हैं, पांच कस्बे जुड़ गये हैं, 1251 गांव जुड़ गये हैं, मिलिट्री एरिया है, सात यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, और भी अनेक ट्यूरिज्म पाइंट हैं। इन सब को देखते हुए पानी की जो समस्या है वो दिनों दिन भयंकर, विकराल रूप धारण करती जा रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत मंत्रीजी से निवेदन है कि कायलाना की क्षमता और तख्तसागर दोनों की क्षमता मिल जाए तो 346 एम.सी.एफ.टी. पानी की है और 346 एम.सी.एफ.टी. पानी अगर पूरा भरा भी रह जाए तो यह दस-पन्द्रह दिन का पानी होता है, इससे ज्यादा पानी नहीं बनता है। क्योंकि वर्तमान में आप जो पानी की भराव क्षमता लेंगे तो 240 क्यूसेक पानी के आसपास की रोज की रिक्वायरमेंट है, 240 क्यूसेक पानी की, इसमें पानी सप्लाई हो रहा है, बाकी छोटे-मोटे कुएं बावड़ियों से काम चल रहा है।

मेरा निवेदन है कि इस क्लोजर के दौरान पूरे 35 दिन या 40 दिन का क्लोजर है, 5 दिन पहले आप बंद करेंगे, फिर वहां से चलते-चलते दस दिन में पानी पहुंचेगा, इसमें कैसी व्यवस्था करेंगे जोधपुर शहर, आसपास के गांवों को, 5 बड़े-बड़े कस्बों को, पूरे मिलिट्री एरिए को, किस तरह से आप पानी सप्लाई करेंगे? एक भयंकर समस्या की तरफ मैंने आपका ध्यान

(श्री जोगाराम पटेल)

आकर्षित किया है। मेरा निवेदन है, पानी की समस्या इतनी भयंकर है कि लोगों में अभी से भयंकर रोष पैदा हो रहा है और मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि जहां 20 से 21 MCFT रोजाना पानी की जरूरत है, वह पानी अगर इतने दिन बंद रह जाएगा तो जोधपुर शहर, उसके आसपास के गांव कैसे जिएंगे।

मेरा आपसे अंत में निवेदन यह है कि पानी की अभी भी सर्दी के मौसम में भी बहुत कमी रही है। आने वाला समय गर्मी का है, पानी की उपयोगिता बढ़ेगी, गर्मी होगी और ऐसी परिस्थिति में आप क्लियर कट करें, मांग को बढ़ावें, क्लोजर को कम करें या क्लोजर नहीं करें, सर्दी के मौसम में क्लोजर करें और रोजाना 240 से 245 या 250 क्यूसेक्स तक पानी जोधपुर शहर और इस 38 लाख की पापुलेशन को सप्लाई करें, मेरा निवेदन यह भी है।

मैं धन्यवाद भी दूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी और राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को, 3rd फेज का काम आपने शुरू किया है, लेकिन वह लंबा बहुत हो रहा है, इसकी वजह से भयंकर नुकसान हो रहा है और तकलीफ दे रहा है। इस 3rd फेज के काम को आप जल्दी पूरा करें और आने वाली गर्मी में पानी की सप्लाई जोधपुर शहर और उसके आसपास के गांवों को किस तरीके से हो, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस इंदिरा गांधी मुख्य नहर पर जो क्लोजर के बारे में जिक्र किया है, मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि जैसा आपने कहा है कि जोधपुर शहर तथा जोधपुर जिले के तीन अन्य शहर और बाड़मेर जिले के एक शहर सहित जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों के लगभग 1023 गांव इंदिरा गांधी मुख्य नहर पर पेयजल हेतु निर्भर हैं। इंदिरा गांधी नहर से लगभग 20.73 MCFT पानी प्रतिदिन प्राप्त कर राजीव गांधी लिफ्ट नहर के माध्यम से इन क्षेत्रों को वितरित किया जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत हेतु इस वर्ष 29.03.18 से 02.05.18 तक 35 दिन की नहरबंदी प्रस्तावित है। राज्य सरकार के स्तर पर बैठक कर जल संसाधन विभाग एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया है कि इंदिरा गांधी नहर की आर.डी. 415 से 1121 तक नहर में ही पूर्ण मात्रा में पॉन्डिंग कर राजीव

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

गांधी लिफ्ट नहर के माध्यम से पेयजल उपयोग हेतु न्यूनतम आवश्यक 555 MCFT पानी का भण्डारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जोधपुर शहर के कायलाना, तख्तसागर, सुरपुरा में 170 MCFT एवं ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न डिग्गियों में भी 40 MCFT पानी का भण्डारण किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त जहां भी भूजल उपलब्ध है, उन सभी नलकूपों, कुओं को भी चालू करने की कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार इंदिरा गांधी मुख्य नहर को मरम्मत हेतु बंद रखने के उपरांत भी पेयजल हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, जिससे पेयजल संकट उत्पन्न नहीं होने दिया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि 195 क्यूसेक्स पानी आ रहा है, मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं कि WRD मंत्री डा. रामप्रताप जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 195 की बजाय 240 क्यूसेक्स पानी प्रतिदिन कर दिया है और वह आ रहा है।

बाकी आप निश्चिंत रहें, गर्मी में जो 1023 गांव हैं, उनमें हर प्रकार से पॉन्डिंग कर-करके हम व्यवस्था करेंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी क्लोजर के समय।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी -अभी मंत्रीजी ने बात कही और लूणी से आने वाले विधायक ने सारा विस्तार से कहा। आज की तारीख में मैं इनको बताना चाहूंगी आपके माध्यम से कि अभी भी जोधपुर में पानी की भारी किल्लत है। कायलाना खाली पड़ा है और अभी ये इतना अगर क्लोजर ले लेंगे तो जोधपुर तो खाली हो जाएगा। अभी 4 -4 दिन से पानी आ रहा है। अभी भी बहुत भारी समस्या है जोधपुर में। इस तरीके से ये करेंगे तो जोधपुर का क्या हाल होगा, अभी तो गर्मी बहुत दूर है, अभी तो शुरुआत हो रही है। या तो कोई अल्टरनेट ऐसा करो, भले ही मरम्मत करो, कुछ भी करो, मगर कोई ऐसी व्यवस्था तो करो, जिससे जोधपुर की जनता और आसपास के लोगों को पानी मिल सके।

ये कह रहे हैं, मगर अधिकारी लोग इसके बारे में सोचें कि पानी कैसे देंगे। अभी भी 4 दिन से पानी दे रहे हो। 4-4 दिन तक लोग पानी के टैंकर कुटा रहे हैं घरों के अन्दर। अभी ही ऐसी स्थिति है तो बाद में क्या होगा, मैं आपके माध्यम से यह इनसे कहना चाहूंगी।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराज जाएं, जोधपुर से आने वाले सारे ही सदस्य कुछ न कुछ बात कहना चाहते हैं तो उनका एक साथ ही उत्तर दे दें।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, जोगाराम जी और जीजी ने जो अभी बात कही, मैं उसका समर्थन करता हूं। बहुत कमी है पानी की। दो-दो दिन तक पानी नहीं आता है और सबसे बड़ी बात उसकी सूचना भी नहीं देते हैं। लेडीज कहती हैं कि हमको सूचना मिल जाए 2-3 दिन पहले तो हम उस दिन के लिए संग्रह तो कर लें, वह भी नहीं होता है और कुछ निचली बस्तियों और टेल एंड में पानी आता ही नहीं है। मैंने हमारे प्रभारी मंत्री से भी निवेदन किया था, उन्होंने कहा, नहीं अब ठीक हो जाएगा। झालामंड एरिया में दो टंकियां बनी हैं, परन्तु उनका पानी वाल नहीं होने के कारण डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन है, कृपया इस बात को संज्ञान में लें।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सूरसागर से आने वाली माननीय विधायक महोदय ने बताया, मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि आपके कायलाना,...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, बस एक लाइन, अभी आपके पास कितना स्टोरेज है, कितने दिनों का पानी है और इसमें आने वाले 35 दिनों में कितना स्टोरेज करेंगे, कितना सप्लाई करेंगे, यह थोड़ी स्थिति बता दें आप।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास अभी करीब 12 दिन के पानी का स्टाक है और मैंने जैसा निवेदन किया कि आप निश्चिंत रहें, हम पॉन्डिंग करके ऐसी व्यवस्था करेंगे कि क्लोजर के टाइम किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। आपको पता है, पिछली बार भी क्लोजर लिया था, उस समय भी हमने पानी की पॉन्डिंग की थी और उस समय भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी और जैसा कि माननीय सदस्या ने झालामंड के लिए कहा, मैं निवेदन कर दूं कि आपके 4 करोड़ 73 लाख की झालामंड की स्कीम सैंक्शड हो गई है और दो टंकियां बनेंगी और कार्यादेश के माध्यम से उसका जल्द से जल्द काम करवाया जाएगा। जहां तक माननीय सदस्या कह रही हैं, चार-चार दिन से, चार-चार दिन से आपको किसी ने गलत कहा है,

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): गलत कैसे, मैं तो खुद वहां रहती हूं न, गलत कैसे कहा? मैं तो पानी के लिए झगड़ा करती-करती ही विधान सभा आई हूं। आज तक घड़े ही फोड़े हैं कांग्रेस राज के अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष: चलिए, विराजिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरी बात सुन लें आप।

श्री उपाध्यक्ष: अभी वैसे तो सम्माननीय सदस्य, इस विषय पर ऐसी चर्चा मैं नहीं करा सकता, लेकिन फिर भी आपको विशेष,...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्होंने यह कहा न कि मैंने गलत कहा है, गलत क्या मैं तो स्वयं प्रैक्टिकल बात करने वाली हूं, गलत कह ही नहीं सकते। मैं तो खुद घूमने वाली हूं। 15-20 किलोमीटर रोज का घूमती हूं और हर गली, हर मौहल्ले की इत्तला रखती हूं। आज इस मौहल्ले के अन्दर पानी ऐसे आया, हैंडपंप देखो तो हैंडपंप खराब रहते हैं और पाइप लाइन डालने का कहते हैं तो वह भी टाइम पर नहीं डालते। आप छोटा-मोटा तो काम कर दें, साहब। प्रोजेक्ट हैं जो, वे होते रहेंगे। आपने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट दिए, आपको धन्यवाद देवें, अभी आप वैष्णव नगर की एसआर कितने लंबे अरसे से पड़ी है, मसूरिया की एसआर कही थी, अभी आपसे हमने दो उद्घाटन करवाए, दोनों पूरे होते ही करवा दिए।

अगर काम अच्छा हो रहा है तो अच्छा कह देंगे, जो नहीं हो रहा, उसकी इत्तला अगर विधान सभा में आपको नहीं देंगे तो किसको देंगे? आप कह रहे हैं 12 दिन का पानी है तो 12 दिन का पानी कब पूरा होगा, आप बताओ, कैसे जोधपुर को पानी देंगे। कायलाना खाली पड़ा है, उम्मेद सागर के अन्दर तो एनक्रोचमेंट हो रहे हैं, कहां है पानी, कैसे करोगे आप? जोधपुर कोई खाली थोड़ी करवाना है। मैं तो लूणी के विधायक को बधाई दूंगी अच्छा रहा उनकी पर्ची खुल गई तो हमें कुछ पानी के लिए बात तो करनी पड़ी ना। आप सारा काम अच्छा करते हो, फिर अच्छे के लिए धन्यवाद देंगे और जो अच्छा नहीं है, वह भी बात बताना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ललित कुमार।

किशनगंज-शाहबाद में लम्बित पेयजल परियोजनाओं की स्वीकृति एवं जीर्णोद्धार

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत आभार। माननीय

(श्री ललित कुमार)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी गर्मी का सीजन चालू होने वाला है तो लगभग पिछले एक महीने से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, जिससे मैं आता हूं किशनगंज-शाहबाद से, लगभग 11 बड़े कस्बे, 11 बड़ी ग्राम पंचायतें पड़ती हैं और सभी ग्राम पंचायतों की जनसंख्या है लगभग 9-10 हजार के आसपास है। बड़ी जनसंख्या होने के कारण मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में, पूरे बारां जिले में 56 जनता जल योजनाएं हैं।

अभी वर्तमान में कार्यरत हैं उनमें से 19 मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं। इसके अलावा हमारे ग्रामीण जलप्रदाय योजना पाइप एण्ड टैंक के माध्यम से 6 जगह वर्तमान में चल रही है जिसमें किशनगंज, भंवरगढ़, नाहरगढ़, शाहबाद, कस्बा थाना में पाइप एण्ड टैंक के द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है। 2011 की सेंसस के अनुसार जो हमारे जलदाय विभाग के नार्म्स हैं उनके अनुसार प्रस्ताव बनवाकर डिपार्टमेंट में पिछले डेढ़ साल से भिजवाये हुए हैं कि इनके जीर्णोद्धार और विस्तार हेतु जो 2011 की जनसंख्या है उसके अनुसार इनका विस्तार किया जाना चाहिए। विस्तार के अनुसार इनको बजट नहीं मिल रहा है और वर्तमान में अभी पानी की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। इसको देखते हुए पम्प एण्ड टैंक योजना के अन्तर्गत लगभग 50 ऐसी छोटी-छोटी ग्राम पंचायतें हैं जिनको पेयजल की सप्लाई हो रही हैं। जो 50 हमारे पम्प और टैंक के माध्यम से पूरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में दिए हुए हैं उनमें गोपालपुरा, सेवनी, थाना, जगदेवपुरा, मोयदा, बोरदा, बालापुरा, गीगची, बादीपुरा, बन्दाकला, सेमलीफाटक, कृपालपुर, हाड़ौता, नारायणखेड़ा, पीपलखेड़ी, सिरसोद खुर्द, सिरसोद कलां 17 ऐसे छोटे पम्प व टैंक योजना चल रहे हैं वो कुल 50 में से ये 17 तो वर्तमान में बिल्कुल बन्द हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि अतिरिक्त बजट देकर इनको हम चालू करायें जो योजना में हमारे पहले से ही वर्तमान में कार्यरत हैं।

वहीं हमारे जनता जल योजना में 19 अभी वर्तमान में मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं इनमें से नाहरगढ़, बजरंगगढ़, बालापुरा, केदारकुई, हलावनी, गरड़ा और बकनपुरा के जो सात हैं वहां जनता जल योजना में बोर की नीचे के कैपेसिटी है वो 300-350 फीट बोर है तो उन बोर को गहरा कराने के लिए आप अतिरिक्त बजट या कंटीन्जेंसी फण्ड वैसे आपके द्वारा जिले में या सम्भाग स्तर पर दिया जाता है तो उससे गहरा कराने के लिए इस पर तुरन्त कार्यवाही करायें। मेरा एक निवेदन है कि पूरे सम्भाग में बारां, कोटा, बून्दी,

(श्री ललित कुमार)

झालावाड़ में एक ही हाइड्रोलोजिस्ट की पोस्ट होती है और उससे जब रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के आधार पर, भूजल संरक्षण के आधार पर आप उसको गहरा कराने का प्रस्ताव देते हैं। पर मेरे यहां जो नाहरगढ़ कस्बा है उसकी 10455 की पापुलेशन है और वर्तमान में 20 टैंकर 10 हजार की पापुलेशन पर चल रहे हैं जिससे रोज लड़ाई-झगड़े होते हैं और पुलिस के जो जवान हैं उनकी उपस्थिति में टैंकर से पानी का वितरण पिछले डेढ़ महीने से किया जा रहा है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारे जनता जल योजना के बोर हैं इनको तुरन्त गहरा करायें।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि डेढ़ साल का मैंने निवेदन किया कि मेरी जो बड़ी ग्राम पंचायतें हैं जैसे दांता, केलवाड़ा, पेनाउदा, इन तीनों की पापुलेशन मिलाकर 2011 के अनुसार 14244 है तो मेरा आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव आपको दिया हुआ है इसलिए उसको करें। वहीं हमारे समरानिया, गदरेटा, फरेदुवा की जो क्षेत्रीय जल योजना है उसको भी आप थोड़ा बजट सैंक्शन करायें। ऐसे ही हमारा देवरी और शाहबाद जो हैं उनमें शाहबाद उपखण्ड मुख्यालय है, एसडीओ हैडक्वार्टर है और देवरी कस्बे की पापुलेशन लगभग 5908 है तो इन दोनों की सप्लाई एक सहरोल तलहटी गांव हैं जिसका तालाब है वहां तीन कुएं बनाकर उनमें मोटर लगाकर पाइप द्वारा सप्लाई की जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि उस पाइप लाइन को सैंक्शन कराने के लिए आप अतिरिक्त थोड़ा सा फण्ड दिलायें। क्योंकि वो आदिवासी क्षेत्र है और जो शाहबाद उपखण्ड मुख्यालय है वो पूरा पथरीला, पहाड़ी क्षेत्र है। वहां पर बोर होते हैं उनमें 300 फीट, 500 फीट पर भी पानी नहीं निकलता है तथा जो ओपन वैल है, कुए हैं उनके माध्यम से उनमें मोटर डालकर गांवों में पाइप से सप्लाई की जाती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो हमारा उपखण्ड शाहबाद है उसमें पाइप लाइन से सहरोल तलहटी से 16 किलोमीटर से पानी आ रहा है और उपखण्ड मुख्यालय पर भी तीन दिन में पानी की सप्लाई हो रही है। मेरा एक और निवेदन है कि जो हमारी जनता जल योजना जलवाड़ा की है वो भी वर्तमान में चल रही है और तीन नये बोर कराने के लिए और नाहरगढ़ में भी नये बोर कराने के लिए मैंने निवेदन किया हुआ है विभाग में तो इनको कराते हुए करें।

ऐसे ही हमारे दांता और केलवाड़ा पहले एक पंचायत थी और इनकी टोटल पापुलेशन लगभग 14244 के आस-पास है। मेरा निवेदन है कि दोनों

(श्री ललित कुमार)

नई पंचायतों के पुनर्गठन में दो पंचायतें हो गईं जिसके कारण केलवाड़ा पंचायत दांता का पानी बन्द कर देती है और दोनों लगे हुए हैं तो मेरा निवेदन है कि 14244 की पापुलेशन है तो दांता में आप हमारे एक उच्च जलाशय स्वीकृत करें। केलवाड़ा में वर्तमान में 30 साल पुरानी, वर्षों पुरानी पाइप लाइन चल रही है जिसमें पानी दूषित होकर लोगों को मिलता है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आदिवासी, सहारिया क्षेत्र, ट्राइबल क्षेत्र है और आपकी जो जनता जल योजना पूरे बारां जिले में है उनमें जनता जल योजना हो, पाइप एण्ड टैंक वाली योजना है वो मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा हैं इसलिए इसको कंटीन्जेंसी फण्ड से या अतिरिक्त बजट देकर आप तुरन्त वर्तमान में जो जनता जल योजना के बोर हैं उनको गहरा कराकर या फिर नये बोर कराकर राहत प्रदान करें। इसके अलावा साढ़े दस हजार की पापुलेशन पर 20 टैंकर अनकम्फर्टेबल हैं, वहां रोज लड़ाई होती है, रोज एफ.आई.आर. होती हैं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि बजट की अतिरिक्त व्यवस्था करने का श्रम करें।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किशनगंज से आने वाले माननीय सदस्य ने किशनगंज व शाहबाद की पेयजल व्यवस्था के बारे में जिक्र किया। यह बात इनकी सही है कि 367 गांव हैं जिनमें से 6 गांव पाइप योजना से, 19 गांव जनता जल योजना से, 50 गांव पम्प एण्ड टैंक योजना से और शेष 292 गांव हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के अन्तर्गत गांव खटका की हैण्डपम्प से पम्प व टैंक योजना 101 लाख की स्वीकृत कर दी गई है जिसका निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुरानी पेयजल योजना के जीर्णोद्धार के अन्तर्गत जो माननीय सदस्य ने जनता जल योजनाओं के बारे में बताया और 19 जनता जल योजना जो बन्द पड़ी हैं और 9 जनता जल योजनाओं की स्वीकृति कर 8 पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण कर दिया गया है और जल योजना राजपुर रुपये 98.56 लाख का कार्य प्रगतिरत है।

इसके अतिरिक्त कस्बा थाना 12 लाख 36 हजार, भंवरगढ़ 50 लाख, शाहबाद 49.75 लाख की जन योजनाओं के कार्य स्वीकृत किए गए हैं जिनमें

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

से कस्बा थाना का कार्य पूर्ण कर दिया गया है और शेष जल योजना भंवरगढ़ और शाहबाद का कार्य प्रगति पर है।

विधान सभा क्षेत्र में गत दो माह में नलकूपों का पेयजल स्तर नीचे जाने के कारण जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि 7 जगह नलकूप सूख जाने के कारण उनको गहरा कराने के प्रस्ताव तैयार कर लिये गये हैं और तकनीकी परीक्षण और भूजल वैज्ञानिक की राय के अनुसार उसके ऊपर शीघ्र कार्यवाही कर किया जाना प्रस्तावित है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के समस्त गांवों की स्थायी पेयजल समस्या के समाधान हेतु वृहत् परियोजना परवन बांध से प्रस्तावित की गई है जिसके प्रथम चरण में सर्वे, डी.पी.आर. तैयार करने एवं बांध में विभाग की हिस्सा राशि 220 करोड़ की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

जहां तक घर-घर पाइप लाइन का इन्होंने बताया तो आपके जो प्रस्ताव आए हुए हैं, अगर 2011 की जनसंख्या अनुसार 5 हजार से ज्यादा की पापुलेशन के अनुसार है तो उनकी फिजिबिलिटी देखकर उसके ऊपर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं Now it's become a habit. You made it a habit. बेसिकली इसके माध्यम से मंत्रीजी का आपने ध्यान आकर्षित कर लिया, आपने बात कह दी, आपने अपना पूरा वक्तव्य दे दिया। If you want कि सारे साल्यूशन हमको सदन में ही बैठकर करने हैं I don't mind. मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मंत्रिमण्डल के सदस्यों में और सामान्य विधान सभा के सदस्यों में कहीं कोई इंटरएक्शन का प्राब्लम है क्या? Then why should they keep on coming time and again? श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा।

चाकसू उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र चाकसू जयपुर जिले में पड़ता है और जयपुर से 40-50 किलोमीटर दूर है।

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

अगर इसकी परिधि को देखा जाए तो 60-70 किलोमीटर के अन्दर उपखण्ड मुख्यालय बस्सी में, चाकसू में, तहसील कोटखावदा और फागी में कोई कालेज नहीं है।

(13.00 बजे)

कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है। जो भी खुले हुए हैं, वह प्राइवेट महाविद्यालय खुले हुए हैं जो कोठरियों में चलते हैं और गरीब जनता को लूट रहे हैं। सरकारी महाविद्यालय होता है, उसकी रेपुटेशन एक अलग ही होती है। 4-5 हजार लड़के और लड़कियां मेरे आसपास के क्षेत्र में हैं। आपने इस 2018-19 के बजट में जयपुर जिले में एक भी कालेज नहीं दिया। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। मेरे यहां दलित, किसान, एससी एसटी के गरीब लड़के और लड़कियां पढ़ती हैं। जयपुर आने में बड़ी दिक्कत है। आने-जाने के कोई साधन नहीं हैं, कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि वह रोजाना अप-डाउन कर सकें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन बच्चों को, हमारी आदरणीया मुख्य मंत्रीजी, यशस्वी मुख्य मंत्रीजी और लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी भी महिलाओं को शिक्षा देने में आगे बढ़ रही हैं। मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से और हमारी मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज शाम को वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर जब जवाब दें तो मेरे विधान सभा क्षेत्र जयपुर जिले के चाकसू में भी एक राजकीय महाविद्यालय खोलने की अगर कृपा हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। जब मुख्य मंत्रीजी मेरे विधान सभा क्षेत्र चाकसू में चौसला गांव के एक कार्यक्रम में गई थीं। वहां आपने घोषणा भी की थी कि 2018-19 के बजट में मैं चाकसू में कालेज खोलने का पूरा-पूरा प्रयास करूंगी...

श्री उपाध्यक्ष: घोषणा किसने की थी?

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): मुख्य मंत्रीजी ने।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा। ठीक।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): मुख्य मंत्रीजी ने की कि मैं कोशिश करूंगी, खोलूंगी। अब कहीं उच्च शिक्षा मंत्रीजी यह नहीं कह दें कि वित्तीय संसाधन होंगे तो मैं खोलूंगी, कोशिश करेंगे। यह तो हर सरकार कहती आई है। जब 17-18 कालेज आपने खोल दिये तो जयपुर जिले में एक कालेज चाकसू में भी खोल दें। मैं मांग करता हूं कि शाम को इस वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर जब मुख्य मंत्रीजी जवाब दें तो जयपुर जिले में भी चाकसू में एक कालेज खोलने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: आप विषय भी बता दो न, कौनसे विषय की? वह भी साथ ही बता देते।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): कालेज तो खोलें साहब। कालेज खोलें, विषय तो जो भी आप दे देंगे, मेहरबानी होगी। जो भी विषय दे देंगे, मेहरबानी होगी। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा साहब कि आप राजकीय महाविद्यालय खोलें, नहीं खोलें, पर लड़कियों को ध्यान में रखते हुए महिला महाविद्यालय खोल दें साहब। दोनों में से कोई न कोई खोलें तो सही साहब।

श्री उपाध्यक्ष: डन।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): हां, मैं यही कहना चाहूंगी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाकसू से आने वाले माननीय सदस्य ने कालेज के सन्दर्भ में मांग रखी है। उसमें यह बात सही है कि उपखण्ड चाकसू के अन्दर राजकीय महाविद्यालय नहीं है लेकिन नौ हमारे निजी महाविद्यालय वर्तमान में इस उपखण्ड में चल रहे हैं और यह लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर जयपुर के अन्दर, जयपुर से यह चाकसू उपखण्ड है और वहां से जयपुर गवर्नमेंट कालेज है, वह 32 किलोमीटर डिस्टेंस पर है चाकसू उपखण्ड से। 41 किलोमीटर की डिस्टेंस पर निवाई के अन्दर वहां पर भी कालेज है। नौ प्राइवेट कालेजेज आपके चाकसू उपखण्ड में हैं। लेकिन इससे यह नहीं कि मैं यह नहीं कहना चाहती कि राजकीय महाविद्यालय हम नहीं खोलेंगे। राजकीय महाविद्यालय की आपकी मांग है, उस पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा और गुणावगुण के आधार पर और बजट की उपलब्धता के आधार पर उस पर विचार करके खोला जाएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रताप लाल भील।

गोगुन्दा में अतिवृष्टि से पुलियाओं एवं सड़कों को क्षति

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 22 अगस्त, 2016 को 400 एमएम बारिश हुई और बारिश की वजह से मेरे विधान सभा क्षेत्र के गोगुन्दा उपखण्ड एवं कोटड़ा उपखण्ड की देवलाखण्ड में सड़कें एवं पुलिया टूट गई थीं और इस अतिवृष्टि से वहां का एक बांध कालीबोर बांध, उसका ओवरफ्लो भी टूट गया था और बहुत भारी नुकसान हुआ था। उसके बाद में हमारे गांवों में छोटी-छोटी सड़कें हैं, सम्पर्क सड़क हैं, जो जाने वाली थी, वह उनकी सारी पुलिया टूट गयीं। यह 2016 की

(श्री प्रताप लाल भील)

बात है और 2017 और 2018 हो गये, अभी तक न तो हमारे वहां कोई पुलिया बनी है, न सड़कें बनी हैं तो मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि हमारे यह जो सड़क और पुलिया कब तक ठीक हो जाएगी?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सच है कि गोगुन्दा क्षेत्र में 2015, 2016 और 2017 में अत्यधिक बारिश होने से सड़कों और पुलों को नुकसान हुआ है। आपदा राहत के तहत हमारी अपनी कुछ सीमा है। हम तुरन्त राहत देने की दृष्टि से प्रति किलोमीटर 60,000 रुपया देते हैं। यह सारा का सारा पैसा और सारे के सारे निर्माण का काम आपदा राहत के तहत नहीं हो सकता है और जैसे ही मांग की और विधिवत कलेक्टर के यहां आपदा राहत विभाग की जो कमेटी बनी हुई है, जिसका चेयरमैन स्वयं कलेक्टर है। वह जब प्रस्ताव बनाकर भेजता है तो हम अपनी तरफ से जितना हमारे पास पैसा है, उतनी स्वीकृति जारी कर देते हैं।

वर्ष 2015 में उदयपुर में पुल और सड़कों की क्षति के संबंध में 279 कार्यों के प्रस्ताव स्वीकृत किये जाकर 10.63 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें तहसील गोगुन्दा को 96 कार्य के लिए 4.32 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ। जिले द्वारा किसी बजट का आवंटन, उन्होंने दुबारा उसका जो डिटेल बनाकर भेजना पड़ता है, वह नहीं बनाया इसके कारण से हमारा राहत का जो पैसा है, वह नहीं मिल पाया।

वर्ष 2016 में उदयपुर में पुल और सड़कों की क्षति, उदयपुर पूरे जिले में 716 कार्यों के प्रस्ताव स्वीकृत हुए, जिनमें हमने 15 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की। गोगुन्दा के लिए 89 कार्य के लिए 4.4 करोड़ रुपये स्वीकृत किया, स्वीकृत कर चुके।

जहां तक 2017 का सवाल है, जो इस वर्ष का है। उदयपुर जिले में 2017 में बाढ़ के पश्चात् 17.10.2017, 30.10.2017, 2.11.2017 को 304 कार्यों के लिए 7.91 लाख रुपये की सड़कों की मरम्मत के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। डीडीएमडी, वहां जो कमेटी बनी हुई है कलेक्टर की अध्यक्षता में, उन्होंने अनुमोदित नहीं की। दिनांक 21.11.2017 को समीक्षा बैठक में हमने 1.53 करोड़ रुपये के प्रस्ताव स्वीकृत कर निर्णय लिया। इसके पश्चात् हमने 27.11.2017 को कलेक्टर को उदयपुर और गोगुन्दा के 82 कार्यों के लिए 2.82 लाख रुपये के प्रस्ताव प्रेषित किये गये जिनके क्रम में जिले के पत्र क्रमांक.... हमने यहां से वापस उनसे सूचना मांगी, 15.12.2017, 8.1.2018,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

5.3.2018 को निर्धारित की। अनुमोदित प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया जो अभी तक हमें उसकी रिप्लाई प्राप्त नहीं हुई। जब तक इस कमेटी के द्वारा हमको प्रस्ताव अनुमोदित होकर नहीं आता है, तब तक हम इसमें काम शुरू नहीं कर सकते। फिर भी हमने उदयपुर को लगभग 9.60 करोड़ रुपया दिया और अभी हमने 15.47 करोड़ रुपये उदयपुर जिले को, जो उनके प्रस्ताव आये थे, उसे स्वीकृत किया। लेकिन चूंकि आपके क्षेत्र की केवल आपदा राहत से ही नहीं, पीडब्ल्यूडी ने भी आपको मदद करने का प्रयास किया।

गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ से क्षति, 2015, 2016 एवं 2017 में 47 पुलिया तथा 565 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं। इनमें से 565 किलोमीटर अर्थात् जितनी हुई, उतनी लम्बाई की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कर दी गई है। 47 पुलियाओं में से एक पुलिया का मरम्मत कार्य नरेगा योजना में 42.50 लाख रुपये स्वीकृत है जो प्रगति पर है। 12 पुलियाओं की मरम्मत हेतु बजट 30 करोड़ रुपये के तहत पीडब्ल्यूडी द्वारा 1.99 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। शेष 34 पुलियाओं की मरम्मत के लिए 5.35 करोड़ रुपये की आवश्यकता रहेगी। एसआरएफ योजनान्तर्गत 27 अतिरिक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की 88.60 किलोमीटर लम्बाई की 14.63 करोड़ रुपये की लागत से सुधारा जायेगा। ये इनके प्रस्ताव हैं जो पीडब्ल्यूडी करेगी लेकिन आपदा राहत विभाग में तो केवल उतना ही कर सकते हैं कि जो प्रस्ताव समय पर आ जाते हैं और हम स्वीकृति दे देते हैं। अगर वह प्रस्ताव ही तीन-तीन महीने तक नहीं आये तो वह आपदा नहीं रहती। वह तो एक तरह से क्षतिपूर्ति हो जाती है। जो समय पर प्रस्ताव आये, उनका तो हमने सारे राजस्थान में दिया है। इस साल भी 100 करोड़ रुपये राजस्थान में जहां-जहां भी बारिश से नुकसान हुआ है, उनको हमने दिया है। प्रस्ताव आये और आपका यह जो प्रस्ताव आया है पीडब्ल्यूडी का, यह 27.11.2017 को आया है। इसकी जब डिटेल मांगी तो अभी तक इसकी कोई डिटेल नहीं आई है और फिर भी हमने उदयपुर जिला कलेक्टर को 15 करोड़ रुपये जारी कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री जीतमल खांट, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन कर रहा था, इसमें ध्यानाकर्षण नम्बर 2 है, जो सैकिण्ड नम्बर।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, You please sit down.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

गढ़ी में पंडित दीनदयाल ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की आबादी भूमि पर बने मकानों के पट्टों का वितरण न होना

श्री जीतमल खांट (गढी): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में पंडित दीनदयाल ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की आबादी भूमि पर बने मकानों के पट्टे वितरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, गढ़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने विधान सभा के नियम एवं प्रकिया के कार्य संचालन संबंधी नियम 131 के तहत जो ध्यान आकर्षित किया है, उसकी तथ्यात्मक टिप्पणी आपकी आज्ञा से प्रस्तुत कर रहा हूं।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान, 2017 के तहत विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में कुल 2365 पट्टे वितरित किये गये हैं। विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में पंचायत समिति गढ़ी, अर्थूना का सम्पूर्ण भाग एवं तलवाड़ा पंचायत समिति का कुछ भाग आता है। पंचायत समितिवार वितरित पट्टों का विवरण निम्नानुसार है:- पंचायत समिति गढ़ी 1150 पट्टे, पंचायत समिति अर्थूना 821 पट्टे, पंचायत समिति तलवाड़ा 394 पट्टे, ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में लम्बे समय से निवास करने वाले ग्रामीणों को पट्टे नहीं मिलने के मुख्य कारण निम्न प्रकार से हैं:-

(1) जिन ग्राम पंचायतों के पास आबादी उपलब्ध नहीं है। उन ग्राम पंचायतों द्वारा आबादी भूमि के आवंटन के प्रस्ताव तैयार कर भूमि आवंटन करवाई जा रही है। उसके पश्चात भूमि आवंटन के पश्चात ही नियमानुसार पट्टे के आवंटन की कार्यवाही की जा सकती है।

(2) बांसवाड़ा जिले में जनसंख्या का बड़ा भाग बिखरी हुई बस्तियों में निवास करता है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से जारी परिपत्र दिनांक 30.11.2017 के अनुसार, ऐसी सिवाय चक भूमि जहां पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मकान बिखरे एवं छितरे हुए हों। ऐसी सिवाय चक भूमि पर कम से कम पांच मकान बने होने पर ही सर्वे में शामिल किये जाने के निर्देश हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान, 2017 में अनियमितता के संबंध में कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री जीतमल खांट (गढी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीजी ने जो हमें उत्तर दिया है, सबसे पहला उत्तर उन्होंने दिया है कि जिन ग्राम पंचायतों के पास आबादी भूमि उपलब्ध नहीं है, के विषय में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा जो परिपत्र जारी हुआ था दिनांक 05.04.2017 के क्रम में, बिन्दु संख्या 2, इसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि जिन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी के खाता संख्या 1 में दर्ज गैर-मुमकिन आबादी भूमि को पंचायत के खाते में दर्ज कराना।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में टोटल 78 ग्राम पंचायतें हैं, 252 गांव हैं, 3 पंचायत समिति क्षेत्र हैं, पंचायत समिति गढ़ी, पंचायत समिति, तलवाड़ा....

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रश्न पूछ लो, इसमें दरअसल आपको सीधा प्रश्न पूछना चाहिए। इसमें वक्तव्य...

श्री जीतमल खांट (गढी): स्पेशल, मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय कि सिर्फ पंचायतों के पास में आबादी भूमि नहीं थी। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि ग्राम पंचायत क्षेत्रों में राजस्व रिकार्ड में उस जमाबन्दी के खाते में श्री सरकार आबादी भूमि है, श्री सरकार आबादी भूमि को पंचायत के खाते म्युटेशन खोलना था। ये म्युटेशन क्यों नहीं खोला गया? उस ग्राम पंचायत में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। अगर ग्राम पंचायतों के नाम से म्यूटेशन कर दिये होते, तो बांसवाड़ा जिले में मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा ये मात्र हमारे पट्टों की संख्या आपने टोटल जो बताई है, 1200 के लगभग, पूरे बांसवाड़ा जिले के अन्दर लगभग 15000 हजार पट्टे बन सकते थे, लेकिन राजस्व अधिकारी और आपके ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, दोनों विभागों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी और जो हमारी गैर मुमकिन आबादी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उस राजस्व रिकार्ड को उस ग्राम पंचायत के नाम से म्यूटेशन खोलना था।

(श्री जीतमल खांट)

मात्र इतने काम की वजह से सम्पूर्ण बांसवाड़ा जिले में, आप अपने उत्तर में बताये कि बांसवाड़ा जिले में हम पट्टा अभियान में किस स्थान पर हैं।

मैं राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना बड़ा अभियान चलाकर के सम्पूर्ण राजस्थान के अन्दर 8 लाख 50 हजार लोगों को पट्टा वितरण हुआ और बांसवाड़ा जिला कौन से पायदान पर खड़ा है। माननीय मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों ने चाहे राजस्व अधिकारी और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के जिन अधिकारियों ने और बांसवाड़ा के जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है, बांसवाड़ा जिले के अन्दर, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि एक महीने का शिविर रखकर के उस आदिवासी अंचल के अन्दर ऐसे वंचित परिवारों को इतनी अच्छी लोक कल्याणकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए। आप सुनिश्चित करें और जो यह जवाब सदन में दिया है, ग्राम पंचायतों के पास में आबादी भूमि नहीं है यह सरासर हमें, सदन को गुमराह करने वाले उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करें, यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अधिकारी है ही नहीं, किनकी तरफ अंगुली कर रहे हो, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पहली बार 14 अप्रैल, 2017 से पंडित दीनदयाल ग्रामीण पट्टा अभियान चला। बहुत बड़ी संख्या में राजस्थान में ग्रामीण जो रह रहे हैं, उनके पास अपने मकान, जहां उन्होंने वर्षों पहले सिवाय चक भूमि पर बना लिए, उनके पास स्वामित्व नहीं था। राज्य सरकार ने एक अभियान चलाया और निश्चित तौर पर माननीय सदस्य ने जो बात कही 8 लाख 50 हजार पट्टे बने इस अभियान के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जाकर कैम्प लगाकर राज्य सरकार ने पट्टे बनाये और इन पट्टों में 1 लाख 76 हजार पट्टे सिर्फ शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के बने, 83600 पट्टे शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के बने और 1 लाख 25 हजार पट्टे महिलाओं के बने।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही निश्चित तौर पर 05.04.2017 को, जो परिपत्र जारी किया गया। उसके पीछे हेतु एक ही था कि जहां राजस्व रिकार्ड के अन्दर गैर मुमकिन भूमि है या सिवाय चक भूमि है और वहां आबादी बस गई है। ग्राम पंचायतों के नाम उसका म्यूटेशन हो जाए और उसके पश्चात ग्राम पंचायतें इस पर पट्टे करें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उल्लेख किया एक जो परिपत्र, जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने भी किया 30.11.2017 को राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी किया। एसीएस, रेवेन्यू और एसीएस, पंचायती राज द्वारा उसमें विस्तृत इसकी जानकारी दी गई कि अगर आबादी भूमि वहां उपलब्ध नहीं है, अगर आबादी भूमि है, सिवाय चक भूमि है, सिवाय चक भूमि अगर है तो उसको ग्राम पंचायत के नाम इंद्राज कर दें। अगर आबादी भूमि नहीं है और आबादी का विस्तार हो चुका है तो निर्धारित मापदण्ड हैं। उनके अनुसार आबादी के विस्तार के प्रस्ताव को जिला कलेक्टर से अनुमोदित करवाकर वहां पट्टे जारी करें।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि जो बांसवाड़ा जिला है, उसमें 1200 पट्टे जारी हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले में 12834 पट्टे जारी हुए हैं और गढ़ी विधान सभा क्षेत्र, जिसका जिक्र माननीय सदस्य कर रहे थे। उसमें 2364 पट्टे जारी हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन पट्टों की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्रीजी ने कहा कि 2022 तक कोई ऐसा गरीब व्यक्ति नहीं होगा। जिसके सर पर छत नहीं होगी और इसी को लक्ष्य रखते हुए, इस बार भी उन्होंने 1 करोड़ आवास, प्रधान मंत्री आवास योजना में इस बजट में स्वीकृत करने का काम किया है। राजस्थान की सरकार उपाध्यक्ष महोदय, भूतो न भविष्यति: 6 लाख 75 हजार मकान प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 2018-19 तक बनाने का हमने लक्ष्य रखा है। 4 लाख 90 हजार की हमने स्वीकृति जारी कर दी है और इन सब मकानों में एक जो अर्हताएं हैं, एक जो शर्त है कि इनमें भू-स्वामित्व होना चाहिए और उसी अनुसार यह पट्टा अभियान हमने लांच किया।

मैं निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, इस पट्टा अभियान को न केवल हमने पट्टा अभियान बनाया, बल्कि इसमें इस पट्टे का रजिस्ट्रेशन, जब तक पट्टे का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक उस पट्टे का महत्व नहीं रहेगा। उसका रजिस्ट्रेशन भी जहां शिविर लगे, वहीं करवाने का फैसला किया और पट्टे के रजिस्ट्रेशन के अन्दर पहले ग्राम पंचायत के सरपंच को और ग्राम सेवक को जाना पड़ता था, सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में उसमें भी नियमों में संशोधन करके हमने छूट दी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसी 27 जनवरी, 2018 को जो पहले पट्टे जारी हो गये इनका री-वेलीडेशन अब ग्राम पंचायत

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

स्तर पर हो जाए इसके लिए भी हमने आदेश जारी कर दिये हैं और इसमें भी मात्र सौ रुपये की फीस पर यानी पंचायत राज अधिनियम, 1994 के नियम-157, 158, 159, 162 में जो पुराने पट्टे जारी हुए हैं सौ रुपये के स्टाम्प पर उनको सबको री-वेलीडेट करने की बात भी हमने की है।

मानीनीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं अभी इन पट्टों के म्यूटेशन के लिए लैंड यूज चेंज करने के लिए भी हमने नियमों में संशोधन कर लिया और शीघ्र इसके निर्देश जारी कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगर पट्टा अभियान के अन्दर परिपत्र 30.11.17 और 5.4.17 की अनुपालना में भूमि होते हुए भी उसको सैट अपार्ट नहीं करते हुए पट्टे जारी नहीं हुए तो पूरे आदिवासी इलाके में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में हम विशेष अभियान चलाएंगे। एक महीने के अन्दर-अन्दर अभियान की तिथि घोषित करेंगे और जितने भी वंचित हैं उनको हम पट्टा देंगे और न केवल पट्टा देंगे बल्कि रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करके हमने भारत सरकार को कहा है कि हमें दो लाख अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना में 1 लाख 48 हजार रुपये मिलते हैं। इससे पहले इनके कार्यकाल में इंदिरा आवास योजना बनी थी उसमें पचास हजार रुपये मिलते थे फिर चुनाव के समय में इन्होंने मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना जारी की उसमें 70,000 रुपये मिलते थे। वो सारे आवास भी हमने बनाये हैं इसलिए मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि एक बार दुबारा हम इस पंडित दीनदयाल पट्टा वितरण अभियान को लांच करेंगे। जहां भी भूमि हमें उपलब्ध होगी, निश्चित तौर पर इस पट्टा अभियान में जो साढ़े आठ लाख पट्टे देकर राजस्थान की मुख्य मंत्री जी ने अद्वितीय काम किया है इस काम की पुनरावृत्ति कर इसको बढ़ायेंगे और जितने भी वंचित और पात्रधारी लोग होंगे उनको पट्टा देंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से इससे संबंधित एक बात की ओर मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं, राजस्व मंत्रीजी का भी ध्यान आकर्षित करता हूं। आबादियों के पास में जहां आबादी भूमि खतम होती है उसके पास में ही गोचर है और गोचर में चालीस-पचास सालों से मकान बने हुए हैं और गोचर के पास में आपकी सिवायचक भूमि पड़ी है। अनेक प्रकरणों में यदि वो सिवायचक भूमि जो पड़ी है उसको गोचर से एक्सचेंज कर दिया जाए तो जो हजारों-हजारों मकान बने हुए हैं वो सुरक्षित हो जाएंगे और मेरे क्षेत्र में नाथूसर गांव में इसी

(श्री मानिक चन्द सुराना)

प्रकार का एक गोचर का प्रकरण है जहां चालीस मकान बने हुए हैं और बीस-तीस साल से बने हुए हैं। पास में सिवाय चक है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसी गोचरों को आपकी सिवाय चक जमीनों से कन्वर्ट कर दिया जाए, एक्सचेंज कर दिया जाए, ताकि उस सिवाय चक भूमि पर बने हुए अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के और सवर्ण वर्ग के सभी लोगों को लाभ मिल जाए और उनको उनकी भूमियों का पट्टा मिल जाए जहां पर कि उनके मकान बने हुए हैं और जहां प्रधानमंत्री योजना में यदि वो आये हुए हैं उनको उसका 1 लाख 48 हजार का लाभ मिल जाए ऐसा भी आप करने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): लैंड रेवेन्यू एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान...।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाएं। श्रीमती शकुन्तला जी, आप भी पूछ लें अगर इसके संबंध में कुछ पूछना हो तो। आप पूछना चाह रहे हैं न? पूछ लें Because now this is an open...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जो पट्टे की कह रहे हैं, पट्टे आबादी में देने की तो दूर की बात है जो गांव हजारों वर्षों से बसे हुए हैं और उन गांवों के जब वो अपनी खातेदारी में पट्टा लेने जाते हैं तो उनको कोई नया नियम दिखा दिया जाता है निकाल करके कि आपके यहां 2040 में ग्रीन बैल्ट बनेगी या 2060 में आपके यहां कोई कृषि के लिए भूमि आबंटित की गयी है या कोई विद्यालय खोला जाएगा। 60:40 तक का वहां हवाला देकर के उनको पट्टे नहीं दे रहे हैं और जो कैम्प लगाये गये थे गांव में उसमें चाहे श्मशान घाट के पट्टे हों, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वहां दाह संस्कार हो रहे हैं चाहे उनके रास्तों के पट्टे हों, चाहे घरों के पट्टे हों एक भी पट्टा अभी वितरित नहीं किया गया है सिर्फ जमा करके कागज रजिस्टर में नोट करके ले गये हैं तो कब तक देंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...।

श्री उपाध्यक्ष: Just a moment. एक मिनट मंत्रीजी विराज जाएं। वैसे अगर आप इस 131 को तरीके से पढ़ लें न तो बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। इसमें अगर आप बोलना चाहें तो आपको स्पीकर को पहले इंटीमेट करना पड़ेगा otherwise the Hon'ble Chair can not allow, because

(श्री उपाध्यक्ष)

फिर क्या होगा कि ये एक प्रीसिडेंट-सा सैट हो जाएगा और इस प्रीसिडेंट का उदाहरण देकर माननीय सदस्य बोलने की चेष्टा करेंगे। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं So I gave him the liberty to actually use this opportunity but if it becomes a practice I think so, the Hon'ble Chair cannot allow it. We will have to strict to these rules in any case मेरे खयाल से सबकी भावना यह है कि इसमें कोई विसंगतियां हैं तो वो आप दूर कर दें and if you feel handicapped by not having somebody to help you in that case you could ask for that. The Hon'ble Chair can always provide you with that liberty.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ऐसी कोई बात नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण हो तो सब चीजों में सक्षमता आ ही जाती है। दो सवाल यहां खड़े किये गये हैं। एक सवाल लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जिस गोचर भूमि पर पहले आबादी बस गयी और उसके समीपस्थ कहीं सिवायचक भूमि है तो दोनों लैंड का एक्सचेंज करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्दर इसके लिए स्पष्ट प्रावधान किये गये हैं मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस प्रकार के अब जो दुबारा कैम्प लगाएंगे उसमें इसको भी शामिल करेंगे। एक्सचेंज आफ लैंड एक निर्धारित प्रक्रिया है आपको मालूम है उस निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करके इसको भी हम पूरा करने की बात करेंगे। बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या ने एक हवा में बिना बात बात उछाल दी। आपने कह दिया कि 2040 तक के लिए ये जमीन इस काम के लिए आरक्षित है इसलिए पट्टे जारी नहीं किये। मैं समझता हूं कि शायद आप पेरीफेरी विलेज के लिए बात कर रही हैं। पेरीफेरी विलेज के लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो गांव मास्टर प्लान का पार्ट बन गये और जिन गांवों में मास्टर प्लान में चूंकि आपको मालूम है मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में चल रहा है। गुलाब कोठारी जी की रिट के कारण से मास्टर प्लान में लैंड यूज चेंज करने को लेकर अभी न्यायिक विवेचना के प्रक्रियाधीन वो सारी चीजें हैं उस पर मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, पर अगर जो खातेदार बस गये और खातेदारी का नियमन करने के लिए पंचायत राज एक्ट के जिन नियमों का मैंने उल्लेख किया है, हमने पहले भी नियम-157, 158 और 162 के तहत इन पट्टों को बनाने का काम किया है। पुराने पट्टों को री-वेलीडेट भी कर रहे हैं और मैंने तो आगे बढ़कर यह बात भी कह दी कि आने वाले समय में, हमने लॉ में भेजा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है, हम इन पट्टों का जो म्यूटेशन है और जो लैंड यूज चेंज है वो अब तक कहीं प्रावधान नहीं है। पंचायत राज एक्ट में भी नहीं था, हमने एक्ट को संशोधन करके और इसको कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में गांव के लोगों को भी पट्टों का म्यूटेशन होने लग जाए पैतृक रूप से आज अगर पिता के पास पट्टा है तो उसके देहावसान के बाद में उनके बच्चों के नाम पट्टा कैसे आ जाए इस प्रक्रिया को भी निर्धारित कर रहे हैं और लैंड यूज चेंज करने की बात भी है। आज गांव का व्यक्ति भी जो उसका पट्टा है उसका लैंड यूज चेंज करके उस पर अपना छोटा-मोटा वाणिज्यिक काम भी कर सकता है। आज कोई नियम नहीं है। हम इन नियमों को बनाने जा रहे हैं और एक महीने में नियमों को बनाकर उनको लागू करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी बात पर निवेदन कर रहा हूं। मेरा भी सेम इसी विषय पर प्रस्ताव था। मैं अनुमति चाह रहा था कि इस पर मैं भी कुछ बोलूं।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। Let the original...एक मिनट.. I'll allow you but जिस माननीय सदस्य का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है मोशन तो वो ही मूव करेंगे।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): नहीं, सेम मेरा भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। मैं आप सबसे बड़ा स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि जिस माननीय सदस्य का ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है और उसके साथ में अगर और कोई सम्माननीय सदस्यों ने पूर्व में अध्यक्ष महोदय को इसकी सूचना नहीं दी उन्हें सदन में बोलने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिस सदस्य ने मूव किया अगर उसमें आप Co-signatories हैं तो आसन फिर भी इस पर विचार कर सकता है या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचीबद्ध हो गया उसके उपरांत अगर आप अध्यक्ष से अनुमति ले लेते हैं तब भी यह पासिबल है, लेकिन सुओमोटो आप खड़े रहकर अनुमति देते तो क्या यह पासिबल है कि मंत्री महोदय उन सारे प्रश्नों का या सारी क्वेरीज का उत्तर तुरन्त दे पायें। इसलिए इसको अनुशासित तरीके से आप अपने वक्तव्य को अगर आप कुछ सूचना देना चाहें तो उतना तो मैं एक

(श्री उपाध्यक्ष)

स्पेशल कंसीडरेशन में अलाउ करूंगा But I'll not allow across questioning in this or a supplementary question in this. श्री अर्जुन लाल जी जीनगर।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में खरीद व निविदा प्रक्रिया में अनियमितता

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विधान सभा के संचालन प्रक्रिया नियम 131 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत खरीद व निविदा की प्रक्रिया में अनियमितता के संबंध में प्रस्तुत कर रहा हूं, माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से संक्षिप्त टिप्पणी इस प्रकार है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा के अंतर्गत मुख्य मंत्री स्वच्छ ग्राम योजना को शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग आदेश क्रमांक एफ/1/32ग्रावि/नरेगा/बजट घोषणा/2013 पार्ट द्वितीय दिनांक 7.12.2016 को महात्मा गांधी नरेगा योजना के द्वारा क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। उक्त आदेश में ग्राम पंचायत के प्रत्येक खुले हुए शौच से मुक्त सत्यापित ग्राम पंचायतों में 150 परिवारों पर क्लस्टर बनाकर इन परिवारों तथा सामुदायिक कचरा पात्रों से ठोस कचरे से संग्रहण परिवहन हेतु दो श्रमिक नियोजन एवं ग्राम पंचायत पर एक स्वच्छता सखी मेट की तरह नियोजन किया जाना अनुमत किया गया था। कन्वर्जन के तहत सफाई उपकरण तथा तिपहिया वाहन कचरा पात्र एवं एक पुशकार्ट स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन मद से विकेन्द्रीकृत प्रणाली से क्रय किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। निर्देशानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर के द्वारा की गयी अनियमितता के संबंध में जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है, जिस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु विस्तृत जांच विचाराधीन है। वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रेषित पत्र दिनांक 9.2.2018 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप घर घर कचरा संग्रहण परिवहन तथा पृथक्कीकरण के कार्य हेतु नियोजित श्रमिकों का मजदूरी का भुगतान महात्मा गांधी ग्रामीण से तुरन्त रोक लगाये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। शेष कार्य संदर्भित पत्र में

(श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़)

वर्णित अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अन्य योजनाओं में नियमानुसार किये जायें। इस क्रम में दिनांक 10.2.2018 के द्वारा इस हेतु महात्मा गांधी नरेगा द्वारा श्रमिक नियोजन पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। अर्थात 10 फरवरी, 2018 के पश्चात मुख्य मंत्री ग्राम स्वच्छ योजना के अंतर्गत श्रमिक नियोजन हेतु कोई मस्टरोल जारी नहीं किये जाएंगे। दिनांक 20.2.2108 को राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया है कि श्रम नियोजन पर रोक के परिप्रेक्ष्य में सफाई उपकरण तभी क्रय किये जाएं जहां ग्राम पंचायत में श्रम का प्रबंधन अन्य विभागों की संबंधित योजनाओं के कन्वर्जन यथा एमपी लैड, एमएलए लैड, केन्द्रीय व राज्य वित्त आयोग, सीएसआर, निजी आय से जिन योजनाओं में सफाई कार्य पर श्रम नियोजन कर श्रम का भुगतान अनुमत कार्य की श्रेणी में आता है, उसे किया जाना सुनिश्चित करते हुए कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई हो। श्रमिकों के श्रम भुगतान प्रबंधन की सुनिश्चितता किये बिना कार्य पर क्रय किये गये उपकरण एवं सामग्री की खरीद निष्फल व्यय की संज्ञा में मानी जाएगी एवं जिसका दायित्व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी और विकास अधिकारी का व्यक्तिगत रूप से तय किया जाएगा। इस संदर्भ में निदेशालय द्वारा भी परिपत्र 515 दिनांक 20.2.2018 द्वारा समस्त जिलों के जिला कलेक्टर्स को जारी कर दिया गया है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सही हो गया कि आपने जो निर्देश दिये उसके बाद भी आपके निर्देशों की पालना नहीं हुई। सीईओ और जिला कलेक्टर दोषी पाये गये लेकिन उन पर कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई, क्या आप उन पर कार्यवाही कराएंगे या ऐसे ही ठंडे बैठकर हमको जवाब देते रहेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा आपकी जो धार और चमक है, मेरे को वह अधिकारियों के सामने कुछ फीकी नजर आ रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा स्वच्छ भारत मिशन ...

श्री उपाध्यक्ष: आपको यह शंका कब से होने लगी?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मैं अभी आपको बताऊंगा, दो-तीन बात करुंगा तो अपने आप पता चल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं स्वच्छ भारत मिशन मुख्य मंत्री ग्राम स्वच्छता योजना के अंतर्गत बड़ी-बड़ी लुभावनी घोषणाएं सदन के माध्यम से आपने की थीं। उसमें आपने कहा था कि ग्राम पंचायतों में ठोस कचरा प्रबंधन योजना हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

(श्री अर्जुन लाल, जीनगर)

में आपने जारी किये। क्या इन दिशा-निर्देशों की पालना धरातल पर हो रही है? क्या आप इससे संतुष्ट हैं? आपने अनेक घोषणाएं कीं वह भी आपको याद दिला दूं। आपने घोषणाएं की हैं सामुदायिक कचरा पात्र, ट्राई साइकिल के माध्यम से कचरा संग्रहण, कचरा संकलन केन्द्र खोले जाने थे। मंत्रीजी, आपने यह भी घोषणा की कि जनसंख्या के आधार पर 7 लाख रुपये से 20 लाख प्रत्येक ग्राम पंचायत में पेयजल और स्वच्छता के लिये उपलब्ध कराये जाएंगे। आपकी इस घोषणा का अब तक कुछ भी नहीं हुआ। किसी ग्राम पंचायत में आपने एक रुपया भी बजट का उपलब्ध कराया हो तो आप सदन में अवगत कराएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाह रहा हूं कि आपने कितनी ग्राम पंचायतों में अभी तक यह सामग्री उपलब्ध कराईं? कितनी ट्राई साइकिलें कचरा पात्र उपलब्ध कराएं हैं। क्या सदन में मेजें थपथपाने के लिये ही सारी घोषणाएं की गई थीं? क्या आपके अधिकारी आपकी सुनते नहीं हैं? (व्यवधान) आप तो रुको, आपने कुछ भी नहीं किया। आपके राज में तो कुछ भी नहीं हुआ, स्वच्छता का तो बंटाधार हो गया। आप तो समझते ही कहां हो स्वच्छता में।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमने बंटाधार किया जब ही तुम्हारी पीठ बैठ गई।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): हां, तभी तो हम बैठे हैं और हम बैठे रहेंगे, आप चिंता मत करो। आपके अधिकारी आपके दिशा-निर्देशों की पालना क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने दिशा-निर्देश भी दिये, वह सारे के सारे दिशा-निर्देश भी मैंने देखें हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आप तो यह बता दें कि अभी जो स्वच्छता के काम हो रहे हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? आप स्वयं आकलन कर लें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी में कुछ प्रश्न हैं, आपने जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को निर्देश दिये कि सामग्री का क्रय किया जाए, ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जाए। लेकिन अजमेर के कलेक्टर और सीईओ ने आपके आदेशों की पालना नहीं की। उन्होंने ग्राम पंचायतों पर थोप दिया। प्रधानों ने गड़बड़ झाला किया या सरपंचों ने गड़बड़ झाला किया, इस प्रकार से सामान खरीद हो गई और उसकी जांच आपने करा ली। जांच में वह दोषी पाये गये, दोषी पाने के बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

मैं एक और निवेदन करना चाह रहा हूं प्रधान मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी के सपनों की धज्जियां मुझे उड़ती दिखाई दे रही हैं। इसलिए आप ऐसा मत करो, आप तो आपकी जो कमान है, वह कमान जब तक बराबर बनी नहीं रहेगी तब तक कोई काम ठीक ढंग से नहीं हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपने अभी यह भी घोषणा कर रखी है 31.3.2018 तक सम्पूर्ण राजस्थान ओडीएफ हो जायेगा। क्या हुआ? जहां ओडीएफ भी हो गया वहां पर भी गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। किसी भी ग्राम पंचायत में अब तक जो ओडीएफ हो चुकी है, वहां पर भी स्वच्छता का आलम नजर आता नहीं है। हमारे चित्तौड़ जिले की हालत तो यह है कि हमारा जिला ओडीएफ हो गया और मेरे विधान सभा क्षेत्र में सभी शौचालय बना दिए लेकिन अभी तक साढ़े छह हजार लोगों के नाम ही भुगतान सूची में नहीं है। उनको पैसा कहां से देंगे? मैंने पर्ची के माध्यम से भी उठाया, पर्सनली भी आपसे मिला। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह ओडीएफ कब तक हो जायेगा और सम्पूर्ण राजस्थान में इस प्रकार काम कब हो जायेंगे।

मैं लास्ट में एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो जो अनियमितताएं देखीं और जिन अधिकारियों को दोषी पाया, आपके एक तो सुदर्शन जी सेठी हैं, इन्होंने भी दिशा-निर्देश जारी किये, आपने भी दिशा-निर्देश जारी किये, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ, आपके आदेशों की पालना नहीं हुई। इन आदेशों की पालना करवाकर सम्पूर्ण राजस्थान को स्वच्छता के साथ जोड़कर क्लीन इंडिया, क्लीन राजस्थान का सपना पूरा करें। प्रधान मंत्री जी और मुख्य मंत्रीजी के सपने को साकार करने के लिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप दोषी अधिकारियों को कब तक सज़ा दिलाने का काम करेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा विस्तृत दायरा करके स्वच्छ भारत मिशन में राजस्थान की सारी गतिविधियों को अपनी बातों में सदन के सामने रखा है। यह सही है कि मार्च, 2014 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि राजस्थान मार्च, 2018 तक ओडीएफ हो जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अंतर्गत मुझे कहते हुए प्रसन्नता भी है कि आज राजस्थान में 9891 ग्राम पंचायतों में से 9310 ग्राम पंचायतें, यानी 94.13 प्रतिशत ग्राम पंचायतें आज ओडीएफ हो चुकी हैं। हमें राजस्थान में 79 लाख 58 हजार पात्रताधारी व्यक्तियों के व्यक्तिगत शौचालय बनाने थे, 78033 शौचालय हमने बना

(श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़)

लिये। यानी 98.45 प्रतिशत हमने पूरा कर लिया। मैं यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि निश्चित तौर हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि 2016-17 के बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री स्वच्छ ग्राम योजना की घोषणा की थी। और इस योजना के अंतर्गत कुछ दिशा-निर्देश जारी किये गये थे, उन दिशा-निर्देशों में ओडीएफ हो चुकी 2 हजार ग्राम पंचायतों में डेढ़ सौ परिवारों का क्लस्टर बनाकर इन परिवारों का कचरा, सामुदायिक कचरा पात्र में डालने हेतु डेढ़ सौ परिवारों में नरेगा से दो श्रमिक और एक मेट के रूप में स्वच्छता सखी को नियोजित करने का निर्णय लिया गया था, उसके तहत कार्यवाही प्रारम्भ हुई। यह भी सही है कि इसी योजना में गांव में स्वच्छता पूर्णत: हो जाए, इसलिए सफाई उपकरण तिपहिया वाहन, कचरा पात्र, पुशकोर्ट क्रय किये जाने के आदेश भी हुए थे।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी भारत सरकार की 09.2.18 को नरेगा में नियोजित श्रमिकों के भुगतान पर रोक आई है। इससे पहले 05.02.18 तक राजस्थान में 2294 ग्राम पंचायतों पर 19369 श्रमिक 3354 मस्टररोल के अंतर्गत नियोजित किये गये थे, चूंकि भारत सरकार ने इस पर रोक लगाई है। हालांकि, भारत सरकार को हम माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी पत्र लिखवा रहे हैं। मैंने खुद भी पत्र लिखकर आग्रह किया है कि अगर नरेगा से श्रमिक नहीं मिलेंगे तो इस योजना के क्रियान्वयन में बड़ी कठिनाई जा जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसी 20 फरवरी को जो इसकी राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृत समिति है, जिसमें एसीएस, पंचायती राज, सैक्रेटरी आर.डी., सैक्रेटरी पी.आर., सब लोग हैं, उन्होंने यह तय किया है कि श्रमिकों का प्रबंधन अगर अन्य योजना में हो जाए, यथा स्टेट फाइनेंस कमीशन की योजना हो, सैंट्रल फाइनेंस कमीशन की योजना हो, एम.एल.ए. लैड हो, एम.पी. लैड हो, जिसका जिक्र मैंने उत्तर में किया। अगर हमें श्रमिक उपलब्ध हो जाएं, हमें इनमें श्रमिक का भुगतान अनुमत हो, तो निश्चित तौर पर हम इस योजना के अंतर्गत जो सामग्री को क्रय किये जाने पर पाबंदी लगायी है, इस पाबंदी को हटाते हुए उन सारी ग्राम पंचायतों में जहां से इस प्रकार के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो जाएंगे कि ग्राम पंचायत में नरेगा के श्रमिकों पर रोक लगने के पश्चात अन्य योजनाओं में श्रमिक नियोजित कर लेंगे तो निश्चित तौर पर हम इस बात को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।

माननीय सदस्य ने जिस पर्टीकूलर शिकायत के बारे में जिक्र किया

(श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़)

है, यह बात सही है कि 11.12.17 को एक शिकायत प्राप्त हुई और शिकायत प्राप्त होने पर हमारे पीडीएफ बायोफ्यूल के जो डिप्टी सैक्रेटरी हैं, उनको मैंने जांच दी। 14.12.17 को यह जांच प्रारंभ हुई और उसके बाद मौके पर सब अधिकारी गये और 27.12.17 तक यह जांच पूरी हुई। मौके पर जाने से जांच हमारे सामने आयी। इस जांच में एम.आई.एस. के एक्सपर्ट और लेखा के एक्सपर्ट भी शामिल किये गये। जांच में जो मोटे तौर पर अनियमितता सामने आयी, पहली अनियमितता यह थी कि जब ये निविदाएं उपकरण क्रय करने के लिये प्रकाशित की गईं तो दो समाचार-पत्रों में प्रकाशित की गयीं। एक तो दैनिक नवज्योति और अजमेर से एक साप्ताहिक अख़बार जो अजमेर से निकलता है, आवाज राजस्थान, उसमें प्रकाशित की गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, आजकल आनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। वित्त विभाग के निर्देश हैं कि पोर्टल पर यूबीएन नंबर का उल्लेख निविदा सूचना के अन्दर अनिवार्य है, क्योंकि जब तक यूबीएन नंबर नहीं होगा तो जो निविदादाता है, वह पोर्टल पर निविदा को ढूंढ नहीं सकेगा। सबसे पहले तो जांच में यह सामने आया कि इसमें यूबीएन नंबर अंकित नहीं था, फिर इसमें एसपीपी पोर्टल पर जो अपलोड की गयी, उस सूचना में पंचायत समिति का नाम नहीं था, इसके अन्दर जो जिला प्रदेश के निर्देश थे, कि विकास अधिकारी, श्रीनगर द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर जो निविदा आमंत्रित की गयी थी, वहां एक जैसी प्रकृति के सारे मैटेरियल को खरीदा गया। आर.टी.पी. एक्ट, 2012, आर.टी.पी. रूल, 2013 यह कहता है कि निविदाओं में कम से कम एक ही प्रकार की निविदाएं हों, तो निविदाएं एक साथ आमंत्रित की जानी चाहिए। ये निविदाएं कम से कम पंचायत समिति स्तर पर आमंत्रित की जानी चाहिए, जो नहीं हुईं। इसका नतीजा यह निकला कि एक ही कंपनी मैसर्स एम.आई. आयरन एंड कंस्ट्रक्शन रामसर की दरें सब जगह एक की ही दरें, न्यूनतम दरें आ गयीं। एक ही कंपनी ने इसमें भाग लिया और यह निविदा की कार्यवाही आगे बढ़ गयी। इसके साथ-साथ जो नियम में राजस्थान में लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 43 के बिंदु संख्या 6 के अनुसार वस्तु सेवाओं से संबंधित निविदाएं जो पांच लाख तक की हो, के लिये प्रकाशन तिथि न्यूनतम दस दिन का समय निविदादाताओं को निविदा प्रस्तुत करने के लिये दिया जाना चाहिए। यह भी नहीं दिया गया है, इसमें भी 7 दिन दिये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस कारण से जब टीम मौके पर गयी तो जो ट्राई साइकिल, कचरा पात्र के जो नमूने रखे गये थे, वे नमूने में मानकता को

(श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़)

लेकर हुए थे, इन सारी जाँचों में प्रथम दृष्टया सी.ई.ओ. जिला परिषद, अजमेर और बी.डी.ओ., श्रीनगर दोषी पाये गये। दोनों के खिलाफ जांच विचाराधीन है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसके अनुसार 15 दिन के अन्दर इसी जांच के अनुसार जो भी दोषी होगा, उसके उत्तरदायित्व का निर्धारण हमने लगभग कर लिया है और उसके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्यवाही हो सकेगी, अनुशासनात्मक कार्यवाही करके उपाध्यक्ष महोदय मैं सदन को सूचित कर दूंगा। माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मेरा यह निवेदन था, आपकी आज्ञा हो तो, मैं निवेदन कर रहा था।

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रश्न पूछ लो।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अजमेर का तो यह एक नमूना था। क्या पूरे राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं? उनकी भी आप जांच करा पाएंगे? दूसरा, यह निवेदन कर रहा था कि आप जब भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हैं। कभी-कभी अधिकारी आपको कहते हैं कि आप हमसे सलाह जरूर ले लिया करो, फिर बाद में घोषणा करो। आपको शपथ राज्यपाल महामहिम महोदय ने दिलायी है या उन अधिकारियों की सलाह से बने हैं?

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई प्रश्न थोड़े ही हुआ है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): प्रश्न नहीं है, लेकिन इस प्रकार कैसे चलेगा? ये अधिकारी मानते ही नहीं है। अधिकारियों पर लगाम कौन कसेगा? मैं तो हनुमान जी को ताकत याद दिला रहा हूं। मैं कौनसी गलत बात करा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आपका यह सीरियस आब्जर्वेशन है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मैं तो याद दिला रहा हूं कि मंत्री जी में बहुत ताकत है।

श्री उपाध्यक्ष: यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव से कहां पर संबंधित है?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): हुकुम, ताकत याद दिलानी तो पड़ती है। आप इस प्रदेश के मंत्री हैं। आप में असीम शक्तियां निहित हैं। उन शक्तियों का प्रयोग करके राजस्थान के विकास की मैं बात कर रहा हूं। राजस्थान का विकास जरूरी है और राजस्थान के विकास के लिये आप कृत

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

संकल्प हैं। मेरा आग्रह है कि आप सम्पूर्ण राजस्थान की जांच कराएंगे तो ठीक रहेगा। हुकुम, आप अपनी शक्ति का प्रयोग करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पहले तो हनुमान जी थे, लेकिन सरकार ने अब की बार बांध दिया। हमारी टाइम पर तो हनुमान जी हुआ करते थे, लेकिन अब हनुमान जी नहीं रहे।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय Would you like to react to what he is saying?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने मेरी सीमित शक्तियों को असीमित शक्तियों में बदल दिया। निश्चित तौर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जिस तरह से निवेदन किया। मेरे पास जानकारी आने के बाद हमने जांच की। प्रथम दृष्टया जांच में सी.ई.ओ. व बी.डी.ओ. की अनियमितता पायी गयी है। हमने उनको नोटिस दिया है, उनके खिलाफ कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है और कार्यवाही करके मैंने जिस तरह आपसे निवेदन किया, मैं सदन को और माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा और मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस मुख्य मंत्री स्वच्छता योजना के अंतर्गत, ये तो प्रक्रिया के अन्दर ही त्रुटि कर गये। प्रक्रिया के बारे में जो अनियमितता हुई, उनका समाचार-पत्रों में प्रकाशन के बाद सारी चीजें हमारे संज्ञान आ गयीं। इस प्रकार कहीं भी कोई भी सामग्री अब क्रय नहीं की गयी है।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक प्रतिवेदन। श्री राजपाल सिंह जी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व) वर्ष 2016-17

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) सदन की मेज पर रखता हूं।

व्यवस्था

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन विनियोग विधेयक से पूर्व पेश हो जाने चाहिए

श्री उपाध्यक्ष: पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, मैं आपका ध्यान आसन से दिये हुए निर्देश 04 अप्रैल, 2006 के प्रति आकर्षित करता हूं। क्या इसी प्रकार की सी.ए.जी. या ए.जी. की जो रिपोर्ट हैं, उस पर आसन ने अपने निर्देश जारी किये थे, उसका मैं आपको सार समझा देता हूं। इसमें पूरा का पूरा वक्तव्य है। आसन ने यह व्यवस्था दी थी कि राज्य सरकार as far as possible जहां तक हो अच्छा ही रहेगा क्योंकि ए.जी. की रिपोर्ट बजट के बाद और एप्रोप्रिएशन बिल्स के पहले आ जाए। क्योंकि इस बार आपका बजट सैशन प्रीपोन आया है And A.G. is a Constitutional body. आसन सिर्फ आपसे यह निवेदन कर रहा है कि ए.जी. को इस बात की हिदायत दे दें कि जब भी बजट सैशन काल हो, वह प्रीपोन हो जाए, अगर पहले काल हो, तो वे इसके लिये तैयारी रखें। एप्रोप्रिएशन बिल के पहले जितनी रिपोर्ट्स उनको पेश करनी हैं, वे सारी की सारी रिपोर्ट पेश कर दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुरानी परम्पराओं की तरफ तो क्या ध्यान दूं। उपाध्यक्ष महोदय, यहां से कई बार श्रीमान ने भी इस बात का एतराज उठाया है। जब पूर्ववर्ती सरकार के समय पूरा बजट सत्र चला गया, बजट सत्र के बाद जब मानसून सत्र आया, उसमें रखी गयी थी, हमने कम से कम, उपाध्यक्ष महोदय, आइंदा इस तरह की...

श्री उपाध्यक्ष: We are on a corrective mode.

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): सर, आसन के निर्देश के तहत, यह बात सही है कि इस बार बजट का सैशन लगभग एक महीने पहले है और जैसा कि माननीय संसदीय मंत्रीजी ने निवेदन किया है कि इस सदन के अन्दर सीएजी की रिपोर्ट्स बहुत देर-देर तक पेश होती रही है। यह कोई अच्छी परम्परा नहीं थी। यह करेक्टिव मोड है। हमने एजी को निवेदन किया था और किया है। मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इस बार, यह बात सही है कि सीएजी की रिपोर्ट एप्रोप्रिएशन बिल से पहले सदन में पेश हो जानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी सीएजी की रिपोर्ट इस बार सदन में काफी पहले पेश हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2009-10 में 5 महीने बाद में, जब सरकार को

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

रिसिप्ट हुई सीएजी की रिपोर्ट, उसके पांच महीने बाद में विधान सभा में टेबल की गई। 2010-11 के अन्दर 21 दिन, 2011-12 में 5 महीने 12 दिन, 2012-13 में 1 महीना 8 दिन, 2013-14 में 1 महीना, 2014-15 में 25 दिन, 2015-16 में 3 महीने और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बार तो सरकार को सीएजी की यह रिपोर्ट जो आज टेबल की है, यह 21.02.2018 को मिली है। आप जानते हैं उपाध्यक्ष महोदय सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद में यह कैबिनेट में जाती है, कैबिनेट के बाद में गवर्नर के पास जाती है, गवर्नर के पास से एफएम के सिग्नेचर के लिए जाती है और 600 कापियां जो सीएजी से हमको मिलती हैं, उनको टेबल पर लाने के लिए समय लगता है। हमने सीएजी को निवेदन किया था कि चूंकि बजट सैशन एक महीने पहले है। मैं समझता हूं आसन के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उनकी पालना करने, करेक्शन करने की कोशिश करेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में जिसको करेक्शन की आप कह रहे हैं, करेक्टिव मोड में है, फिर भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय काफी जल्दी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इजाजत हो तो मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: जी, फरमाएं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आम तौर से सीएजी की रिपोर्ट, मेरे पास 2015-16 की फाइनेंस रिपोर्ट है, जो कि 27 जनवरी को गवर्नमेंट को पेश कर दी गयी थी। मैंने कल भी अनौपचारिक रूप से माननीय राजपाल सिंह जी से निवेदन किया था कि आज एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल दोनों के ऊपर चर्चा होगी। आप कम से कम फाइनेंस की रिपोर्ट तो पेश कर दें। मेरे खयाल से आज दिन तक फाइनेंस की रिपोर्ट पेश नहीं की गयी है और नार्मली मैंने पुरानी उठाकर देखी है, 2013 में फरवरी में पेश कर दी गयी थी। कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि सदन में अगर टाइम से यह रिपोर्ट पेश नहीं की जाएगी तो जब हम वाद-विवाद में भाग लेंगे तो कैसे उनको यूज करेंगे। मैंने कल अनौपचारिक रूप से भी माननीय राजपाल सिंह जी को निवेदन किया था कि आप फाइनेंस की रिपोर्ट रखवा दें। उससे सारी स्टेट के फाइनेंस की स्थिति पता लग जाएगी। मैं अभी लाबी में सुन रहा था, इस पर चर्चा हो रही है तो मैं भाग कर यहां आया। मैं पुन: आपसे निवेदन करूंगा कि आप आज भी हमको उपलब्ध करा देंगे फाइनेंस की रिपोर्ट या नहीं कराएंगे? मैं अभी 2015-16 की

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पढ़ रहा था श्रीमान, यह जनवरी में पेश कर दी गई थी। नीचे तारीख पड़ी रहती है इसके ऊपर। कोई यह कहे कि तारीख नहीं पड़ी रहती है, तारीख पड़ी रहती है सारी रिपोर्ट्स पर। जो अन्य रिपोर्ट्स अपने पेश की हैं यहां पर, इकोनोमिक सैक्टर की पेश की है और दूसरे सैक्टर्स की है, सब फरवरी के अन्दर 2 फरवरी, 6 फरवरी तक सब पेश हो गई हैं। उसके बाद हमको रिपोर्ट नहीं मिले तो हम क्या सार्थक रूप से बहस में भाग लेंगे?

मेरा आपसे यही निवेदन है, यह सरकार की खुद की नाकामी है। वे नहीं चाहते थे जानबूझकर रिपोर्ट पेश नहीं की जिससे कि मैम्बर उसका लाभ नहीं ले। मेरा यह आरोप है सरकार के ऊपर आज तक आपने क्यों नहीं फाइनेंस की रिपोर्ट पेश की? उससे राज्य की वित्तीय स्थिति का सारा खाका आपके सामने आ जाएगा। यही मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। सीएजी पर न डाले, पिछली सरकार ने क्या किया? मैंने पिछली सरकार के वक्त की भी देखी है। फरवरी के अन्दर रिपोर्ट पेश हो गई है। यहां सदन में कब पेश हुई, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं उस वक्त सदन में नहीं था। मेरा आपसे अनुरोध है कि सीएजी के ऊपर न डाले, अपने फेलियर को यहां पर एडमिट करें और भविष्य में इसको सुधारने की कोशिश करें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़ा एप्रोप्रियेट सवाल उठाया है। यह बात सही है कि जब तक स्टेट फाइनेंस की सीएजी की रिपोर्ट फ्लोर पर न आए, तब तक उसमें बहस में भाग लेना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसी यहां परम्परा रही है, जो नहीं रहनी चाहिए और कांग्रेस के जमाने में तो तीन-तीन महीने, चार-चार महीने और छह-छह महीने तक स्टेट फाइनेंस की रिपोर्ट सदन में नहीं आई, बहस हुई। मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं 2010-11 में 3 महीना 21 दिन बाद सरकार को रिपोर्ट के रिसिप्ट करने के बीच में 3 महीना 21 दिन का गैप था। 2011-12 के अन्दर 3 महीने 13 दिन का, 2012-13 में 6 महीने 20 दिन का, 2013-14 में 1 महीने 5 दिन का। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट फाइनेंस की रिपोर्ट हमको सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए नहीं रख रहे हैं। ऐसा नहीं है, सीएजी के स्टेट फाइनेंस की रिपोर्ट सरकार को मिली 26.02.2018 को और जैसा कि राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि सीएजी की स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट आने के बाद में उसे कैबिनेट में जाना है, कैबिनेट के बाद में गवर्नर के पास जाना है और गवर्नर के बाद फिर

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)
आथैंटिकेशन के लिए फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाना है और सीएजी जो कापियां भेजेगा, वे ही कापियां हम यहां डिस्ट्रिब्यूट करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 26.02.18 को हमें रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट मिलने के बाद हमने कैबिनेट की एप्रूवल कराई 3 तारीख को, 4 तारीख को हमने गवर्नर साहब की एप्रूवल कराई, हमने फायनेंस मिनिस्टर की भी एप्रूवल कराई और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम आज विधान सभा के यहां पर उन कापीज को दे देंगे। स्टेट फाइनेंसेज की हालत बहुत ही अच्छी है। उनसे बचने की कोई जरूरत नहीं है। बचने के काम आप लोगों ने किया था। हम बचने का काम नहीं करेंगे। निश्चित रूप से आज हम विधान सभा में इन सब कापियों को भिजवा देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): श्रीमान् आज भिजवा दें या न भिजवाएं, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमको पढ़ने का अवसर मिलेगा कब उसको? आप भिजवा दीजिए, क्या मतलब है, भिजवाना या न भिजवाना बराबर है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): इसीलिए करेक्टिव मोड की बात कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपको तो सहारा मिल गया है इनके करेक्टिव मोड का। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कल से क्या कह दिया हम करेक्शन करेंगे-हम करेक्शन करेंगे और करेक्शन ऐसा कर रहे हैं जिससे कि बजट पर और एप्रोप्रिएशन बिल पर प्रोपर बहस नहीं हो सकें। श्रीमान राजपाल सिंह महोदय, जो आप वित्त की रिपोर्टस पेश करते हैं, आपने जान-बूझकर ऐसा किया है, मेरा आपके ऊपर आरोप तो नहीं कहता लेकिन आपने जान-बूझकर ऐसा किया है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): ऐसी कोई मंशा नहीं है और मंशा मेरे खयाल से आपकी रही होगी जिस कारण से आपने 7-7 महीने तक रिपोर्टस पेश नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष: आसन इस बात का निवेदन करना चाहता है कि For the last so many years, there has been a process of correcting. Delays have been in orderly in lot of other issues. Replies, submissions of papers which should have been brought as per Rules within a specific period of time. The entire thing has not cropped up in one day or in one Government's tenure. Multiple activities of carelessness and casual attitude may be substituted

(श्री उपाध्यक्ष)

at time and again by arrogance. इस सारी चीज को करेक्ट करने के लिए हमें एक टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा और आसन भी कोशिश कर रहा है और गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है। Treasury benches have also actually given their full support. It at least by this financial year, by the end of this financial year, we correct our process in such a way that the Hon'ble House feels that it's rights have been secured to that extent. श्री अजय सिंह जी, सहकारिता मंत्री।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 54(14) के अन्तर्गत निम्नांकित आडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर के आडिटेड अन्तिम लेखे एवं आडिट रिपोर्ट वर्ष 2016-17

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर के आडिटेड अन्तिम लेखे एवं आडिट रिपोर्ट वर्ष 2016-2017;

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड, जयपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2016-17

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड़, जयपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2016-2017;

दी राजस्थान अरबन कोआपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2016-17

राजस्थान अरबन कोआपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड़, जयपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2016-17;

राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर की अंकेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2016-17

राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स फैडरेशन लिमिटेड़, जयपुर की अंकेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2016-2017.

श्री उपाध्यक्ष: श्री श्रीचंद कृपलानी

जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का 9वां प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अन्तर्गत जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का 9वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह जी।

विद्युत वितरण निगमों का विद्युत वितरण प्रबन्ध विवरण पत्र

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व अधिनियम, 2016 की धारा 3(1) के अन्तर्गत विद्युत वितरण निगमों का विद्युत वितरण प्रबन्ध विवरण पत्र सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री विजय बंसल।

समिति प्रतिवेदन

स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति (क्र.सं. 10 से 13)

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, 2017-18 के चार प्रति प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1- स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 में समाविष्ट नगरीय विकास विभाग (जयपुर विकास प्राधिकरण) से संबंधित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या-7.1 से 7.18) पर स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, 2017-18 का 10वां प्रतिवेदन।

2- स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 में समाविष्ट नगरीय विकास विभाग (विभिन्न नगर सुधार न्यासों) से संबंधित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या-7.1 से 7.6) पर स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, 2017-18 का 11वां प्रतिवेदन।

(श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा)

3- स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 में समाविष्ट नगरीय विकास विभाग (जयपुर विकास प्राधिकरण) से संबंधित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या-6.1 से 6.7) पर स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, 2017-18 का 12वां प्रतिवेदन।

4- स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 में समाविष्ट नगरीय विकास विभाग (जयपुर विकास प्राधिकरण) से संबंधित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या-6.1 से 6.6 एवं 6.8.1) पर स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, 2017-18 का 13वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

(14.00 बजे)

प्राक्कलन 'क' समिति (क्र.सं. 6)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'क', 2017-18 के षष्ट प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। ऊं नम: शिवाय।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन, श्री धीरज गुर्जर।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर: स्थापन

दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018

विधायी कार्य, पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक, दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018, श्री गुलाबचंद कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर: स्थापित करता हूं।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

जो पक्ष में हो हां कहें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मंत्रीजी ने एक शब्द छोड़ दिया, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय है। बीकानेर शब्द आपने छोड़ दिया।

श्री उपाध्यक्ष: Have you left something?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): इसमें तो यही लिखा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हमारे यहां दो है। बीकानेर का है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): इसमें नहीं है। इसमें कहां है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को संशोधित करने के लिए, विधेयक पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, आप फिर यहां भी संशोधन कराइये श्रीमान्। विराज जाए, आपका तो प्रस्ताव

(श्री उपाध्यक्ष)

आ गया न।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री) हां।

श्री उपाध्यक्ष: We will have to add 'Bikaner' in this also. What is this Bikaner Rajasthan Technical? 'Bikaner' has to be added before that.

प्रश्न यह है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) विधेयक, 2018

श्री उपाध्यक्ष: श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) विधेयक, 2018, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री महोदय।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करती हूं।

राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018, श्री प्रभूलाल सैनी।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर: स्थापित करता हूं।

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018, श्री प्रभूलाल सैनी।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 पुर: स्थापन करता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान वित्त विधेयक, 2018 व

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018

श्री उपाध्यक्ष: विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक, राजस्थान वित्त विधेयक, 2018

प्रभारी मंत्री।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: सारे एक साथ ले लूं। राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक 2018, प्रभारी मंत्री।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नरपत सिंह जी राजवी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राजमंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तीन विधान सभाओं का अगर हम देखें तो जब-जब भी राजस्थान वित्त विधेयक और राजस्थान विनियोग विधेयक दोनों सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुए हैं, माननीय सदस्य दोनों पर एक साथ ही अपने विचार प्रस्तुत कर देते हैं, एक साथ ही प्रभारी मंत्री उनका जवाब दे देंगे। अगर आपकी अनुमति हो तो दोनों का एक साथ ही माननीय सदस्य विचार प्रस्तुत कर दें।

श्री उपाध्यक्ष: आसन सदन को यह सूचित करना चाहता है कि दोनों ही विधेयक पर आप अपना विचार आप एक साथ दें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की कर्ज माफी के लिए तो मैं आभार प्रकट करता हूं। लेकिन जैसलमेर और बाड़मेर के किसानों को किसी प्रकार का लाभ इसमें मिलने वाला नहीं है। कल राजस्व मंत्रीजी से भी बात हुई थी। 2007 में एक समिति गठित की गई थी जिसमें 30 बीघा और 36 बीघा लघु और सीमांत कृषक की सीमा रखी थी। उसको अगर नोटिफाई नहीं किया है तो कृपया नोटिफाई कर दें ताकि कम से कम उन दोनों ज़िलों के किसानों को लाभ मिल सके, वर्ना एक को भी लाभ मिलने वाला नहीं है।

रानी पद्मिनी के बारे में सरकार ने जो निर्णय लिया, उसके बाद केन्द्र ने, न्यायालय ने अपना विचार रखा, उसको तो बिलकुल सही मानता हूं। लेकिन इतिहास को किसी भी प्रकार से तोड़ने मरोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी, यह सरकार की मानसिकता है, इसके लिए मैं इनको शाबाशी देता हूं। बीकानेर का एक उदाहरण देना चाहूंगा, एक कीर्ति स्तम्भ सन् 1912 में स्थापित किया था। उसमें औरंगजेब के काल का हवाला है जिसमें 1666 में इण्डस रिवर वर्क, महाराजा करण सिंह जी ने इंडस रिवर वर्क क्रोस कराकर सारे हिन्दू राजाओं को मुसलमान बनाने का जो क्रम आरम्भ करने का प्रयास किया था, उसके विरोध स्वरूप जय जलंधर बादशाह का टाइटल दिया गया, नावें तोड़ीं और उसी के आधार पर वाइसराय के सामने सन् 2012 में एक कीर्ति स्तम्भ का निर्माण तत्कालीन महाराज गंगासिंह जी ने करवाया। उसको वार मैमोरियल में कन्वर्ट करके, एक नाम अंकित किया जिसमें कारगिल तक के शहीदों के नाम हैं।

यह पूरे हिन्दुस्तान के इतिहास के रचियता आज के भारत के, उन्होंने जो काम किया, उसका सिर्फ एक वार मैमोरियल, चार वार मैमोरियल उसी के साथ में अलग बने हुए हैं। दुनियाभर के पत्र इन लोगों ने लिखे हैं, लेकिन किसी ने भी कोई, किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी और डाइरेक्टर उसको करने को तैयार नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान संविधान के आर्टिकल 309 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सेवा नियम, और नर्सिंग कोर्सेज और एजुकेशन कोर्सेज के नियम बनाने के काम का अधिकार 309 में लेजिस्लेचर को दिया है। केन्द्र में पार्लियामेंट को अधिकार दिया है। लेकिन उसी स्थिति तक, जब तक कि नियम नहीं बन जाए, प्रचलित नियम चालू रहेंगे और एग्जीक्यूटिव वह नियम बनाने लग गयी। अब आप, इसमें काफी रिट्स चल

(श्री नरपत सिंह राजवी)

रही हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं। हाथरस अकेला एक जिला है, जिसमें सामान्य वर्ग में 24 कैंडिडेट्स अकेले एक जिले से आये हैं, राजस्थान में। क्योंकि कोर्सेज हैं, वे बार-बार चेंज करते गये हैं। एंट्रेंस टैस्ट चेंज करते गये हैं, काम्पीटीशन से सीधा नहीं लेकर वहां के अलग-अलग प्रान्तों में उन्होंने एडमिशन से जितने मार्क्स लिये हैं, उस आधार पर करेंगे। तो रिट्स भी बढ़ेंगी और लेजिस्लेचर का जो अधिकार था, उसका हनन हुआ है। यह 70 साल में नहीं हुआ है। कम से कम, पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्रीजी, इसको नालेज में लाकर यहां पर नियम बनाने का काम लेजिस्लेचर को अपने हाथ में लेना चाहिए, ताकि ये गड़बड़ियां नहीं हों।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले बजट सैशन में मैंने पुलिस के बारे में कुछ बातें कही थीं। आज भी बीकानेर जेल के अन्दर पिस्तौल कैसे पहुंची है, उसकी रिपोर्ट नहीं है। उसकी हो चुकी है, प्रस्तुत भी हो चुकी है। लेकिन सदन के सम्मुख नहीं रखा। मैंने एक प्रश्न में पूछा था। प्रश्न संख्या है 6944, उसके खण्ड पांच में पूछा, क्या यह सही है कि बीकानेर जेल में अधीक्षक से लेकर अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों की काल डिटेल को जांच अधिकारी द्वारा नहीं खंगाला गया? घुमाकर उत्तर देते हैं, थाना बीछवाल, जिला बीकानेर पर दर्ज अभियोग संख्या 131/14 के दौराने अनुसंधान आरोपीगण की काल डिटेल प्राप्त कर, उनकी जेल अधिकारियों और कर्मचारियों की हुई वार्ता को, विश्लेषण किया गया है। बात कर ही कैसे सकते हैं। हमने तो यह सम्भव ही नहीं समझा। अधिकारियों का था। वह इसलिये दिया था कि एक आई.जी. ने जेलर से बात की। उसका सबूत, उस जेलर ने रिटायर होने से पहले कोर्ट के अन्दर बयान दिया है कि मैंने आई.जी. के कहने से, बिना इसको इन्द्राज किये उनको मिलाने दिया और जो भी हथियार वे लेकर गये, उस आधार पर लेकर गये। सरकार इस पर मौन क्यों है।

मैंने मुख्य मंत्रीजी को एक पत्र लिखा था, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के मामले में एक मुहाना थाने में 24.12.17 को एफ.आई.आर. दर्ज हुई, 886 नम्बर है। उसमें एक बालिका के साथ, जो वहां पर एम.ए. कर रही है, वह अपने मामा के साथ जाती है। वहां पर उसका ह्यूमिलिएशन किया जाता है, मोलेस्टेशन किया जाता है। वी.सी. उस केस को दबाने के लिये दूसरा एक्शन लेता है। लेकिन दो महीने के बाद भी, अभी तक स्थल निरीक्षण तक पहुंचे हैं। उसके बाद में आगे कार्यवाही नहीं हुई है। पूरे

(श्री नरपत सिंह राजवी)

राजस्थान की बात तो करेंगे क्या? सोडाला थाने का एक उदाहरण मैं आपके माध्यम से देना चाहूंगा। एफ.आई.आर. संख्या 400/17, पुलिस की उपस्थिति में, यह सी.सी.टी.वी. में दर्ज है कि पुलिस की उपस्थिति में किरायेदार को रात को वहां से निकालकर बाहर फेंका है और पुलिस मौन बैठी है कि नहीं, अब इसमें कुछ नहीं होना है। उस व्यक्ति को, पीड़ित को कोर्ट में जाकर, वह दावा करना पड़ा। तो फिर ऐसी सरकार की और मंत्रियों की आवश्यकता भी नहीं है। अगर कोर्ट को ही सारे अधिकार देने हैं तो मैं इससे सहमत नहीं हूं।

पांचूं थाने की एक एफ.आई.आर. संख्या 05/18, अभी की ही है। 15-16 साल का एक बच्चा गायब हुआ। लगभग तीन बार तो मैंने भी एस.पी. से बात की है। कहने के बाद भी उसकी जांच चेंज नहीं करवाई। हमारे को उससे उम्मीद नहीं थी कि वह जांच कर लेगा। घर वाले वहां पर, थाने के बाहर जाकर रो रहे हैं कि साहब, आप उस आदमी से जाकर पूछो तो सही। वह, न तो सी.आई. पूछता है, न एस.पी. कुछ करता है। ऐसी स्थिति में कैसे इसको आप मानेंगे कि यह बहुत अच्छा है, यह क्राइम रेट घटी है। क्राइम नहीं घटा है। आपने इन्द्राज करना जरूर घटा लिया, यह मैं मान सकता हूं।

सामराऊ में क्या ऐसा कोई सम्भव है कि पूरे गांव में एक भी 16 साल या 18 साल से लेकर 80 साल तक का कोई आदमी नहीं हो, सिर्फ महिलाएं रहें। ऐसा कोई गांव आपने, उपाध्यक्ष महोदय, कहीं राजस्थान में देखा है, तो निश्चित तौर पर गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में लिखाना चाहिए। वहां पर पुलिस के द्वारा कहा गया है कि आप लोग रहोगे तो यहां पर वातावरण बिगड़ेगा। इसलिये आगजनी बाद में हुई, पुलिस की उपस्थिति में हुई। लेकिन दोषी को अभी तक दण्डित, दो-तीन लोगों को किया है, लेकिन सबको नहीं किया है। यह ऐसा एक एक्ट है, जिसमें आग अगर बढ़े तो पूरे राजस्थान में फैलती है। यह अच्छी बात नहीं है। सरकार की इस प्रकार की इन विषयों की अनदेखी करना भर्त्सना करने लायक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): राजस्थान वित्त विधेयक, 2018; राजस्थान विनियोग विधेयक, 2018, इसमें तो कहीं यह लिखा ही नहीं है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): विनियोग में बोला जाता है। श्रीमान, विनियोग में बोला जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
उपाध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ रहा था इतनी देर, बैठा-बैठा। तीनों-चारों बातों में से एक ही बात नहीं आई।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कहा है कि फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन, दोनों पर बोल सकते हैं। आप कौल एण्ड शकधर उठाकर देख लीजिये। फाइनेंस बिल का स्कोप बहुत बड़ा है, wider like budget. You can cover any Department of the Government. It's very clear. यह मैं आपको निवेदन करूं। तो कृपया आप माननीय सदस्य को व्यवधान उपस्थित न करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य, यह प्रावधान के अनुसार कर सकते हैं न। आप बहस कर सकते हैं, एन्टायर बजट को खोल सकते हैं, सारे हैड्स को खोल सकते हैं। पर उसमें कहीं बजट तो हो न। केवल कानून-व्यवस्था थोड़ी बोल सकते हैं, आप इसमें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): क्या? आप क्या कह रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कानून-व्यवस्था की बात थोड़ी कर सकते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): क्यों, पुलिस तो आती है कानून-व्यवस्था में।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): कानून-व्यवस्था तो आएगी, और किसमें आएगी?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): शायद वे कानून का अलग से डिपार्टमेंट खोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): पुलिस के नीचे आता है कानून-व्यवस्था, लॉ-एण्ड-आर्डर।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): नहीं, कोई नया डिपार्टमेंट खुला हो तो बताओ।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, फोरेस्ट डिपार्टमेंट में 1977, 1978, 1979, सहायक वन संरक्षक के 37 पद सीधी भर्ती से प्रमोशन कोटे में परिवर्तित करने के आदेश सरकार ने 1979 में जारी

(श्री नरपत सिंह राजवी)

किये और रिव्यू डी.पी.सी. भी की। अब उस रिव्यू डी.पी.सी. में 14 पद 1979 के इन्क्लूड नहीं किये। महामहिम राज्यपाल की अनुमति के बिना पद घटा दिये। यह तो बहुत शाबाशी का काम है न। उसमें एक्सपंडीचर, क्योंकि 14 आदमियों का एक्सपंडीचर, प्रमोशन पर एक लोअर, एक हायर का बेनिफिट मिलता, वह नहीं मिला।

उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर मंत्री अभी नहीं विराज रहे हैं। सोलर पम्प्स, सैण्ट्रल एड भी है, सब्सिडी है, राज्य सरकार की भी है। अब इसमें तो फाइनेंस इन्वाल्व है।

श्री उपाध्यक्ष: There is too much of conversation at the far end.

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): लेकिन अभी तक एक साल में, पहले तो राजस्थान विद्युत वितरण, उनको देना था। कोर्ट में केस हुआ, वापस आ गया। अभी तक कौनसी कम्पनियां ले सकती हैं। उसका फाइनलाइजेशन नहीं हुआ और यह पूरा फाइनेंशियल ईयर निकल गया। अभी को-आपरेटिव मंत्रीजी कह रहे थे, तब आप ही विराज रहे थे कि मूंगफली की खरीद हमारे बहुत हुई। दो साल पहले मूंगफली की खरीद के पांच करोड़ रुपये आज भी डूंगरगढ़ के बकाया हैं, नहीं मिले हैं, दो साल पहले के। तो सिर्फ आईवाश के लिये कोई बात कही जाए, अच्छे काम किये हैं, उसकी बधाई भी देना चाहता हूं। लेकिन जो गलत काम हुए हैं, उसकी भर्त्सना भी करना चाहता हूं। आपने समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज एप्रोप्रिएशन बिल और वित्त विधेयक, दोनों पर चर्चा है। मैं समझता हूं कि आज की जो हमारी चर्चा है वह परिवर्तित परिस्थितियों में है। हमारे बहुत पुराने वित्त मंत्री श्री मानिक चन्दजी सुराना साहब यहां पर विराजमान हैं। माननीय श्री प्रद्युम्न सिंहजी यहां पर विराजमान हैं। इनका जमाना अब बदला हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बदले हुए जमाने के हिसाब से अगर अपन चर्चा करें और इसमें परिवर्तित करें तो हमारे को कुछ लाभ प्राप्त होगा।

बजट की यह थर्ड स्टेज है लेकिन इस स्टेज में आते-आते अभी तक हम जो इस समय 2 लाख 17 हजार 435 करोड़ 12 लाख 44 हजार रुपये की समेकित राशि में से राज्य सरकार को कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा निकालने का अधिकार प्राप्त है। हमने आज बजट पर बहस की, हमने कटमोशंस पर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बहस की, मुख-बंद में हमने डिमांड्स को पारित किया और अब हम एप्रोप्रिएशन बिल और वित्त विधेयक पर विचार कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें किसी भी जगह किसी भी स्थान पर, चर्चा करने के लिए सदन में है पर जो निर्माण में, बनाने में एक विधायक का कोई हिस्सा नहीं, जन प्रतिनिधि का कोई हिस्सा नहीं, यह आज की बजट की सबसे बड़ी समस्या है और इसका समाधान पार्लियामेंट में किया कि बजट को दो हिस्सों में लाते हैं। एक, पार्लियामेंट में लाते हैं और फिर उसको कमेटियों में भेजते हैं। कमेटियों में भेजने के बाद उस पर डिस्कस होता है और आता है पर यहां पर क्या स्थिति हो गयी है? यहां पर जिस प्रकार जो ग्यारह दिन तय हो गये, चार दिन बजट पर होंगे, आठ दिन उस पर होंगे, दो दिन इस पर होंगे, इन तेरह दिन में, ग्यारह दिन में सारी बात सबको करनी है। रात को ग्यारह बजे तक, बारह बजे तक बैठकर करें, कटमोशन का भी रटा-रटाया जवाब विभाग के द्वारा दिया जाता है तो जो एम.एल.ए., जो माननीय विधायकगण हैं वह अपनी इस प्रकार की बात को भी नहीं कर सकते लेकिन अब तो विधायकों के अलावा राज्य सरकारों का भी अधिकार इसमें कम हो गया है। उनका स्कोप भी लिमिटेड हो गया है इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि परिस्थिति बदली, योजना आयोग था तब वार्षिक योजना आती थी। वार्षिक योजना पर डिस्कस करते थे, सरकारें वाहवाही लेती थीं कि हम इतनी बड़ी योजना लाये, अब इतना परसेंट बढ़ गया, वह सारा काम हो गया, योजना आयोग समाप्त हो गया और नीति आयोग आ गया। उस नीति आयोग के आने के बाद में हमारे बजट पर क्या असर पड़ा, यह बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है, मैं यह चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी, वित्त मंत्रीजी, जो भी इसका जवाब दें वह यह बताएं कि योजना आयोग था, योजना बनती थी, उस समय क्या राज्य की स्थिति पर असर पड़ता था और आज नीति आयोग आने के बाद में हमारे बजट पर इसका क्या असर पड़ा है? यह विधान सभा के माध्यम से अगर हम जानेंगे तो यह बात नीचे तक जाएगी और इसका असर हमको पता लगेगा।

उसी प्रकार जो सी.एस.एस. की योजनाएं थीं, केन्द्र शासित योजनाएं, मैंने सब जगह बजट में देखा, इस बार वह सी.एस.एस. योजनाएं नहीं मिलीं तो वह केन्द्र प्रवर्तित जो योजनाएं थीं, कम से कम 152 या 153 योजनाएं थीं, उन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का क्या हुआ? वह आज राजकीय कोष से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चल रही हैं या भारत सरकार ने अंशदान देकर, जो राज्यों का हिस्सा होता था उसको 10 परसेंट बढ़ाकर जो पैसा दिया, उससे चल रही है या वह पैसा सरकार अन्य कामों में ले रही है, उन योजनाओं का क्या हुआ? यह भी इस बजट में कहीं देखने से पता नहीं लगता। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि वह जवाब देते समय हमको यह भी बताएं कि यह सी.एस.एस. की जो हमारी योजनाएं थीं, उन योजनाओं का क्या हुआ, आज वह किस रूप में है, किस प्रकार चल रही है, चल रही है अथवा नहीं चल रही है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मैं एक बात आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जी.एस.टी. लागू हो गयी और जी.एस.टी. लागू होने के बाद में दो हिस्से हमारे टैक्स लगाने के, टैक्स वसूली के राज्य के हो गये। एक हिस्सा था 11 हजार करोड़ का जो चला गया जी.एस.टी. में और एक 17 हजार करोड़ का हिस्सा हमारे खाते में बचा, उसमें तीन प्रमुख रूप से हमारे टैक्स बचे। रजिस्ट्रेशन स्टाम्प का, आबकारी का और अपना यह जो छोटे-छोटे, यह तीन प्रकार के, पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सारा जो बचा वह हमारे बचा। अब यह पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स से हमारे टैक्स की जो आय है वह बहुत बड़ी आय है और बार-बार धर्मेन्द्र प्रधानजी जो केन्द्र के माननीय मंत्री हैं, वह यह कह रहे हैं कि जी.एस.टी. काउंसिल के माध्यम से हम यह जो पैट्रोलियम प्रोडेक्ट्स हैं उनको जी.एस.टी. के ढांचे में लेकर आएंगे। अगर वह जी.एस.टी. के ढांचे में आएंगे तो फिर राज्य सरकार का क्या विचार है? क्या राज्य सरकार यह चाहती है कि जी.एस.टी. के ढांचे में आए अथवा नहीं आए और अगर आए तो राज्य सरकार पर उसका क्या असर पड़ेगा और होने वाले घाटे की क्या भारत सरकार क्षतिपूर्ति करेगी या नहीं करेगी? उसके बाद तो केवल शराब और रजिस्ट्रेशन दो प्रमुख रूप से टैक्स हमारे पास बचेंगे इसलिए बजट का आज का जो पढ़ने का स्वरूप है, वह स्वरूप ही बदल गया और मैं यह भी चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री महोदय से कि वह सदन को यह भी अवगत कराने का श्रम करें कि जी.एस.टी. लागू होने के बाद में हमारा जो टैक्स रेवेन्यू आता था, उस टैक्स रेवेन्यू का कितना परसेंट बढ़ा या घटा या कम हुआ ताकि, हमको यह पता लग सके कि राज्य की इस संबंध में क्या स्थिति रही।

इसी प्रकार, माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय नहीं, उपाध्यक्ष महोदय बैठे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, मैं माफी चाहता हूं इसीलिए तो घर में बुजुर्ग आदमियों की जरूरत होती है। एक कहावत है कि चिड़कलियां ही अगर घर बसा लेतीं तो बाबो बूढ़ली ने क्यों ल्यातो? तो आप लोगों की जरूरत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक समस्या है। आप राजेन्द्रजी, क्यों हंस रहे हैं इस बात पर?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): थे, कही और मैं जानी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चार वर्ष की जो वित्तीय स्थिति है उसको भी मैं आपके सामने संक्षेप में रखना चाहूंगा। राजस्थान का जो विनियोग संख्या-3 विधेयक है, उस पर चर्चा करते समय राजस्व प्राप्तियां राज्य का एक बहुत बड़ा हथियार होता है। अगर राजस्व प्राप्तियों को अपन देखें और पूंजीगत प्राप्तियों को भी देखें तो राजस्व प्राप्तियां जो 2014-15 में हमने तय की थीं, 1 लाख 6 हजार 124 करोड़ रुपये की, वह हमको प्राप्त हुई 91 हजार 326 करोड़ रुपये की, मैं आगे का 90, 50 वह छोड़ देता हूं। 2015-16 की हमने 1 लाख 11 हजार 361 करोड़ समझा और हमको प्राप्ति हुई 1 लाख करोड़ की। 2016-17 में हमने 1 लाख 23 हजार 250 करोड़ राजस्व प्राप्तियां बी.ई. में की और आर.ई. में हुई 1 लाख 9 हजार करोड़ की और अब 2018-19 में हमने 17 हजार 454 करोड़ रुपया राजस्व घाटा हमने तय किया तो एक प्रकार से चारों सालों में हमको राजस्व प्राप्तियां जो हैं या रेवेन्यू में हमारा घाटा रहा है, यह हमको चार साल का एक तो यह है।

इसी प्रकार से अगर पूंजीगत खाते को देखें, पूंजीगत प्राप्तियों को देखें तो वर्ष 2014-15 में हमने 29 हजार 546 करोड़ रुपये सोचा था, उसकी एवज में वह 25 हजार 303 करोड़ रुपये मिला। जब हमने वर्ष 2015-16 में 73 हजार 649 करोड़ माना तो हमको 69 हजार 958 करोड़ रुपया मिला। 2015-16 में 54 हजार 462 करोड़ का हमने सोचा था, हमें 52 हजार 582 करोड़ रुपया मिला और 2017-18 और 2018-19 भी उसी ट्रेंड के अनुसार हुए तो कुल मिलाकर मैं यह कह सकता हूं कि हमको राजस्व और कैपिटल दोनों, दोनों खातों का चार साल का आकलन हमारा ठीक नहीं रहा, उनमें हमारी निश्चित रूप से कमी आई, इस कमी के क्या कारण हैं? हमारा आकलन गलत था, हम वसूल नहीं कर पाए, लीकेज हुआ, कौनसा कारण था, जिसके कारण से हमने सदन को जो बताया वह सदन को बताने की बजाए उसकी हमको

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कम प्राप्ति हुई, राज्य की जनता को यह जानने का अधिकार है और कुछ कारण होंगे, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह आग्रह करूंगा कि वह इस बात को सदन के सामने रखें ताकि हमारी वित्तीय स्थिति का हमको ठीक प्रकार से ज्ञान हो सके।

उसी प्रकार जब हम बजट की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे प्रमुख तीन-चार चीज है। कृषि है, स्कूल शिक्षा है, पी.एच.ई.डी. है, गृह विभाग है, इनके बजट का आबंटन का प्रतिशत क्या है? तो मैं देख रहा हूं, यह सरकार की किताब से ही लिया हुआ है, सारगर्भित में से, उसमें से मैंने सार निकाला है तो उसमें लिखा है कि कृषि विभाग जिसको हमने बहुत अधिक जोर दिया।

अभी हमने कर्ज माफी की भी बात की। किसानों की आय को अपन दुगनी करने की बात कर रहे हैं कि 2022 बात अपन दुगनी कर देंगे। आप देखिये कि कृषि विभाग में 2016-17 में 1.72 परसेंट एलोकेशन था, जो 2018 -19 जाकर 1.04 परसेंट हो गया। कृषि पर एलोकेशन कम हो गया। गृह विभाग पर 3 परसेंट था, वह 2.67 परसेंट हो गया। ग्रामीण विकास में 2.43 परसेंट था, वह 2.30 परसेंट हो गया। पी.एच.ई.डी. में 4.20 परसेंट था, वह 4.08 परसेंट हो गया। स्कूल शिक्षा में 13.88 परसेंट था, वह बढ़कर 14.98 परसेंट हो गया तो कुल मिलाकर हम यह देखेंगे कि चार साल में हमने जो आते ही बजट का आबंटन किया और इस समय जो बजट का आबंटन कर रहे हैं, वह कृषि में, गृह विभाग में, ग्रामीण विकास में और पी.एच.ई.डी. में, चारों में हमारा आबंटन कम हो गया, केवल स्कूल शिक्षा में हमारा आबंटन बढ़ा। इस प्रकार से तो प्रमुख रूप से हमारे काम आने वाली चीज थी, उनके आबंटन की कमी आयी और एक दूसरी बात अगर हम देखें, और इन आंकड़ों को देखें तो इनमें और गिरावट नजर आती है जैसे कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं 6.07 था 2014-15 में, 2017-18 में 5.52 परसेंट हो गया। ग्रामीण विकास में 17.32 परसेंट था, वह 13.17 परसेंट हो गया, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम में 0.38 से घटकर 0.32 हो गया, यातायात में 8.25 परसेंट से घटकर 7.86 परसेंट हो गया, वैज्ञानिक सेवाओं में 0.16 से घटकर 0.8 परसेंट हो गया और आर्थिक सेवाओं में 2.96 से घटकर 2.28 हो गया। तो निरन्तर सेवाओं में भी एलोकेशन की कमी आ रही है। निरन्तर पी.एच.ई.डी., एग्रीकल्चर इनमें भी कमी आ रही है, निरन्तर रेवेन्यू भी कम हो रहा है, निरन्तर पूंजीगत प्राप्तियां भी कम हो रही

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हैं और बजट का आकार बढ़ रहा है, तो यह जो बजट का आकार बढ़ा है और इनमें जो कमी आयी है, इनके कारण क्या हैं? यह कारण अगर हमारे सामने आयेंगे तो इस विनियोग विधेयक पर हम अच्छी तरह से विचार करने का प्रयत्न करेंगे। आकार केवल बजट का नहीं बढ़ रहा है, आकार हमारे कर्जे का भी बढ़ रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2014-15 में राज्य सरकार ने 17,346 करोड़ का आन्तरिक ऋण लिया था, 2018-19 में 38,267.29 करोड़ का आन्तरिक ऋण लिया और कुल ऋण 2016-17 में से यह बढ़कर आज के दिन 3 लाख 8 हजार 33.55 करोड़ रुपया हो गया है। हम इस ऋण के बारे में बार-बार कहते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हमारी सरकार ज्यों-ज्यों बदलती है, वह की वह हमारी ब्यूरोक्रेसी रहती है, वही हमारे अधिकारी रहते हैं, वह बिल बनाते हैं, वह भाषण भी तैयार करते हैं। उस भाषण में एक बात जोड़ देते हैं कि आपने इतना कर्ज लिया, हमने इतना कर्ज किया। हमने परिसम्पत्ति बनायी, आपने परिसम्पत्ति नहीं बनायी। अब इन परिसम्पत्तियों को कौन देखने गया और किसने यह परिसम्पत्तियां बना दीं? इन सम्पत्तियों में सम्पत्ति भी है, परी कहां चली गयी? यह बड़ी समस्या है राजस्थान के सब लोगों के सामने कि वह ढूंढती है तो सम्पत्ति तो मिल जाती है, उसमें परी नहीं मिलती। इसलिये इस बात को सदन के सामने स्पष्ट करें कि परिसम्पत्तियों से आपका तात्पर्य क्या है? हम यह मानते हैं कि आज राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान में और पूरे भारत में सब राज्यों के ऊपर कर्ज है। यह अर्थव्यवस्था ही कर्ज पर आधारित है तो कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है। कर्ज लेकर एफ आर बी एम एक्ट की बढ़ी हुई सीमा के पास तक पहुंच गये हैं और जब हमने इतना बड़ा कर्ज का काम किया तो हमारी जो दो बड़ी-बड़ी योजनाएं थीं, उन दो बड़ी योजनाओं के साथ देखो हमने क्या किया। एच.पी.सी.एल. राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड 1120 करोड़ का प्रावधान किया, आर.ई. में घटाकर 200 करोड़ कर दिया। अब 2018-19 में इसको 374 करोड़ किया। इसी प्रकार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब आप माननीय विधायक के रूप में यहां बैठते थे, उस समय आप मैट्रो के बहुत बड़े आलोचक थे, बहुत तर्क सहित आलोचना करते थे। मेरी इस बात से आपकी सहमति नहीं थी, लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा कि इसको आधा बनाकर क्या किया? अगर इसको बनाना था तो पूरा बनाना था। अब इसमें आपने 280 करोड़ रखा 2107

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

-18 में, पर घटाकर आर.ई. में आपने इसको 165 करोड़ कर दिया तो दोनों महत्वपूर्ण योजनाओं को आपने किया। यहां तक कि राज्य सरकार ने आज तक एम.ओ.यू. फाइनल नहीं किया और न ही भारत सरकार को संशोधित एम.ओ.यू. भेजा, जिसमें सीतापुरा से लेकर चांदपोल तक का जो दूसरा फेज था, वह फेज कम से कम जयपुर का तैयार होता। हमारा यह दृष्टिकोण क्या है?

मैं तो इसके पक्ष में था शुरू से, मान लीजिये कि एक फेज बन गया, जब तक यह सीतापुरा से लेकर चांदपोल तक नहीं आयेगी तब तक इस मैट्रो का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये इसको जोड़ना जरूरी है। इसके जोड़ने के लिये जो भारत सरकार ने संशोधित एम.ओ.यू. मांगा था, वह संशोधित एम.ओ.यू. आपने नहीं भेजा, यह किस प्रकार की बात रह गयी। इसी प्रकार मैं एक और आर्थिक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। (व्यवधान) सीतापुरा सांगानेर में है। वहां भी जा रही है। मैट्रो का मूल स्टेशन वही सांगानेर में है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाहर के देशों से जो सहायता हमको प्राप्त होती है, उन बाहर की सहायताओं से हमने जो कमी की, आप देखिये। परियोजना का नाम है 'ग्रीन कोरिडोर एनर्जी परियोजना' के.एफ.डब्ल्यू. जर्मनी से 407 करोड़ रुपये हमें मंजूर और हमने खर्च किया सिर्फ 135 करोड़। जयपुर मैट्रो फेज 1-बी एस.एन. विकास बैंक 280 करोड़ और इसमें से खर्च किया 165 करोड़, नागौर लिफ्ट कैनाल पेयजल आपूर्ति जापान अन्तरराष्ट्रीय संस्था से 560 करोड़ इसमें से खर्च किया 463 करोड़, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना विश्व बैंक 320 करोड़, खर्च किया 180 करोड़, राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन विश्व बैंक 300 करोड़, खर्च किया 200 करोड़, राजस्थान शहरी क्षेत्र आधारभूत विकास योजना फेज-तृतीय 600 करोड़, खर्च किया 420 करोड़, राजस्थान सड़क आधुनिकीकरण परियोजना 120 करोड़, खर्च किया 60 करोड़, शहरी जलापूर्ति योजना, जोधपुर का पुनर्गठन 152 करोड़ और खर्च किया 91 करोड़। बी.ई और आर.ई. में हमने इसमें इतना फर्क कर दिया तो एक प्रकार से चार प्रमुख जो आर्थिक सूचकांक हैं, वह मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की कि इन आर्थिक सूचकांक में आबंटन में बी.ई. और आर.ई. में और इन सबमें इतना जो फर्क आया है, उस फर्क का क्या कारण है, यह हमारी अर्थव्यवस्था का किस ओर जाने का संकेत करते हैं, यह समझने की बात है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि अब भारत सरकार के बजट का, राज्य के बजट का, देश के सभी हिस्सों के बजट का सब पर असर पड़ता है। हम एफ.डी.आई. के विरोध में थे। एफ.डी.आई., रिटेल एफ.डी.आई. सबके विरोध में थे, लेकिन जब हम राज में आये तो हमने यह समझा कि यह राज्य और राष्ट्र के लिये आवश्यक है तो हमने एफ.डी.आई. खोल दी। एफ.डी.आई. के बाद में एफ.डी.आई. का फोरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का राज्य को क्या लाभ मिला? अब तक राज्य में इतना कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, भारत में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? हमारा हिस्सा क्या है? मेरे पास जो रिपोर्ट है, उसमें तो है कि 'अमीरों भारत छोड़ो' एक तरह से आंदोलन चल रहा है देश में। अब Ease of doing business हम कर रहे हैं, हम रिसर्जेंट राजस्थान कर रहे हैं, या करें तो यह कारण क्या है कि 2017 में 7 हजार डालर मिलेनियर्स भारत छोड़कर चले गये। 2016 में 6 हजार और 2015 में 4 हजार और 17 हजार हैं जिन्होंने भारत छोड़ दिया इन दिनों में और इसी प्रकार से 6.5 करोड़ यानी 10 लाख डालर से भी कम पैसे की तादाद है तो यह बहुत लोग भारत छोड़कर चले गये और हमारे यहां जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी कोई गारण्टी नहीं है, यह किस कारण से हुआ? इसका असर राजस्थान पर कितना पड़ा, मैं यह बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जानना चाहता हूं।

इसके अलावा अब दो-तीन बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, चूंकि आपने आज कम समय में बोलने के लिए सबको कहा था, हमने सात मेडिकल कालेज बनाने की घोषणा की। उसका पैसा भी भारत सरकार से आ गया। हमारा भी है। उन सातों मेडिकल कालेजों का काम हमने कुछ भी नहीं किया। सातों मेडिकल कालेज चालू नहीं हुए। एक भी मेडिकल कालेज चालू नहीं हुआ। पचास लाख की आबादी पर एक सरकारी मेडिकल कालेज होगा। डाक्टर्स मिलेंगे नहीं सात मेडिकल कालेजों के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर्स की यह स्थिति है कि 10 लाख 60 हजार डाक्टर्स टोटल हिन्दुस्तान में हैं। उनमें से केवल एक लाख डाक्टर सरकारी सर्विसेज में हैं और उनमें से बहुत से डाक्टर भी वीआरएस लेकर छोड़कर जाना चाहते हैं। हमारी घोषणाओं के बावजूद भी डाक्टर्स हमारे पास आते नहीं हैं। चिकित्सा हमारा जो खास सब्जैक्ट है, उस चिकित्सा के अन्दर हम किस प्रकार की मदद कर पाएंगे। मेरे समझ से बाहर की बात है। इसलिए चिकित्सा का ढांचा डगमगा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

गया। राजेन्द्रजी, आपके छोड़ने के बाद में ज्यादा हुआ है। नहीं, डगमगा रहा है। मैं एक बात पूछ कर खतम करता हूं, हमने डाक्टर्स की सारी मांग स्वीकार कर ली। क्यों लड़ाई की डाक्टर्स से, और क्यों इतने लोगों को मरवाया? इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। डाक्टर्स भी जिम्मेदार नहीं, सरकार भी जिम्मेदार नहीं। मरने वाले ही जिम्मेदार हैं कि तुम इस समय बीमार पड़े क्यों और तुम मरे क्यों? जनकल्याणकारी सरकार है। हमको किसी न किसी जगह, इस प्रकार का ध्यान करना चाहिए था। अगर हम इस प्रकार का ध्यान नहीं करें तो फिर किस प्रकार की जनकल्याणकारी सरकार है। किसी न किसी की तो जिम्मेदारी फिक्स करनी पड़ेगी। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और आज तो हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास 160 लोग हैं। हमारा एक छत्र राज्य है। हम नहीं लेंगे लेकिन ये बातें एकुमुलेट होती हैं और ये बातें एकुमुलेट होकर जनता तक जाती हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम इस बात पर ध्यान दें।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में मैं ज्यादा लम्बी चौड़ी बात नहीं करना चाहूंगा लेकिन मुझे सबसे बड़ा दु:ख है, वह है 24 हजार विद्यालय बन्द कर देना। दूसरा बड़ा दु:ख है कि राजस्थान में छह लाख नामांकन कम हुए हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, सारगर्भित आंकड़ों की राजस्थान सरकार की किताब है, वह है, और माननीय मंत्रीजी ने यहां कहा कि 12 लाख बढ़ गये। इन दोनों मुद्दों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा और चिकित्सा दोनों मुद्दे इस प्रकार के हैं कि उनका अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारा काम नहीं चलेगा। एक छोटा सी बात मैं कहना चाहता हूं, कैसे बढ़ेंगे, स्वीकृत पद 70 हजार 598 पद रिक्त हैं और जितने रिटायर हुए हैं, उतने आदमियों को हमने भर्ती नहीं किया। तो शिक्षा और चिकित्सा दोनों हमारे इस प्रकार के काम हैं कि जिन कामों को हमको करना चाहिए था। हमें उन पर ध्यान देना पड़ेगा। लोक कल्याणकारी सरकार कभी इस बात के लिए मना नहीं कर सकती। स्कूल आर्थिक नहीं हों। कौनसा स्कूल आर्थिक और कौनसा स्कूल अनार्थिक।

रामेश्वरम् का छोटा सा तीर्थ स्थान है। वहां पर माननीय एपीजे, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जन्मे थे। पढ़ने के लिए स्कूल नहीं थी। एक पुजारियों की स्कूल थी। उसमें केवल पुजारियों के बच्चे ही पढ़ सकते थे। के. लक्ष्मणन एक पुजारी थे। उनके बच्चे के साथ एपीजे अब्दुल कलाम खेलते थे। एक बार भूल से वह उस लड़के साथ उस स्कूल में चले गये। उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है। मास्टर ने कान पकड़कर निकाल दिया उनको। अब्दुल कलाम,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तू पुजारी के लड़के के साथ बैठ गया। पिटाई भी की और बाहर भी निकाल दिया। दूसरे दिन से लक्ष्मणन का लड़का स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गया। तो लक्ष्मणन ने पूछा कि क्यों नहीं जा रहे हो। वह बोला जब तक मेरा दोस्त नहीं जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। पुजारी ने बड़ी मुश्किल से पुजारियों और स्कूल के मास्टर को तैयार किया और एपीजे अब्दुल कलाम को उनके बच्चे के साथ स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। बच्चे ऊपर बैठते थे और वह बच्चा नीचे बैठता था। उन्होंने लिखा है। फिर भी वह वहां पढ़े। वहां पढ़ने के बाद वे भारत के सर्वोच्च सिंहासन पर पहुंचे और भारत के महानतम वैज्ञानिक मिसाइल मैन के रूप में बने। अगर वहां पर लक्ष्मणन पुजारी यह कह देता कि तू तो मुसलमानों का लड़का है, पुजारियों के स्कूल में नहीं पढ़ेगा, तू कैसे पढ़ेगा। तो भारत का मिसाइलमैन बनता क्या?

उस गरीब की झौंपड़ियों के लिए स्कूलें जो हमने खोली थीं सर्व शिक्षा अभियान में, उन 24 हजार स्कूलों को बन्द करने का जिन्होंने पाप किया है, वह राजस्थान की जनता के साथ पाप है। एकीकरण कर रहे हैं, समानीकरण कर रहे हैं। कौन जानता है? चुनाव में जब हम जाएंगे, उस समय लोग हमको पूछ लेंगे कि आपने यह काम क्यों किया। क्यों की स्कूल्स बन्द? किसी ने आज तक स्कूल बन्द नहीं की। हमने स्कूलें खोली ही खोली हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज ज्यादा लम्बी बात नहीं करना चाहूंगा। मैंने बजट की कुछ प्रमुख बातें रखीं। चिकित्सा, शिक्षा और परिवहन की। यह हमारा मूलभूत काम है। मैं चाहूंगा कि लोक कल्याणकारी सरकार इससे मुंह नहीं मोड़ सकती कि हम शिक्षा के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, अब मैं एक बात कहकर समाप्त करता हूं, पेयजल की योजनाएं थीं, उनकी आवश्यकता है। आज राजस्थान में सबसे बड़ा संकट अगर है तो पेयजल की समस्या का संकट है। जितने प्रश्न लगते हैं, जितने जवाब आते हैं, माननीय मंत्री महोदय, अगर हम जब तक निदान नहीं कर पाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। राजस्थान तो हिन्दुस्तान का सबसे बढ़िया राज्य बन सकता है लेकिन पानी की कमी बहुत बड़ी कमी है। इस पानी की कमी के लिए हमको बहुत बड़ा अभियान चलाना चाहिए। जो घोषणाएं की गई हैं, वह सब स्वागत योग्य हैं।

37 हजार करोड़ की ईस्टर्न कैनाल की घोषणा है। ब्राह्मणी नदी का बीसलपुर से जोड़ने की घोषणा है। कालीसिंध और पार्वती के पानी को चम्बल में लाकर रामगढ़ तक पहुंचाने का, पांचना तक पहुंचाने का यह जो प्रोग्राम है,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

यह सब स्वागत योग्य है, पर इनके लिए वित्त पोषण और वित्त की व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि जवाब देते समय वह बताएं। कई बार माननीय उपाध्यक्ष महोदय से आसन से कहा है कि कई बार नोशनल व्यवस्था होती है। मान लिया। प्रतीकात्मक व्यवस्था के रूप में दस करोड़, पांच करोड़ रुपये आपने रखे होंगे लेकिन इसकी व्यापक वित्तीय प्रबन्धन की तो योजना होगी। हम विश्व बैंक से लेंगे या हम आईडीबीआई से लेंगे। हम किससे लेगें और किससे लेकर यह काम करेंगे। यह बातें आवश्यक हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एप्रोप्रिएशन बिल और वित्त विधेयक पर, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि सरकार लोक कल्याणकारी कामों से मुंह नहीं मोड़ सकती। यह सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सरकार को पूरा करना पड़ेगा और आज राजस्थान की जिस प्रकार की विषम स्थिति है, इतना बड़ा कर्जा है और लगातार हमारी व्यवस्था संतुलित नहीं है, उसको करने के लिए हमको प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे। चूंकि परिस्थितियां बदल गयीं। जीएसटी लग गया। सीएसएस खतम हो गया। योजना आयोग खतम हो गया। इन बदली हुई परिस्थितियों में नये समीकरण और नयी आर्थिक नीति लेकर हमको राजस्थान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक और राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2018 पर सदन में चर्चा हो रही है। अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर चर्चा करते समय काफी गम्भीरता से बजट पर अपनी बात कह रहे थे, राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में। बजट में योजनाएं हैं। प्रावधान क्या हैं। एक चुनौतीपूर्ण आर्थिक व्यवस्था का उन्होंने अपने उद्बोधन में जिक्र किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि अब केवल राजस्थान नहीं, तमाम प्रान्तों की अर्थव्यवस्था कर्ज आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में चल रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इस अवसर पर केवल इतना कहना चाहता हूं कि लम्बी यात्रा में राज्य अपनी आर्थिक स्थिति के उस मुकाम पर

(श्री प्रहलाद गुंजल)

आकर खड़े हो गये जहां इस राजस्थान के कल्याण के लिए हमें कर्ज आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ गया लेकिन हम यह भी चिन्तन करें कि यह जो कर्ज आधारित अर्थव्यवस्था के हालात राजस्थान में पैदा हुए यह अचानक अभी एक साल में पैदा नहीं हुए हैं, या अचानक इन तीन-चार सालों में पैदा नहीं हुए।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी लगातार दो बजट भाषणों में 2017-18, 2018-19 में अपनी चिंता व्यक्त की है कि राज्य का कर्जा लगातार बढ़ता चला जा रहा है और उन्होंने लगातार उस बजट में स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया कि उदय योजना को जोड़कर राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है और उदय योजना को हटा कर राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है। मैंने इस सदन में कहा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2014 में राज संभालने के बाद जो राज्य की मुख्य मंत्रीजी ने राज्य के सामने उपस्थित वित्तीय संकट का वर्णन इस विधान सभा में कहा तब मैंने बजट पर बोलते समय कहा था, अच्छा होता अशोक गहलोत जी बिजली कम्पनियों की वित्तीय स्थितियां क्या हैं और लगातार राज्य पर कर्ज का भार किस गति से बढ़ता चला जा रहा है, इस पर एक श्वेत पत्र जारी करते।

हम सब जानते हैं कर्ज आवश्यकता है विकास के लिए, लेकिन कर्ज किस रूप में? अभी सांगानेर से आने वाले माननीय वरिष्ठ सदस्य कह रहे थे परिसम्पत्तियां, इस पर भी कई चर्चा हुई है लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कर्ज लेकर सरकार का आचरण इस राजस्थान के इंट्रेस्ट में निवेशक का बने, इस राजस्थान के हित में एक उत्पादक का बने कि हम जो बजट इस राजस्थान की विधान सभा में पेश कर रहे हैं उस बजट को हम किस प्रकार से राजस्थान के इंट्रेस्ट में निवेश करके एक श्रेष्ठ उत्पादक की भूमिका, सरकार के इस रूप में आयें। अगर केवल हम एक साल, दो साल, तीन साल, पांच साल इस काम और क्रियाकलाप के लिए किसी सरकार को दोषी ठहराने की परम्परा के बाहर नहीं जाएंगे तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा चिन्तन पारदर्शी नहीं होगा।

हमें आज विचार करना पड़ेगा कि राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान में नदियां जोड़कर किसान और पेयजल की चुनौतियों से निपटने के लिए 37 हजार करोड़ की योजना बनायी है। कई लोगों ने सवाल खड़ा किया, कब पूरी होंगी, क्या बजट है? और मैंने बजट पर बोलते समय एक सवाल

(श्री प्रहलाद गुंजल)

किया था कि दूरदृष्टि से काम करने वाली कोई भी सरकार अपने बजट का लक्ष्य एक दिन का नहीं रखती, उसके बजट का लक्ष्य एक साल, पांच साल नहीं होता, उसके बजट के लक्ष्य में राजस्थान का एक सुनहरा भविष्य है, सैंकड़ों सालों होते हैं, हजारों साल होते हैं और अगर हम इस चिन्तन और मूल्यांकन के साथ काम करते, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो आज राजस्थान के ये हालात नहीं होते।

मैंने इस हाउस में पहले भी कई बार कहने का प्रयास किया है कि आजादी के 60 सालों में हम चार प्रकार की सामाजिक सेवाओं पर...।

मंत्री जी।

शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल और सड़क परिवहन और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम कर लेते तो आज राजस्थान का परिदृश्य अलग होता। पहली बार, 1947 से लगातार 1980-82 तक काम करने के बाद पहली बार इस मुल्क में, इस सदन में यही चर्चा होती रही लगातार कई वर्षों तक हमारी साक्षरता की दर क्या है, हमारी स्कूलों में प्रवेश की दर क्या है, ठहराव की दर क्या है लेकिन यह विचार नहीं आया कि हम साक्षरता की दर पर चर्चा कर रहे हैं, ठहराव और प्रवेश की दर पर चर्चा कर रहे हैं, सम्पूर्ण रूप से हमें एक-एक आदमी के दरवाजे तक एजुकेशन पहुंचाने की आवश्यकता है। मैं इस मौके पर सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य घनश्याम जी तिवाड़ी और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि जब आप राजस्थान के शिक्षा मंत्री थे, मैंने कल शिक्षा पर बोलते हुए कहा, तब मुख्य मंत्रीजी ने और आपने यह प्रयास किया कि राजस्थान के उस दूरस्थ गांव तक, मुझे याद है जब मैं रामगंजमण्डी से एम.एल.ए. था तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के सातधारा गांव में छठी क्लास की एक बच्ची थी जो पैदल चलकर 6 किलोमीटर कोलाना में जाती थी और मैंने आकर कहा है कि 6 किलोमीटर दूर एक बच्ची को शिक्षा प्राप्त करना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है और अगले दिन उस सातधारा के अन्दर आपने मिडिल स्कूल के आदेश जारी कर दिये थे। ये सरकार का नजरिया है। लेकिन कभी कांग्रेस की सरकारों ने इस दिशा में प्रयास नहीं किये।

मुझे याद है जब कभी भी चुनाव आते थे, कौन जिम्मेदार है, हम पांच साल की सरकार के चार साल के काम पर उंगलियां उठाकर हमारी जिम्मेदारी से और अपने मन में जो अपराध बोध है उससे बच नहीं सकते। मैं भी लगातार कई चुनावों से पार्टिसिपेशन कर रहा हूं, तीसरी बार विधान सभा

(श्री प्रहलाद गुंजल)

चुनाव लड़ा है, उससे पहले कार्यकर्ता के नाते काम किया है, मुझे एक चुनाव बता दीजिए जब राजस्थान की जनता के बीच में गये और आज भी वो हालात नहीं मिटे हैं। मेरे गांव में सीनियर सैकण्डरी स्कूल चाहिए, मेरे गांव में मिडिल स्कूल चाहिए, मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल चाहिए, मेरे गांव में सड़क चाहिए, पेयजल चाहिए, मेरे गांव के अन्दर सिंचाई का पानी चाहिए। और अगर 50 साल कमोबेश इस प्रदेश में राज करने वाली कांग्रेस सार्वजनिक रूप से इन बिंदुओं पर, इस विषय पर काम करती तो आज राजस्थान का परिदृश्य बदल गया होता। लगातार 50 सालों तक राजस्थान की उपेक्षा होती रही।

हम बजट पेश करते हैं, आज वित्त विधेयक पारित हो जाएगा। काफी विस्तार से सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य आदरणीय घनश्याम जी तिवाड़ी ने कहा है, अब इस वित्त विधेयक में, इस बजट में जो हम चर्चा कर रहे हैं, हमारा स्कोप सीमित हो गया। जी.एस.टी. लगने के बाद अब पैरामीटर्स बदल गये लेकिन., माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पैरामीटर तो बदल गये लेकिन जी.एस.टी. के बाद एक नये वातावरण का निर्माण हुआ है। लम्बे समय से एक राष्ट्र एक टैक्स की बात चल रही थी और उसके दुष्परिणाम क्या थे, मैं जानता हूं, अगर मैं कभी यहां जयपुर से दिल्ली के लिए जाता हूं तो जो टैक्स का अन्तर है उसके कारण अगर गाड़ी में डीजल भरवाना होता है तो मैं हरियाणा की सीमा में जाकर भरवाता हूं। टैक्स स्लैब में अन्तर है, वैट में अन्तर है और इस कारण से इस हिन्दुस्तान के कई प्रांत वहां की ब्यूरोक्रेसी के नाकारापन के कारण, वहां के काम के निठल्लेपन के कारण, वहां के टैक्स स्लैबों में अन्तर आने के कारण कई प्रांतों में समानान्तर भाव से, समान भाव से निवेश नहीं हो पा रहा था। आज इस एक टैक्स एक राष्ट्र होने के बाद अगर हमने ब्यूरोक्रेसी को ठीक तरीके से सिंगल विंडो पर काम करने के आचरण को धरातल पर उतार दिया तो एक नया वातावरण बनेगा। छोटे उद्योग पनपेंगे, बाहर का निवेश आयेगा, एक समरसता का माहौल पैदा हो गया। अनावश्यक रूप से देश में एक अदृश्य भय पैदा कर रखा है काल्पनिक रूप से, जी.एस.टी. ने व्यापार खतम कर दिया, जी.एस.टी. ने व्यापार खतम नहीं किया, जब इस मुल्क का व्यापारी जी.एस.टी. के मायने समझेगा, जी.एस.टी. ने मल्टीपल टैक्स खतम कर दिये, जी.एस.टी. ने टैक्स की लूट के नाम पर जो मैनुअल डीलिंग रोज अधिकारी और व्यापारी की हुआ करती थी, उसको खतम कर दिया। जी.एस.टी. ने कई सारे नवाचार ऐसे पैदा कर दिये

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जहां पर व्यापारी को संरक्षण मिलेगा और मैं समझता हूं इसके बाद एक वातावरण निश्चित रूप से राजस्थान को मिलेगा। लेकिन इस अवसर पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनट का समय दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भी हालात हैं, सबके लिए चिंता का विषय हैं। आपका संकेत मैं समझ गया हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: जी हां, आप बोलिए, but sum it up in five minutes.

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): पर मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि इन सब हालातों से हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा।

(15.00 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, ये चुनौतियां केवल एक व्यक्ति के सामने नहीं हैं। इस सदन में अगर हम लोग बैठे हैं तो ये चुनौतियां हम सबके सामने हैं और इस चुनौती से मिलकर लड़ने की जिम्मेदारी हम सब की है। जब तक हम यह सामूहिक सोच पैदा नहीं करेंगे, तब तक हम राजस्थान के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। राजस्थान में 5 साल में राज बदलने की परम्परा कायम हो गई, और माननीय सभापति महोदय, केवल इस परम्परा से कांग्रेस के लोग उत्साहित हैं।

राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने अभी कोटा में कहा कि विकास के लिए 5 साल पर्याप्त नहीं हैं। जो 40 साल, 50 साल का बिगड़ा हुआ ढर्रा है, उसे ठीक करके विकास की पटरी पर राजस्थान को लाने के लिए पर्याप्त समय चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लोग उत्साहित हैं। किस बात के लिए उत्साहित हैं? अगर हम इसी परम्परा पर राजस्थान को ले जाना चाहते हैं कि केवल 5 साल के राज से उकता कर जनता आपको वोट दे दे, तो फिर आपके सुखद भविष्य की कल्पना आप ही कर लीजिए।

1998 में आपका राज आया था, 2003 में आपका हश्र क्या हुआ? 2008 में आपका राज आया था, 2013 में आपका हश्र क्या हुआ? हम एक-दूसरे के हश्र पर टीका-टिप्पणी करके, आरोप-प्रत्यारोप लगाकर अपने आप को

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सही साबित करने का प्रयास करते रहें। लेकिन राजस्थान की जनता की अदालत में, उसके कठघरे में हम सब उस गुनाह के लिए जिम्मेदार हैं। अगर आप विरोध में बैठे हो तो जाओ उस पर कि जवाहर लाल नेहरू जब प्रधान मंत्री हुआ करते थे, वी. राजगोपालाचार्य ने अपने तर्क के आधार पर सदन में प्रस्ताव रखा, तांडव हो गया था। उन्होंने कहा, नेहरू जी, आपके पास बहुमत है, मेरे पास तर्क है। तर्क और बहुमत, इस प्रजातंत्र में दोनों की बराबर की वैल्यू है। हम किसी एक को भी माइनस करके नहीं आंक सकते। आप आओ अपने तर्कों के आधार पर, आप आओ अपनी नीतियों के आधार पर।

अगर विरोध करने का माद्दा है तो हिम्मत के साथ आइए, लेकिन केवल इसलिए कि हम सदन का समय विरोध के नाम पर जाया करते रहें और एक उम्मीद पालकर कि अब समय आ गया, 5 साल बाद राज बदलेगा, लेकिन अब राजस्थान की जनता की समझ में आ रहा है। त्रिपुरा का परिणाम आप देख लीजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): वहां मत जाओ, यहीं रहो।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): वो संकेत आपको बता रहे हैं और अब तीन के बाद अधजल गगरी छलकत जाय, भरी गगरिया चुप्पे जाय। आधी मटकी भरती है, वह छलकती है, उसका पानी काम नहीं आता। आप इंतजार कर लो थोड़े दिन और। उसका भी इलाज हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, अभी मुख्य मंत्रीजी ने किसानों की हालत, मैं तो और भी कुछ बोलना चाहता हूं, आपका प्रोटेक्शन चाहिए, जिस प्रकार का आंदोलन हो रहा है, कुछ बजट में ऋण माफी की घोषणाएं की हैं, मैं आज मुख्य मंत्रीजी से मांग करूंगा कि आपने को-आपरेटिव बैंक के उन किसानों का 50 हजार रुपए तक का ऋण माफ किया जो फसली ऋण लेते हैं। फसली ऋण शार्ट टर्म ऋण है। बहुत कम लोग लेते हैं, जो लेते हैं, उसको चुका देते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि ये जो को-आपरेटिव बैंक का फसली ऋण आपने माफ किया है, इसके साथ-साथ को-आपरेटिव बैंक और सहकारिता के क्षेत्र में भूमि विकास बैंक भी आते हैं, उसका किसानों का सम्पूर्ण ऋण माफ कर दें।

अब लघु सीमांत माननीय सभापति महोदय, कमाण्ड में सवा 6 बीघा, नान-कमाण्ड में 10 बीघा। सवा 6 और 10 बीघा नहीं, मैंने इस सदन में किसानों पर बोलते हुए कई बार कहा है कि जिस व्यक्ति के पास 100 बीघा जमीन है, अन-कमाण्ड एरिया है और उसके पड़ोस के किसी परिवार के 10

(श्री प्रहलाद गुंजल)

व्यक्ति नरेगा में डेली मजदूरी करने जाते हैं, एक साल का हिसाब अगर आप जोड़ेंगे तो 100 बीघा अन-कमाण्ड वाला नुकसान में रहेगा और नरेगा वाला फायदे में रहेगा, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आज मुख्य मंत्रीजी जब बजट पर फाइनेंस बिल और विनियोग विधेयक पर अपना जवाब देंगी तो निश्चित रूप से कम से कम 10 हैक्टेयर तक के अन-कमाण्ड एरिया, कमाण्ड को नहीं भी लें तो जो नान-कमाण्ड एरिया है, उस पर किसानों का सारा का सारा ऋण माफ करने की घोषणा करेंगी तो निश्चित रूप से, एक और बात माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं इस बात के ज्ञाता हैं कि अब स्कोप कहां नजर आ रहा है।

हमारे यहां से दिल्ली-मुंबई कोरिडोर निकल रहा है, उसमें कुछ रोजगार का, कुछ डवलपमेंट का स्कोप है, लेकिन सौभाग्य से गुजरात से बड़ा हिस्सा हमारे राजस्थान से निकल रहा है, लेकिन प्लान में अंतर है। गुजरात के जितने से हिस्से में निकल रहा है, उस हिस्से को गुजरात के महत्त्वपूर्ण जिलों से जोड़ने का उसी लेवल का उस डीएमसी कोरिडोर योजना में शामिल करा दिया। मैं आज अनुरोध करूंगा मुख्य मंत्रीजी इसके लिए केन्द्र सरकार से बात करे और बात करके कोटा, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, जो भी बड़े संभाग के हिस्से इस कोरिडोर से नहीं जुड़ रहे हैं, उनको उसी कोरिडोर योजना के अन्दर, उसी लेवल के पैरामीटर्स की सड़कें और मापदण्ड तय करके उस कोरिडोर से जोड़ने का प्रयास करें ताकि राजस्थान को इसका जो वाजिब लाभ मिलना चाहिए, वह लाभ मिले। अंत में मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा, माननीय सभापति महोदय,...

श्री सभापति: मैं भूल गया था मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करना, आप कर लो।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मैंने इस सदन में कहा,...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इतने इम्पोर्टेंट बिल पर चर्चा है, एक भी मंत्री यहां नहीं हैं। ये बैठे है छोटे,...

एक माननीय सदस्य: हम सब यहां बैठे हुए हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): डिपार्टमेंट है क्या आपके पास कोई?

श्री सभापति: कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग चल रही है और इधर अमराराम जी बैठे हुए हैं, 6 मंत्री बैठे हैं। आप तो अकेले ही बैठे हो।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मैंने इस सदन में कई बार कहा है माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में महाराव भीम सिंह चिकित्सालय बहुत पुराना अस्पताल है। मैंने इस सदन में पहले भी कहा है, लोग उसके लिए मन्नतें मांगते हैं। वह आस्था का केन्द्र बन गया है। उसने कृष्ण और सुदामा दोनों का इलाज किया है और इसीलिए आज वह राहत मांग रहा है। उसका डिमोशन नहीं, प्रमोशन होना चाहिए। वह 474 के अगेंस्ट 740 शय्याओं का भार वहन कर रहा है। उसे लीगलाइज किया जाए। 750 करो, 1000 करो, कुछ न कुछ आज बजट में, निश्चित जवाब पर मुझे मिलना चाहिए।

दूसरी मेरी बड़ी मांग, सौभाग्य से मैं कोटा शहर के जिस विधान सभा क्षेत्र के हिस्से से आता हूं, वह शहर का व्यापारिक सैंटर है। शहर ही नहीं, वह इस पूरी हाड़ौती का व्यापारिक सैंटर है, रामपुरा बजाज खाना और मेरा कोटा शहर तीन भागों में बंट गया- एक चंबल नदी के ऊपर का हिस्सा, एक रेलवे के उधर का हिस्सा और चंबल नदी के ऊपर के हिस्से में अब एक नया कोटा बस गया, उसको उस व्यापारिक सैंटर रामपुरा से जोड़ने के लिए कुन्हाड़ी से रामपुरा को चंबल पर एक ब्रिज की और आवश्यकता है। मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जब जवाब देंगी तो निश्चित रूप से कोटा को इस विषय में राहत जरूर मिलेगी। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री श्रवण कुमार जी।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): इनके सचेतक और नेता नहीं हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्या हो गया?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपके तो दोनों ही नहीं हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आ जाएंगे, सुनाने वाले हम, सुनने वाले आप हो।

श्री सभापति: ये हमेशा सचेत रहते हैं, चिंता मत करो। श्रवण हैं ये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज एप्रोप्रिएशन बिल और वित्त विधेयक पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, मैं एक कविता से शुरू कर रहा हूं।

श्री सभापति: करिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): और जहां घनश्याम जी जैसे शिक्षाविद बोल जाते हैं, वहां हम लोगों के पास बचा ही क्या है। जहां दादुर वक्ता भए, वहां हमें पूछत कौन। (व्यवधान)

श्री सभापति: उल्टा कर दिया ये आपने, 'दादुर वक्ता भए, हमको पूछे कौन' में तो आपने उल्टा काम कर दिया। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सुनो, इन्होंने क्या किया कि आपको बोलने ही नहीं दिया पूरे सदनकाल में। आज आपने सारी बातें बोल दीं तो अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हम तो एक कविता के रूप में शुरू करेंगे-

जहां जेल में बंद लुटेरे, जमकर मौज उड़ाते हों,
मुन्सिफ जहां गुनहगार के घर पर दावत खाते हों,
जहां न्याय अंधा होकर जालिम का देता साथ मिले,
जहां शहर की लूटपाट में कोतवाल का साथ मिले,
जहां एक फुटपाथी तक भी मंत्री पद पर जाता है,
एक अकेला फर्जी राजा करोड़ों रुपए खा जाता है,
जहां काश्मीर में जाने पर पाबंदी हो,
जहां तिरंगे झण्डे को फहराने पर पाबंदी हो,
जहां हमारे राष्ट्रगीत को गाने पर पाबंदी हो,
तो फिर एक भ्रष्ट व्यवस्था पर नहीं मंजूरी है,
एक जिंदगी आजादी को लड़ना बहुत जरूरी है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह कविता 2013 की लिखी हुई लगती है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इसे 2013 पर लागू कर दो, चाहे 2018 पर लागू कर दो आप।

लागू करने पर मैं कहीं शंका पैदा नहीं कर रहा हूं। लेकिन भारत का जब राज तय हुआ तब कहा कि हमारे पास, एनडीए सरकार के पास बहुमत नहीं था और बीजेपी केवल इस नाम पर लड़ती थी कि अगर बहुमत आ गया तो कश्मीर से धारा 370 हटा देंगे, मन्दिर वहीं बनेगा, भ्रष्टाचार खतम कर देंगे। तीनों बातें हुई क्या? अब त्रिपुरा में उधर कोई भोले लोगों ने राज हाथ में दे दिया जबकि 2 सीटें इनकी आई थीं और डर के मारे भाग गये तो कहते हैं कि त्रिपुरा को देखो पर आप तो राजस्थान को देखो। 33 सीट भी आ जाए तो

(श्री श्रवण कुमार)

मुझसे मिल जरूर लेना आप। यह बात मैंने कांग्रेस वालों को भी कही थी और आपको भी कह रहा हूं। (व्यवधान) मन नहीं बहला रहा हूं, मैं आपको हालात से अवगत करा रहा हूं। (व्यवधान) किस बात के सपने? मुझे देखते-देखते 35 साल हो गई। मेरे को देखते हुए 38 साल हो गई, बैठ जाओ आप।

(15.11 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

श्री हीरालाल (निवाई): तीन उप चुनाव जीत गये उसमें आपने यह देख लिया कि बहुत तीर मार लिया। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बैठ तो जाओ, आपका नाम आ गया।

श्री सभापति: हीरालाल जी, विराजें। विराजें-विराजें। श्रवण जी, आसन को सम्बोधित करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं सबसे पहले जल पर बोलूंगा। 'जल ही जीवन है', 'पानी गये न ऊबरे मोती मानुष चून', जहां पानी चला जाता है वहां कुछ नहीं बचता है। अभी 37 हजार करोड़ की योजना के बारे में माननीय सदस्य बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि राजस्थान में पानी की कोई कमी नहीं है। मैं आपको बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं कि पानी की जितनी समस्या आज के समय में है, आज के टाइम में है उतनी कहीं नहीं है। कुछ विधान सभा क्षेत्रों की तो मैं कह नहीं सकता बाकी मेरे विधान सभा क्षेत्र की स्थिति तो यह है कि आज लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और कई बार मैंने विनम्र शब्दों में निवेदन भी कर दिया पर कोई उसको सुनने वाला नहीं है। एक ही बात कहते हैं कि आपकी योजना, चम्बल योजना 6 हजार करोड़ रुपये की मंजूर हो रही है। मैंने कहा कि यह तो 2013 में भी बातें हो रही थीं, 2012 में भी यहीं बात करते थे, 2018 में भी मैं यह सुन रहा हूं और 2019 में भी यही सुनूंगा पर इसकी कम्प्लायंस कब होगी? पानी सुबह, शाम, दोपहर, रात सब टाइम पर चाहिए और पानी की बड़ी विकट समस्या है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पानी की जो अव्यवस्थित व्यवस्था है इसको सुचारु रूप से चालू किया जाए।

आज राजस्थान में जनता जल योजना से पानी चालू था उसका जिम्मा पंचायतों को दे दिया। पंचायतों में उसके बिल के पैसे भेज देते हैं पर पंचायतों के सरपंच उससे सड़क बना देते हैं और उनका कनेक्शन कट जाता है। मंत्रीजी को शायद इन बातों का ध्यान नहीं होगा पर मैं बताना चाहता हूं कि पंचायतों में जो पैसा भेजा जाता है उसका 33 प्रतिशत दुरुपयोग हो रहा है।

(श्री श्रवण कुमार)
कनेक्शन कट जाने के बाद में जब पीएचईडी में जाते हैं तो वो कहते हैं कि पैसा जमा नहीं हुआ होगा तब कट गया होगा। आज स्थिति यह है कि कम से कम 20 प्रतिशत कुएं बन्द पड़े हैं, पीएचईडी के जे.ईएन., ए.ईएन. को यह भी मालूम नहीं कि आपका कौनसा कुआं बन्द पड़ा है और बिल जमा हो रहा है। क्यों भडाना साहब, गलत तो नहीं कह रहा हूं? 33 प्रतिशत बिल फर्जीवाड़े से जमा हो रहे हैं और जिन कम्पनियों को सामान का ठेका दिया जाता है वो सामान इतना घटिया स्तर का होता है कि लगाने के 10 दिन बाद ही मोटर खराब हो जाती है, पाइपों में जंग आ जाता है। इस कमीशन की प्रक्रिया ने इतना बुरा हाल कर दिया कि कोई भी आदमी सुखी नहीं रह सकता। चाहे राम आए, चाहे रावण आए, सीता की तो अग्नि परीक्षा होनी ही है और यह जनता तो सीता है। कौरव आए, चाहे पाण्डव आए, द्रोपदी का चीरहरण होना है और यह जनता तो द्रोपदी है। मैं यह नहीं कहता कि इधर से हो या उधर से हो, यह कमीशन की प्रक्रिया चल रही है।

श्री हीरालाल (निवाई): इतिहास की बात बता रहे हो आप तो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इतिहास की नहीं बता रहा हूं, मैं तो भ्रष्टाचार की बात बता रहा हूं। भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर है कि पीएचईडी में कमीशन है, पीडब्ल्यूडी में कमीशन है, जो भी डिपार्टमेंट हैं चाहे आपका आंगनबाड़ी हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, कमीशन है। सरेआम, अफसरों को मालूम है, अधिकारियों को मालूम है, नेताओं को मालूम है पर मंत्र जब सही नहीं होगा तो तंत्र ठीक नहीं हो सकता। अभी यह मंत्र ही ठीक नहीं है तो तंत्र ठीक कैसे हो सकता है। मंत्र को मालूम है, मंत्री को मालूम है कि मेरे डिपार्टमेंट में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है तो मैं केवल सुझाव दे रहा हूं। 'पीर पर्वत से भारी हो गई, एक और गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए।' मेरा मकसद हंगामा मचाना नहीं है, मेरा मकसद इस व्यवस्था को ठीक करने से है। आपको मैं पीएचईडी की हालत से अवगत कराना चाह रहा हूं। (व्यवधान) निकल गई न, 163 का मैण्डेट दिया न।

अब गृह मंत्रालय, कानून व्यवस्था के बारे में जो सबसे जरूरी है और मैं यह बात मानने को तैयार हूं कि पुलिस का काम बढ़ा है। चाहे कहीं अव्यवस्था हो, चाहे कोई मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो तो पुलिस की व्यवस्था जरूरी है पर पुलिस का जो संख्या बल है वो घटा है। 2 साल पहले वैकेंसी निकाली थी कि 5 हजार आदमी लेंगे पर आज तक तो उसकी

(श्री श्रवण कुमार)

परीक्षा ही नहीं हुई। फिर आपका राज चला जाएगा, फिर कांग्रेस वाले कहेंगे कि हम लेंगे तो कब लेंगे। अव्यवस्था तो दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, चोरी, लूटपाट, डाका, सब बढ़ते जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको अवगत कराऊंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज से 15 दिन पहले एक सोनी जी अपनी दुकान शाम को 5 बजे बन्द करके घर जा रहे थे तो तीन लुटेरों ने राइफल के बल पर उसका सारा सोना-चांदी, दस किलो चांदी, आधा किलो सोना और सारे जेवरात लूटकर ले गये। 15 दिन से वो बेचारा गली-गली, थाने-थाने में, एस.पी. के पास, सब जगह गुहार करता फिर रहा है पर आप विश्वास करिये कि उसकी कोई सुन ही नहीं रहा है। थानेदार की घरवाली एक्सपायर हो गई, बड़े दु:ख की बात है और वो चला गया। अब वो कहते हैं कि वो आएगा जब बात करेंगे। अब उसकी धर्मपत्नी एक्सपायर हो गई तो मान लो वो एक महीने नहीं आए तो एक महीने में तो चोर पक्के गायब हो जाएंगे इसलिए व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने गुलाब चन्द जी कटारिया को जब 1990 में देखा, 1993 में देखा तो मैं सोचता था कि ये बड़े उदार दिल के आदमी हैं पर जब गृह मंत्रालय इनके हाथ में दे दिया तो उदारता खतम हो गई, सब आदेश भूल गये और केवल बैठकर बातें करने लग गये कि पुलिस का बल काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? जिस व्यक्ति के हाथ से करोड़ों रुपये का माल चला जाए, दिन-दहाड़े डाका पड़ जाए और उसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं हो तो इससे बड़ी बेदर्द बात और क्या हो सकती है। मैं कोई टीका-टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कि कांग्रेस ने क्या किया, बी.जे.पी. ने क्या किया, यह मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय यह है कि सुधार कैसे हो, इस सात करोड़ जनता का भला कैसे हो, गरीब की बात कैसे सुनी जाए, गरीब के साथ अन्याय से न्याय कैसे बदली जाए, गरीब व्यक्ति को व्यवस्था में कैसे सम्मिलित किया जाए, यह मेरी भावना है। बीजेपी ने कुछ किया तो 35 आ गए थे, कांग्रेस ने कुछ किया तो 21 आ गए थे। यह हमारा काम नहीं है, यह जनता अपने आप फैसला करती है। मैं तो यह कहता हूं कि 'तकलीफें जिन्हें सहने की आदत नहीं, तूफानों से उसको टकराने की जरूरत नहीं, जो लोग जिया करते हैं दूसरों के सहारे, उन्हें जमाने की जरूरत नहीं।' जमाना स्वयं पैदा करेगा और जमाने में सम्मिलित होकर चलेगा। आज कोई किसी के सहारे से जीत जाएगा, बीजेपी मोदी के नाम पर आ गई, मोदी के नाम पर कई एमएलए जीत गये और अब वो कहते हैं कि हम पक्के हो गये। मोदी जी ठण्डे हो गये हैं, पक्के नहीं हुए हो। अपनी ताकत पर आए हो तो पक्के हो जाओगे।

(श्री श्रवण कुमार)

जनता ने क्या बोला है, उसकी कौन सुनता है। 70 प्रतिशत को गांवों की झोपड़ी में आप छोड़कर आये थे जहां बल्ब की जगह दीपक टिमटिमा रहा है और आज भी लोग दीये से पढ़ रहे हैं। उनको लोगों को आप छोड़कर आये थे। आपने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय योजना को लागू कर दिया और घर-घर में बिजली हो जाएगी। पर दीनदयाल उपाध्याय योजना में बिजली की समस्या को आपने देखा क्या कि क्या है? खम्भा तो दे दिया पर डोरी नहीं देंगे। कितनी ही दूर होगी पर उसका खम्भा दूसरा नहीं देंगे, जहां ट्रांसफार्मर लगेगा उसी से घर तक आपको डोरी ले जानी पड़ेगी और डोरी की लम्बाई 300 मीटर है तो भी जमीन पर पड़ी रहेगी तथा कोई काट देगा तो भी कोई चिंता नहीं है। व्यवस्थित ढंग से अगर कनेक्शन देना था तो खम्भा भी लगाना चाहिए था। पर लम्बी लाइन के ऊपर, पड़ी है जमीन पर नीचे। छीजत कितनी होगी, कोई चिंता नहीं है। दीनदयाल की हमने पूरी कर दी। दीनदयाल को तुम, बड़े आदमी को कहां लेकर खड़ा कर दिया? उसका नाम और बदनाम कर दिया। आप देखना, बिजली की हालत यह है कितनी छीजत होती है और वीसीआर का नाम तो आप लोगों ने इतना पक्का कर दिया कि गरीब व्यक्ति जी नहीं सकता। सुबह से शाम तक चार जेईएन, पांच एईएन, छह एक्सईएन गली-गली घूम रहे हैं। अगर कोई गरीब आदमी के एक बल्ब भी है तो 22,000, 35,000, 50,000 रुपये की वीसीआर भरेगा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आपने ही लागू किया था उसको।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमने लागू नहीं किया, हमने 2,000 दिये थे। हमने 2,000 का किया था।

श्री हीरालाल (निवाई): बिजली के मामले में मोलासर में क्या हुआ था? पूर्व मुख्य मंत्रीजी चप्पलें ही छोड़कर भग गये। मोलासर की बात है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इनको मंत्री बनाना है। आज मुख्य मंत्रीजी को कहूंगा कि ये बहुत बेताब हैं।

श्री हीरालाल (निवाई): क्या हुआ बिजली के मामले में? बिजली की बात कर रहे हो। मैं बिजली की ही बता रहा हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एक मंत्री की कमी है, अभी 29 ही बने हैं। आपको भी बनवाएंगे।

श्री हीरालाल (निवाई): पूर्व मुख्य मंत्रीजी चप्पलें छोड़कर भाग गये और कलेक्टर, एस.पी. पीछे-पीछे भगे चप्पलें ले जाओ।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एक मंत्री की कमी है, आपको बनवा देंगे।

श्री हीरालाल (निवाई): मैं बिजली की बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ये साहब मेरे से सीनियर आदमी हैं, मुझे बताएंगे ये।

श्री सभापति: मैंने आपको निवेदन किया था, आप आसन को सम्बोधित करेंगे। इधर-उधर नहीं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं क्या करूं, ये बताओ, ये मेरे से सीनियर आदमी हैं।

श्री हीरालाल (निवाई): बिजली की बात बता रहा हूं। बिजली पर वक्तव्य दो आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ये एक बार जीत जाते हैं, चार बार हार जाते हैं, फिर आकर हमें ज्ञान देना शुरू कर देते हैं।

श्री सभापति: आप तो आसन को सम्बोधित करो। अपना वक्तव्य दो, बस।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): बिल पर बोलो आप तो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं यह कहना चाह रहा था। यही तो मैं बोल रहा हूं। मेरे बिल पर ये बोल रहे हैं। मेरे सहयोगी हैं।

मैं यह कह रहा हूं, बिजली की बात जहां आती है। यह महत्वपूर्ण विषय है बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं मानव की। इनके ऊपर मैं प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहा हूं। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि बिजली आप लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय योजना में लागू की पर उसका स्वरूप नहीं बदला। आपने केवल लम्बी लाइन दे दी। उसके घर तक लाइन जाएगी। कौन ले जाएगा? कब उसकी लाइन को ऊपर से कोई काट देगा? फिर दुबारा केबल लेकर आओ। मैं यह कहना चाहता हूं कि उसका स्वरूप बदलो। मंत्रीजी हैं ही नहीं। उसका स्वरूप बदलना चाहिए और उसके बाद में यह लगना चाहिए कि मेरे घर में लाइट हुई है। पीछे से तार हिल रहा है, ट्रांसफार्मर से 200 मीटर की डोरी है, वह स्वयं गरीब आदमी लेकर आएगा, वह लगाएगा, उसके बाद जलेगी। बिजली के डिपार्टमेंट के पास घाटे की बहुत बड़ी लम्बी लिस्ट है। कहते हैं, बिजली तो घाटे का सौदा है पर बिजली मंत्रीजी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कभी आडिट की क्या? फीडर सुधार कार्यक्रम में जो तार हटाये थे, वह तार कहां गये? आपने मीटर हटाये थे, वह मीटर

(श्री श्रवण कुमार)

कहां गये? आप कितने खम्भे लेकर आये, उसका अकाउंट है क्या आपके पास? आपके खम्भों को लोग तोड़-तोड़कर खेतों में बाड़ कर रहे हैं। आपके खम्भों से लोग रोड पर ब्रेकर बना रहे हैं। आपके खम्भे को डालकर लोग छत के ऊपर बीम बना रहे हैं। आपका कोई अकाउंट नहीं है। इतना बुरा हाल बिजली का, जिसका कोई एकाउंट नहीं। जिसकी कभी आडिट नहीं हुई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। 33 प्रतिशत का कमीशन चाहिए। कौन ले रहा है? अधिकारी हट गया, फिर भी कहते हैं कि उसी अधिकारी को रखेंगे क्योंकि उसकी पहले से जानकारी है न बड़ी कम्पनियों से। मैं चाहूंगा कि इसका आडिट हो। इसका पूरा एक पैरा है कि हमने पूरे पांच साल में इतने खम्भे खरीदे थे, इतने तार खरीदे हैं, इतने मीटर खरीदे हैं। क्यों राठौड़ साहब, गलत तो नहीं है? हां नहीं भरोगे तो कोई नहीं हटायेगा आपको। कोई हटाने वाला नहीं है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप बहुत अच्छे सुझाव दे रहे हैं। आपके सुझावों का तो स्वागत है लेकिन आडिट होती है, यह मैं बताना चाहता हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): तो कहां है वह? कभी पेश किया क्या? सदन में आई क्या? कितनी छीजत हुई है? आपको मालूम है, लाइनें इतनी ढीली पड़ी है जो नीचे आदमी के छू जाती हैं। बिजली का तार ढीला होगा तो छीजत नहीं बढ़ेगी क्या? केवल एक किसान के खम्भे के ऊपर एक तार लगाकर उसका एक बल्ब जल रहा है, उसके 50,000 रुपये की वीसीआर भर देते हो। कम्पनियों में 100-100 किलोवाट की मशीनें चल रही हैं, 500-500 किलोवाट की मशीनें चल रही हैं, उनका कभी वीसीआर भरा क्या? आपका एईएन मिला हुआ है, आपका जेईएन मिला हुआ है, आपका एक्सईएन मिला हुआ है, आपका चीफ इंजीनियर मिला हुआ है। मैं ईमानदारी से दावे के साथ कह सकता हूं कि बड़ी फैक्ट्रीज में कभी घुसकर नहीं देखा होगा और बड़ी फैक्ट्री वालों ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि कोई एईएन, जेईएन बाहर से आएगा तो पहले ही घंटी बज जाएगी। हालात इस तरह के खराब होने से यह कोई राजस्थान की जनता के ऊपर प्रतिबंध नहीं कर रहा हूं मैं। पर मैं यह कह रहा हूं कि बड़ी फैक्ट्रीज में जहां चोरी हो रही है और गरीब को तंग किया जा रहा है, उस पर तो कहीं राइडर लगाओ।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्या हो गया?

श्री सभापति: घड़ी चल रही है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बोलने तो नहीं दिया, बोलने नहीं दे रहे हो।

श्री सभापति: बोलो बोलो। समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, सड़कों की बात है। मैं सड़क डिपार्टमेंट को बहुत धन्यवाद दूंगा कि युनुस खान जी के आने के बाद में राजस्थान में सड़क युग बना दिया। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है चाहे गांव की झोंपड़ी में गरीब आदमी रहता है। गांवों में, दूर-दराज में वहां भी सड़क बनी है और सड़कों का सुधार भी हुआ है लेकिन इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में सुधार नहीं हुआ है। आज सड़क बनाई है, छह महीने बाद सड़क टूट गई। (व्यवधान) मैं वही बात कर रहा हूं जो है।

श्री सभापति: आप उनकी बात पर क्यों काग्नीजेंस ले रहे हैं?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह बात सही है कि इनकी नहीं टूटती होगी, मैं इन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा पर मैं आपको ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि आज सड़क बनाई और छह महीने में उसकी कंक्रीट उड़ गई। क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर है और यह क्यों हुआ कि वहां का जेईएन का सोच ठीक नहीं है, वहां का एईएन का सोच ठीक नहीं है, एक्सईएन का सोच ठीक नहीं है कि मेरा देश, मेरा प्रदेश किस तरह किन हालात में गुजर रहा है और वही सड़क हमारे राजस्थान सीमा से जाते हैं हरियाणा सीमा जाती है, हरियाणा की सड़कें दस साल तक नहीं टूटती और राजस्थान की सड़कें दो साल में टूट जाती हैं। इसमें सोच करने की जरूरत है। कोई यह बात नहीं है कि डिस्कस करके अपन उसको खतम कर देंगे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि गांव की सड़क के पास में... (व्यवधान)

श्री सभापति: बात नहीं करें। कृपया बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं यह कहना चाह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, सड़कों की बात यह है, सड़कों के किनारे पर... आप तो प्रदेश के आदमी हो, कोई बाहर से नहीं आये हो, आप हमारे में से ही हो। सड़क के किनारे पर गंदगी डाल रखी है, कूड़ा डाल रखा है और कूड़ी लगाकर सड़क को रोक रखा है। किसी एईएन ने, जेईएन ने जाकर किसी को यह नहीं कहा कि आप इस कूड़े को हटाओ और सड़क का जो अतिक्रमण है, उसको हटाओ। एक्सीडेंट हो जाते हैं। गांव का कोई भी आदमी पानी डाल देता है मैन

(श्री श्रवण कुमार)

सड़क पर और सड़कों पर खड्डे पड़ जाते हैं। लाखों रुपयों का नुकसान हो जाता है। एक जेईएन जाकर कभी किसी मालिक को यह नहीं कहता कि तेरा पानी रोड पर नहीं आना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें सुधार करना पड़ेगा। सड़क आपने बना दी और बनाने के बाद में उसकी रखवाली कौन करेगा? उसकी रक्षा करना आपका काम बनता है। आपके जेईएन का, एईएन का काम है।

आपने आबकारी को देखा होगा। आबकारी के ठेके छूटते हैं और उसके बाद में आपके थानेदार और सी.आई. के संरक्षण में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, मजरे-मजरे में ठेके लग जाते हैं जबकि लिमिटेड पंचायतें हैं, जहां ठेका खुलेगा। केवल अपना पेट भरने के लिए, जनता को गुमराह करते हैं और हर गांव में ठेके खुल जाते हैं। मुझे मालूम नहीं है कि सभापति महोदय साहब के वहां खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं पर मैं जहां से आता हूं, हरियाणा बोर्डर से लगते हुए क्षेत्र से आता हूं, इतना ठेका है कि गांव की ढाणी, छोटी सी मजरा भी है, वहां भी ठेका है और सब बता भी दिया है। थानेदार को पांच-सात हजार रुपये पहुंच जाते हैं, सी.आई. को दस हजार रुपये पहुंच जाते हैं। इनकी केवल पेट भराई के लिए, गरीब आदमी झोपड़ी का दारू पीना सीख जाता है और उसका घर बर्बाद हो जाता है। बच्चे बेघर हो जाते हैं और उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। बार-बार कहने के बाद में भी एस.पी. को कहेंगे तो भी मानेगा, चाहे कलक्टर को कहेंगे तो कहेगा कि मैं क्या करूंगा। गांव-गांव में जहां ठेकों की परमिशन नहीं है, वहां भी ठेके खुले हुए हैं।

श्री हीरालाल (निवाई): कहां है? एप्रोप्रिएशन में यह कहां है?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एप्रोप्रिएशन बिल में सब जगह बोल सकते हैं। (व्यवधान) एक मिनट तो साहब की मेहरबानी होगी तब तक बोल रहा हूं।

कल शिक्षा के ऊपर बात हो रही थी कि हमने प्रमोशन कर दिये। शिक्षा का बहुत बड़ा विस्तार कर दिया। लेकिन यह मालूम नहीं है कि 25,000 स्कूलें आपने बंद कर दीं। यह आपके मैन्डेट में था क्या? सुराज संकल्प में यही था क्या कि स्कूल बंद करेंगे? उसके बाद में आज जिन स्कूलों में बच्चे हैं वहां कमरे नहीं हैं और जिन स्कूलों में कमरे हैं, उनमें बच्चे नहीं हैं।

(श्री श्रवण कुमार)

मास्टर्स की 70,000 की वैकेंसी, अभी माननीय घनश्यामजी बता रहे थे, 70,000 वैकेंसी तो आपने जो स्वीकृत हैं, वही नहीं लिये अभी तक। उसके बाद में आपने कहा कि हमने प्रमोशन बहुत ज्यादा कर दिये। क्या प्रमोशन कर दिया? एक सिपाही के इन्क्रीमेंट लगने के बाद वह मुंशी के बराबर पहुंच जाता है और उसके बाद कहते हैं कि हमने प्रमोशन कर दिया तुम्हारा मुंशी में, मत करो न। सिपाही रह जाऊंगा, पैसा तो वही मिलेगा। आपने थर्ड ग्रेड को सैकण्ड ग्रेड में कर दिया। उसके इन्क्रीमेंट लगकर उसकी पे तो बराबर ही हो रही थी। प्रमोशन तो आपने इसलिए कर दिये कि आपके पास अध्यापक ही नहीं थे। 25,000 अध्यापक रिटायर हुए, वह कहां आपको मर्ज करना था। यह आपकी गलती नहीं है, आपकी मजबूरियों की गलती है। एक काम राजस्थान में पूरा स्वरूप किया नहीं, उसके बाद में दुनिया भर की वाहवाही लूटते हो और आप लोगों को इस बात की ग्लानि नहीं होती है क्या कि तुम भ्रष्ट आदमी को भी प्रोत्साहित कर रहे हो? गलत बोलकर तुम जी राज़ी करते हो। मुख्य मंत्रीजी ने यह किया, मुख्य मंत्रीजी ने यह किया। मुख्य मंत्रीजी ने क्या किया? मैं यह कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय... आप कहें तो मैं बैठ जाऊं? क्योंकि ये मुख्य मंत्रीजी की बात तो सुनना ही नहीं चाहते। सबको बड़ा भारी पड़ जाता है। आप डरो मत, हिम्मत रखो। आपकी हिम्मत काम आएगी क्षेत्र में जाकर। कोई मुख्य मंत्री नहीं जिताता है। कोई मंत्री नहीं जिताता है। ये मंत्री भी चार ही जीतकर आएगे। 29 में से चार, बाकी 25 तो घर बैठेंगे। हालात बता रहा हूं आपको। यह हालात राजस्थान की धरती पर इस समय है। मेरा एक्सपेरिएंस 38 साल का है। मैं जनता में रहा हूं। मुझे सारा मालूम है। जनता उसी को चाहती है, जो जनता की सेवा करता है। उसके बाद दुबारा कहते हो, दुबारा आ गए, दुबारा तो हालात नहीं राजस्थान की भोली जनता है, ये क्या करेगी। अब इस तरह के हालात को देखकर के आपने यह सोच लिया कि राजस्थान में दुबारा बीजेपी का राज, त्रिपुरा में राज हुआ है, नागालैण्ड में हुआ है, तकलीफ हमको दे रहे हैं कि हमारा राज आ गया। तुम्हारा कहां आ गया, त्रिपुरावालों का आ गया, कांग्रेस 20-25 साल से राज कर रही थी, लोग तंग आये हुए थे। आपसे भी तंग आ गए 5 साल में, 20 साल में उनसे नहीं आएंगे क्या ? बंगाल में तंग आ गए थे, 33 साल में। राज नहीं आया क्या ? हालात बदलते हैं, उसके साथ राज बदल जाता है।

(श्री श्रवण कुमार)

ये पंचायती राज के मंत्री आ गए। मैं इनको बताना चाहता हूं पंचायती राज की हालात, जब 1995 के बाद माननीय सभापति महोदय, जब से एक बदलाव लागू किया है उसके बाद में सरपंच की कोई नीयत नहीं रही कि मैं सही काम करुं।

मैं सिर्फ सरपंच था तब के हालात और आज के हालात बताना चाहता हूं आज सरपंच को मालूम है कि तेरा अगली साल पता नहीं ओबीसी आएगी, एससी, एसटी आएगी। हमारे मागडो गांव की हालात बता रहा हूं आपको, सरपंच के। साढ़े 44 लाख रुपये का गबन कर लिया, हमने उसकी जब....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप लिखकर दो, जांच करवा लेंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): वो तो हम, राजेन्द्र जी आप और हम साथ-साथ के ही हैं, बराबर एक ही दुकान में चल रहे हैं। मैं 9 महीने डिफीट हुआ था, आप डिफीट नहीं हुए, बाकी आपके हालात ये कागज, ये आपके फर्राटा, ये आपके जांच कर लेंगे, दोषी को छोड़ेंगे नहीं, दोषी को बख्शेंगे नहीं। ये आपकी तकिया कलाम भाषा है Which I know very well but what can I do आप मंत्री बन गये। मैं बन नहीं पाया, राजस्थान में नहीं हरियाणा में दो बहन-भाई कुवारा हा, बहन को ब्याह होगो, शादी भी कर दी, भाई कुंवारो रहग्यो, बहन आई बोली रामधनिया कुंवारा ही हांड है के, बोल्यो बहन थारी बिद बैठ गई, म्यारी बैठी कोनी।

आपकी अच्छी बिद बैठी हुई है। अब मैं बड़ा खुश हूं कि आप मंत्री हो, इस डिपार्टमेन्ट के हालात बता रहा हूं, साढे 44 लाख रुपये खा गया। जब मैंने आरटीआई के तहत नकल निकलवाई। तो, नकल में लेट कर दी, चार महीने और इतने दिनों में उस सरपंच ने धीरे-धीरे काम करवा लिया। उसके बाद मैंने कलेक्टर को कहा कलेक्टर साहब, जो व्यक्ति चोरी कर लेता है, चोरी करके भाग जाता है और रास्ते में अगर पुलिस पकड़ लेती है तो वो चोर ही कहलाता है। उन्होंने कहा.. प्लीज दो मिनट, आज ही मौका मिला है मेरे को तो, माननीय सभापति महोदय।

मैं यह कहना चाहता हूं चोर पकड़ा ही गया और उसके बाद भी उसका आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे विनती करता हूं कि पंचायत राज के मामले में आपका बड़ा एक्सपीरियन्स है। आप पुराने मंत्री हो, पुराने खिलाड़ी हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप जांच करवाइये और जांच के बाद पूरी

(श्री श्रवण कुमार)

बात का ब्यौरा लीजिए और उसके बाद में उस पर कार्यवाही करिए। अगर, आप एक व्यक्ति पर भी कार्यवाही, पूरे राजस्थान में कितनी चोरियां पकड़ी गईं, एक सरपंच का इन्होंने कहा, उम्र का तकाजा आ जाएगा, उसको नहीं बख्शेंगे, बच्चों का काम आ जाएगा, उसको नहीं बख्शेंगे, बच्चे तीन-तीन हुए, शिक्षा जिसके नाम से नहीं, मुश्किल से कोई कोर्ट ने अगर डिसमिस कर दिया हो तो मेहरबानी है कोर्ट की, आप लोगों ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिए, मैं कहता हूं राम तेरी गंगा मैली पिक्चर वाली बात लागू हो जाएगी, राम तैरी गंगा मैली पिक्चर में एक अंधा आदमी लड़कियों को गलत रास्ता दिखा रहा था, लड़कियों ने रूक कर कहा ऐ बाबा तुम जैसे बूढ़े आदमी अगर इस तरह करने लग जाए तो लोग अन्धों पर विश्वास करना बन्द कर देंगे।

इसलिए, मैं कहना चाहता हूं मंत्रीजी, आप पर भरोसा है आप हनुमान जी थे, थोड़ी देर पहले वो कह भी रहे थे चितौड़ से आने वाले सदस्य पर हनुमान जी की पता नहीं कहां से छाती फट गई या हवा निकल गई। इस राज में आने के बाद तो मैंने आपको हनुमान जी से दूर देखा है।

मैं इसको कहना चाहता कि आप जांच करवाइए और जांच में जो व्यक्ति दोषी पाया जाए, उस पर विदाउट हैजिटेशन आप उस पर कार्यवाही करिए। आपका नाम ऊंचा होगा, प्रदेश की जनता आपको स्वाभाविक रूप से देखेगी। मैं कहना चाहता हूं...

श्री हीरालाल (निवाई): हनुमान जी तो ऐसे हैं भूत-प्रेत के संकटों का विमोचन करते हैं।

श्री सभापति: आप विराजे, माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आंगनबाड़ी केन्द्रों की हालत यह है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में सामान आता है बच्चे 4, सामान आता है 40 आदमियों का। 4 बच्चें कहां आंगनबाड़ी, कहां जाएगी, जब बच्चे ही 4 हैं तो आंगनबाड़ी तो नाम रख दिया। 61 हजार कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: पूरी करने दो, जिस जमाने की भी पूरी करने दो। आप पूरा करें अपना व्यक्तव्य।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ये क्या कहना चाहते हैं? इनकी बात पूछो पहले।

श्री सभापति: आप आसन को सम्बोधित करें।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैं यह पूछ रहा था कि किस जमाने की बात कर रहे हो? यूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं मार्च 2018 की बात कर रहा हूं, आज 6 मार्च की बात कर रहा हूं। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि भ्रष्टाचार पर राइडर लगाने के लिए मैं सब लोगों को कहता हूं चाहे कांग्रेस वाले हों, मैं कांग्रेस में तब राजेन्द्र जी बीजेपी में यहां बैठते थे और इनकी सीट ये थी।

मैं मानता हूं कि ये लैटर दिखाते थे, मैं उस समय भी कांग्रेस को भी कहता था राजेन्द्र जी अपनी आत्मा से बताओ, आप। कहता था न, आज हमारी शिक्षा की बात लीजिए, शिक्षा मंत्रीजी बात कर रहे हैं।

दुनियाभर के स्वाइन फ्लू से लोग मर गये, घनश्याम जी ने बता भी दिया डाक्टरों ने हड़ताल कर दी, कोई राइडर नहीं था, जांच करवाई नहीं और मर गये जो मर गये, गलती मरने वालों की हुई, हड़ताल क्यों हुई थी, मांगें पूरी कर दी।

आज मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताना चाहूंगा हंसने वाली बात है, राजेन्द्र जी सुनना ध्यान से मेरी सीएचसी में डाक्टर को डिप्टी सीएमएचओ का चार्ज देने के लिए कलेक्टर ने कहा, डाक्टर साहब आपके यहां सीएचसी में चार्ज नहीं है आप चार्ज लीजिए। कलेक्टर को क्या रिप्लाई देता है, मैं इस्तीफा तो दे सकता हूं पर चार्ज नहीं लूंगा। तो कलेक्टर साहब मेरे को क्या कहते हैं, क्या करें वो चार्ज ही नहीं ले रहा, उसने तो मना कर दिया और इस्तीफा देने को तैयार हो गया।

मैंने कहा एक-दो का लेकर तो देखो न इस्तीफा, मैंने कहा झौला मास्टर रोड पर घूम रहे हैं, और दवाई दे रहे हैं लाल-हरे पत्ते वाली। लोगों के गुर्दे खराब कर रहे हैं और इनका कोई नियंत्रण नहीं है।

रात को 11 बजे मैं एक दिन हास्पिटल चला गया, दो नर्स बैठी थीं, सीएचसी जैसे वीआईपी पैलेस पर जाकर देखा तो दो नर्से बैठी थीं, मैंने कहा आप कैसे, ड्यूटी है हमारी तो डाक्टर की कोई ड्यूटी नहीं, डाक्टर कहते हैं रात को हम तो नहीं आएंगे। कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई प्रक्रिया सही नहीं और रात को गांवों में चले जाओ, आप पीएचसी में दिन में चले जाओ, 4 बजे बाद में डाक्टर ग्राम से शहर में चला गया।

आज तक 67 साल के बाद किसी भी डाक्टर को, पटवारी को, नर्स को किसी को भी आपने सुनिश्चित किया कि आप भी राजेन्द्र जी मंत्री रहे हो और भी मंत्री आपके कालीचरण जी भी, पहले यहां भी मंत्री रहे हैं, इधर भी

(श्री श्रवण कुमार)

मंत्री रहे है आपने सुनिश्चित किया कि डाक्टर रात को हास्पिटल में रहेगा, किया क्या? नहीं किया। सुबह डाक्टर आता है 2 बजे चला जाता है। उसके बाद कोई मरे कोई जिये, रात को अगर किसी की जनता, दुःखी आदमी बीमार हो गया, या किसी डिलेवरी केस हो गया तो बुढ़िया रात को सर्दी में ठुठराती हुई जाएगी और डाक्टर के दरवाजे पर प्राइवेट के आधे घन्टा, दो घंटा बैठी रहेगी, डाक्टर की जब नींद खुलेगी तब बाहर आएगा, ये क्या है।

देश के आजादी के 67 साल बाद गरीब का बेटा दवाई नहीं ले सकता, गरीब व्यक्ति अपनी सरकार की उपभोक्ताओं का फायदा नहीं ले सकता, इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है। उससे बड़ी हमारे लिए बेशर्मी की बात क्या हो सकती है। हम 67 साल के बाद में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हम चाहते हैं कि इस पर राइडर लगे और जनता की सुविधाओं के ऊपर कुछ करने के लिए उनको पाबन्द किया जाए। पटवारी नहीं आपके राज में, एसडीएम कोर्ट खाली पड़े हैं, तहसील खाली पड़ी है, पटवारी नहीं है...

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): .. किस पर राज कर रहे हो...

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हास्पिटल को पीपीपी मोड पर दे दिया, स्कूल जो अच्छी चल रही है, उनको पीपीपी मोड पर दे दिया, किस पर राज करोगे। पुलिस को भी पीपीपी मोड पर दे दो फिर कहां जाओगे, पंचायती राज को पीपीपी मोड पर दे दो, पीएचईडी को पीपीपी मोड पर दे दो, ये पीपीपी मोड खतम करिए, जनता की सुविधाओं का ध्यान रखिए और गरीब जनता, जो आप छोड़कर आए थे 7 करोड़ आदमी गांव की झौपड़ियों उनका ध्यान दीजिए और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य डा. फूल चन्द जी भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय जी, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक दोनों पर सामूहिक चर्चा हो रही है। वित्त विधेयक, जो अर्थ संकल्प होता है, उसका अन्तिम चरण होता है। और, उसमें ये देखने का अवसर मिलता है कि हमने जो पिछला बजट पास किया था और जो अधिकार दिया था शासन को उसकी परिणति कहां तक हुई।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

आजकल वैलफेयर स्टेट की बात होती है और वैलफेयर स्टेट की जब हम बात करते हैं तो टैक्स के हिसाब से जब सोचते हैं तो टैक्स जो आया है उससे सोशल एडवांटेज हो, वो भी मैक्सिमम हो, और सैक्रिफाइज मिनिमम हो। आज जो वित्त विधेयक है, इसमें अतिरिक्त टैक्स जीरो है। इस कारण से सैक्रिफाइज तो जीरो है और जहां तक सोशल एडवांटेज की स्थिति है, उसमें दो उदाहरण देना चाहूंगा क्योंकि सृजनात्मक जो विकास है, इंफ्रास्ट्रेक्चर डवलपमेंट है। उसमें सड़क, ऊर्जा, शिक्षा, चिकित्सा ये चीजें आती हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय।

श्री सभापति: पहले प्लीज, बीच में नहीं, बीच में नहीं। पहले विराजें आप। व्यक्तव्य आप ...(व्यवधान) मैं आपको परमिशन दे दूंगा न, विराजें आप।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): ... सड़कों के मामले में माननीय अटल जी ने प्रधान मंत्री सड़क योजना दी ओर उसके कारण से राजस्थान में लाखों किलोमीटर सड़कें बन गई।

और वर्तमान सरकार ने माननीय वसुन्धरा जी ने गौरवपथ का कंसेप्ट दिया इस कारण से प्रत्येक गांव में अच्छी सड़क पहुंच गयी। यह संरचनात्मक विकास का एक बहुत-बड़ा उदाहरण है। कई बार हमारे प्रतिपक्ष के बन्धु कहते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सड़कों के बारे में मैं दिग्दर्शन कराऊं, 2009 से 2014 तक 7316 किलोमीटर सड़क बनी और अब जो चार साल हुए हैं उसमें 31004 किलोमीटर। नेशनल हाईवे, केन्द्र में सरकार रही दस साल तक मनमोहन सिंह जी की, 1645 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना, लेकिन पिछले तीन साल में नेशनल हाईवे बन गये 1902 किलोमीटर और अभी जो घोषणा करके गये हैं माननीय प्रधान मंत्रीजी वो अलग है। इसी प्रकार से विद्युत उत्पादन की जब बात करते हैं तो 1999 से 2003 में कांग्रेस का शासन था उस समय 1578 मेगावाट बिजली पैदा हुई। 2008 में हम थे तो 1887, उनका 1578 हमारा 1887 मेगावाट। 2009 से 2013 में फिर आ गये। उन्होंने 5300 मेगावाट और हमने 7216 चार साल में बना दी। इस कारण से जहां तक संरचनात्मक विकास का विषय है उसमें हम चार विषयों में पंचायत तक पहुंच गये। शिक्षा का माध्यमिक जो स्तर है सीनियर सैकण्डरी स्कूल प्रत्येक पंचायत तक पहुंच गये। गौरवपथ के मामले में पहुंच गये। पशुपालन जो बोलता नहीं है जीव है उसकी चिकित्सा के लिए पहुंच गये और लगभग जो

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं कहीं पीएचसी है वो आबादी के हिसाब से लेकिन सभी पंचायतों में यह स्थिति है और ऊर्जा के मामले में हमारे प्रधान मंत्रीजी ने इस साल घोषणा की है मार्च तक देश के सभी गांवों में बिजली हो जाएगी इस कारण से पांच विषय ऐसे हैं संरचनात्मक दृष्टि से जो सोशल के भी आते हैं और रिकार्ड के भी आते हैं इनमें हम वहां तक पहुंच गये।

जहां तक राजस्व प्राप्ति की स्थिति है मैं दो-दो साल का ही उदाहरण दूंगा 2012-13 और 2013-14 में 9 परसेंट कर में वृद्धि जो केन्द्र में मिलता है उसका हिस्सा और अनुदान भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा 7 हजार के लगभग था 8 हजार 700 करोड़ रुपये मिले, लेकिन 2014 के बाद चूंकि उस समय मनमोहन सिंह जी थे प्रधान मंत्री, हम 2014 के बाद आये तो ऐतिहासिक वृद्धि 124 परसेंट जो अनुदान मिला हमें भारत सरकार से इनके टाइम में 8744 करोड़ रुपये मिले थे हमें अंतिम वर्ष में 2013-14 में उसके अगले वर्ष में जब मोदी जी आ गये तो सीधा 19607 करोड़ रुपये 124 परसेंट की वृद्धि हुई। यह एक राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं मैं, क्योंकि जो फाइनेंस है उसमें भी 2014-15 में चूंकि 2014 तक वो थे मनमोहन सिंह जी इस कारण से 6 परसेंट वृद्धि हुई, लेकिन 2015-16 और 2016-17 में 40 परसेंट, 20 परसेंट की वृद्धि जो करों का वितरण हुआ उसमें भी हमें प्राप्त हुआ। जहां तक कर राजस्व की स्थिति है हमने कितना कलेक्ट किया उसके हिसाब से जब करते हैं तो कांग्रेस शासन के दो वर्षों में केवल 9 परसेंट की वृद्धि हुई, लेकिन अगले तीन वर्षों में 32 परसेंट के लगभग वृद्धि हुई यह एक अच्छा सूचक है कि कलेक्शन के बिना सरकार नहीं चला सकते।

करारोपण का जहां तक सवाल है अभी मैंने कहा कि जो मिनिमम सेक्रीफाइस की बात आती है जब टैक्स प्रणाली की बात होती है तो उस सेक्रीफाइस में इस साल हमने यह लगाया ही नहीं यह टैक्स जीरो किया है उलटा 650 करोड़ की रियायतें दी हैं और रियायतें भी ऐसे दी हैं जैसे किसान का सिंचाई का बकाया है उसका ब्याज और पेनल्टी माफ। जल प्रभार जो सामान्य तौर पर पीने का पानी होता है उस पर माफ। आवासन मण्डल का माफ। लीज मनी जो-जो भी जिस-जिस स्तर पर है चाहे नगरपालिका है, नगर निगम है जिस-जिस की है वो भी माफ। ये इस प्रकार के कदम हैं जिनके आधार पर वास्तव में जनता को सीधा लाभ होता है। जहां तक राज्य अर्थव्यवस्था का मामला है उसमें एग्रीकल्चर पर आश्रित थे हम। लगातार देश

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

भर में एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो कम हो रहा है राज्य में भी हो रहा है। 2011-12 की जब हम बात करते हैं उस 2017-18 की जब बात करते हैं तो 28.56 परसेंट एग्रीकल्चर का शेयर था जबकि उसमें केन्द्र का 18.53 योगदान है। केन्द्र का एग्रीकल्चर का योगदान 18.53 परसेंट था वो 16.50 के लगभग आ गया।

उद्योग का, यह निराशाजनक स्थिति है कि इस देश के उद्योगों पर करोड़ों-करोड़ों रुपये राजस्थान में भी एक लाख तीस हजार करोड़ के लगभग पब्लिक सेक्टर में पैसा लगा हुआ है, लेकिन उसके रिटर्न की जब हम बात करते हैं, टर्न ओवर की बात करते हैं तो निराशा हाथ लगती है। माइनस में जाता है मामला, लेकिन लगातार सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है। सेवा क्षेत्र की स्थिति ऐसी है कि इसमें भी हम केवल सर्विसेज को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उसका जो रिटर्न है या दूसरे शब्दों में कहें कि जो कर्मचारी हैं जो अधिकारी हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी और रेस्पोंसिबिलिटी तय ही नहीं है। सेवाक्षेत्र बढ़ रहा है लगातार, लेकिन उसके कारण से जो रिटर्न मिलना चाहिए अर्थव्यवस्था को वो कम अनुपात में मिल रहा है इस पर चिन्ता की जानी चाहिए।

जहां तक राज्य घरेलू उत्पाद का सवाल है डोमेस्टिक प्रोडक्ट का उसमें पिछले दो वर्ष में औसतन 10.67 जो करंट मूल्यों पर जब हम आते हैं तो 10.67 है और अगर स्थिर मूल्यों को लेते हैं तो 7 परसेंट। यह भी अच्छा सूचक है इसलिए अच्छा सूचक है क्योंकि केन्द्र की जो हमारे देश की ग्रोथ रेट है वो 5-6 परसेंट के लगभग पिछले दो-तीन साल में रही इस कारण से उसको देखते हुए 7.16 परसेंट ग्रोथ है तो वो अच्छा सूचक माना जाता है। इसी प्रकार से जो टैक्स कलेक्शन है, एक विषय उठता है कि आपने लोन लिया। अभी लोन की बात बार-बार उठ रही थी उसमें घाटे से जब कनेक्ट करते हैं तो यह भी अच्छा सूचक है कि कुल जो 2016-17 में 16 परसेंट के लगभग हमारा कुल राजस्व घाटा था उसको हम 14 परसेंट पर ले आये 2 परसेंट का उसमें भी इजाफा किया है, हालांकि वो अभी-भी माइनस बिन्दु पर है।

इसी प्रकार से जो कुल दायित्व हैं हमारे उनमें भी मामूली कमी की है हमने। दायित्व अगर कम होते हैं तो इसका मतलब लोन कम होता है, भार कम होता है। इसी प्रकार से राजस्व घाटे का टोटल एक्सपंडीचर में जो परसेंटेज है उसको भी हम घटाने में सक्षम हुए हैं और पूंजीगत व्यय जो पिछले वर्ष 36 परसेंट के लगभग था उसको हम 77 परसेंट पर ले जा पाये हैं।

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

यह अच्छा सूचक है इकोनोमी के लिए कि जितना एक्सपंडीचर बढ़ेगा उतना ही लाभ होगा। इसी प्रकार से ब्याज को भी जो टोटल शेयर था उसमें 16.21 परसेंट जो ब्याज का शेयर था वो 14 परसेंट पर आ गया। इसी प्रकार से राजस्व व्यय में ब्याज का जो शेयर था वो भी 14 परसेंट से 12 परसेंट पर आ गया। ये ऐसे सूचक हैं जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि इकोनोमी में थोड़ा करंट है और वो इसके बावजूद है जब टैक्स प्रणाली में बहुत-बड़ा परिवर्तन किया गया है।

इसी प्रकार से योजना भिन्न व्यय, जब हम पिछले शासन की और इस शासन की तुलना करते हैं तो कभी-भी आयोजना व्यय जो था उसमें 36 परसेंट से ज्यादा की वृद्धि नहीं रही, लेकिन पिछले तीन वर्षों में 39 परसेंट, 54 परसेंट और 49 परसेंट, यह अच्छा संकेत है इकोनोमी के लिए। इकोनोमी को बूस्ट अप करने के लिए फाइनेंस ज्यादा मिल रहा है एक अच्छा सूचक इसको मैं मानता हूं।

इसी प्रकार से केन्द्रीय करों में वृद्धि पिछले तीन वर्ष में बीस परसेंट, दस परसेंट, सोलह परसेंट इस प्रकार का रहा है, लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि जीएसटी के बाद क्या स्थिति है, जीएसटी का परिणाम जुलाई के बाद शुरू हुआ है और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते कि इस देश में जीएसटी नयी दिशा देगी और जो सिस्टम है, क्योंकि जब सुनते हैं पहले कहते थे क्या करना है टैक्स का। अब कहते हैं टैक्स तो देना ही चाहिये। पहले कहते थे कि टैक्स देना पड़ रहा है। अब कह रहे हैं कि टैक्स तो देना ही चाहिए। यह एक बिन्दु जो बदला है भावना जो बदली है देश के व्यक्ति की उसके कारण से देश को निश्चित तौर पर लाभ होगा यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

गैर राजस्व में जो वृद्धि है वो वास्तव में चिन्ताजनक है इसको तो जितना कम रखा जाए उतना ही ठीक रहता है। अब एक बिन्दु है, फिक्स एसेट्स की बात करते हैं पूंजी निर्माण की बात हम करते हैं तो इस मामले में एक चिन्ता का विषय है कि सार्वजनिक क्षेत्र का जो स्थाई पूंजी निर्माण है, यह पिछले वर्षों में 153 परसेंट बढ़ा है लेकिन निजी क्षेत्र का 31 परसेंट बढ़ा है, यह बहुत चिंता जनक स्थिति है। इसका मतलब देश का जो निजी क्षेत्र है वह स्थाई पूंजी निर्माण में वृद्धि करने में क्यों विश्वास नहीं कर रहा है, क्या कारण है, इस पर चिंता की जानी चाहिये। पब्लिक सैक्टर की जो कास्ट है,

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

कास्ट आफ रिटर्न है, या यूं कहें इनपुट आउटपुट एनेलेसिस जब निकालते हैं तो निश्चित तौर पर सरकारी क्षेत्र में ज्यादा पैसे में कम पैसे पैदा होते हैं और प्राइवेट सैक्टर में कम पैसे में ज्यादा पैसे पैदा होते हैं। इस कारण से इसको दूसरे रूप में कहें कि स्थाई पूंजी निर्माण की रेट में हमारा पब्लिक सैक्टर आगे है, इस पर भी चिंता की जानी चाहिये।

एक विषय आजकल चला है मानव विकास का, मानव विकास में 5-6 बिन्दु आते हैं कि जीवन स्तर कैसा है, जेंडर समानता है या नहीं, ज्ञान कैसा है, सम्मानजनक जीवन स्तर है या नहीं, राजनीतिक सामुदायिक सहभागिता कैसी है, पर्यावरण की सहनशीलता कैसी है और मानव शिक्षा कैसी है। इन इंडीकेटर्स को जब लेते हैं तो 2001 से लेकर 2008 तक का आंकड़ा उपलब्ध है, उस समय तो भारत सरकार का 21 परसेंट था और हम पीछे थे। लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि हम सभी क्षेत्रों में इस दृष्टि से आगे बढ़े हैं और मानव इंडेक्स की जब अगली रिपोर्ट आएगी तो निश्चित तौर पर हम आगे होंगे।

कुछ चिंताएं हैं जो मैं इस अवसर पर व्यक्त करना चाहता हूं। पहली चिंता तो यह है कि जो आयोजना भिन्न व्यय है, इसमें जो वृद्धि हो रही है वह चिंताजनक है, इतना रिटर्न नहीं होता। दूसरी चिंता यह है कि सरकार के टैक्स और उनकी वसूली, पिछले 10 से भी ज्यादा के ऐसे प्रकरण हैं, जिनकी वसूली नहीं हुई, ऐसे करीब 1100 करोड़ रुपये हैं, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। जो 10 साल से कम की वसूलियां हैं, मांग निर्धारित हो गई, ऐसी स्थिति है 11440 करोड़ की, यह चिंताजनक है, यह वसूली की जानी चाहिये। अर्थव्यवस्था को उसके कारण जो बूस्टअप मिलेगा और जो लोन लेकर हम काम करते हैं, उसके आधार पर यह तो हमारा पैसा है, निर्धारित है। चाहे वह खनन में किया हो, चाहे और कोई टैक्स हो, लेकिन उन्होंने सुविधाएं भोगीं और हम उसको रिकवर नहीं कर पाये, यह मैं हमारे प्रशासन की फैल्योर भी मानता हूं और शासन की फैल्योर भी मानता हूं, इसके बारे में कुछ न कुछ किया जाना चाहिये।

इसी प्रकार से मैं एक उदाहरण दूंगा पर्यावरण उपकरण लगाया गया। उसमें 295 करोड़ रुपये इकट्ठे हुए लेकिन नियमों के अभाव में एक पैसा खर्च नहीं हुआ। यह कितनी चिंताजनक बात है। मनुष्य जीवन के बारे में हम पर्यावरण की बात करते हैं लेकिन पैसा इकट्ठा हो जाए, जनता से टैक्स आ जाए और उसके बाद वह खर्च नहीं किया जाए, केवल नियमों के कारण से। मैं

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

पिछले सदन में बोला था कि संस्कृत डिपार्टमेंट के प्रमोशन इसलिए नहीं हुए क्योंकि 18 साल से प्रिंसिपल व हैडमास्टर के नियम ही नहीं थे, ऐसी स्थिति है।

इसी प्रकार से राजस्थान की सड़कों के आधुनिकरण पर हमने काम किया है। 249 से लेकर 499 तक की जनसंख्या को आधार बनाकर किया। उसकी जो एजी की रिपोर्ट है, उसमें काफी टिप्पणियां की गई हैं। यह भी टिप्पणी की गई कि जमीन नहीं थी फिर भी आदेश दे दिये। सरकार के नियम नहीं थे फिर भी आदेश दे दिये। टेंडर नहीं हुए फिर भी आदेश दे दिये। इस प्रकार की जो टिप्पणियां होती हैं, वह वास्तव में चिंताजनक है। इस सदन में इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये कि जनता का पैसा और इस प्रकार से उसकी अवहेलना हो, केवल इस आधार पर कि अधिकारी रिटायर हो गया, टेंडर वाला चला गया, ऐसे-ऐसे उदाहरण आते हैं। टेंडर होने के बाद भी 52 महीने तक आर्डर नहीं दिया गया, ऐसे-ऐसे उदाहरण आते हैं। इस प्रकार के जो लेकूना हैं, इन पर चिंता की जानी चाहिये।

इसी प्रकार से एक उदाहरण आया कि 2012-13 से लेकर 2016-17 तक पर्यावरण की शुद्धिकरण के लिये जो निधि उपलब्ध थी, उसमें से 62 परसेंट से लेकर 74 परसेंट तक खर्च ही नहीं हुआ। हम एक तरफ तो पैसे की कमी की बात करते हैं और एक तरफ इस प्रकार की स्थिति आती है। एक विभाग में तो ऐसा हुआ कि इन्कम टैक्स वालों ने कहा कि आपके पास यह इन्कम है, टैक्स दो, चार साल से उसको खर्च नहीं किया, इस कारण से 12 करोड़ रुपये टैक्स देना पड़ा।

इसी प्रकार से एक चिंता का विषय राजस्थान का पब्लिक सैक्टर है। मैं आपको प्रतिफल के रूप में कहूं 2012-13 में माइनस 16 परसेंट टर्नओवर था, 2013-14 में वह घटकर माइनस 7 परसेंट हो गया, 2014-15 में वह माइनस 11 परसेंट हो गया, 2015-16 में जरूर हम उसमें एक परसेंट पोजिटिव रिटर्न प्राप्त कर पाये और पिछले वर्ष तक 11 परसेंट के लगभग रिटर्न। अब 1 लाख 30 हजार करोड़ से भी ज्यादा राजस्थान के पब्लिक सैक्टर में हमारी पूंजी लगी हुई है। उसमें तीन चार को छोड़ दें तो ज्यादातर वर्किंग कर रहे हैं लेकिन उस वर्किंग में किस प्रकार की वर्किंग है। अभी एक माननीय सदस्य ने भी उठाया था, कहा गया आडिट होती है लेकिन परफोरमेंस आडिट होती है क्या? जिस समय बिजली की कंपनियां बनाई गई, माननीय

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

भैरोंसिंह जी ने पूछा कि आप कंपनियां क्यों बना रहे हो, बोर्ड है न, तो सदन के नेता अशोक गहलोत जी ने यह कहा कि तीन हजार करोड़ के घाटे को सहन नहीं कर सकता इसलिए कंपनी बना रहा हूं और 77 हजार करोड़ रुपये का घाटा देकर वह हो गया लेकिन 14 साल तक परफोरमेंस आडिट नहीं हुई। 2012-13 की एक दिन की घटना बता रहा हूं, 20 रुपये की रेट से बिजली खरीदी और शाम को 9 रुपये में बेच दी। यह कौनसा सिस्टम है? अभी यह आरोप लगा सामान उतरा गया, 2008 से एफआरबी चल रही है, उसके बाद करोडों करोडों का सामान कहां गया? (व्यवधान) आपने किसानों का इतना ही पाप नहीं किया, जिसको हमने ठीक किया है, आप तो किसान के एक हार्स पावर पर 2000 रुपये लगाते थे, वीसीआर आपने तय की, जिसको हमने 7 परसेंट पर ला छोड़ दी....

श्री सभापति: डाक्टर साहब, आप आसन को संबोधित करो। आप प्लीज, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): इसी प्रकार से हमने पब्लिक सैक्टर के टर्नओवर को भी काफी ठीक किया है। (व्यवधान) आप सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, 2012-13 में जितनी कैपिटल थी उसके हिसाब से 6.78 परसेंट था, जिसको हम बढ़ाते-बढ़ाते 8.29 तक ले आये, यह पब्लिक सैक्टर में सुधार की मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं, ऐसा मेरा मानना है।

सामान्य तौर पर एक बात कही जाती है कि आपने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, मैं आपको एक दो उदाहरण देना चाहूंगा। पब्लिक सैक्टर में नियोजित पूंजी 35 हजार करोड़ थी, अब 63 हजार करोड़ से भी ज्यादा हो गई। लेकिन जब टर्नओवर की बात करते हैं तो टर्नओवर की स्थिति वैसी की वैसी है। इसके लिये कोई कह नहीं सकता इस देश में समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे ऐसा कांग्रेस का 1956 का प्रस्ताव है, उसके बाद इस पूरे देश को 1992 तक राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण में धकेलते रहे और उसका दुष्परिणाम है कि आज सारे पब्लिक सैक्टर घाटे में चल रहे हैं। वह तो 1992 में इनके ही पूर्वज नरसिम्हा राव जी आ गये जिन्होंने थोड़ा उदारीकरण किया। जिसके लिये भी कहा गया कि उदारीकरण कर दिया, उदारीकरण कर दिया। उसके भी दुष्परिणाम आये, यह तो अच्छा हुआ कि अटल जी आ गये, इस कारण से देश में आज दिखने लगा है। सर्व शिक्षा के कमरे दिल्ली से दिखते

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

हैं, बिजली के पोल दिल्ली से दिखते हैं। अभी दीनदयाल उपाध्याय की बात आई थी, अभी हमें 2800 करोड़ रुपये एफआरबी करने के लिये प्रधान मंत्रीजी ने दिये हैं। मेरी खुद की विधान सभा में 23 करोड़ रुपये मिले हैं। कभी मिला था क्या दिल्ली से पैसा? स्वच्छता के लिये 12-12 हजार रुपये केन्द्र से दे रहे हैं, उनका विषय नहीं, नगर पालिका और पंचायतों का विषय है, उसमें भी पैसा मिल रहा है। इतना ही नहीं, आगे स्वच्छता कौन रखेगा, उसके लिये भी केन्द्र सरकार पैसा दे रही है, पहले कभी नहीं हुआ। सड़कों के लिये पैसा दे रही है, बिजली के लिये पैसा दे रही है, गैस के लिये पैसा दे रही है, सब कामों के लिये दे रही है। इस कारण से आज की जो स्थिति है उसमें हमारे वित्त विधेयक में थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये, क्योंकि वित्त विधेयक ही एक ऐसा विषय रहता है जिसमें हमें परफेक्टिली मूल्यांकन करना चाहिये और पर्याप्त मूल्यांकन करना चाहिये। जैसा मैंने तीन साल पहले बोला था कि बिजली का 7 रुपये 70 पैसे तो ब्याज और उस समय गहलोत साहब जब थे तो 13 पैसे पर आ गया था। 7 रुपये 70 पैसे ब्याज की अदायगी और 13 पैसा, 40 पैसे हमने 2008 में प्राप्त किये थे और वह 13 पैसे छोड़कर गये हैं, अब वापस हम 23 पैसे तक ले जा पाये, इसको मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं।

(16.00 बजे)

मैं मेरे क्षेत्र की एक-दो बातें और निवेदन करूंगा, अभी मुख्य मंत्रीजी आएंगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो ब्लाक हैं। दोनों में सरकारी कालेज नहीं है, दोनों में सी.एच.सी. मापदंड के अनुसार नहीं है, दोनों में आई.टी.आई. नहीं हैं। ऐसे ही दो कस्बें हैं, पावटा व प्रागपुरा एक किलोमीटर के अन्दर। वहां नगरपालिका नहीं है। इस कारण मैं आपके माध्यम से सदन की नेता से आग्रह करूंगा कि कई विभाग ऐसे हैं, जिनका बजट का पूरा खर्चा नहीं होता है। हम टैक्स वसूलते हैं, इस पर मानिटरिंग ज्यादा की जानी है, जिससे जनता का पैसा समय पर लग जाए, समय पर परियोजना सफल हो जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, एक मिनट। आपने कहा था कि टाइम दोगे। एक मिनट।

श्री सभापति: हां, बोलो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं यह कह रहा हूं कि आज राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य मुझे घूर-घूर कर देख रहे थे, मुझे लग रहा है कि इनके पास पिस्टल है।

श्री सभापति: विराजें। माननीय सदस्य, श्री मानिक चन्द जी सुराना।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): साहब, अब आप क्लियर तो कराओ, चैक तो कराओ, सी.एम. का भाषण होने वाला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपकी रक्षा के लिये मैं बैठा हूं, आप चिंता मत करो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप कौनसी करोगे, यह मैं जानता हूं।

एक माननीय सदस्य: भूत मारने के लिये लाये होंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, जिनसे किसी की जान को खतरा हो सकता है, वे कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): फिर राजेंद्र जी कह रहे हैं कि मैं आपकी सुरक्षा करुंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): और बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बैठा दिया।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): बेनीवाल जी की जान तो घर पर है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय जी, वित्त विधेयक व विनियोग विधेयक पर चर्चा है।

श्री सभापति: माननीय सुराना जी, आप एक मिनट विराजें। माननीय कालू लाल जी।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्र.सं. 40)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 40वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक

(श्री कालूलाल गुर्जर)

06 मार्च, 2018 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि शुक्रवार, दिनांक 09 मार्च, 2018 को सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया जाए:-

गुरुवार, दिनांक 08 मार्च, 2018	बैठक नहीं होगी।
शुक्रवार, दिनांक 09 मार्च, 2018	1. दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018; 2. राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018; 3. श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) विधेयक, 2018; 4. राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018; एवं 5. राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018; - पर विचार एवं पारण।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 40वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 40वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गयी।

माननीय मानिक चन्द जी सुराना।

(श्री सभापति)

विधेयक पर विचार

राजस्थान वित्त विधेयक, 2018 व

राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2018

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर अनेक माननीय सदस्यों ने बड़े विस्तार से अपने विचार व्यक्त किये हैं।

(16.04 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

खासतौर से सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, जयपुर (विद्याधर नगर) से आने वाले माननीय सदस्य, कोटा (उत्तर) से आने वाले माननीय सदस्य और झुंझुनू से आने वाले श्रवण कुमार जी ने बहुत विस्तार से विश्लेषण किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2013-14 में राजस्थान की राजस्व प्राप्तियां 74470 करोड़ थीं और राजस्व खर्च 75509 करोड़ था। आज जो राजस्थान के 2014-15, 2015-16, 2016-17 के जो आंकड़े सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन के सामने रखे हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। 2018-19 में हमारी राजस्व आय 1 लाख 51 हजार 663 करोड़ रुपये और हमारा राजस्व व्यय 1 लाख 69 हजार 118 करोड़ था। 2013-14 की राजस्व आमदनी, प्राप्तियां दुगनी हो गयीं और हमारा खर्च दुगने से भी ज्यादा हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सिर्फ आमदनी ही दुगनी हुई है। जो हमारा राजस्व घाटा था, जो कि प्रस्तावित था। 2014-15 में 4219 करोड़ का, 2015-16 में 5231 करोड़ का, 2016-17 में 17838 करोड़ का, 2017-18 में 20165 करोड़ का और 2018-19 में 17464 करोड़ का प्रस्तावित है। पांच साल में 64907 करोड़ का राजस्व घाटा हमने हमारे बजटों में दिखाया है।

अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना राजस्व घाटा हमने दर्शाया है, उस सारे राजस्व घाटे की पूर्ति उसी बजट के पूंजीगत खाते की आय से और पूंजीगत खाते में बचत से हमने उस राजस्व घाटे की पूर्ति की है। राजस्व आय तो अलग है, राजस्व घाटे की पूर्ति पूंजीगत आय से करना। यह मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि अनेक बार सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य कहते हैं कि शिक्षा में हमने दुगना कर दिया। निश्चित रूप से दुगना कर

(श्री मानिक चन्द सुराना)

दिया। 13 हजार से 28 हजार के ऊपर आ गये। आमदनी भी तो दुगनी हुई है। राज्य की आमदनी बढ़ी है और उसको बढ़ाने में माननीया मुख्य मंत्रीजी का निर्देशन व नेतृत्व रहा है, उसका बहुत बड़ा कंटरीब्यूशन है। पर जब आपकी आमदनी बढ़ गयी है, तो सारे विभागों का खर्चा डेढ़ा-दुगना तो होना ही चाहिए, क्योंकि आमदनियां ही दुगनी हो गयीं। आमदनी दुगनी होने का जो श्रेय मंत्री गण माननीया मुख्य मंत्रीजी को दे रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि मुख्य मंत्री के निर्देशन में कंटरीब्यूशन बढ़ गया है, पर वह बढ़ा हुआ कंटरीब्यूशन विभागों में तो आना ही आना है। इसलिए यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है कि पहले 1 हजार करोड़ लगा, अब 2 हजार करोड़ लगा, वह तो लगना ही था।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में सबसे बड़ा फायदा माननीया मुख्य मंत्री जी ने किसी को दिया है तो बिजली कंपनियों को दिया है। मैं चार लाइन पढ़कर सुनाऊंगा। 'द्वितीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में प्रति वर्ष 15 हजार करोड़ के ऋण को 3 हजार करोड़ की अंश पूंजी एवं 12 हजार करोड़ के अनुदान में कन्वर्शन किये जाने का प्रस्ताव है' माननीया मुख्य मंत्रीजी ने उसके नीचे के पैरा में कहा है कि 'वर्तमान में 2017-18 में हमारा घाटा 8165 करोड़ है' पर यह 2017-18 का 12 हजार करोड़ का घाटा जैसे ही मिलाया गया, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने राजस्व घाटा 20165 करोड़ का प्रस्तावित किया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि 62 हजार करोड़ तो हमने दे दिये, उनके कर्ज को अपने सिर पर लेकर। ये 45 हजार करोड़ किस खुशी में दिये जा रहे हैं? 60-62 हजार करोड़ दिये तो सारे सदन को जानकारी थी कि हां, दिया जा रहा है। हम अपने पर ले रहे हैं। वह 62 हजार करोड़ जो लिये गये, उसका मैंने प्रश्न पूछा तो कहा गया कि आने वाले 2 साल तक 23 हजार करोड़ रुपया उसका ब्याज दिया जाएगा। अब फिर 45 हजार करोड़। क्यों अनुदान, किसलिए अनुदान? आप अंश पूंजी दें, समझ में आता है। अनुदान किस बात का? जब हमने उनका बर्डन अपने ऊपर ले लिया। उनमें दायित्वों को हम अपने सिर पर ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला निवेदन यह है कि जो 12 हजार करोड़ का अनुदान राजस्व प्राप्तियों से दिया जा रहा है, वह निश्चित रूप से इस राज्य के लिए किसी भी प्रकार का शुभ संकेत नहीं है। आखिर बिजली कंपनियां तो ब्लींक कर रही है, उनमें तो घाटे पर घाटा हो रहा है और उसको छिपाने का यह यंत्र नहीं है क्या कि हम 12 हजार करोड़ रुपए तीन साल तक

(श्री मानिक चन्द सुराना)

देंगे, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन पांच सालों में हमने 1 लाख 62 हजार करोड़ तो उनका दायित्व लिया और ये 45 हजार करोड़, अब कुल मिलाकर 45 ही है, चाहे 3 हजार करोड़ को हम अंशदान कहें। ये 1 लाख 7 हजार करोड़ जो कंपनियों को दिया गया है, इन पांच सालों का सबसे बड़ा लाभ किसी को हुआ है तो विद्युत कंपनियों को हुआ है जो घाटे पर घाटा हमको दे रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, जो वर्तमान विनियोग विधेयक है, विनियोग विधेयक में मैं आज मेरी मांग को सिर्फ मांग संख्या 30 और मांग संख्या 51, मांग संख्या 30 अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और मांग संख्या 51 अनुसूचित जाति से संबंधित है। हमारा बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2 लाख 17 हजार करोड़, मैं उसके आगे की फीगर नहीं बोलता हूं, 434 करोड़ वगैरह। 2 लाख 17 हजार करोड़ का पेश किया है। माननीया मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में है कि 2016-17 तक आयोजना का बजट था और आयोजना के बजट में यह नीति-निर्देशन था कि जितनी आबादी अनुसूचित जाति की है, अनुसूचित जनजाति की है, उसी प्रपोर्शन में आयोजना मद का रुपया उनकी आबादी के अनुपात से वितरण किया जाना है, 2016-17 तक। 2017-18 में वह राइडर खतम हो गया। माननीय प्रधान मंत्रीजी ने प्लानिंग कमीशन को डिस्पैंड किया। नीति आयोग आ गया। राज्य में आयोजना मद और गैर-आयोजना मद खतम हो गए। सिर्फ राजस्व और पूंजी का मद रहा गया। हमारा जो वर्तमान बजट है, क्या दिया है अनुसूचित जाति को? राजस्व और पूंजी दोनों मिलाकर हमने एसटी पापुलेशन को दिया 16 हजार 93 करोड़ और एससी पापुलेशन को दिया 19 हजार करोड़। कुल मिलाकर 35 हजार करोड़, रफली बोलूंगा, बाकी के 300 बोलने की जरूरत नहीं है। 35 हजार करोड़ रुपया हमने दिया। इसका परसंटेज क्या है? माननीया मुख्य मंत्रीजी देखें, 8.79 करोड़ तो है अनुसूचित जनजाति का और एसटी का है 7.42 और अनुसूचित जाति का है 8.49 और इनकी आबादी कितनी है? आबादी इनकी है 13.46 तो अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति की 17.8 कुल मिलाकर दोनों का 31 परसेंट शेयर बनता है और 31 परसेंट शेयर में, माननीय मुख्य मंत्रीजी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब आयोजना बजट था, उस वक्त क्या हुआ इन अनुसूचित जाति और जनजातियों के साथ में? आयोजना बजट के समय 2014-15 में, आयोजना बजट है 44000, उसके आगे की फीगर नहीं बोलता हूं और उनको

(श्री मानिक चन्द सुराना)

दिया गया 3800 करोड़, एससी को, कितना परसेंट था, 8.80 परसेंट। मिलना कितना चाहिए था, अनुसूचित जाति की आबादी से कितने कम मिले 9.01, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य भी देखेंगे कि 8.80 मिला 9.1 डिनाइल हुआ। अध्यक्ष जी, 2015-16 में 50157 का आयोजना बजट, ये सब एक्चुअल फीगर्स हैं, अनुसूचित जाति को दिया 5540 और उसके बाद 2016-17 में आयोजना बजट 54943 और अनुसूचित जाति को दिया 7542, अनुसूचित जाति की संख्या है 17.8 और 2015-16 व 2016-17 में क्रमश: 11.4 व 13.7 का आवंटन हुआ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं तीन सालों में माननीय मुख्य मंत्रीजी जो इनका आवंटन होना चाहिए था, वह था 26579 करोड़ और इनको 9619 करोड़ रुपया कम दिया गया, एससी को। एससी व एसटी को दोनों को कुल मिलाकर 20095 करोड़ रुपए आयोजना बजट के मुकाबले, जो आयोजना बजट की जोड़ है 149297, तीनों सालों के आयोजना बजट की 2016-17 तक, उसमें 20 हजार करोड़ रुपया आपने उनको कम दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि एससी-एसटी के साथ ही ऐसा व्यवहार जबकि आयोजना बजट का प्रपोर्शन तय है कि यह दिया जाना है, पापुलेशन के अनुसार, तो यह भेदभाव उनके साथ में क्यों किया गया? कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि ये भेदभाव और असहिष्णुतापूर्ण व्यवहार किसलिए किया गया। ये 20 हजार करोड़ रुपया आपकी सरकार में अनुसूचित जाति और जनजाति का जमा है।

मैं निवेदन करूंगा कि अब 2017-18 और 2018-19 में, किस आधार पर आप एससी-एसटी का आबंटन कर रहे हैं? आयोजना मद खतम हो गया, अब किस आधार पर आबंटन हो रहा है। यह आबंटन किसी निश्चित निर्देश पर नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक सर्कुलर है आयोजना विभाग का। इस आयोजना विभाग के सर्कुलर में जब मैंने पूछा क्या योजना बजट में जनजाति सब-प्लान के लिए स्पष्ट निर्देश थे कि जनजाति की गणना के आधार पर अनुपात में योजना बजट की राशि दी जानी तय है? यदि हां, जब से योजना बजट समाप्त हुआ है, जनजाति सब-प्लान में किस मानदंड से राशि रखी जा रही है? आज सुबह ही जो प्रश्न मैंने लगाया उसका जवाब आया है- आयोजना विभाग में प्राप्त जानकारी अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में आयोजना एवं गैर-आयोजना व्यय के अंतर समाप्त होने के कारण, माननीया मुख्य मंत्रीजी नोट करें, राजस्व पूंजीगत व्यय की सभी योजनाओं के लिए

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु प्रावधान राज्य की कुल जनसंख्या में उक्त समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में किए जाने का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आयोजना विभाग ने जवाब दिया है और जिस सर्कुलर का मैं हवाला दे रहा हूं वह सर्कुलर 24.12.16 का है। इस विनियोग विधेयक में इस सर्कुलर की और सारे नीति-निर्देशों की और राज्य सरकार ने आयोजना बजट और गैर-आयोजना बजट के भेद को खतम होने के बाद जो वादा किया था कि हम पुराने आधारों पर उनको आबंटन करेंगे, वह वादा गलत साबित हुआ है माननीया मुख्य मंत्री जी। नये बजट में आयोजना राजस्व और कैपिटल दोनों अकाउंट को मिलाकर आपने एसटी पापुलेशन को मात्र 7.42 दिया है और एससी पापुलेशन को 8.89 दिया है। इनकी पापुलेशन 31 परसेंट है और इन दोनों का जोड़ 16.31 दिया गया है और करीब 15 परसेंट से उन्हें महरूम रखा गया है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहस मैं इसलिए छेड़ रहा हूं माननीय सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कृषि की चिंता की, पीएचईडी की चिंता की, अन्य चिंता की। मैंने देखा कोई अनुसूचित जाति और जनजाति की चिंता भी इस सदन में जाहिर की जानी चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा। तेलंगाना सरकार एक विधेयक ले आई है। विधेयक में यह कहा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के त्वरित विकास के लिए, आर्थिक शैक्षणिक और मानव विकास के संकेत, अन्य समाजों के संकेतकों के अनुसार उनको दस साल में आगे लाने के लिए, बराबर लाने के लिए, यह बिल लाया जा रहा है। उसमें भी आबादी के अनुपात में प्रावधान किए गए हैं।

मैं निवेदन करूंगा, आपका ध्यान तेलंगाना सरकार के उस बिल की ओर आकर्षित करूंगा जिसमें यह सब प्रावधान किए गए हैं। समय की कमी को ध्यान में रखते हुए मैं उस बिल को कोट नहीं कर रहा हूं। पर उसके जो आब्जेक्टिव हैं, सिर्फ उस आब्जेक्टिव की ओर इस सदन का और माननीया मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं। "Having kept in view, Article 46, of the Constitution of India, under the directive principles of the State policy, according to which, 'The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Sched-

(श्री मानिक चन्द सुराना)

uled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation." प्रावधान किया गया। उनकी आबादी के अनुपात में उनके लिए प्रावधान किया गया है।

मेरा निवेदन है कि आज भी मुख्य मंत्रीजी के हाथ में सब कुछ है। इन प्रावधानों को बढ़ाने के लिए, उनकी आबादी के अनुपात में, आपके आयोजना विभाग ने 24.12.2016 को सर्कुलर जारी किया, उसके अनुपात में प्रावधान किए जाने की मैं मांग करता हूं।

मैं यह भी मांग करता हूं कि 20 हजार करोड़ की राशि जो योजना काल में 14-15, 15-16, 16-17 में आपने उनको कम दी है, उस राशि का समायोजन भी आने वाले 5-7 साल में करने के लिए कोई दिशा-निर्देश प्रदान करने की कृपा करें ताकि उनको भी लगे कि हमारे साथ, चाहे आंख ओझल से हमारा प्रावधान कम हो गया लेकिन जब जानकारी हुई तो हमारे प्रावधान को वापस समायोजन करने के दिशा-निर्देश दिए गए।

अध्यक्ष महादेय, मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूंगा कि उनके द्वारा, पिछले 13 दिसम्बर को ही घोषणा की गई थी, कि सरकारी रिक्रूटमेंट की उम्र 35 नहीं अब 40 हो गई। आपने जो घोषणा की उस घोषणा के अनुसार, आपकी घोषणा की अवहेलना में राजस्थान शिक्षा संस्कृत ने शिक्षक लेवल ओ टू 571 पर जारी कर दिए, उम्र है 35 साल। राजस्व अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा कर्मचारी चयन बोर्ड ने 400 पद जारी कर दिए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2100 पद जारी कर दिए। सब में उम्र 35 है। चूंकि आपने 40 वर्ष के लोगों को रोजगार देने के लिए घोषणा की है। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि जितने विज्ञापन जारी हुए हैं, सबकी कटिंग मेरे पास है, सब में उम्र मार्च की है, मेरा माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन होगा कि इनके लिए दुबारा विज्ञापन जारी करवाएं। 35 साल की उम्र को 40 साल करे ताकि 35 से 40 के बीच के युवक हैं उनको रोजगार मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं नम्र निवेदन आपके माध्यम से कर रहा हूं।

अध्यक्ष जी, मैं मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करता हूं कि आपने आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग, कांस्टीट्यूट किया, उसकी रिपोर्ट तैयार है, आप उस रिपोर्ट को मंगवाइये। उन्होंने 40 हजार परिवारों का सर्वे किया है, आर्थिक आरक्षण देने की बात आपने 14 प्रतिशत स्वर्णों को की है। मैं निवेदन करूंगा कि अब तो 21 राज्यों में आपकी सरकार

(श्री मानिक चन्द सुराना)

है। केन्द्र में आपकी सरकार है। जिस सरकार का प्रतिनिधित्व यहां करते हैं केन्द्र सरकार का। केन्द्र में भाजपा है, यहां भी भाजपा है। 21 राज्यों में भाजपा है। अब 14 परसेंट आरक्षण जो आपने 2008 में दिया था, अब तो माननीया मुख्य मंत्रीजी संविधान का संशोधन करके, यदि वह बात आपने सिर्फ वोट की दृष्टि से नहीं कही है तो मेरा निवेदन होगा कि राजस्थान सरकार इनीशिएटिव ले। भारत सरकार से 14 परसेंट आरक्षण सवर्णों के लिए, गरीबों के लिए, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए, उस आरक्षण की जो बात कही गई थी उसको मूर्त रूप देने का काम करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी का ध्यान बारानी क्षेत्रों में जल स्वावलम्बन की ओर आकर्षित करूंगा। मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी कृपा करके ई-आर, ईस्टर्न राजस्थान के लिए 37 हजार करोड़ की सिंचाई की योजना घोषित की। मैं आपको उसके लिए तो बधाई देता हूं। संसाधन आपने अभी चाहे एक हजार करोड़ दिए, यह कोई मायने नहीं है। आपने कहा था कि मैं इसके लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराऊंगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब तक बारानी के हर खेत में, मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान का आपका सपना है कि हर बारानी खेत में पानी मिले, डेढ़ लाख का जल संग्रहण स्ट्रक्चर बने, माननीया मुख्य मंत्रीजी अभी तक तो पांच लाख खेतों में यह जल स्ट्रक्चर नहीं बना है। कुल कृषि होल्डिंग्स 77 लाख है। 77 लाख में से 25 लाख तो आप सिंचित क्षेत्र को निकाल दीजिए, 27 लाख निकाल दीजिए सिंचित क्षेत्र के, उनको जल स्वावलम्बन की जरूरत नहीं है। यह 48 लाख, 50 लाख बारानी खेत हैं, जिसका नारा दीनदयाल जी ने दिया कि हर खेत को पानी, हर हाथ को काम।"

मेरा आपसे निवेदन है कि सारे राजस्थान के बारानी खेतों में बिना बीपीएल, बिना एस.सी., एस.टी. का भेद किए, क्योंकि बारानी का किसान, यदि बारिश नहीं हुई तो सब एक समान है, चाहे एस.सी. हो, एस.टी. हो, बीपीएल हो चाहे ब्राहमण हो, राजपूत हो, चाहे जाट हो, बारिश नहीं हो तो सारे एक समान हैं। मेरा आपसे निवेदन होगा कि जिस तरह आपने 37 हजार करोड़ की योजना ईस्टर्न राजस्थान के सिंचित क्षेत्रों के लिए घोषित की है, 45 हजार करोड़ की योजना, आप एस्टीमेट कराएं, हर खेत में पानी, डेढ़ लाख का स्ट्रक्चर बनने में पांच साल, सात साल, कितने रुपये लगेंगे। सात साला

(श्री मानिक चन्द सुराना)

योजना 45 हजार करोड़ रुपये के एग्जीक्यूशन की जिसमें हर बारानी खेत को पानी मिले, यह काम आप ही कर सकती हैं। मेरे खयाल से अभी और किसी का ध्यान नहीं है, आपका ध्यान गया मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन कार्यक्रम में, मैं उसका बहुत समर्थक हूं। मैं जनता से भी कहता हूं कि इससे बढ़िया कोई काम नहीं है कि खेत में पानी मिले। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस ईस्टर्न राजस्थान के सिंचित क्षेत्रों के मुकाबले राजस्थान के बारानी क्षेत्रों को भी 40-45 हजार करोड़ की योजना बनाकर उसकी घोषणा करें। अध्यक्ष महोदय, अंत में...

श्री अध्यक्ष: आपका यह आखिरी पाइंट है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या फरमा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष: आपका यह आखिरी पाइंट है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हां, आखिरी पांइट। अध्यक्ष जी, मुझे ध्यान है विपक्ष के नेता जी को बोलना है, माननीया मुख्य मंत्रीजी को बोलना है। मैं निवेदन करूंगा कि पिछले वित्त विधेयक में भी मैंने मुख्य मंत्रीजी बीकानेर और जैसलमेर के पम्प चालकों का मुद्दा उठाया था। राजस्थान में जल योजनाएं हैं। कुछ योजनाएं पीएचईडी चलाती हैं। अधिकतर योजनाएं ग्रामीण विकास चलाता है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास के पम्प चालकों को तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जो पहले 500 मिलता था, 01 हजार मिलता था वह 201 रुपया हो गया।

5226 रुपये उनको प्रतिमाह मिलने लग गये। आपकी सरकार ने ही वे आदेश जारी किये। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीकानेर और जैसलमेर के पम्प चालकों ने क्या अन्याय किया है कि वे आज पांच सौ रुपये प्रति माह में रोजगार कर रहे हैं। माननीय जसवन्त सिंहजी के श्रम विभाग ने सन् 2016 में विज्ञप्ति जारी की है। अकुशल श्रमिक की परिभाषा में वे आ रहे हैं। अकुशल श्रमिक के लिये इनके गजट में 201 रुपये का प्रावधान है। मैं निवेदन करूंगा, माननीया मुख्य मंत्रीजी, कि आपके श्रम विभाग द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है और जिसके क्षेत्राधिकार में बीकानेर और जैसलमेर के पम्प चालक आते हैं, आप उनके लिये इस सदन में आज ही घोषणा करने की कृपा करें कि सिर्फ बीकानेर और जैसलमेर के जो पम्प चालक पी.एच.ई.डी. के बचे हुए हैं, उनको भी ग्रामीण विकास के पम्प चालकों के समान 5226 रुपये दिये जायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 12 फरवरी, 2018 को जो अपना बजट भाषण दिया, उसके पैरा तीन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। '20 दिसम्बर, 2013 को मैंने राज्य के विकास के लिये विजन-2020 पेश करते हुए पांच प्रायोरिटी सेक्टर्स तय किये, इंवेस्टमेंट बढ़ाना, बेरोजगारी कम करना, अर्थ व्यवस्था एवं शिक्षा में सुधार और कौशल विकास'।

अब, अध्यक्ष महोदय, इंवेस्टमेंट की बात यहां कही गई। इंवेस्टमेंट का मूल रूप से अभिप्राय यह रहता है कि जिस राज्य में इंवेस्टमेंट बढ़ेगा, वहां पर बेरोजगारी कम होगी। क्योंकि आज देश के अन्दर बेरोजगारों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह पूरे देश की ही बात कह रहा हूं। राजस्थान भी उससे अछूता नहीं है। अब दो ही जगहें हैं, या तो प्राइवेट सैक्टर, या गवर्नमेंट सैक्टर, यहां पर लोगों को रोजगार मिल सकता है।

मैंने पिछले साल भी यह बात इस सदन में कही थी। आप देखिये, प्रदेश के अन्दर कुछ हजार मास्टरों की जगहें निकलती हैं, 10-10, 12-12 लाख लोग इम्तिहान में एपीयर होते हैं। इससे ही आपको अंदाज हो जायेगा। कहीं स्कैवेंजर्स की वेकेंसीज निकलती हैं तो अपर कास्ट के लोग, पढ़े-लिखे लोग उसमें एप्लाई करते हैं। मतलब एम्पलायमेंट क्षेत्र के अन्दर काफी चिंताजनक स्थिति है।

सारे स्टेट्स, कोई सम्मिट के नाम से, कोई किसी के नाम से, अभी यू.पी. में हुआ। देश के बड़े-बड़े उद्योगपति गये। राष्ट्रपतिजी भी वहां गये। 8 लाख करोड़ के प्रोमिस कर आये। यहां राजस्थान में भी यही हुआ। राजस्थान में लोग 3 लाख 38 हजार करोड़ के प्रोमिस करके चले गये। अभी एक प्रश्न के जवाब में कल ही यहां आया कि कुल, अपना 2015 में हुआ था, 2015 से 2018, आपका इंवेस्टमेंट कितना आया, 11845 करोड़ का आया। बाकी प्रोसेस के अन्दर है। मैं आलोचना की दृष्टि से आलोचना नहीं कर रहा हूं। सारे हिन्दुस्तान के जो बड़े प्रान्त हैं, प्रत्येक ने किया। Everyone wants to attract investments in their premises. कारण क्या है कि लोगों को रोजगार मिल जायेगा, साथ-साथ रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। लेकिन नतीजा, मैंने पिछले दफे भी कहा था कि they have made, ये खोखले वादे हैं। क्योंकि पैसा कहां है। सबसे बड़ी समस्या है कि पैसा नहीं है। Where is the money? किसी चीज को एस्टब्लिश करने के लिये किसी के पास इतना पैसा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

तो है नहीं They have to go to the banks. आज बैंकों की स्थिति क्या हो गयी है। लोन देने की स्थिति में नहीं हैं। दस लाख करोड़ से ऊपर का एन.पी.ए. स्टेट रन बैंक्स का, स्टेट ओंड बैंक्स का, और प्राइवेट सैक्टर्स की यह स्थिति बन गयी है। अब जो स्कैम हुए हैं, उसके बाद तो और बैंक्स घबरा रही हैं। पैसे मांगेंगे तो देंगे ही नहीं। आपके सामने है, आप सबने पढ़ा है। I don't want to repeat, कि यहां पर कोई पोलिटिक्स की बात हो कि इस राज में हुआ, इस राज में हुआ। उस पर तो दो घण्टे डिबेट में अलग से करने को तैयार हूं। दो घण्टे अलग से डिबेट करने के लिये तैयार हूं। लेकिन हकीकत यह है कि अब बैंक्स घबराएंगी। आपके इंवेस्टमेंट के लिये, लोन देने के लिये बैंक्स अब तैयार नहीं होंगी। बड़े खिलाड़ी तो ले लेते हैं और किसान के खेत नीलाम होते हैं। चलिये, I don't want to go in that controversy. लेकिन इंवेस्टमेंट आने की सम्भावना नहीं है, रोजगार कहां से मिलेगा? एम.बी.ए., बी.टेक, आज बी.टेक स्कूटर चला रहे हैं, हालत क्या हो रही है। सेल्समैन की नौकरी के लिये एम.बी.ए. डोल रहे हैं कि सेल्समैन की नौकरी मिल जाए। बड़ी भयावह स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, यह मैं अब गिनाऊंगा।

अब गवर्नमेंट सैक्टर में आ जाइये। गवर्नमेंट सैक्टर के अन्दर, जो सरकार का सुराज संकल्प यात्रा के अन्दर 15 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा था, उसको लोग समझ बैठे कि नौकरी मिलेगी। That is be honest about it. क्योंकि इनकी ही पार्टी के लोगों ने बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार किया कि 15 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। I am not accusing. किसी ने रोजगार की बात नहीं की। यूथ आकर्षित हुआ।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह सरकारी नौकरी का नहीं था।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): प्लीज। आपको वास्ता है, आप कहें तो मैं बैठ जाऊं। थोड़ा सुनने का भी माद्दा रखिये। आपके चीफ व्हिप बैठे हैं, माननीया मुख्य मंत्रीजी बैठी हुई हैं। लेकिन आपकी आदत तो फुदकने की पड़ गई है। साहब, इनको चीफ व्हिप बना दीजिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, चेयर को एड्रेस कीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): 15 लाख रोजगार की बात थी। मैं खुद अपने मुंह से कह रहा हूं, 15 लाख रोजगार की बात थी। लेकिन आप ही के लोगों ने प्रचार-प्रसार किया कि 15 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। उसका खामियाजा आप आज दिन तक उठा रहे हैं। आप नौकरी दे नहीं पाये। अभी मैं

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आपको एक फिगर दिखाता हूं। सरकारी क्षेत्रों में, जो इनका यह पत्र है, मध्यम कालिक राज्य वित्तीय नीति विवरण, राज्य वित्तीय नीति युक्ति प्रकटीकरण विवरण, मैं इसी में से फिगर कोट करुंगा कि, on the contrary, आपके सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटी है। इसमें यह फिगर्स हैं। आप निकाल लें, कोई भी निकाल ले। सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटी है। It means, जो रिटायर हुए, वे पद भी नहीं भरे गये। कहीं आपने बड़ी होशियारी से पोस्ट्स भी अबोलिश किये हैं। पद समाप्त किये हैं। अखबारों में भी आया था। जब हमने पद समाप्त किये थे तो कटारियाजी ने मेरी धज्जियां उड़ा डाली थीं इसी सदन के अन्दर। मेरे कपड़े फाड़ दिये थे कि बेरोजगार हैं, आप तो सरकारी पद समाप्त कर रहे हैं। सरकारी पद समाप्त हुए हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण के अन्दर करीब एक लाख नौकरियों की बात कही कि हम भर्ती करेंगे। बहुत अच्छी बात है। रिक्त पदों की। It means, the posts were lying vacant, but in 4 years what you did? चार साल तक आपने क्या किया। आपने पद क्यों नहीं भरे। आपको पद भरने चाहिए थे। अब चुनाव का साल है तो याद आया। आपने एक लाख वेकेंसीज निकाल दीं। मैं आपसे मेरे अनुभव के आधार पर यह कह रहा हूं कि जिस तरह से चार साल में भर्तियां चली हैं। ये भर्तियां होना, इसमें से आप 10-20 परसेंट भर्तियां कर लें, ये भर्तियां नहीं हो पायेंगी। क्योंकि कोर्ट खुले हुए हैं। कहीं पेपर लीक की समस्या है। कहीं पेपर्स के अन्दर सवाल-जवाब, पता नहीं भगवान जाने, हाई-कोर्ट के अन्दर, मैंने पिछली बार भी कहा था, आप कोई ऐसा नियम लायें, कानून लायें, जिसके अन्दर एक दफे इम्तिहान होने के बाद कोई स्टे आर्डर किसी किस्म का लागू नहीं हो। लेकिन वह हो नहीं सकता है क्योंकि कानून ही देश का ऐसा है कि आप रोक नहीं सकते लोगों को कोर्ट के निर्णय के आधार पर।

खैर, मैं आपसे यह कह रहा था कि आज आदरणीय प्रधान मंत्रीजी ने, मैं 'आदरणीय' शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, हमारे प्रधान मंत्रीजी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की। रोजगार नहीं मिल पाया क्योंकि देश की, आज जो है देश के अन्दर एक आर्थिक वातावरण में मंदी का दौर चल रहा है। मंदी का दौर चल रहा है क्योंकि जी.एस.टी., अभी तो लेटेस्ट जी.एस.टी. आया। डीमोनेटाइजेशन किया आपने, उसका भी इम्पैक्ट है, बैंकों की हालत खराब है, रोजगार कहीं नहीं है तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इस रोजगार के अन्दर जो माननीया मुख्य मंत्रीजी की कल्पना थी, वह मुझे साकार होती दिखती नहीं

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

है। न तो इंवेस्टमेंट आ रहा है, न आपने पिछले चार साल में भर्तियां की हैं तो यह बड़ी, हां, एक बात जरूर माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम रिफाइनरी के जरिए एक लाख लोगों को रोजगार देंगे। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। साथ में कहा कि हमने चालीस हजार करोड़ रुपये की बचत कर ली।

मैं उसको पढ़ रहा था, रिफाइनरी के बारे में मुद्दे को, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्टेट गवर्नमेंट, पिछली सरकार ने जो निर्णय लिया था, यह पब्लिक सैक्टर की कम्पनी है। इंवेस्टमेंट बोर्डस का एप्रूवल था, सबके एप्रूवल के बाद लेकिन माननीया मुख्य मंत्रीजी की सोच यह थी कि यह रुपया That was interest free loan. कोई सब्सिडी नहीं थी, That was interest free loan. जो वहां प्रोडक्शन होने के बाद वह पैसा राज्य सरकार को वापस मिलता है। अब एक सवाल पैदा होता है चलिए, आपने चालीस हजार करोड़ रुपये बचा लिये लेकिन चार साल पहले, आज की तारीख में यह रिफाइनरी आ जाती, मैंने जब यहां पर कहा एक लाख आदमी को रोजगार मिलेगा रिकार्ड पर है। आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि 700-800 लोगों को रिफाइनरी में नौकरी मिलेगी, अब स्वयं अपने भाषण में कहा है कि एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अपने भाषण में कहा है माननीया मुख्य मंत्रीजी ने।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कल्पना कीजिए कि अगर रिफाइनरी का काम उस वक्त शुरू हो जाता तो इन चार वर्ष के अन्दर रिफाइनरी बनकर खड़ी हो जाती और एनसिलियरी साइमल्टेनीयस्ली आ जाती। जो बाई-प्रोडक्ट उसमें से निकलता तो एनसिलिएरी इंडस्ट्रीज आपकी तैयार होकर खड़ी हो जाती तो मेरा आपसे कहने का मतलब यह है कि तब 800 आदमी थे जब हमने कहा और अब एक लाख आदमी तो हम जो बात कहते थे वह आखिर में सच निकली की नहीं निकली? सोचिए, एक लाख आदमी को रोजगार। रिफाइनरी की एनसिलिएरी रिफाइनरी के बाई-प्रोडक्ट्स के आधार पर एनसिलियरी इंडस्ट्रीज खड़ी हो जाती तो कितना आपका रेवेन्यू जनरेट होता स्टेट का? कितने लोगों की पर-कैपिटा इनकम में आपकी जी.एस.डी.पी., जी.एस.डी.पी. जो आपके स्टेट की है, उसमें इजाफा होता, एक लाख आदमियों को वैल-पेड सैलेरीज मिलती लेकिन आपने यह नहीं किया तो यह इंवेस्टमेंट के जरिए जो आप बात कर रहे हैं रोजगार की उसमें भी कोई सार नजर नहीं आता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपसे कहता हूं कि आज देश का

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

नौजवान बी.टेक लड़के स्कूटर चला रहे हैं, दो-दो हजार रुपये की पार्ट टाइम नौकरियां स्कूलों में कर रहे हैं। आप सबके पास आते होंगे कि कहीं पर नौकरी दिलवा दीजिए, खास तौर से मंत्री लोग बैठे हुए हैं, सबके क्षेत्र के लोग उनके पास आते होंगे कि हमको कहीं न कहीं नौकरी दिलवा दीजिए लेकिन आप नहीं दिलवा पा रहे हैं तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इसके बारे में भी सरकार को सोचना पड़ेगा।

दूसरी बात यह फाइनेंसेज के ऊपर, अब मैं फाइनेंसेज की बात करता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की वित्तीय स्थिति चिंताजनक स्थिति के अन्दर पहुंच गयी है।

माननीया मुख्य मंत्रीजी का पुराना 2014-15 के बजट के संबंध में प्रस्तुत वक्तव्य, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कहा- 'राज्य में नवम्बर, 2013 में सम्पन्न हुए विधान सभा चुनावों में राज्य की जनता ने राज्य के तीव्र विकास और राज्य में सुराज लाने हेतु हमारी नीतियों, संकल्पों और प्राथमिकताओं में गहरा विश्वास व्यक्त करते हुए हमें ऐतिहासिक जनादेश प्रदान किया है। पिछले शासन की तरह इस बार कुशल वित्तीय प्रबंधन और सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णत: कृत-संकल्प है।'

मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय से क्या कहलवाया, कब माननीया मुख्य मंत्रीजी ने क्या कहा, उसके बाद क्या हुआ, वह पिछले साल कह चुका हूं, वह रिकार्ड के ऊपर है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। आज की तारीख में अब आप वित्तीय स्थिति देख लीजिए।

सम्माननीय राजपाल सिंहजी, अगर वह हाथ में होता तो फिर बिलकुल क्लियर होता, 2017-18 के हमारे, 2016-17 के अगर हमारे पास सी.ए.जी. की रिपोर्ट की फाइनेंस, सी.ए.जी. रिपोर्ट की फाइनेंस की अगर हमारे पास रिपोर्ट हाथ में होती तो उससे राज्य की क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाती फाइनेंसेज की लेकिन किसी वजह से सी.ए.जी. से प्राप्त नहीं हुई है। मैं उसके लिए दोष नहीं देता हूं लेकिन मिल जाती अगर प्राप्त करने की कोशिश की जाती तो राज्य की बड़ी अच्छी-खासी तस्वीर आप सबके सामने उपस्थित होती और वाद-विवाद के अन्दर उसका लाभ सबको मिलता।

जो कुछ मैं कर पाया हूं, मैं आपको बस थोड़ा-थोड़ा इसके अन्दर, यह है आडिट रिपोर्ट स्टेट फाइनेंसेज। सी.ए.जी. की रिपोर्ट है, 31 मार्च, 2016 को

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जो इस साल समाप्त हुआ है, उसके बारे में कुछ आपको ब्रीफ इसके, एक तरह का यह पेश करते हैं छोटी पुस्तक के रूप में।

"During 2015-16, the revenue deficit increased to Rs. 5,954 crore from Rs 3,215 crore in 2014-15. The State Government failed to contain the fiscal deficit within the limit of 3% of Gross State Domestic Product (GSDP) as laid down in the FRBM Act, and at the end of year 2015-16, the fiscal deficit was Rs. 23,020 crore."

मैं आपसे यह कह रहा हूं कि यह फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें भी कहा गया था कि आप रेवेन्यू सरप्लस रखेंगे बजट को। पिछली सरकार ने सिर्फ दो साल तक रेवेन्यू सरप्लस बजट पेश किया, आगे के आकड़े नहीं है तो मैं कह नहीं सकता हूं लेकिन इस सरकार ने पिछले चार साल में जो अगले साल का बजट पेश किया है कहीं भी रेवेन्यू सरप्लस नाम की कोई चीज नहीं है। फिस्कल डेफिसिट का हाल यह है कि जो पिछले, जब से सरकार आई, जब पिछली कांग्रेस सरकार थी उसमें कुल 33 हजार करोड़ रुपये का बाजार से उधार लिया गया। उधार जो था लोक ऋण कह दीजिए, उसमें सारे आते हैं, 33 I am missing that figure but I am trying to find out. यह रहा। This is the Report for the year on Finance till March 2013. 31 मार्च, 2013 That is, I'll quote one table, 135 Fiscal deficits and its parameters. fiscal deficit 2008-09 उसमें कुछ समय आपका भी था और कुछ समय कांग्रेस सरकार का भी था। 2008-09 में 6974 करोड़ रुपया, 2009-10 में 10299 करोड़ रुपया, 2010-11 में 4126 करोड़ रुपया, 2011-12 में 3626 करोड़ और 2012-13 में 8534 करोड़, यह सी.ए.जी. का फीगर है।

Nobody can challenge it. अब क्या हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, within last 4 years, आप उदय को छोड़ दीजिये। उदय का तो आपका 62 करोड़ रुपया अलग ही है, ...(व्यवधान) सॉरी 62 हजार करोड़। Slip of tongue. It's natural. तो मैं आपसे यह कह रहा हूं ...(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या मुख्य सचेतक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार समय बढ़ाया जाए, सदन सहमत है?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान वित्त विधेयक, 2018 व

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आज मुझे वह काल भी याद है, माननीय अध्यक्ष महोदय, 1998 से लेकर 2003 तक का। बदकिस्मती से चार साल मुझे भी वित्त मंत्री का काम देखने का मौका मिला। बदकिस्मती से कह रहा हूं, क्योंकि उस वक्त सारे राज्यों की वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी। गैर-कांग्रेसी राज्यों के मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री, उसमें मैं भी था, उसमें बंगाल के वित्त मंत्रीजी भी थे डा. असीमदास गुप्ता और पंजाब वाले भी आये, जम्मू-कश्मीर वाले भी आये और सब आदरणीय प्रधान मंत्रीजी वाजपेयी से मिलने गये थे। तब वाजपेयी जी ने यह कहा था कि हमारी स्थिति कौनसी अच्छी है, क्योंकि जो प्रोडक्शन था, कंट्री के अन्दर जो माहौल था डिस्पर्स्ड इकोनोमी कह दीजिये उसको। उनकी भी हालत खराब थी, हमारी भी हालत खराब थी। जो डिवोल्यूशन आना चाहिये था, वह डिवोल्यूशन आया नहीं। राज्य का जो हिस्सा मिलना चाहिये था, वह मिला नहीं और सारे स्टेट परेशानी में थे। मैंने भी बहुत कड़वे वचन अपनी ही पार्टी के लोगों के और विपक्ष के तो सुनने ही थे, वह भी सुने मैंने। खैर, वह बताऊंगा। संयोग देखिये, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने सत्ता प्राप्त की हमारे बाद और पैसे की बारिश हुई। यह तकदीर थी, कहते हैं न मुकद्दर का सिकन्दर, कंट्री की इकोनोमी बूम पर थी। जो एक्स्पैक्टेशन था राज्यों का, राज्यों का जो एक्स्पैक्टेशन था डिवोल्यूशन मिलेगा राज्यों को As per the Report of the Finance Commission. उससे ज्यादा और हालत यह थी कि राज्यों का 65 हजार करोड़ रुपया रिजर्व बैंक की सिक्योरिटीज के अन्दर जमा था उस वक्त तो माननीया मुख्य मंत्रीजी, हमारा कुशल वित्तीय प्रबन्धन, अब कहां है कुशल वित्तीय प्रबन्धन? हालात होते हैं। जब हालात अच्छे होते हैं तो कुशल वित्तीय प्रबन्धन हो जाता है और जब हालात खराब हो जाते हैं तो हम लोग उसी की आलोचना करने लगते हैं। हमारी हालत खराब थी, तो हमको बुरा-भला सुनना पड़ता था। आज इस वक्त आपको

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

तकलीफ है। इस वक्त आपको तकलीफ है, चाहे आप कुछ भी कहें। उसी के आधार पर माननीया मुख्य मंत्रीजी को भरोसा था कि मेरा कुशल वित्तीय प्रबन्धन, जो 2003-2008 में था, उसी के आधार पर मैं इस नैय्या को खेकर पार ले जाऊंगी। हालात पर आपका भी कब्जा नहीं है। जो आपने रेवेन्यू प्रोजेक्शन किये, उनमें कमी आयी। यह सारे फिगर्स हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन कुल-मिलाकर आज राज्य की फाइनेंशियल पोजीशन चिन्ताजनक है। मैं और कुछ नहीं कह रहा आपसे। मैं आपको उसके फिगर्स देता हूं। अब आप देखें, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका 2018-19 में, मैं आपको एक फिगर पढ़कर सुनाता हूं, उससे आप भी चौकेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के उधार-अन्य दायित्वों के संघटक, यह आपने जो दिया है, उसके तहत आपका कर्जा हो जायेगा 2018-19 में, जो बजट आपने पेश किया है 3 लाख 8 हजार करोड़ का। अब आप ब्याज की बात सुनें। अब आपके ब्याज की सर्विसिंग का क्या हाल होगा, माननीय मंत्री भी सुन लें, जो यहां के वित्त मंत्रीजी को रोज प्रस्ताव भेजते हैं और वित्त सचिव के कपड़े फाड़ते होंगे कि पैसा दो, पैसा दो। वह देंगे कहां से, अब तो कर्ज लेकर आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा। कर्ज और इंस्टालमेंट लेकर आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा, स्थिति यह आ गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2017 तक आपका ब्याज का भार 17 हजार करोड़ था रफली, फिर आपका 2017-18 के लिये 19 हजार 786 हो गया। मैं इन्हीं के आंकड़ों से पढ़ रहा हूं, मैंने कोई क्वाइन नहीं किये हैं। 2018-19 के लिये आपका 21 हजार 412 करोड़, आप 28 हजार करोड़ का कर्ज ले रही हैं 2018-19 के लिये और 21 हजार ब्याज का पेमेंट प्लस इंस्टालमेंट, क्योंकि कर्ज का इंस्टालमेंट भी तो चुकाना पड़ेगा आपको। इतना कर्ज आप 28 हजार करोड़ का लेंगी, उतना तो ब्याज और इसी में चला जाएगा। यह मेरा सोचना है। आप कहेंगे हमारी रेवेन्यू इंक्रीज होगी। सरकार की आमदनी बढ़ेगी उसमें से चुकाएंगे, लेकिन आज जो स्थिति है, वह यह है।

अब आप इसमें उदय का भी निकाल दीजिये। आपने पांच साल के अन्दर जो 33 हजार करोड़ रुपया उस सरकार ने लिया था, पांच साल में 28 हजार करोड़ रुपया तो इसी साल ले रहे हैं। पिछली साल का मिलाकर आपने कितना कर्जा ले लिया। माननीया मुख्य मंत्रीजी के भाषण में पढ़ा, अगर विकास के लिये कर्ज लेना पड़ेगा तो कर्ज लेंगे। अच्छी बात है, लेकिन उसकी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सर्विसिंग का क्या होगा, इंस्टालमेंट्स का क्या होगा? खैर, भगवान करे तो सक्षम रहें इसको पेमेंट करने के लिये, तो मेरा आपसे अनुरोध यह है, उस वक्त की एक चीज और बताना मैं भूल गया, हमारा कुशल वित्तीय प्रबन्धन था। 12 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा जब सरकार गयी थी और नई सरकार आयी थी, 12 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा सिक्योरिटीज में जमा था। मैं इंडिपेंडेंट आदमी होकर बात कर रहा हूं कि जब आपका 12 हजार 700 करोड़ रुपये के करीब स्टेट का सिक्योरिटीज में जमा था तो फिर आप लोन क्यों ले रहे थे? मैं अपनी सरकार से ही सवाल करना चाहता हूं। वहां आपको ब्याज की दर कम मिल रही थी रिजर्व बैंक से, यहां आप ज्यादा ब्याज के ऊपर कर्ज ले रहे थे It's not a prudent financial management. मैं पार्टी लाइन से ऊपर होकर बात कर रहा हूं कि आपने यह कहा क्या But on the whole, it was a comfortable financial position when Congress Government demit the Office. जब राज छोड़ा था, उस वक्त कमफर्टेबल पोजीशन थी, मेरा इतना ही आपसे निवेदन करना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इजाजत दें, पांच बजने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष: समय बढ़ गया, आप और समय ले सकते हैं। कितना समय लेंगे?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): पांच-सात मिनट। इससे ज्यादा नहीं लूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: दिये, आप बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एक बात मैं ब्याज भार के बारे में आपको बता ही दिया। I wish, मेरी इच्छा है कि राज्य इस जंजाल से निकले। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। हम सब राजस्थान वाले हैं, यहीं राजस्थान के रहने वाले हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है। एक बात अजीब और है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर हम सब 200 मैम्बर्स बैठे हुए हैं, 200 मैम्बर्स का हाउस है ...(व्यवधान) नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि किसी आदमी ने रिसोर्सेज जनरेट करने के बारे में कोई बात ही नहीं कही।

(17.00 बजे)

सब कर माफी की बात, यहां छूट दे दो। यहां यह कर दो। यह विकास कर दो। बिना पैसे के विकास कहां से होगा? कभी भी नहीं कहता कोई, मैंने भी कभी नहीं कहा कि नये रिसोर्सेज के लिए सरकार को कोई

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सुझाव दे। क्योंकि पब्लिक के डर से यहां पर कोई बोलना नहीं चाहता। क्षेत्र की जनता नाराज हो जाएगी। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि इसके बारे में भी सदन को विचार करना चाहिए।

अब अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी के दो पाइन्ट तो हो गये। बेरोजगारी की समस्या, फाइनेंस की समस्या, इन्वेस्टमेंट की समस्या। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक बात और कही कौशल विकास की। टीटी साहब जब लेबर मिनिस्टर थे, उन्होंने एक फीगर दिया था कि करीब बारह साढ़े बारह लाख आदमियों को हमने रोजगार लायक बना दिया है, कौशल विकास के जरिये। बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है आदरणीय प्रधान मंत्रीजी का और देश के अन्दर भी बहुत जोर-शोर से उसको लागू किया जा रहा है लेकिन फीगर कहां हैं? जब आईटीआई पास लड़के, बीटेक लड़के मार्केट के अन्दर अवेलेबल हैं, हजारों की संख्या में। मैंने पहले बताया, उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। कौशल विकास के जरिये आपने कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया? कहीं कोई फीगर नहीं। हमने करा दिया। एक मैकेनिज्म तो होना चाहिए। सिस्टम तो आप डवलप करो जिससे यह पता लगे कि आपने कितने लोगों को ट्रेन किया हैं, उनमें से कितने लोगों को रोजगार मिला। उसका कोई सिस्टम ही नहीं है। कई जगह गड़बड़ भी हो रही हैं, क्योंकि कौशल की जो संस्थाएं चलती हैं उनको आप अनुदान भी देते हैं। कई जगह किस्से सुनने और पढ़ने को मिले हैं। उनको आप अनुदान देते हैं। (व्यवधान) जितना मुझे मालूम है, मैं उतना ही बोलूंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। उसके अन्दर घपलेबाजी की खबरें आती हैं। क्या जांच करायी गयी? कितना भी अच्छा आप प्रोग्राम शुरू कर लीजिए, लेकिन घपलेबाजी तो हुए बिना रहती नहीं। आप कराइये कुछ न कुछ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी मानीटरिंग करानी पड़ेगी आपको। नहीं तो आपने आंकड़े जो बारह लाख, चौदह लाख के दिये हैं, इनमे कोई सार नहीं रहेगा।

आखिर में अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी के जल स्वावलम्बन प्रोग्राम की मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। बहुत शानदार कार्यक्रम हाथ में लिया है। इससे सही माइने में राजस्थान की जनता का लाभ होगा और पानी की बचत होगी और अण्डर ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज होगा। मैं निश्चित रूप से मानता हूं। मेरे यहां तो बदकिस्मती से इस साल 44 परसेंट डेफिसिट रेन फाल के कारण पानी की कमी थी। इस कारण वह भरे नहीं। उसका भी इलाज शायद हमको मिलता। हमारे बांध भी नहीं भरे, एनीकट भी नहीं भरे। इस साल की हालत तो

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बहुत खराब रही लेकिन यह जरूर है कि यह कार्यक्रम बहुत बढ़िया है। इसको और तेज गति से आगे बढ़ाया जाए। यह बहुत जरूरी है। कहीं छोटी-मोटी गड़बड़ होगी। आप थर्ड पार्टी से इसका इन्सपेक्शन करवाइये, दिखवाइये। कहीं होगी छोटी-मोटी गड़बड़। इतने बड़े कार्यक्रम के अन्दर कभी छोटी-मोटी गड़बड़ियों की परवाह ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर यह कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। यह मैं आपसे निवेदन करता हूं। क्योंकि नेगेटिव बातें कही हैं। कोई पोजिटिव बात भी तो कहनी चाहिए अपने को। इसलिए मैं एण्ड करूंगा। पिछले साल पोजिटिव नोट से शुरू किया था। इस साल पोजिटिव नोट से एण्ड कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया। बहुत धन्यवाद। बहुत आभार।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल पर चर्चा करने के लिए यहां हम सब इकट्ठा हैं। 13 अनुदान मांगों के ऊपर बहुत अच्छी तरह से विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है और सबने अपनी सक्रिय भागीदारी इसके अन्दर निभायी, इसके लिए सबको धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, आज मुझे अत्यन्त खुशी हो रही है क्योंकि आज का दिन, मैं मानती हूं कि ऐतिहासिक दिन है। लोकतांत्रिक परम्पराओं और संसदीय परम्पराओं के अन्दर ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर को हम एक महीने पहले पूरा करते हुए अगले वित्तीय वर्ष के खर्चे को और इस वित्तीय वर्ष की राशि को हाउस के सामने लाकर अनुमति मांग रहे हैं to be able to start a little bit earlier then we would normally have done. मैं समझती हूं कि यह एक इफेक्टिव कदम है। पहली दफा हाउस में हुआ है। एक इफेक्टिव और एफिशिएंट, as far as expenditure is concerned. कदम है और मैं समझती हूं कि इसकी वजह से एक रैपिड ग्रोथ और डवलपमेंट की तरफ का कमिटमेंट सबके सामने जाहिर होगा।

मैं समझती हूं कि यह जो काम हुआ है, यह इसलिए हमने भी किया है कि हम मानते हैं कि विभागों को, बजट के अन्दर अभी तक जो घोषणाएं हुई हैं, पिछले साल की भी, उनको आफकोर्स पूर्ति करनी है परन्तु इसके साथ-साथ हम यह चाहते हैं कि 2018-19 के बजट की जो घोषणाएं हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन की भी हम लोगों को पूरी तैयारी करनी है ताकि इस साल के अन्त तक हम उनको सही तरीके से जमीन पर ला सकें और प्रदेश की जनता

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

तक इस सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम कर सकें। मैंने कहा था बजट की घोषणाओं के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, And I quote, 'Our track record speaks for itself.' Please, we should not be compared with the last Congress Government.

पिछले चार वर्ष तक बार-बार मेरे से इस हाउस के अन्दर यह पूछा गया कि कितनी बजट घोषणाएं थीं और कितनी घोषणाओं को आपने पूरा किया है अभी तक। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2050 बजट घोषणाओं में से करीब 1847 घोषणाएं ऐसी हैं जिनको हमने पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट किया है या अण्डर इम्प्लीमेंटेशन हैं। In other words अध्यक्ष महोदय, 90% of the budget announcements have been implemented or rest others are under implementation. उनमें से कुछ जो अण्डर इम्प्लीमेंटेशन हैं, आलमोस्ट 256 ऐसी घोषणाएं हैं जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और इन बड़े प्रोजेक्ट्स की क्रियान्विति करने के लिए थोड़ा सा समय लगता ही है। इसका gestation period है। फिर भी हमारा यह प्रयास है कि इस साल के अन्त तक हम उन बड़े प्रोजेक्ट्स को अधिकतम पूरा कर सकें और करने की हम कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल को पास करने से पहले सदन के सामने कुछ तथ्य मैं रखना चाहूंगी। माननीय सदस्यों ने पूरी बातें आपके सामने, हाउस के सामने रखी हुई हैं। रेवेन्यू सरप्लस और रेवेन्यू डेफिसिट की बात जब चली, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि 2003-04 के अन्दर गत सरकार के आर्थिक कु-प्रबन्धन के कारण, आप यह देखेंगे कि उनके कार्यकाल के अन्दर by the end of their tenure, करीब 3424 करोड़ डेफिसिट में थे। 2007-08 के अन्दर हमारी सरकार के टेन्योर में, हम लोग अपना टेन्योर कमप्लीट करने जा रहे थे, तब हम उसको सरप्लस में लाने में कामयाब हुए। 1653 करोड़ का सरप्लस हम लोगो ने किया और मैंने यहां बताया। 2013-14 के अन्दर फिर जब इनकी सरकार थी तो हमने देखा कि वह भी 1039 करोड़ के डेफिसिट में, जब यहां से गयी, तब यह डेफिसिट हम लोगों पर छोड़कर गयी।

अध्यक्ष महोदय, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, हमारा मानना है कि रेवेन्यू डेफिसिट को रेवेन्यू सरप्लस के अन्दर बदलने के प्रयास में कोई हम कमी छोड़ते नहीं हैं और हमने करके भी दिखाया। फिस्कल डेफिसिट की बात हुई। मैं इसमें बताना चाहूंगी कि 2003-2004, at the end

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

of the tenure of the previous Government, percentage of fiscal deficit to GSDP is more than 6% of the GSDP. 2007-2008, के अन्दर, at the end of the tenure of the B.J.P. Government, 1.75% of GSDP. And in 2013-14, again at the end of the Congress tenure, it went upto 2.8% of the GSDP.

तो आंकड़े कहते हैं कि जब-जब कांग्रेस रहती है तब-तब राजस्व घाटा और फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है और जब डैट बर्डन की ओर ध्यान रखेंगे तो मार्च, 2008 के अन्दर The debt was about 77,138 crores. मार्च, 2014 के अन्दर 1 लाख 30 हजार 640 करोड़ का एप्रोक्सिमेटली मैं कह रही हूं तो It is one lakh thirty nine thousand and something. But approximately, one lakh thirty thousand and increase of 53,000, approximately.

मेरा सिर्फ यह कहना है कि हमको विरासत में दोनों समय जो स्थिति मिली है उस स्थिति को लेकर आगे बढ़ने का काम हम लोगों ने करने की कोशिश की है और इसमें अच्छे से अच्छा वित्तीय प्रबंधन करने की कोशिश करके राजस्थान की जनता तक जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको पहुंचाने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी है।

आज भी सी.ए.जी. की रिपोर्ट की अपन बात कर रहे हैं, आज भी सी.ए.जी. की रिपोर्ट टेबल हुई है, उसमें उन्होंने सरकार को भी सराहा है। उन्होंने क्लीयरली यह मेंशन किया है कि Annual growth rate of the GSDP has been higher than the national growth rate in 2015-16 and 2016-17. It is also mentioned that 2016-17 के अन्दर 16,842 crores subsidy was given in the energy sector, ऊर्जा क्षेत्र के अन्दर which was 6747 crores more than the previous year. In the health and education departments or sectors, again 15% more and in the social sector, the percentage of the टोटल खर्चा was 35.5% whereas; it was 32% for the rest of the States that were falling in the general category across the Country.

जहां तक accumulated losses of the power utilities are concerned and there was a wonderful juggling of words as well as figures, थोड़े से इसके पहले माननीय सदस्य ने अपनी बात को जोरदारी से रखा। मैं तो सब लोगों को सिर्फ इतना ही ध्यान दिलाना चाहती हूं कि वर्ष 2008-09 तक, पिछले कार्यकाल में जब हमने सरकार को छोड़ा तब बिजली कम्पनियों के ऊपर कुल घाटा जो था वो करीबन 15 हजार करोड़ रुपये था।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

15 हजार करोड़ And I am repeating this. गत सरकार के कार्यकाल के पांच वर्षों में ये घाटा बढ़कर 75 हजार करोड़ रुपया हो गया, वो पार कर गया। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि 60 हजार करोड़ रुपये बढ़ा जो कि 2008-09 के घाटे का चार गुना था। कोई माननीय सदस्य ने यह कहा कि because of tendencies, the amount of revenues coming in have also grown. Therefore, the devolutions to different departments have also grown and then all these things have also grown एण्ड वो सब चीजों को हम लोगों ने अपने सिर के ऊपर लेकर उसको सही तरीके से मैनेज करके जनता तक पहुंचाने का काम किया है, आसान बात नहीं थी इस कठिन बात को फैलाने में, सब के बीच में इसको फैलाने में मैं समझती हूं कि हम लोगों ने सक्सेसफुली इसको टेकल किया है और जो चुनौतियां स्वीकार करते हुए हमने यह तय किया कि एक healthy, educated, generous, prosperous and smiling Rajasthan, with well developed economic infrastructure. ये विजन हमने सामने रखने की कोशिश की है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है और हमने इसके लिए एक एक्शन प्लान भी वर्क आउट किया जिसके तीन प्रमुख आधार थे।

सबसे पहले कि निवेश किस तरीके से बढ़ाया जाए, साथ-साथ आर्थिक विकास में हम किस तरीके से तेजी लाएं, रोजगार के किस तरीके से हम नये अवसरों का सृजन करें और सामाजिक समरसता को कैसे बनाये रखें जिसमें आपके अच्छी चिकित्सा व्यवस्था हो और महिलाओं के सशक्तीकरण का बढ़ावा हो। इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखते हुए हम राजस्थान को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, इस वीजन को लेकर इसको साकार करने के लिए हमने कठोर परिश्रम किया है और उसका अंदाजा सब क्षेत्र के अन्दर देखने को भी मिल रहा है। और मैं यह कह सकती हूं कि पिछले चार वर्षों के अन्दर ऐतिहासिक कार्य हुआ है और ठोस आधार पर मैं आज इर्रिफ्यूटेबल फैक्ट्स के ऊपर इस चीज को आपके सामने रख सकती हूं।

पिछले चार वर्षों में एक नये राजस्थान के निर्माण की दिशा में ले जाने का हम लोगों ने कार्य किया है। कुछ ऐसे कदम हम लोगों ने उठाये हैं, कुछ ऐसे फैसले हम लोगों ने लिये हैं और मैं समझती हूं कि बार-बार इस चीज को क्योंकि कहने की जरूरत होती है और अपन बार-बार उन्हीं चीजों को रिपीट करते हैं तो कभी-कभी यह जरूरी भी हो जाता है, अध्यक्ष महोदय, कि इन चीजों के बारे में हाउस को रिमाइंड किया जाए। आज इसलिए 50 साल में पहली बार जो कार्य हुए हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा रिमाइंडर हाउस के सामने

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

रखना चाहती हूं क्योंकि मैं समझती हूं कि इस चीज के बारे में आज हाउस के अन्दर भी लोगों के ध्यान में आये और जनता को भी यह ध्यान में आये कि ये काम आसान नहीं थे परन्तु फिर भी इस सरकार ने वो किये हैं।

सबसे पहले लघु और सीमांत कृषकों को सहकारी बैंकों के जो ओवरड्यूज लोन उनके समस्त पैनल्टी एण्ड इन्टरेस्ट को माफ करने का काम हम लोगों ने किया है। छोटा काम नहीं था। लघु और सीमांत कृषकों के सहकारी बैंकों के 50 हजार रुपये तक के कर्जे को एक बार माफ करने का काम हम लोगों ने किया है। किसान सभी प्रकार से स्थाई लगान से पूर्ण रूप से अब मुक्त है और 'राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग' को हमने इसलिए खड़ा किया है क्योंकि हम एक बार काम करके निकालना नहीं चाहते हैं। हमने यह तय किया है कि कर्जा माफ करा है एक बार, परन्तु इसके साथ-साथ एक परमानेंट व्यवस्था भी हम खड़ी कर दें। जिस परमानेंट व्यवस्था के अन्दर अगर कोई भी किसान डिस्ट्रेस्ड है और अगर उसको प्रोब्लम हो रही है तो वो उस आयोग में आ सकता है और उसको उस आयोग के द्वारा राहत भी मिल सकती है। इसलिए इस 'राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग' को खड़ा करने का काम हम लोग कर रहे हैं।

जीरो इन्टरेस्ट रेट पर किसानों को 62 हजार करोड़ का फसली ऋण, आपकी वजह से।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरी वजह से?

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): हूं।

62 हजार करोड़ का फसली ऋण हमने वितरित किया है और 2018-19 के अन्दर यह जायेगा अप टू 80 हजार करोड़। कोई छोटा-मोटा काम नहीं है। 80 हजार करोड़ तक ये जाने वाला है।

गांव को किस तरीके से जल में आत्मनिर्भर बनाया जाए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य को कि उन्होंने पोजिटिव नोट पर एंड करने की कोशिश करते हुए 'मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान' के बारे में कुछ बात कही। ये एक वॉलेंटरेरी स्कीम है, स्कीम के अन्दर हमने पैसे जोड़ने की कोशिश की और वॉलेंटरेरी लोगों को जोड़ते का काम किया और इस कोशिश में हमने पूरी सिविल सोसाइटी को जोड़ते हुए नोट जस्ट अधिकारी और जन प्रतिनिधि परन्तु सब को जोड़ते हुए हमने कोशिश ये की। That also, जब हमने पता किया कि कहां वो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, कहां नहीं बन सकते, उसकी पूरी स्टडी करने के बाद हमने यह

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कोशिश की है कि पूरे राजस्थान को कवर करने के लिए हम कोशिश करेंगे। अगले पांच-छह साल के अन्दर अगर यह लगातार चलता रहेगा तो मैं समझती हूं कि जो डिस्ट्रेस्ड एरियाज हैं वहां हम यह काम कर भी सकेंगे और जो जल नीचे चला गया है वो जल फिर से ऊपर आ जाएगा।

मुझे खुशी है आपको यह बताते हुए कि अभी-अभी जो मैं अख़बार पढ़ रही थी, उन अखबारों के अन्दर ये देखने को मिला कि इसका टैस्ट कर दिया गया है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर यह जल ऊपर आ गया है जो मैं समझती हूं कि यह बताना कि पेयजल के स्थाई समाधान, वर्षा जल का संग्रहण और संरक्षण और सिंचाई क्षेत्रफल को बढ़ाने के अन्दर इस प्रोग्राम ने हमारी जनता को काफी फायदा दिया है।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने उसको कम्पेयर करने की कोशिश की। आप बार-बार सिंचित, सिंचित कह रहे थे ईस्टर्न राजस्थान के बारे में, मैं आपको बताना चाहती हूं कि चारों डिस्ट्रिक्ट्स बहुत ही डिस्ट्रेस्ड हैं और अभी तक उन चारों डिस्ट्रिक्ट्स के सिंचाई के अन्दर जो डिस्ट्रेस है उसको संभालने के लिए कोई बड़ी स्कीम, कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। जबकि वेस्टर्न राजस्थान के अन्दर आपके पास आलरेडी इंदिरा गांधी नहर और बड़ी स्कीम्स भी हैं परन्तु कभी न कभी 60 साल के बाद यह जरूरी होता है कि नदी के किनारे चलते हुए चार डिस्ट्रिक्ट्स जो उस नदी के पानी को देख रहे हैं परन्तु वो पानी उन तक नहीं आ रहा है, ऐसी परिस्थिति के अन्दर उन तक पानी पहुंचाने का काम सरकार करे। और इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए 37 हजार करोड़ की स्कीम को हमने हाथ में लिया है, यह कोई छोटी-मोटी स्कीम नहीं है और मैं समझती हूं कि जब यह हो जाएगा तो राजस्थान के 13 डिस्ट्रिक्ट्स को पानी मिलेगा। जिन 13 डिस्ट्रिक्ट्स को पानी मिलते-मिलते अलवर जैसी डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। जिस अलवर में आज पानी पीने को नहीं है, जिस अलवर में आज इंडस्ट्री के लिए पानी नहीं है, जिस अलवर में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स तक हम पानी पहुंचाने का काम करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए हमने 37 हजार करोड़ रुपया वहां तक लाने की कोशिश की है।

किसान सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, हमने किसानों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक चीज पर ध्यान नहीं रखा है, हमने एक पूरा पैकेज उनके लिए बनाया है। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा,...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप तो कर्जा माफ करो किसानों का। (व्यवधान) कर्जा माफ करो लघु, सीमांत का, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हनुमान जी बेनीवाल आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इससे राजस्थान के किसानों का भला नहीं हो रहा। बार-बार यही रटी-रटाई बात।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें। विराजिए। माननीय मुख्य मंत्री।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): इस दुर्घटना बीमा की राशि, जो गत सरकार के टाइम में सिर्फ 50 हजार रुपया थी, 2015 के अन्दर हमने उसको 3 लाख किया और 2016 के अन्दर उसको 5 लाख किया, 2017 के अन्दर उसको 6 लाख किया और अब 1 अप्रैल को उसको 10 लाख बहुत ही जल्द हम लोग करने वाले हैं। ये छोटी-मोटी बात नहीं है। यह तो ठीक है कि उठकर बहुत आसानी से क्रिटिसाइज कर सकते हैं। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, परन्तु अध्यक्ष महोदय, स्कीम्स को जमीन पर लाना आसान नहीं होता है और इसमें मेहनत जाती है। सब लोगों ने मेहनत की है, मेहनत करके, मैं समझती हूं, इसलिए जरूरी है कि सबके सामने जो किए गए काम हैं, वे एक दफा ध्यान में लाए जाएं।

गोसंवर्धन और पंचगव्य के उपयोग और अनुसंधान को बढ़ाने के लिए गोपालन विभाग की स्थापना की गई जो आज दिन तक नहीं थी। उस विभाग की वजह से बहुत सारे काम हम उस क्षेत्र के अन्दर अब करने लगे हैं। निराश्रित गोवंश की देखभाल के लिए नंदी गोशाला, हम लोगों ने कह दिया है, अब बहुत जल्दी उसका काम भी चालू हो जाएगा।

दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए एक दिव्यांग कोष अलग से हम लोगों ने बनाया है। अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं उनके बारे में। हम तो खाली 2-3 परसेंट की बात करते रहते हैं कि सरकारी नौकरी में लाएंगे, परन्तु सरकार को उनके बारे में सोचने की भी जरूरत है। किस तरीके से इनको री-हैबिलिटेट किया जाएगा, किस तरीके से इनको मेन-स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेंगे, उसको ध्यान में रखने की भी जरूरत है और इस सरकार ने उसको ध्यान में लाते हुए एक दिव्यांग कोष का इंतजाम किया है। जब ये दिव्यांग बच्चे से बड़े हो जाएंगे और सरकारी अनाथालय को छोड़ेंगे, समाज की मुख्य धारा में ये आएंगे तो इन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए 1 लाख रुपए का इन युवक और युवतियों के लिए अनुदान देने का हमने प्रावधान किया है ताकि जब ये निकल पड़ेंगे तो एट लीस्ट उनके हाथ में यह पैसा है, जिसके साथ वे अपने जीवन का कुछ बना सकें।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

जो डेफ, डंब, ब्लाइंड, ऐसे विद्यार्थी हैं, उनको पहली दफा उच्च शिक्षा की व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। क्यों नहीं सोचा आपने पहले? इन लोगों के बारे में सोचने का तो नाम और निशान नहीं, क्रिटिसाइज करने का जरूर काम है। प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में अब 1-1 अम्बेडकर भवन देने का काम हम लोगों ने किया है। एससी, एसटी, ओबीसी एण्ड मोस्ट बैकवर्ड, उन सबके लिए 'भैरोंसिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार' योजना का प्रारम्भ किया है, जिसके अन्दर टू बिगिन विद 50000 rupees का लोन 50 हजार युवाओं को बिना कोलैटरल के देने का काम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं।

इसी प्रकार ईबीसी के अन्दर 'श्री सुंदर सिंह जी भंडारी ईबीसी स्वरोजगार' योजना है। उसको हमने प्रारम्भ किया है और 50 हजार रुपए तक का लोन, 50 हजार ऐसे युवाओं को देने का काम हम कर रहे हैं, अगेन विदाउट कोलैटरल। अब राजस्थान एससी, एसटी फाइनेंस डवलपमेंट कारपोरेशन के जो लोनीज थे, उनके जो 2 लाख तक बकाया ऋण थे, उनको ऋण स्वयं और ब्याज के साथ माफ करने का काम हमने किया है। मैं समझती हूं कि उनके बारे में भी अभी तक किसी ने नहीं सोचा है। मुझसे बहुत पूछा जा रहा है कि इनके लिए क्या किया, क्या नहीं किया और फीगर्स तो बहुत कोट करने में कमी किसी ने छोड़ी नहीं है, परन्तु मैं यह पूछना चाहती हूं कि जमीन के ऊपर क्या काम किया है, जिसकी वजह से उन लोगों को एक्चुअल लाभ मिला है।

फीगर्स और गणित बहुत आसान चीज होती है, परन्तु लास्ट मैन स्टैंडिंग तक वह काम ले जाना आसान नहीं होता है। उसके अन्दर मेहनत करने की जरूरत होती है। 67 प्रतिशत से अधिक आबादी के लिए भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एक बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट स्कीम अब हो चुकी है।

अभी मुझसे पूछा जा रहा था कि ये कौशल विकास का क्या हो रहा है, परन्तु मैं यह कहना चाहती हूं कि जब तक हम अपने युवाओं को तैयार नहीं कर देते, पढ़े-लिखे और कौशल माने उनका इम्प्रूवमेंट हो, वे समझें कि उन्हें क्या करना है, वे तैयार हो जाएं तो इंडस्ट्री यहां आएगी। हम नहीं चाहते कि अगर इंडस्ट्री यहां आती है तो बाहर के किन्हीं स्टेट्स से लोगों को यहां आने की जरूरत होनी चाहिए, इसीलिए जरूरी है कि कौशल विकास उनका हो और जब कौशल विकास उनका होगा तो हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होगी। जो निवेश यहां कर रहा है, जो फैक्ट्री यहां लगा रहा है, वह आराम से

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

यहां के बच्चों को ही अपने यहां रोजगार देने का काम करेगा। इसी वजह से देश में फर्स्ट राजकीय कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। इसका वाइस-चांसलर भी बन चुका है।

उसके साथ-साथ हमने एक गवर्नमेंट का भी किया है और एक नॉन-गवर्नमेंट का भी उसको खड़ा करने का काम किया है। भारत स्किल डवलपमेंट सैंटर के साथ निजी कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना भी अभी हम लोगों ने कर ली है और युवाओं को एक और रास्ता देने का काम करते हुए हमने डिजी-फेस्ट के द्वारा टैक्नोलोजी से उनको जोड़ने का काम भी किया है।

जहां तक एजुकेशन का काम है, राजस्थान का लोहा तो पूरे देश ने माना है और कहां 26th स्थान पर हुआ करता था, आज वह चौथे या छठें स्थान के ऊपर अब आ गया है। मैं समझती हूं कि बहुत इम्प्रूवमेंट, बहुत काम उन सब लोगों ने मिलकर उसके अन्दर किया है, उसके लिए भी मैं समझती हूं कि जब आप इतने पोजिटिव नोट पर जा रहे थे तो इसके बारे में भी कह देते तो अच्छा ही लगता, क्योंकि यह एक्चुअली में पोलिटिकल बात है नहीं। यह एक ऐसी बात है, जिससे पूरे राजस्थान को फायदा होने जा रहा है। 26th पोजिशन से 4th पोजिशन पर लाना कोई आसान बात नहीं थी, परन्तु आज 5500 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हम लोगों ने क्रमोन्नत किया है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10th या 12th लेवल के स्कूल का आदर्श विद्यालय के रूप में अब विकास हुआ है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो 5th और 8th वाले स्कूल्स हैं, उनका उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकास हुआ है और अब इस एकेडेमिक ईयर से मिड-डे मील योजना के अन्दर उन विद्यार्थियों को वीक में 3 बार अब दूध भी मिलेगा। मैं समझती हूं कि बच्चों की सेहत का भी इंतजाम अपने को स्कूल के अन्दर करने की जरूरत है।

रिजल्ट की बात मैं यहां नहीं कर रही हूं, वह सब इतनी सारी किताबें और वह सब पड़ा है तो मुझे तो पता है कि आपने वह भी पढ़ लिया होगा कि कितना इम्प्रूवमेंट मार्क्स के अन्दर हुआ है और कितने बच्चे अब प्राइवेट स्कूल्स से हटकर सरकारी स्कूल्स में वापस आने का काम कर रहे हैं। यह अपने आप में बता रहा है कि तीन साल के अन्दर इस सरकार का क्या काम हुआ है।

बालिका के जन्म के प्रति हम लोगों ने एक सकारात्मक सोच और उनके स्वास्थ्य और शैक्षणिक स्तर में सुधार, उसको ध्यान में रखते हुए मुख्य

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मंत्री राजश्री योजना को शुरू किया है। दूसरे स्टेट्स, जो भी स्टेट्स हैं, अपनी बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए एफ डीज बनाते हैं, 18 साल की उम्र में आप उस एफ डी को ले सकते हो या 21 ईयर्स की उम्र में वह एफ डी टूट सकती है, परन्तु हमने यह कहा कि हमारी बच्ची के लिए हम लोग लगातार जब-जब उसको जरूरत होगी, ऐसी स्थिति में उसके लिए कैश का इंतजाम हो सके, उसको ध्यान में रखते हुए, जब वह पैदा होती है तो 2500 रुपए तुरन्त उसकी मां के हाथ में हम लोग दे देते हैं।

प्रथम वर्षगांठ जब उसकी होती है तो 2500 रुपए उसको मिल जाते हैं ताकि अगर उसको जरूरत पड़े तो भी पैसे हैं। राजकीय विद्यालय में जब वह पहली क्लास में जाती है तो उसे 4000 रुपए तुरन्त ही वहां मिल जाते हैं ताकि उसको वहां जरूरत पड़े तो वह इस्तेमाल कर सकती है। जब वह कक्षा 6 में जाती है तो उसको 5000 रुपए मिल जाते हैं, अगेन उसको जरूरत पड़े तो उसके हाथ में कैश है। जब वह कक्षा 10 में जाती है तो उसको 11000 रुपए मिल जाते हैं, अगेन उसको जरूरत है तो वह ले सकती है। फाइनली जब वह बारहवीं में पहुंचती है तो उसको 25000 रुपए उसके हाथ में मिलते हैं ताकि कभी भी पैरेंट्स को कभी भी कोई कह नहीं सकता कि मेरी बेटी मुझ पर बोझ है। उसके पैसे उसके पास हैं और आराम से उसको काम में वह ले सकती है।

50000 रुपए का बैनिफिट डायरेक्ट अलग-अलग स्टेजेज पर उसको मिल जाता है। इसके साथ-साथ हमने हरेक कलेक्टर द्वारा एक बेटी को गोद लेकर उसकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए 'अपनी बेटी' योजना का काम हमने चालू किया है अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं यह भी कहना चाहती हूं कि कोई भी माननीय सदस्य अगर संरक्षक बनना चाहते हैं या शिक्षा में उसकी व्यवस्था करना चाहते हैं, गोद लेकर उसकी व्यवस्था करना चाहते हैं तो वो भी इस स्कीम के अन्दर आराम से जुड़ सकते हैं। कलेक्टर्स के पास पूरे डिटेल्स हैं और अगर कोई भी स्कीम के अन्दर जुड़ना चाहता है तो मैं समझती हूं कि एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम कर रहा होगा, वो आराम से इसके अन्दर जुड़ सकता है।

मैरिटोरियस जो छात्राएं हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए किस तरीके से प्रोत्साहित करें, यह ध्यान में रखते हुए हमने 'मुख्य मंत्री हमारी बेटी योजना' को चालू किया है। अध्यक्ष महोदय, उसके अन्दर हरेक डिस्ट्रिक्ट में तीन बच्चियों को हमने डाइरेक्ट ही लिया जो कमप्लीटली मैरिट पर थे। एक

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

बीपीएल कमप्लीटली मैरिट पर है और अब मैंने उसमें एक आर्फन जोड़ा है, जिसके माता-पिता नहीं है उनको मैरिट पर लेने का काम मैंने किया तो ऐसी चार बच्चियां हो जाती हैं। अभी तीन साल के अन्दर 297 ऐसी बेटियां हैं जिनको हम सम्भाल रहे हैं।

15 से लेकर 45 वर्ष की आयु की ग्रामीण बालिकाएं और महिला menstrual hygiene scheme और फ्री सेनिटरी नेपकिन्स को ध्यान में रखते हुए अलग से स्कीम हम लोगों ने चालू की है। मैं फिर से आपके द्वारा हमारे सब माननीय सदस्यों को कहना चाहती हूं कि अपने विधायक कोटे में से इनमें देने का अगर कभी उनको मौका मिलता है तो वो जरूर इसको सपोर्ट करने का काम करें।

महिला कर्मचारियों को पहली दफा दो वर्ष की चाइल्ड केयर लीव दे दी गई है और एक लाख 84 हजार महिला मानदेय कर्मियों के मानदेय में वृद्धि और साथ में बीमा योजना उनके लिए भी तैयार कर दी गई है।

अब पब्लिक सैक्टर में देश का पहला इंटीग्रेटेड पैट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स, रिफाइनरी और पैट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स अब खड़ा हो रहा है। बहुत सारे प्रश्न अभी पूछे गये हैं और वो अच्छी तरह से जवाब जानते हैं। मैं तो अभी सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि विकास की राजनीति और चुनाव की राजनीति के अन्दर थोड़ा-थोड़ा फर्क हम लोगों ने करने की कोशिश की है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि यह लैण्ड कब आइडेंटिफाई हुई थी, कहां आइडेंटिफाई हुई थी, फिर कहां शिफ्ट हुई और क्यों शिफ्ट हुई? यह भी हम पूछना चाहेंगे कि क्यों शिफ्ट किया गया, कौन इससे बैनेफिट किया। मैं यह पूछना चाहती हूं कि मुझे यह बताएं कि प्रीवियस पैकेज के अन्दर कोई ट्रांजेक्शन एडवाइजर नहीं, कोई एनेलेसिस नहीं, यानी इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपन करने जा रहे हैं और इस तरीके से कोई करता है? खाली जल्दबाजी में पत्थर लगाकर आराम से भाग जाना और वो भी कुछ ही दिन पहले, मुझे लगता है कि चुनाव के 12-15 दिन या एक महीने पहले ही और हमें बताया जा रहा है कि हम चुनाव का ध्यान कर रहे हैं। हम तो आपको खाली इतना ही बताना चाहते हैं कि हम राजस्थान के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन जल्दबाजी में नहीं करते हैं। इतना बड़ा डिसीजन जिसमें हजारों करोड़ रुपया और वो भी राजस्थान की जनता का हजारों करोड़ रुपया, हम यह आसानी से नहीं करने वाले हैं। हमने उसके बारे में बहुत सोच-विचार किया और सोच-

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

विचार करने के बाद हमने सैंटर से भी बात की, उनके साथ बैठकर बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करके हमने इसको जमीन पर लाने का काम किया है जिसका काम चालू हो गया। जब काम चालू हुआ तभी हम प्रधान मंत्रीजी को वहां लाये, हम वैसे जल्दबाजी में नहीं लाये।

मैं आपको यह भी कहना चाहती हूं कि ओएनजीसी को अगर मार्केटिंग सैक्टर में उस समय यदि एंटर करने की अनुमति प्रदान कर दी होती तो शायद कोई ठोस प्रस्ताव का सहमति पत्र, जो हमें नहीं मिला, वो मिल जाता। मैं यह कहती हूं कि तब यूपीए की सरकार थी तो जो This could have become a reality in 2012. यानी आज जिस बात को मुझे कह रहे हो कि चार साल क्यों लगे, 2012 में ही आप कर सकते थे अगर आप चाहते पर वो लास्ट मिनट में आप क्यों लाये? चार साल आपने वेस्ट क्यों किये? यह मैं पूछना चाहूंगी। किसने पालिटिक्स खेला यह प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि बहुत क्लियर है, चार पूरे साल निकाल दिये और 15 दिन पहले, 20 दिन पहले अपने नेता को लाकर वहां पत्थर लगवाने का काम कर दिया, हाबड़-धाबड़ में सब काम हुआ, कोई आगे न पीछे, कोई कुछ उसमें नहीं, कहां फाइनेंसेज आ रहे थे कुछ नहीं। हमने चार साल लगाये हैं, बहुत सोच-समझकर किया है और अब जब जमीन पर जाएगा तो वो पीछे नहीं हटेगा। हमने अपने नेता का पत्थर लगवाया नहीं जब तक हमें पूरी गारंटी थी कि यह काम आगे बढ़ेगा।

आज सुप्रीम एवियेशन को 4 अक्टूबर, 2016 में हमने इंट्रा-स्टेट हवाई सेवाओं को चालू करने का काम किया, यह भी फर्स्ट टाइम राजस्थान के अन्दर हुआ है। क्योंकि यह जरूरी था कि हम इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट्स का कनेक्शन कराना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी था इसलिए चाहे वह बीकानेर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे वह कोटा हो, चाहे वह अजमेर हो, हमने शुरूआत कर दी। हम रुके नहीं कि कोई प्राइवेट आएगा, हम रुके नहीं कि सैंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आएगी। हमने कहा कि उसके पहले ही इसको चालू करवा दो ताकि जो लोगों को बिजनस के लिए ट्रेवल करना पड़ता है उन लोगों को हवाई सेवाओं से जोड़ने का काम जल्दी से जल्दी हो जाए।

इसके साथ-साथ नागरिकों की सुरक्षा, यह हमारे लिए प्राइमरी था तो इसको और आपदा प्रबन्धन को सुदृढ़ करने के लिए अभय कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सैंटर्स अब पूरे सातों हमारे डिवीजनल हैडक्वार्टर के अन्दर खड़े हो जाएंगे और

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मैं समझती हूं कि इसका भी बहुत बड़ा फायदा हम लोगों को वहां मिलने वाला है। आलरेडी आपने देख लिया होगा कि क्राइम के अन्दर इससे एक रूकावट आई है यानी कमी आई है और यह तो होगा क्योंकि अब अभय कमाण्ड सेंटर के अन्दर लोगों को भी ले जाया जा रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हमारे कैमराज लगे हुए हैं तो सबको मालूम पड़ रहा है कि दुकान के अन्दर तक वो कैमरा देख सकता है। इसलिए खुद ही, अपने आप ही धीरे-धीरे जो क्राइम करने वाले हैं उनको जानकारी मिलते ही उस चीज को कम करने में लगे हुए हैं।

परिवहन निगम की बसों के अन्दर जो लोग 80 वर्ष के हैं उनको तो मुफ्त यात्रा दी ही दी है परन्तु उनके साथ एक अटेंडेंट भी लगा दिया है और 50 प्रतिशत की रियायती दर पर उनको यात्रा करने का एक मौका दिया है। वरिष्ठ नागरिकों को, जो अभी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं उनको हवाई जहाज तक के द्वारा जाने का मौका अब दे दिया है।

व्यापारियों ने जो हम लोगों के सामने यह रखा था कि व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया जाए तो उस व्यापारी कल्याण बोर्ड की भी हम लोगों ने घोषणा करके उसको सैट-अप करने का काम हम बहुत ही जल्दी करने वाले हैं।

पंचायती राज संस्थाओं, स्वायत्त शासन संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं के अन्दर जो चुनाव होते हैं उसमें भाग लेने वाले लोगों के लिए हमने एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान लागू कर दिये हैं और उसमें देश के अन्दर प्रथम प्रदेश है।

उचित मूल्य की दुकान, अभी तक तो किसी ने सोचा नहीं था कि राशन की दुकान एक मल्टीब्रांड वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए भी दुकान बन सकती है और ऐसा अन्नपूर्णा भण्डार योजना के द्वारा हम लोगों ने किया है। आज 6153 दुकानें ऐसी खड़ी हो गई हैं राशन की दुकानों के साथ और एक हजार और अभी अनाउंस की गई हैं, मैं विश्वास करती हूं कि वो भी बहुत ही जल्दी जमीन के ऊपर आ जाएंगे।

नगर निकाय और स्मार्ट रसोई वैन्स के माध्यम से प्रतिदिन अब एक अच्छा हैल्दी नाश्ता और भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है फोर वैरी मिनिमम प्राइस। आज के दिन मैं समझती हूं कि 147 यूएलबीज को हम लोग

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कवर कर रहे हैं। 365 वैन्स बाई द एंड आफ द मार्च, 135 और वैन्स जो हमारे हैं वो 44 यूएलबीज जो रह गये हैं उनको भी कवर कर लेंगे, 500 इस तरीके से वैन्स हमारे 31 मार्च तक खड़े हो जाएंगे अलग-अलग जगह पर और मैं समझती हूं कि ये तो कुछ ही उदाहरण हैं।

अब कुछ तो विजन भी हम लोगों का होना चाहिए। इट्स नाट अबाउट टुडे, इट्स आल्सो अबाउट टुमारो, और अगर हम उसको ध्यान में रखते हैं तो कुछ ऐसे विजन भी स्टेट के सामने हमने रखे हैं जिनके फार-रीचिंग बैनेफिट्स भी हैं।

मैंने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल के बारे में तो आपको बताया ही है परन्तु उसके साथ-साथ रामनिवास बाग़ के नीचे जो भूमिगत पार्किंग है उसको अण्डरपास से दिल्ली जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग से जोड़ने का काम एक अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर करने का काम हम लोग चालू करने वाले हैं। मैं समझती हूं कि आज इतना ट्रैफिक है और अगर उसको पर्यटन के लायक बनाना है, ओल्ड सिटी जिसको कहते हैं तो ओल्ड सिटी के अन्दर का जो ट्रैफिक है उसको बाई-पास कराने की कोशिश हम कर रहे हैं। मैं समझती हूं कि इसका फायदा अल्टीमेटली टूरिज्म के ऊपर हम लोगों को मिलेगा।

जैसलमेर और बाड़मेर को मून्दड़ा और कांडला बन्दरगाह से किस तरीके से जोड़ा जाए उसके ऊपर बहुत सारा विचार हुआ। दिल्ली में भी बैठकें, मंत्रालय में बैठकर हम लोगों ने उसके ऊपर विचार किया है और अब यह सोच रहे हैं कि नई रेलवे लाइन यहां बिछाई जाए इसकी योजना बन रही है और इन तीनों परियोजनाओं के लिए प्रिलिमिनरी कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं। अब आप मुझे पूछोगे कि अगले छह महीने के अन्दर आपने क्यों नहीं खड़ा कर दिया? ये भी बहुत बड़े हैं। इसके अन्दर बहुत पैसा लगेगा और मैं यह समझती हूं कि उसके अन्दर भी बड़े केयरफुली और सोच-समझकर इसको आगे ले जाने का काम चलेगा क्योंकि जब कमिटमेंट हो जाता है तो उस कमिटमेंट से विड्रा हम नहीं कर सकते।

प्रदेश की जनता को अब साक्षी मान करके, उनके हित को हम लोगों ने सबसे आगे रखा हुआ है और अपने आपको ट्रस्टी मानते हुए सदन की अनुमति से राशि खर्च हम अब कर रहे हैं। पब्लिक मनी जो है हमारे पास, उसको सुराज संकल्प के वायदे को पूरा करने के लिए और एक खुशहाल,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सशक्त और स्वाभिमान राजस्थान के निर्माण के अन्दर खर्च करने के लिए हमने आप लोगों से, यहां से अनुमति ली है। मैं इसमें भी कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगी। मुझे मालूम है कि कुछ माननीय सदस्य यह कहेंगे, बढ़ा है तो बढ़ेगा, घटा है तो घटेगा परन्तु मैं यह कहना चाहती हूं कि कुछ तो डिप्लायमेंट ठीक हुआ होगा और इसमें अगर मैं वाटर सप्लाई पर जाती हूं, कैपिटल एक्सपेंडीचर की बात कर रही हूं। वाटर सप्लाई पर मैं जाती हूं तो प्रीवियस गवर्नमेंट के पांच साल के अन्दर 7,717 करोड़ रुपये खर्च किये थे वाटर सप्लाई में, जो प्रजेंट गवर्नमेंट ने चार साल के अन्दर 17,953 करोड़ रुपये अभी खर्च किये हैं और जो एस्टीमेट फार द नैक्स्ट ईयर, अगर आप यह देखेंगे, फाइव ईयर का लेंगे हम तो It is going to be 23,462 crores with 204% का ग्रोथ।

इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, जो 13,111 करोड़ रुपये प्रीवियस गवर्नमेंट ने पांच साल में खर्च किये थे। वह 21,917 करोड़ को 26,136 करोड़ रुपये तक ले जाने का काम आलमोस्ट 100 परसेंट डिफरेंस है, यानी डबल करने का काम हम लोगों ने किया है।

जहां तक इर्रिगेशन का काम हो रहा है, वहां 4,136 करोड़ रुपये, 6,655 करोड़ रुपये चार साल में और पांच साल के अन्दर 134 परसेंट का फर्क होते हुए, 9,694 करोड़ रुपये का खर्च इसमें होने जा रहा है।

रोड्स एण्ड ब्रिजेज के अन्दर, जहां 5,702 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, वहां टोटल चार साल के अन्दर हम लोगों ने 12,866 करोड़ रुपये खर्च किये हैं और एस्टीमेटेड 18,000 करोड़ रुपये हम खर्च करने जा रहे हैं Which is almost 218% का फर्क है।

इसी तरीके से मेडिकल एण्ड पब्लिक हैल्थ के अन्दर, अब आप पांच साल के अन्दर गत सरकार ने 711 करोड़ रुपये खर्च किये थे, 711 crores in five years. Ok. और हम लोग प्रजेंट चार साल के अन्दर 2,486 करोड़ रुपये आलरेडी खर्च कर चुके हैं It will go upto 2,500 crore by the end of the year. 386 परसेंट का फर्क है।

अब इतना ही मैं कहना चाह रही हूं कि जो कैपिटल एक्सपेंडीचर हमारे तीन साल के अन्दर हुआ है that is 55,067 crores and इस साल के अगर रिवाइज्ड एस्टीमेट्स को हम जोड़ें तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडीचर will

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

go upto about 77,604 crores and अगर 2018-19 के प्रावधित राशि को भी हम जोड़ लें और पांच साल का कैपिटल एक्सपेंडीचर will go upto one lakh three thousand three hundred and fourty four करोड़ रुपया और मैं यह कह रही हूं कि यह गत सरकार के कार्यकाल के कुल कैपिटल एक्सपेंडीचर का लगभग ढाई गुना ज्यादा है। कुछ तो काम किया है।

अब कुछ विभाग ऐसे हैं जिनके अन्दर हमने तीन साल के अन्दर खर्च किया है, वह पांच साल में इन्होंने अभी तक खर्च भी नहीं किया है। पेयजल, बिजली, सिंचाई, सड़क, चिकित्सा, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, इन सबके अंदर आप देखेंगे कि जो इन्होंने पांच साल के अन्दर खर्च किया था, वह हम आलरेडी पार कर गये हैं और 2017-18 के संशोधित अनुमानों को भी इसमें अगर हम जोड़ दें तो सभी सैक्टर में चार साल में जो खर्च किया है, वह पांच साल के खर्च से भी अधिक है।

कैपिटल आउटले टू जीएसडीपी का रेशो अगर हुआ है हमारा, वह तो बढ़ा हुआ ही है। 1999-2003 के जो फीगर्स हैं गत सरकार के, 1.95 था। 2003-2008 के अन्दर 2.96 हमारा था, यानी If you look at the productive infrastructure, पर जो खर्चा बढ़ा है और 2008-2013 के अन्दर again it came down to 1.9% and 2013 onwards, it is gone back upto 2.72%. मैं यह खाली कह रही हूं कि ये आंकड़े खुद ही बता रहे हैं कि सुराज संकल्प को किस तरीके से हम लोगों ने एक्चुअली में सुराज सिद्धि के अन्दर परिवर्तित किया है। यह देखने को मिल रहा है और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे सब निर्वाचित सदस्य हैं, वह सब अपने क्षेत्र के अन्दर अधिक से अधिक काम करने की लालसा रखते हैं और यह मैं मानती हूं कि उनको होना भी चाहिए क्योंकि वैसे तो लोग कहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि विकास का वोट नहीं मिलता पर वोट सब कुछ नहीं होता और इसीलिए मैं मानती हूं कि आज नहीं तो कल, हम सब इस बात को मानेंगे कि विकास ही है जो हमारे युवाओं को, उनके फ्यूचर को निखारता है और जो हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने में और बदलाव उसमें लाने में एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप रखता है। मैं मानती हूं कि आज नहीं तो कल, यह आपको देखने में मिलेगा। जो हमारे आदरणीय प्रधान मंत्रीजी ने बोला था, वह बिलकुल उससे मैं सहमत हूं, मैं कोट करती हूं। उन्होंने कहा, "जीतेगा भाई जीतेगा, विकास ही जीतेगा" और बहुत जोरदार तरीके से उन्होंने यही कहा और इस मुद्दे पर माननीय अध्यक्ष

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

महोदय, किसी से भी कहीं भी, किसी भी तरीके से हम लोग पीछे नहीं हैं और मैं इसमें कहना चाहती हूं कि जब वहां विकास का काम होता है, वहां कभी भी पैसे की कमी नहीं आई और न ही हम कभी उसमें आने देंगे। किसी ने कहा था कि

"रास्ते में आयेंगी रुकावटें बहुत, मगर तू बढ़ते जाना,
रोकेगा जमाना तुझे, पर तू चलते जाना,
अब रहेगी सामने मंजिल तेरे,
रुकावटों पर नजर भी नहीं जा पायेगी,
रास्ते हो जाएंगे आसान तेरे,
जब सपनों में भी मंजिल नजर आयेगी"

इतना कहकर, वर्तमान में राजकीय सेवाओं के अन्दर सामान्य वर्ग में भर्ती के लिए 35 वर्ष की आयु को कब तक बढ़ायेंगे? 13 दिसम्बर, 2017 को एनाउंस हुआ था, कब तक होगा? मैं आप सबको यह ध्यान दिलाना चाहती हूं कि इसे बढ़ाकर 40 वर्ष किये जाने की आज अधिसूचना जारी हो जाएगी शाम को और मुझे विश्वास है कि उसका फायदा बहुत सारे लोगों को यहां मिलेगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भर्तियां वर्तमान में हैं, उसके लिए भी डी-नोटिफाई कराने की कृपा करें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी क्रम में कुछ घोषणाएं करना चाहूंगी। नो नो नो।

श्री अध्यक्ष: मानिकजी, विराजिए विराजिए।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों को टोल टैक्स से छूट प्रदान करने की मैं घोषणा करती हूं।

रेलवे फाटक, चूरू पर आर.ओ.बी. का निर्माण करवाया जाएगा।

हनुमानगढ़-बठिंडा ब्रोडगेज रेलवे लाइन पर संगरिया क्षेत्र में अण्डरपास का निर्माण कराया जाएगा।

भीलवाड़ा में हमीरगढ़ गांव से औद्योगिक क्षेत्र तक काजवे का निर्माण करवाया जायेगा और बयाना (भरतपुर) में रोडवेज बस स्टैण्ड का निर्माण करवाया जाएगा।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में प्रतिदिन लगभग 10 लाख यात्रियों द्वारा यात्रा की जाती है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिमाह 45 करोड़

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

रुपये की राशि का सहयोग दिया जाएगा और उक्त राशि राज्य सरकार तथा राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से ऋण एवं अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

बाली, रानी, देसूरी के 222 गांवों के लिए जवाई बांध से पेयजल योजना 476 करोड़ रुपये की लागत से घोषणा करती हूं। इस वर्ष 50 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा करती हूं।

कोटा जिले के सांगोद, पीपल्दा, लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए 297.48 करोड़ रुपये की हरिपुरा-मांझी पेयजल योजना की घोषणा करती हूं। इसके अन्तर्गत कोटा जिले के सांगोद विधान सभा क्षेत्र के 102 गांव और 20 मजरे, पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के 44 गांव और 6 मजरे और लाड़पुरा विधान सभा क्षेत्र के 61 गांव और 61 मजरे, कुल 259 हैबिटेशन्स लाभान्वित किये जाएंगे।

वर्ष 2017-18 के बजट में स्टोरमुंशी और कार्यप्रभारित कर्मचारियों के पदनाम परिवर्तन के संबंध में घोषणा की थी। स्टोरमुंशी पद के संबंध में अब स्क्रीनिंग उपरान्त सेवा नियम बनाये जाकर स्टोरमुंशी के पद पर पदस्थापित किये जाने की घोषणा करती हूं और इसी प्रकार से कार्यप्रभारित कर्मचारियों के लिए सेवा नियम बनाने अथवा वर्तमान सेवा नियमों में संशोधन करके, केवल प्रथम नियुक्ति पद के अगले पद का पदनाम दिये जाने की घोषणा करती हूं।

किसान भाइयों को वीसीआर से हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए मैं घोषणा करती हूं कि कृषि कनेक्शनों की समस्त लम्बित वीसीआर की मूल राशि का 50 परसेंट से घटाकर मात्र 10 परसेंट 30 जून, 2018 तक जमा कराने पर निस्तारण कर दिया जाएगा और मैं घोषणा यह भी करती हूं कि अब नियमित कृषि उपभोक्ताओं की वीसीआर नहीं भरी जाएगी और जो कृषि उपभोक्ता विद्युत भार में वृद्धि कराना चाहेंगे, उनकी भार वृद्धि सामान्य दरों पर कर दी जाएगी। बूंद-बूंद फव्वारा डिग्गी सिंचाई पद्धति में...

श्री अध्यक्ष: कृपया शान्त रहें, कृपया शान्त रहें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): बूंद-बूंद फव्वारा या डिग्गी सिंचाई पद्धति में कृषि कनेक्शन के लिए सितम्बर, 2015 के बाद से लम्बित आवेदनों को कनेक्शन देने की कार्यवाही की जाएगी और भविष्य में आवेदन करने पर इस श्रेणी में कनेक्शन देना निरन्तर जारी रहेगा।

जिन उपभोक्ताओं ने घरेलू श्रेणी के कनेक्शन लिए हैं, परन्तु विभिन्न

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कारणों से अघरेलू श्रेणी में उपभोग कर रहे हैं। ऐसे समस्त उपभोक्ताओं को लाभ देने के लिए स्वैच्छिक श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना लाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 30 अप्रैल, 2018 तक इस प्रकार के दुरुपयोग की घोषणा करने पर वीसीआर नहीं भरी जाएगी एवं सामान्य दरों पर नियमितीकरण किया जाएगा।

स्वैच्छिक श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना के अन्तर्गत आने वाले उपभोक्ताओं के अलावा कुछ ऐसे उपभोक्ता भी हैं, जिनके खिलाफ बिना अनुमति के घरेलू श्रेणी से अघरेलू उपयोग के प्रकरण में वीसीआर लम्बित हैं। मैं ऐसे लम्बित वीसीआर के प्रकरणों में भी 30 जून, 2018 तक के लिए जुर्माना राशि वसूल नहीं किये जाने की घोषणा करती हूं। जिससे कि ऐसे वीसीआर प्रकरणों का भी स्वैच्छिक श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना के अनुरूप सामान्य दरों पर ही निस्तारण किया जा सकेगा।

समस्त बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लाई जाएगी, इस योजना के अन्तर्गत 30 अप्रैल, 2018 तक बढ़े हुए भार के लिए वीसीआर नहीं भरी जाएगी और सामान्य दरों पर बढ़े हुए भार का नियमितीकरण किया जाएगा।

लोड इन्क्रीज, इस योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक लोड इन्क्रीज यानी, भार वृद्धि घोषणा योजना के अन्तर्गत आने वाले उपभोक्ताओं के अलावा कुछ ऐसे उपभोक्ता भी हैं, जिनके खिलाफ बिना अनुमति के भार वृद्धि के कारण वीसीआर लम्बित है। ऐसे लम्बित वीसीआर के प्रकरणों में 30 जून, 2018 तक के लिए जुर्माना राशि वसूल नहीं किये जाने की घोषणा करती हूं। जिससे कि ऐसे वीसीआर प्रकरणों का भी स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के अनुरूप सामान्य दरों पर ही निस्तारण किया जा सके।

धार्मिक स्थल और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बल्क मिल्क चिलिंग सेन्टर्स की विद्युत दरें कम करने के लिए विनियामक आयोग के समक्ष वितरण निगमों द्वारा याचिका प्रस्तुत की जाएगी।

मेरे द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों के सहकारी बैंकों के 30 सितम्बर, 2017 तक के आउटस्टैंडिंग अल्पकालीन फसली ऋणों में से रुपये 50 हजार तक के कर्ज माफी घोषणा पूर्व में की जा चुकी है। इसी कड़ी में लघु एवं सीमान्त काश्तकारों के साथ-साथ सहकारी बैंकों के अन्य काश्तकारों को भी 50 हजार रुपये तक के आउटस्टैंडिंग अल्पकालीन....

श्री अध्यक्ष: श्रवण जी बैठिए। श्रवण जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय मुख्य मंत्रीजी, ये एक बार पुन: बोलिए। सीएम साहब, ये एक बार में समझ में नहीं आया। दुबारा जरा बता दो, समझ में नहीं आया इन लोगों को।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): आ गया...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के किसानों के जो हालात हैं, उनका सम्पूर्ण कर्जा माफ कर दो, सम्पूर्ण कर्जा माफ करो।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): इसी कड़ी में लघु एवं सीमान्त काश्तकारों, क्या हो गया...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): कह रहे हो पचास हजार रुपये, सम्पूर्ण कर्जा माफ कर दो, आज कर दो घोषणा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप विरोध कर रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं। करो विरोध, विरोध में हो तो करो बहिर्गमन।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा है राठौड़ साहब, प्रदेश के किसान का सम्पूर्ण कर्जा माफ करोगे, तो प्रदेश का किसान मजबूत होगा..

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप विरोध में हो क्या? आप विरोध कर रहे हो क्या? नेता प्रतिपक्ष? नेता प्रतिपक्ष विरोध कर रहे हैं क्या? कमाल हो गया, इतनी बढ़िया घोषणा हुई है किसानों के हित में, किसानों के हित में कुछ करते तो हो नहीं...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप किसान विरोधी हो क्या?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं कि प्रदेश के किसान का सम्पूर्ण कर्जा माफ कर दो।

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष आप बैठिए।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपने कभी किया है क्या जिन्दगी में ? जिन्दगी में कभी कांग्रेस ने किया है क्या ? बाकी, वाहवाही लूटते हो, यहां किसानों के हित में कुछ करने के लिए है क्या ?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) कांग्रेस ने 72 हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया था, पूरे देश के किसानों का।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता, डूडी जी....

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): हां...और इसका नतीजा यह हुआ था कि पूरे देश में 72 हजार करोड़ और राजस्थान के हिस्से में 4 हजार करोड़। मैंने पिछले बजट भाषण में इस चीज को लिया था। आपने शायद नोटिस नहीं किया गया होगा, मैंने इस चीज को इंगित किया था, क्योंकि आपके ध्यान में लाने की जरूरत है कि चिदम्बरम साहब के टाइम में जब ये 72 हजार करोड़ के ऋण, आपके माफी हुए थे तो इन माफी के अन्दर कितना लाभ राजस्थान को मिला था, कितने 800 करोड़?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मात्र 800 करोड़, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं मात्र 800 करोड़।

श्री अध्यक्ष: कृपया शान्त रहें, कृपया शान्त रहें। पप्पू बंडा बैठ जाओ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अब आप उसमें बताओ, 800 करोड़, अगर 800 करोड़ ही खर्च, यानी उसमें हुए, इसी कड़ी में लघु और सीमान्त काश्तकारों के साथ-साथ सहकारी बैंकों के अन्य काश्तकारों को भी 50 हजार रुपये तक के आउटस्टैंडिंग अल्पकालीन फसली ऋण को लघु काश्तकारों के लिए निर्धारित कृषि जोत के अनुपात में ऋण को एक बारी माफ करने की घोषणा करती हूं।

गोवंश के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु ग्राम नापासर, तहसील डूंगरगढ़, जिला बीकानेर में 5 करोड़ रुपये की लागत से गो-अभयारण्य की स्थापना की जाएगी। जिसके लिए पृथक से ईयर मार्क किये जाएंगे।

मांढेरा रूंद, भरतपुर को घास बीड के रूप में रियासतकाल में विकसित किया गया था। इसमें कदम के वृक्ष बहुतायत में पाये जाते थे। कालान्तर में बीड़ में बिलायती बबूल तथा आवारा पशुओं की अधिकता हो गई है। ब्रज भूमि के इस क्षेत्र को कदम कुंज वन के रूप में विकसित किया जाएगा तथा क्षेत्र में कदम, गूलर, पीपल, बड़, जामुन, नीम आदि के पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही रोटेशनल ग्रेजिंग हेतु चरागाह विकास तथा मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य इसमें किये जाएंगे। इससे स्थानीय आमजन को मवेशी हेतु नि:शुल्क चारा उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही यहां विचरण करने वाली गायों को भी चारे व पानी की सुविधा मिल सकेगी, 5 करोड़ रुपये की लागत से मांढेरा रूंद को कदम कुंज वन के रूप में विकसित करने की घोषणा करती हूं।

विभिन्न फील्ड क्राप्स तथा हार्टीकल्चर क्राप्स से किसानों को अधिक आय मिल सके इसके लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए फसलों के पोस्ट हारवैस्ट तथा प्रोसेसिंग विषय

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

पर पृथक् विभाग सृजित किये जाएं, साथ ही इसे शैक्षणिक तथा अनुसंधान में भी प्रमुखता से शामिल किये जाएं। इस हेतु मैं जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के कांस्टीट्यूएन्ट कालेज नागौर कृषि महाविद्यालय में फूड टैक्नोलाजी का पृथक् विभाग प्रारम्भ करने की घोषणा करती हूं। प्रारम्भ में विभिन्न पदों तथा रैकरिंग एक्सपैंडिचर पर, इस पर लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपये प्रति वर्ष का व्यय होगा।

बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बजट भाषण में घोषित की गई पीएचसी और सीएचसी के क्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नरेणा, पंचायत समिति दूदू, मेड़ पंचायत समिति विराटनगर, करवर पंचायत समिति, नैणवां बूंदी, थावला पंचायत समिति रियांबाड़ी नागौर, सेतरावा पंचायत समिति देचूर, जोधपुर और घडियाला पंचायत समिति कोलायत, बीकानेर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाता है।

उप स्वास्थ्य केन्द्र, छापरी खुर्द, पंचायत समिति डीडवाना एवं नीमोद पंचायत समिति मोलासर, जिला नागौर एवं खेतासर, जिला जोधपुर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाएगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समेरपुर, जिला पाली एवं सीएचसी, खण्डेला जिला सीकर की बैड क्षमता 30 से बढ़ाकर 50 की जाती है। महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा में शय्याओं की संख्या 474 से बढ़ाकर 750 तक साथ ही जिला चिकित्सालय टोंक में शय्याओं की संख्या 200 से बढ़ाकर 275 की जाती है।

आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त है। इसी क्रम में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के संबंध में आवश्यक कानून लाए जाने के निर्देश समय-समय पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये हैं। इस दिशा में पहल करते हुए इलेक्ट्रोपैथी उपचार से संबंधित विभिन्न रिपोर्ट का अध्ययन कर आवश्यक वैधानिक प्रावधान किये जाएंगे।

(18.00 बजे)

सीनियर रेजीडेंट, एमएस/एमडी, डीएम/एमसीएच तथा पीजी डिप्लोमा के स्टाईपेंड में 1000 रुपये मासिक बढ़ोतरी किये जाने की घोषणा करती हूं।

मेरे द्वारा बजट भाषण में 18 नवीन कालेज खोले जाने के क्रम में निम्न उपखण्ड मुख्यालयों पर भी कालेज खोलने की घोषणा करती हूं। बीदासर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(सुजानगढ़), चूरू, मलसीसर-झुंझुनूं, पिण्डवाड़ा-सिरोही, शेरगढ़-जोधपुर, रोहट-पाली, मारवाड़ जंक्शन-पाली और इटावा-कोटा। मुझे उम्मीद है कि स्थानीय विधायकगण इन नवीन कालेजों के भवन निर्माण दानदाताओं के माध्यम से करवाने में सहयोग करेंगे, जिससे कालेज शीघ्र प्रारम्भ हो सके।

राजकीय महाविद्यालय अन्ता (बारां) में कला संकाय खोला जायेगा और जिन संस्थाओं द्वारा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए बालिका तथा महिला शिक्षा हेतु स्कूल तथा कालेज के लिए तीस वर्ष लीज अवधि पर आबंटित भूमि जिसकी एक्सटेंशन लीज वृद्धि समय से नहीं करायी गयी है उनके द्वारा अग्रेत्तर लीज वृद्धि हेतु देय लीज राशि 30 सितम्बर, 2018 तक जमा पर नियमों के अन्तर्गत देय 5 प्रतिशत विलम्ब शुल्क को माफ करने की मैं घोषणा करती हूं।

आईसीटी परियोजना के तहत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में सांसद निधि/विधायक निधि/जनसहयोग/अन्य योजनाओं की 25 प्रतिशत राशि प्राप्त होने पर कम्प्यूटर लैब की स्थापना की जा रही है। वर्ष 2018-19 में भी सांसद निधि/विधायक निधि/जनसहयोग/अन्य योजनाओं से 25 प्रतिशत राशि 38.26 करोड़ रुपये प्राप्त कर शेष 75 प्रतिशत राशि 114.79 करोड़ रुपये आयोजना मद से उपलब्ध कराकर 5051 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 153.05 करोड़ रुपये की लागत से कम्प्यूटर लैब की स्थापना की जायेगी।

राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत वे विद्यार्थी जिनके राजस्थान बोर्ड की दसवीं व बारहवीं कक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त हों तथा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक है उन सभी विद्यार्थियों को आगामी शैक्षणिक सत्र 2018-19 से नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी बशर्ते वे स्नातक और स्नातकोत्तर के प्रत्येक वर्ष में मिनिमम 70 परसेंट प्राप्त करेंगे।

वर्तमान में राज्य में सैल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के आधार पर संचालित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक नियम बनाये जाएंगे।

मोहाली पंजाब की तर्ज पर राज्य के सेना में भर्ती की तैयारी हेतु इच्छुक विद्यार्थियों के लिए आवासीय सुविधा हेतु दस करोड़ रुपये की संचित निधि (कोरपस फंड) की स्थापना की घोषणा की जाती है।

वर्ष 2018-19 में शिक्षाकर्मी और पैराटीचर्स (मदरसा टीचर्स सहित)

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

तथा मिड-डे मील योजनान्तर्गत कार्यरत कुक कम हैल्पर के मानदेय में 1 जुलाई, 2018 से 10 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा करती हूं।

इसी प्रकार वर्ष 2018-19 में होमगार्ड कर्मचारियों के मानदेय को बढ़ाते हुए प्रति दिवस 693 रुपये देय होगा तथा पुलिस मैस में खाना बनाने वाले लांगरी के मानदेय में भी 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

औद्योगिक समूहों द्वारा लंबे समय से नगरीय उप कर को माफ किये जाने की मांग का समाधान करते हुए म्युनिसिपल एरिया में स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा रीको क्षेत्र में बिजली उपभोग पर लगने वाले नगरीय उप कर को दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से माफ किया जाना प्रस्तावित है।

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के बंद हो जाने से इसकी परिसम्पत्ति का किसी प्रकार से उपयोग नहीं हो पा रहा है। व्यापक जनहित को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा को पूर्व में दिये गये 136 करोड़ रुपये के बकाया ऋण को माफ करने की घोषणा करती हूं, जिससे कि यह परिसम्पत्ति भारत सरकार उपक्रम से पुन: राज्य सरकार को प्राप्त हो सके और इसका लाभ न केवल राज्य सरकार को बल्कि यूआईटी, कोटा को भी आधुनिक टाउनशिप विकसित करने में मिल सके।

राज्य के मोस्ट बैकवर्ड और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में उद्योगों का अभाव है। दूसरी ओर ऐसे कई चर्मकार, दस्तकार, बुनकर व अन्य छोटे-छोटे उद्यमी हैं जो अपने घर या वर्कप्लेस से माइक्रो एंटरप्राइजेज संचालित कर रहे हैं। इनमें प्रोडक्शन और टर्न ओवर बढ़ाने की क्षमता है परन्तु वर्किंग कैपिटल, उपकरण और उपयुक्त स्थान के अभाव में वे उभर नहीं पा रहे हैं।

अत: मैं घोषणा करती हूं कि ऐसे सक्षम माइक्रो एंटरप्राइजेज उद्यमियों के लिए राज्य के मोस्ट बैकवर्ड एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में रीको द्वारा एक विशेष योजना लायी जायेगी, जिसके तहत ऐसे छोटे-छोटे उद्यमियों को 150 वर्ग मीटर तक के इंडस्ट्रियल प्लाट्स आसान किश्तों में आबंटित किये जा सकें।

एससी, एसटी और दिव्यांग उद्यमियों को 50 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जायेगा। साथ ही निर्माण, मशीनरी अथवा उपकरण एवं वर्किंग कैपिटल के लिए उनको ऋण उपलब्ध कराने में उद्योग विभाग सहायता करेगा। इस इनिशियेटिव से राज्य के पिछड़े क्षेत्र में सक्षम माइक्रो एंटरप्राइजेज उद्यमियों

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

को अपने निवास अथवा कार्यस्थल से औद्योगिक क्षेत्रों में शिफ्ट कर उन्हें औद्योगिक विकास में और भी अधिक कंपीटेटिव होने का अवसर मिल सकेगा।

इन उद्यमियों की सहायता के लिए रीको व उद्योग विभाग द्वारा कैम्पों का आयोजन कर समस्त कार्य एक ही स्थान पर करवाये जाएंगे, ताकि ऐसे उद्यमियों को कोई कठिनाई नहीं हो तथा वे इस योजना का पूरा लाभ ले सकें।

थानागाजी (अलवर), भोपालगढ़ (जोधपुर) और परतापुर (बांसवाड़ा) नगरपालिका बनाने की घोषणा करती हूं।

मैंने अपने बजट भाषण 2016-17 में यह घोषणा की थी कि प्रदेश के 37 शहर तथा जोबनेर, चौमूं, सांभर-फुलेरा जिला-जयपुर, बांदीकुई जिला दौसा, डीग, कामां जिला भरतपुर, खेतड़ी, मण्डावा, नवलगढ़ जिला झुंझुनूं, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़, सरदारशहर, रतनगढ़, राजगढ़ जिला चूरू, आबूरोड़ जिला सिरोही, बाड़ी जिला धौलपुर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़, बालोतरा जिला बाड़मेर, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर, कुचामन, लाडनूं, मकराना, डीडवाना जिला नागौर, श्रीडूंगरगढ़, नोखा जिला बीकानेर, सूरतगढ़ जिला गंगानगर और सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, करौली, राजसमन्द और दौसा में जल वितरण, सीवरेज ड्रेनेज आदि आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु राजस्थान शहर आधारभूत विकास परियोजना के चतुर्थ चरण में शामिल किया जाकर योजना का क्रियान्वयन 4 हजार 2 सौ करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।

इस परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त 3 शहर यथा शाहपुरा जिला जयपुर, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा, तिजारा जिला अलवर भी शामिल किये गये हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि 4 हजार 2 सौ करोड़ रुपये की लागत की इस परियोजना के कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति एशियन विकास बैंक से कल ही दिनांक 5.3.2018 को प्राप्त हो चुकी है। अब इस परियोजना से संबंधित कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किये जा सकेंगे।

रिपील्ड वैट अधिनियम में बिल्डर्स और डवलपर्स को लम्प सम भुगतान का विकल्प उपलब्ध था। कई व्यवहारी विकल्प लेने की शर्तों का यथासमय पालन नहीं करने के कारण, इस विकल्प का लाभ प्राप्त नहीं कर सके हैं। जीएसटी लागू होने के परिप्रेक्ष्य में संबंधित अधिनियम एवं नियमों में

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अपेक्षित संशोधन के पश्चात् ऐसे व्यवहारियों को राहत दिया जाना प्रस्तावित है।

राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर) में एडीएम का पद सृजित करने एवं उप तहसील शेखाला, शेरगढ़-जोधपुर, उच्चैन-भरतपुर को तहसील में क्रमोन्नत करने एवं सांकड़ा-जैसलमेर, कनेरा, निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ और कुंवारिया-राजसमन्द को नई उप तहसील खोलने की घोषणा करती हूं।

कोटा में मिनी सचिवालय निर्माण के लिए प्रोजेक्ट तैयार करने एवं भूमि का चयन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में सीमान्त और लघु किसान राज्य सरकार में निहित कस्टोडियन कृषि भूमि पर काबिज हैं। ऐसे लघु और सीमान्त किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उनके द्वारा काबिज अधिकतम 2 हैक्टेयर तक असिंचित भूमि या 1 हैक्टेयर तक सिंचित भूमि को नियमित करने की स्थाई आबंटन की दरें सामान्य किसान हेतु 25 प्रतिशत बाजार की दर से घटाकर 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग और बी.पी.एल. श्रेणी के किसानों हेतु 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की घोषणा करती हूं।

राज्य में मंदिर माफी की भूमि के संबंध में स्पष्ट किराया व विकास नीति न होने से उनका आवश्यकता अनुरूप वैधानिक उपयोग नहीं हो पाता है और इससे उनका समुचित विकास सम्भव नहीं हो पाता है। इस संबंध में मंदिर माफी की भूमि मंदिर के हित में बेहतर आय संवर्धक उपयोग करने हेतु समुचित किराया नीति प्रस्तावित की जा रही है। जिसकी अधिसूचना एक माह में जारी कर दी जाएगी।

सभी संभागीय मुख्यालयों पर खोले गये अभय कमाण्ड सेन्टर एंड कंट्रोल सेन्टर्स का संचालन या तो प्रारम्भ हो चुका है या आने वाले कुछ ही समय में प्रारम्भ हो जायेगा। इन अभय कमाण्ड सेन्टर्स के संचालन हेतु ट्रेन्ड मानव संसाधन पूर्ति की जाना आवश्यक है। अत: मैं घोषणा करती हूं कि राजस्थान के संभागीय मुख्यालयों पर स्थित अभय कमाण्ड कंट्रोल सेन्टर्स के संचालन हेतु 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 20 पुलिस उप अधीक्षक, 44 पुलिस निरीक्षक, 99 उप निरीक्षक पुलिस, 137 सहायक उप निरीक्षक, 152 हैड कांस्टेबल्स और 497 कांस्टेबल्स कुल 952 अतिरिक्त पद सृजित किये जाएंगे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा में मैंने रेंज मुख्यालयों में साइबर क्राइम यूनिट की घोषणा की थी और इसकी स्वीकृतियां भी जारी की गई थीं। बढ़ते हुए साइबर क्राइम के बारे में माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की है। अत: मैं घोषणा करती हूं कि इन साइबर क्राइम यूनिट्स का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा और इन्हें अन्य आवश्यक उपकरण तथा मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाएंगे। उपकरणों तथा अन्य मानव संसाधन पर 10 करोड़ रुपये व्यय किया जायेगा और 99 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये जाएंगे।

जयपुर, कोटा एवं उदयपुर में महिला पुलिस पैट्रोलिंग यूनिट नवाचार के आधार पर संचालित किये गये हैं। इससे महिला सुरक्षा को बढ़ावा मिला है और उनके विरुद्ध अपराधों पर अंकुश लगा है। इस नवाचार को मैं समस्त संभागीय मुख्यालयों पर लागू करने की घोषणा करती हूं। इन लेडी पैट्रोलिंग यूनिट के संचालन हेतु सरकार संसाधन स्कूटी, मोटरसाइकिल, वायरलैस सैट्स, एन्ड्रोइड फोन, इत्यादि से लैस करेगी और प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर आवश्यकतानुसार 404 पद भी सृजित किये जाएंगे। जयपुर में 100, जोधपुर में 60, कोटा में 60, बीकानेर में 32, उदयपुर में 60, भरतपुर में 32 एवं अजमेर में 60।

इसके अलावा प्रत्येक जिले में भी लेडी पैट्रोलिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा करती हूं। उपरोक्त घोषणा के अंतर्गत 5 करोड़ रुपये संसाधनों हेतु व्यय प्रस्तावित है।

माननीय सदस्यों ने पुलिस महकमे में वाहनों की कमी की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। इस वर्ष 2018-19 के बजट में 210 नये वाहनों की खरीद के लिये 7 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। माननीय सदस्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2018-19 में पुराने वाहनों के रिप्लेसमेंट और नये वाहन क्रय किये जाने के लिये बजट प्रावधान को बढ़ाकर 35 करोड़ रुपये किये जाने की घोषणा करती हूं।

माननीय सदस्यों द्वारा समय-समय पर नये पुलिस सर्किल, थाने एवं चौकियों की मांग की जाती है। मैं 13 नये पुलिस सर्किल, 28 थाने एवं 26 चौकियों की घोषणा करती हूं।

पुलिस विभाग में वर्तमान में 5500 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 2018-19 के बजट के दौरान 6879 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। मैं उक्त भर्ती के पश्चात रिक्त रहे पदों पर 8412 कांस्टेबल की भर्ती किये जाने की घोषणा करती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

दूदू-जयपुर में अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय खोलने की मैं घोषणा करती हूं।

कृष्णा सर्किट के तहत द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली के समीप पर्यटकों की सुविधाओं के लिये इल्युमिनेशन, पार्किंग, जनसुविधाएं, सौंदर्यीकरण आदि कार्य करवाये जाएंगे। इन कार्यों के लिये 5 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवायी जाएगी।

हमारी सरकार के द्वारा स्वीकृत लोक देवता वीर तेजाजी के जन्म स्थान खरनाल (नागौर) एवं भगत शिरोमणी धन्ना भगत-धंवा (टोंक) के पैनोरमा के निर्माण का कार्य आगामी तीन माह में पूर्ण कर लोकार्पण कर दिया जायेगा। अब मैं राव शेखाजी के जन्म स्थल अमरसर (जयपुर) में पैनोरमा बनाने की घोषणा करती हूं।

पर्यावरण नियमों के प्रभावी पालना सुनिश्चित करने की दिशा में राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल द्वारा वर्तमान में कार्यरत नारंगी व हरी श्रेणी में वर्गीकृत लघु उद्योगों हेतु जल अधिनियम, 1974, वायु अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत स्थापना एवं कंसेंट टू आपरेट प्राप्त करने के वर्तमान नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए 15 मार्च, 2018 से चार माह की अवधि हेतु 'विशिष्ट छूट योजना' राज्य में लागू करने की घोषणा करती हूं। पूर्व संचालन अवधि हेतु कोई शुल्क नहीं वसूला जायेगा।

हमारे द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों तक आईटी के माध्यम से समस्त सेवाएं निर्बाध रूप से मिलती रहें, इसलिए डाटा सेंटर के साथ डिजास्टर रिकवरी साइट स्थापित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। मैं घोषणा करती हूं कि जोधपुर में डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर स्थापित कर आरम्भ किया जाएगा।

साइबर थ्रेट को साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से संभालने के लिये हम पूरी तरह से तैयार हैं। इस हेतु जयपुर तथा अन्य संभागीय मुख्यालयों पर साइबर फोरेंसिक सैल की स्थापना की गयी है। इसकी निरन्तरता में भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर के अंतर्गत नवीनतम तकनीक आधारित सिक्योरिटी एण्ड सर्विस आपरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा करती हूं।

इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों की कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावशाली और दक्ष बनाने के चरणबद्ध रूप से एकीकृत कंट्रोल रूम्स भी स्थापित किये जाएंगे जिनके माध्यम से INTERNET OF THINGS संबंधी गतिविधियां, जीआईसी बेस्ड एनेलेसिस एवं आनलाइन ट्रांजेक्शन की रियल टाइम मोनेटरिंग सम्भव हो सकेगी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

परिवार के सदस्यों यथा पिता, माता तथा पुत्रों के बीच भागीदारी में किसी भागीदार के बिना हिस्सा लिये रिटायर होने पर भागीदारी के विघटन के समय फर्म के गठन के बाद अर्जित अचल सम्पत्ति के भागीदारों के बीच वितरण पर मैं स्टाम्प ड्यूटी घटाकर CONVEYANCE के स्थान पर 1000 रुपये करने की घोषणा करती हूं।

आम जनता के आवास का सपना पूरा करने में निजी विकासकर्ताओं का अहम योगदान है। अत: राज्य में आवास निर्माण में गति प्रदान के उद्देश्य से मैं डवलपर एग्रीमेंट में डवलपर के हिस्से पर स्टाम्प ड्यूटी 2 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत करने की घोषणा करती हूं।

पूर्व विधायकों को किसी अन्य स्रोत से मिलने वाली पेंशन की अधिकतम पेंशन की सीमा हटा दी गई है। परन्तु पूर्व विधायकों के पतियों/पत्नियों के पेंशन में केवल स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन में छूट दी गई है। अत: मैं पूर्व विधायकों के पतियों/पत्नियों के पेंशन में किसी अन्य स्रोत से मिलने वाली पेंशन की अधिकतम पेंशन की सीमा हटाने की घोषणा करती हूं।

पूर्व विधायकों को देय चिकित्सा व्यय की सीमा के अंतर्गत उन पर आश्रित बालक-बालिकाओं के इलाज खर्च के पुनर्भरण का नियमों में प्रावधान किया जाएगा।

जिन पूर्व विधायकों को अभी तक घोषित निधि के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर आवासन मंडल द्वारा मकान उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं, उन्हें आवासन मंडल से मकान आवंटित करवाये जायेंगे।

कौशल विकास राज्य विकास के लिये बनाये गये विजन-2020 में तय किये गये 5 प्रायोरिटी सैक्टर्स में से एक है। राज्य के युवाओं के ज्यादा से ज्यादा रोजगार हेतु निम्न घोषणाएं करती हूं:-

पचपदरा (बाड़मेर) में स्थापित होने वाली रिफाइनरी व पैट्रो केमिकल काम्प्लेक्स से आगामी सालों में 40 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इन रोजगार के अवसरों में ज्यादा से ज्यादा स्थानीय युवा पहुंचे, इस हेतु राजकीय आईटीआई बालोतरा में एक सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा करती हूं। इस हेतु 12 करोड़ खर्च किया जायेगा।

सिस्को के सहयोग से राजकीय आईटीआई में नैट एकेडमी की

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

स्थापना की गई। इसके सुचारु रूप से संचालन हेतु राजकीय आईटीआई कोटा, झालरापाटन, पिड़ावा एवं भरतपुर में कोपा (COMPUTER OPERATING CUM PROGRAMMING ASSISTANT) ट्रेड खोलने की घोषणा करती हूं। इस हेतु 1 करोड़ 54 लाख रुपये खर्च किया जाना प्रस्तावित है।

माननीय प्रधान मंत्रीजी के कर कमलों से हिन्दुस्तान पैट्रोलियम राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का कार्य दिनांक 16 जनवरी को शुभारंभ किया गया। इस क्षेत्र में होने वाले व्यापक निवेश से उत्पन्न होने वाले रोजगार के विभिन्न अवसर को ध्यान में रखते हुए रिफाइनरी के पास ही पचपदरा में राजस्थान आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी का एक कैम्पस एनर्जी स्किल डवलपमेंट कैम्पस भारत सरकार एवं तेल कंपनी के सहयोग से विकसित किया जायेगा। जहां युवाओं को ऊर्जा, पर्यटन, धरोहर संरक्षण जैसे विषयों में कौशल विकास किया जायेगा। जिससे कि रेगिस्तान के सांस्कृतिक, प्राकृतिक संसाधनों का समग्र उपयोग सुनिश्चित हो सके।

मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि दिनांक 4.3.2018 को प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई ओलावृष्टि को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संबंधित जिला कलक्टर्स को ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष गिरदावरी करने के एवं 15.3.2018 तक रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिये हैं। गिरदावरी की आकलन रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित किसानों को राहत प्रदान की जाएगी।

अंत में मैं केन्द्र सरकार और माननीय प्रधान मंत्रीजी का इस सदन की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने झुंझुनूं जिले में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की तीसरी वर्षगांठ मनाने के साथ 'National Nutrition Mission' को लांच करने का निर्णय लिया।

हमने राजस्थान को एक परिवार के रूप में देखा है और नये राजस्थान के निर्माण के लिये हम कटिबद्ध हैं। इस विकास यात्रा में प्रदेश की जनता यानी 36 के 36 कौम, प्रदेश के जन प्रतिनिधि, प्रदेश के कर्मचारी, प्रदेश के अधिकारी, सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर एक टीम के रूप में कार्य किया है। इस टीम राजस्थान ने मुझे एक नये सशक्त, आधुनिक, विकसित और खुशहाल राजस्थान के निर्माण के लिये नई ऊर्जा, एक नये जोश और अपार शक्ति दी है और यही हमारी पूंजी है। यही वह प्यार और आशीर्वाद है जो हमें निरन्तर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। टीम राजस्थान ने सदैव

(श्री अध्यक्ष)

चैलेंजेज को स्वीकार किया है और इनको अपोर्च्युनिटीज में बदला है। मुझे इस टीम राजस्थान पर अटूट विश्वास है और मैं पूरे कांफिडेंस के साथ कह सकती हूं कि हम इस वर्ष के बजट अनाउंसमेंट्स को भी पूरा करेंगे। मेरा मानना है कि यह बजट सशक्त, खुशहाल और नये राजस्थान के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। हम राजस्थानी हैं और राजस्थान की आन, बान और शान को बनाये रखने का काम हम सबको करना है। राजस्थान को हम किस तरीके से अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा कर सकते हैं? उसके लिये जोर-शोर से लगने की जरूरत है। हम सब दम तो तभी लेंगे, जब हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आइये, आज हम सब प्रतिज्ञा लें कि विकास यात्रा को और तेजी से बढ़ाने का काम करें और एक नए और खुशहाल राजस्थान का निर्माण करने में पीछे नहीं रहें, तो मैं इतना ही कहूंगी। सुराज संकल्प यात्रा का ध्यान आता है कि आओ हम सब साथ चलें, आओ हम सब साथ चलें और एक नया राजस्थान बनाने में पूरी तरह से कामयाब होने में कोई भी कोर-कसर नहीं छोड़ें। अध्यक्ष महोदय, आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय, एक और घोषणा है और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती में आने वाली जो विधिक रुकावटें थीं, अब राज्य सरकार ने अपने प्रयासों से और सकारात्मक सोच से उसका अब निराकरण कर दिया है। मैं यह घोषणा करती हूं कि राज्य के सभी स्थानीय निकायों में 21 हजार 140 सफाई कर्मचारियों की भर्ती आगामी तीन महीनों के अन्दर करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2018 पर खण्डश: विचार

खण्डश: विचार।

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड 2 से 8, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 8 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड- 2 से 8 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018 पर खण्डश: विचार

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 एवं 3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड- 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

अनुसूची।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियम, सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

राजस्थान वित्त विधेयक, 2018

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: दूसरा भी कर लीजिए।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2018 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक, 2018 को पारित किया गया।

राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2018

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018 को पारित किया गया।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 7 मार्च, 2018 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 18:25 बजे, बुधवार, दिनांक 07 मार्च 2018 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में भूखण्ड के पट्टों के नक्शों की प्रामाणिकता

334. **श्री राजेन्द्र गुर्जर** (देवली-उनियारा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् के द्वारा पूर्व में किसी भूखण्ड के पट्टे के साथ कालोनी का नक्शा प्रमाणित करने के पश्चात् उक्त कालोनी के नक्शे में प्रदर्शित रास्ते एवं भूखण्डों की स्थिति को भविष्य में बदला जा सकता है? यदि हां, तो किस प्रक्रिया के द्वारा एवं नहीं, तो क्यों? इस संबंध में निर्धारित नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर परिषद् द्वारा एक ही कालोनी के अलग-अलग भूखण्डों के पट्टों में भिन्न-भिन्न नक्शे (जिनमें कालोनी के रास्ते एवं अन्य प्लाटों की स्थिति में भिन्नता हो) प्रमाणित कर दिये गये हों, तो ऐसी स्थिति में कौन से नक्शे के आधार पर कालोनी के रास्ते प्रमाणित माने जाएंगे? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नगर परिषद् द्वारा तालाबी प्रथम किस्म वाली भूमि पर पट्टा दिया जा सकता है? यदि हां, तो किस प्रक्रिया के द्वारा एवं नहीं, तो क्यों? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद द्वारा पूर्व में किसी मूल पट्टे के साथ कालोनी का नक्शा प्रमाणित करने के पश्चात् उक्त कालोनी के नक्शे प्रदर्शित रास्ते एवं भूखण्डों की स्थिति को भविष्य में सामान्यत: बदला नहीं जाता है तथापि अनुमोदित नक्शे का मौके पर प्रमाणित करने के पश्चात् मौके की स्थिति भिन्न होने की स्थिति में अनुमोदित नक्शे को भविष्य में बदला जा सकता है। ले-आउट प्लान (नक्शा) अनुमोदन हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.05.2012 द्वारा ले-आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अधिसूचना का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) ऐसे प्रकरणों में जहां नगर परिषद द्वारा एक ही कालोनी के अलग-अलग भूखण्डों के पट्टों में भिन्न-भिन्न नक्शों को प्रमाणित कर किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे भूखण्ड से संबंधित नगर परिषद द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान के आधार पर कालोनी के रास्ते प्रमाणित माने जाएंगे। इस प्रकार के प्रकरणों के संबंध में यद्यपि कोई आदेश पृथक से राज्य

(स्वायत्त शासन मंत्री)

सरकार द्वारा जारी नहीं किए गए हैं, तथापि सामान्यत: ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर नगर परिषद द्वारा अनुमोदित कालोनी के ले-आउट प्लान को ही प्रमाणित माना जाएगा।

(3) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.05.2012 के बिन्दु संख्या 03 के उपबिन्दु संख्या (xii) में नियमानुसार प्रतिबंधित क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है। जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर अंकित है। इस सूची में वर्णित प्रतिबन्धित क्षेत्रों में तालाब को भी सम्मिलित किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में नवीन छात्रावासों का निर्माण

335. **श्री भजन लाल जाटव** (वैर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

गत चार वर्षों में प्रदेश में कितने नवीन छात्रावासों का कहां-कहां व कब-कब निर्माण किया गया तथा इस हेतु कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा कितने पुराने छात्रावासों का जीर्णोद्धार करवाया गया? छात्रावासों के नामवार व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विभाग द्वारा गत चार वर्षों (2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 61 तथा देवनारायण योजना के अन्तर्गत 34 कुल 95 छात्रावास भवनो का निर्माण कार्य पूर्ण करवाकर कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। निर्माण किये गये 95 छात्रावासों की सूची एवं उन पर स्वीकृत की गई राशि की सूचना परिशिष्ट अ (1 से 2) पर उपलब्ध है।

पिछले चार वर्षों 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में पुराने छात्रावासों में जीर्णोद्धार यथा रंग रोगन, चारदिवारी, शौचालय एवं अन्य मरम्मत कार्य कराये गये छात्रावासों के नामवार, जिलेवार एवं वर्षवार खर्च की गई राशि की सूची परिशिष्ट-अ (1 से 5) पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 50 रुपये प्रति छात्र प्रतिमाह के अनुसार छात्रावास में छोटी-मोटी मरम्मत, नल, बिजली, रंग रोगन आदि के लिये आबंटित किया जाता है, जो नियमित रूप से खर्च किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में ट्राइबल सब प्लान के लिये आबंटित बजट

336. **श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2016-17 व 2017-18 के बजट में ट्राईबल सब प्लान के तहत कितनी राशि का प्रावधान किया गया था और कितनी राशि दोनों वित्तीय वर्षों में व्यय की गई है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या योजना बजट में जनजाति सब-प्लान के लिए स्पष्ट निर्देश थे कि जनजाति की गणना के आधार पर अनुपात में योजना बजट की राशि दी जानी है? यदि हां, तो जब से योजना बजट समाप्त हुआ है, जनजाति सब-प्लान में किस मानदंड से राशि रखी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2016-17 व 2017-18 के बजट में ट्राईबल सब प्लान के अन्र्तगत प्रावधित एवं व्यय की गयी राशि निम्नानुसार है।

(राशि लाख रुपये)

वर्ष	राज्य का कुल प्रावधान	जनजाति उपयोजना अन्र्तगत प्रावधान	जनजाति प्रवाह का प्रतिशत	जनजाति उपयोजना का व्यय	जनजाति उपयोजना व्यय का प्रतिशत
2016-17	9505294.64	1359531.75	14.30	1176468.47	86.53
2017-18	8115797.38	1117698.04	13.77	569755.36 (माह जनवरी 18 तक)	50.98

प्रत्येक विभाग दवारा उनको राज्य योजना हेतु आबंटित बजट में से ट्राईबल सब प्लान में बजट उप शीर्ष 796 मांग संख्या 30 के अन्तर्गत पृथक से प्रावधान किया जाता है। राज्य योजना से जनजाति उपयोजना हेतु विभागवार योजनाओं एवं राशि का निर्धारण आयोजना विभाग द्वारा किया जाता है। ट्राईबल सब प्लान में कार्यकमों/योजनाओं का निर्धारण तथा इनका क्रियान्वयन संबंधित विभाग दवारा स्वयं के स्तर से किया जाता है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विभागवार प्रबोधन का कार्य किया जाता है। अत: जिलेवार राशि का प्रावधान एवं प्रबोधन तथा व्यय का विवरण विभाग स्तर पर

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

संधारित नही किया जाता है। प्रावधित एवं व्यय राशि का सेक्टर एवं विभाग/योजनावार परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(2) राज्य योजना से जनजाति उपयोजना हेतु विभागवार योजनाओं एवं राशि का निर्धारण आयोजना विभाग द्वारा किया जाता है। आयोजना विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 से आयोजना एवं गैर आयोजना व्यय के अन्तर समाप्त होने के उपरांत राजस्व व पूंजीगत व्यय की सभी योजनाओं के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु प्रावधान राज्य की कुल जनसंख्या में उक्त समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में किये जाने का प्रावधान किया गया है। आयोजना विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 28.12.2016 की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर में चम्बल का पानी लाने की योजना

337. **श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़ बास): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में चम्बल नदी का पानी लाने हेतु कोई परियोजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त परियोजना को शीघ्र पूरा कर अलवर जिले के लोगों को लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में चम्बल नदी का पानी डाले जाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है अपितु पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) अंतर्गत अलवर जिले के जयसमन्द बांध में डाला जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। परियोजना की स्वीकृति उपरान्त संसाधन उपलब्धतानुसार अलवर जिले के जयसमन्द बांध में पानी डालकर लोगों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान पथ परिवहन निगम को घाटे से उबारने की कार्ययोजना

338. श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम निरन्तर घाटे में चलने के कारण बन्द होने के कगार पर है? यदि हां, तो निगम वर्तमान में कुल कितने घाटे में है तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 से दिसम्बर, 2017 तक कुल कितनी आय तथा वर्षवार कितना-कितना घाटा हुआ? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि घाटे में चलने के कारण निगम को अपने कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन राशि चुकाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है?

(3) क्या यह भी सही है कि कर्मचारी द्वारा अपने वेतन एवं पेंशन के लिए आन्दोलन, धरने एवं प्रदर्शन आदि के लिए बाध्य होना पड़ रहा है?

(4) क्या सरकार द्वारा निगम को घाटे से उबारने के लिए कोई कारगर कदम उठाये गये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त वित्तीय सहयोग एवं संचालन (Operational) राजस्व से राज्य में सुचारु रूप से बसों के संचालन को जारी रखा जा रहा है।

घाटे का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में निगम के सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान माह जनवरी 2018 तक का किया जा चुका है।

(3) निगम के सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। कर्मचारी संगठनों द्वारा समय-समय पर अपनी विभिन्न मांगों हेतु ज्ञापन इत्यादि प्रस्तुत किये जाते हैं।

(4) घाटे से उबारने के लिए राज्य सरकार द्वारा निगम को उपलब्ध करवाई गई राशि का विवरण परिशिष्ट ''2" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-339

(स्थगित)

गोलूवाला (पीलीबंगा) में उच्च जलाशय का निर्माण

340. **श्रीमती द्रोपती** (पीलीबंगा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की ग्राम पंचायत कालीबंगा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु कोई कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उप तहसील केन्द्र गोलूवाला पर उच्च जलाशय निर्मित न होने से ग्रामीणों को असुविधा हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उच्च जलाशय का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के ग्राम पंचायत मुख्यालय, कालीबंगा (46 एस.एस.डब्ल्यू.) में पाइप्ड जल योजना अंतर्गत 3 नलकूपों से वर्तमान में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इन नलकूपों से उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा 1.85 मिलीग्राम प्रति लीटर है जो निर्धारित मानक मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है।

उक्त ग्राम में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सतही जल स्रोत आधारित संवर्धन पाइप्ड जल योजना, 46 एस.एस.डब्ल्यू. की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय वित्त समिति की 707वीं बैठक दिनांक 11.08.2016 द्वारा राशि रुपये 340.19 लाख की जारी की गई।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत आउटलेट की स्वीकृति हेतु दिनांक 01.09.2016 एवं 01.11.2017 को जल संसाधन विभाग को आवेदन किया गया था। उक्त योजना हेतु आउटलेट की स्वीकृति जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 26.02.2018 को जारी की गई है। इस स्वीकृति के अनुरूप उक्त योजना की तकनीकी स्वीकृति जारी की जाकर इसका क्रियान्वयन प्रारम्भ हो सकेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की 2 क्षेत्रीय जल योजना क्रमशः गोलूवाला निवादान एवं गोलूवाला सिहागान से क्रमशः 3 एवं 2 ग्राम वर्तमान में लाभान्वित हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

क्षेत्रीय जल योजना गोलूवाला निवादान के ग्राम गोलूवाला निवादान तथा गोलूवाला सिहागान के ग्राम गोलूवाला सिहागान में विभाग के डेडीकेटेड विद्युत फीडर के माध्यम से हो रही पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के कारण दोनों ग्रामों में विद्यमान उच्च जलाशयों के माध्यम से उक्त दो क्षेत्रीय जल योजनाओं में सम्मिलित समस्त ग्रामों में पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारु रूप से की जा रही है। इन दोनों ग्रामों में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उच्च जलाशय निर्माण नहीं किया जाना है।

ग्रामवार पेयजल आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बयाना की खनन कार्य से क्षतिग्रस्त सड़कें

341. **श्री बच्चू सिंह** (बयाना): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बयाना में खनन कार्य होने से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार खनन क्षेत्र की सड़क घाटोली से मैरथा, रूपवास से चक सामरी व रूदावल रोड से गुर्जर बलाई की सड़कें बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बयाना-रूपवास में भारी खनिज वाहनों के आवागमन तथा वर्षा के कारण खनन क्षेत्र की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। दो क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु डी.एम.एफ.टी. कमेटी के समक्ष प्रस्ताव प्राप्त होकर गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में अनुमोदन हेतु लम्बित है। अनुमोदन होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इसके अलावा और भी प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

(2) जी हां। दो सड़कों, घाटोली से इब्राहिमपुर (मैरथा)-2.6 किलोमीटर एवं रूदावल रोड से गुर्जर बलाई-20.00 किलोमीटर, का नवीनीकरण डी.एम.एफ.टी. फण्ड के तहत करवाने का प्रस्ताव गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में अनुमोदन हेतु लम्बित है। अनुमोदन पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। रूपवास से चक सामरी की सड़क के नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव

(राज्य मंत्री, खान)

तैयार कर डी.एम.एफ.टी. कमेटी के समक्ष रखे जायेंगे एवं मंजूरी के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

खैरवाड़ा के आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र

342. श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के बाल विकास परियोजना कार्यालय खैरवाड़ा एवं ऋषभदेव में कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्रों के रूप में घोषित किया गया है? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र के किन-किन आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गत 2 वर्षों में क्या-क्या कार्य कराये गये हैं? क्या उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भवन रंग-रोगन एवं चित्रकारी से संबंधित कार्य कराये गये हैं? यदि हां, तो किस मद में एवं किस आदेश के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्रों पर चित्रकारी एवं भवन रंग-रोगन के संबंध में कोई निविदा जारी की गई? यदि हां, तो निविदा व जारी कार्यादेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के अन्तर्गत दो परियोजनाएं क्रमश: खैरवाडा एवं रिषभदेव संचालित है। इनमें से 05-05 आंगनबाडी केन्द्रों को आदर्श आंगनबाडी केन्द्र घोषित किये गये हैं। पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। गत 2 वर्षों में आदर्श आंगनबाडी केन्द्र विकसित करने हेतु आंगनबाडी केन्द्रों के अन्दर व बाहर रंग-रोगन, मरम्मत, शीशु-मित्रवत आलेख, ब्लेक-बोर्ड, बच्चों के लिए गिनती, अक्षर, कहानी आदि का चित्रण करवाया गया।

उक्त कार्य निदेशालय के आदेश क्रमांक 162380-716 दिनांक 25.10.2017 के निर्देशानुसार करवाये गये हैं, जिसकी प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के अन्तर्गत परियोजना खैरवाड़ा में प्रति आंगनबाडी केन्द्र 10000रु. से कम व्यय होने के कारण निविदा आमंत्रित

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

नहीं की गई। परियोजना रिषभदेव में सीमित निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टोंक शहर में सीवरेज लाइन डालने का कार्य

343. श्री अजीत सिंह (टोंक): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या टोंक शहर में सीवरेज की लाइन डालने का कार्य चल रहा है हां, तो अब तक कितने किलोमीटर सीवरेज लाइन डाल दी गई है? क्या उक्त कार्य धीमी गति से होने के कारण से आम जनता को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त रास्तों पर नगर परिषद टोंक द्वारा नई सड़कें बनाई जा रहीं हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सीवरेज लाइन बिछाने के दौरान उक्त सड़कें टूटने से सड़कों पर व्यय की गई राशि का दुरूपयोग हो रहा है? हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क निर्माण कार्य रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि फर्म द्वारा सीवरेज का कार्य धीमी गति से करने के कारण सरकार द्वारा 100.47 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई थी? यदि हां, तो क्या फर्म द्वारा उक्त राशि जमा करा दी गई है व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। टोंक शहर में राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) के तृतीय चरण के अन्तर्गत सीवर लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है। अब तक 50.40 किलोमीटर सीवर लाइन डाली गई है। संवेदक द्वारा धीमी गति से सीवर लाइन डालने हेतु सड़कों को गहराई तक खोदने के कारण आवागमन में कुछ परेशानी होना स्वाभाविक है, फिर भी जनता को न्यूनतम असुविधा का सामना करना पडे इस हेतु खोदी गई ट्रेंचो को शीघ्रातिशीघ्र भरकर आवागमन शुरू किया जा रहा है।

(2) जिन रास्तों पर सीवरेज लाइन डाली जा रही है, या प्रस्तावित है, वहां पर नगर परिषद द्वारा रोड आदि का निर्माण नहीं करवाया जा रहा है। उन स्थानों पर सड़क आदि का निर्माण करवाया जाता है, जिन स्थानों पर सीवरेज लाइन कार्य प्रस्तावित नहीं है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) जी हां। संवेदक द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण राशि रुपये 163.33 लाख की शास्ती लगाई है, जिसकी कटौती संवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये बिलों से कर ली गई है। कोष कार्यालय से प्राप्त वाउचर का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बिलाड़ा में अनुप्रीति योजना के लाभार्थी

344. **श्री अर्जुनलाल** (बिलाड़ा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में अनुप्रीति, पालनहार व सहयोग योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहित किया जाता है? यदि हां, तो गत चार वर्षों में कुल कितने लाभार्थियों को किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि द्वारा प्रोत्साहित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में भी विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया? यदि हां, तो कितने -कितने विद्यार्थियों को किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि द्वारा प्रोत्साहित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में अनुप्रीति योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि, पालनहार योजना में पात्रताधारी बच्चों के पालन पोषण एवं अध्ययन हेतु व सहयोग एवं उपहार योजना में पात्रताधारी परिवारों की बालिकाओं के विवाह हेतु अनुदान राशि दी जाती है। गत चार वर्षों में लाभान्वितो को योजनावार प्रदान की गई राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

(राशि लाखों में)

वर्ष	अनुप्रीति योजना		पालनहार योजना		सहयोग एवं उपहार योजना	
	लाभान्वित	प्रदान की गई राशि	लाभान्वित	प्रदान की गई राशि	लाभान्वित	प्रदान की गई राशि
2013-14	739	263.84	108657	7503.33	10352	1288.45
2014-15	374	154.03	140595	14029.94	12005	1562.62
2015-16	794	242.00	127769	16145.49	11651	1548.50
2016-17	1400	389.84	204990	20000.00	8425	1204.10

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में अनुप्रीति योजनान्तर्गत 6 विद्यार्थियो को लाभाविन्त कर प्रोत्साहित किया गया है। जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर सलंग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति गंगापुर सिटी को माडा योजना में राशि का आबंटन

345. **श्री मान सिंह** (गंगापुर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) माडा योजना में 1 अप्रैल, 2014 से 31 दिसम्बर, 2017 तक सवाई माधोपुर जिले को कितनी राशि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज रखें।

(2) उक्त जिले में उक्त योजनान्तर्गत कितनी पंचायत समितियां आती हैं व सबसे अधिक ग्राम पंचायतें व गांव कौनसी पंचायत समिति में हैं? विवरण सदन की मेज रखें।

(3) गत चार वर्ष में आबंटित राशि में से पंचायत समितियों को कितनी-कितनी राशि, कौन-कौन से कार्य के लिए आबंटित की गई है? वर्षवार व पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गंगापुर सिटी पंचायत समिति में जनजाति एस.टी. की जनसंख्या अधिक होने के कारण अधिक धनराशि की आवश्यकता है? क्या सरकार उक्त पंचायत समिति को अधिक धनराशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माडा योजना में 1 अपैल, 2014 से 31 दिसम्बर 2017 तक सवाई माधोपुर जिले को आबंटित की गई राशि की सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) सवाई माधोपुर जिले में माडा योजनान्तर्गत छह पंचायत समितियां (सवाई माधोपुर, बौंली, बामनवाल, खण्डार, गंगापुर सिटी एवं चौथ का बरवाड़ा) आती है। बौंली पंचायत समिति में सबसे अधिक 41 ग्राम पंचायतें आती हैं जिसमें 25 ग्राम पंचायतों के 72 ग्राम माडा योजनान्तर्गत आते हैं। बौंली पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों व गांवों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(3) बिन्दु संख्या 1 के अनुसार विगत चार वर्षों में माडा योजना में सवाईमाधोपुर जिले को आबंटित की गई सूचना परिशिष्ट-अ संलग्न है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा राशि का आबंटन पंचायत समितिवार नही किया जाता है। पंचायत समितिवार कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट -स पर संलग्न है।

(4) प्रदेश में माडा योजनान्तर्गत कार्य स्वीकृति के संबंध में राशि की उपलब्धता अनुसार, कार्य की उपादेयता एवं आवश्यकतानुसार कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा राशि का आबंटन पंचायत समितिवार नहीं किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पीपल्दा में नहर रेगुलेशन के कार्य

346. **श्री विद्याशंकर नन्दवाना** (पीपल्दा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के कमाण्ड क्षेत्र में नहरी पानी के रेगुलेशन के कार्य करवाए जाते हैं? यदि हां, तो उक्त कार्य जल वितरण समितियों के माध्यम से करवाए जाते हैं अथवा सरकार के स्तर पर?

(2) जल वितरण समितियां एवं जल संगम समितियों के कार्य क्या-क्या हैं एवं इनके गठन के क्या उद्देश्य हैं?

(3) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में गत तीन वर्षो में नहर रेगुलेशन के कार्य कहां-कहां करवाए गए? कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई है तथा कार्यों की मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण किन-किन अधिकारियों के द्वारा किया गया? निरीक्षण रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, रेगुलेशन के कार्य विभाग स्वयं के द्वारा करवाये जाते हैं।

(2) जल वितरण एवं जल उपयोक्ता संगम समितियों के कार्यो का विवरण क्रमशः परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर तथा इनके गठन किये जाने के उद्देश्य का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) जी हां, पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र में गत तीन वर्षो में नहर रेगुलेशन पर करवाये गये कार्यो का विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है। इन कार्यो की मोनिटरिंग एवं निरीक्षण का कार्य संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ता द्वारा किया जाता है। इन कार्यो की निरीक्षण रिपोर्ट जारी नहीं की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मावली में टाडा एवं माडा योजना में सम्मिलित गांव

396. **श्री दलीचन्द डांगी** (मावली): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली में कौन-कौन से गांव जनजाति क्षेत्र टाडा एवं माडा में आते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा के जनजाति बाहुल्य गांवों को जनजाति क्षेत्र टाडा एवं माडा में जोड़ने के लिये भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाये गये हैं? यदि हां, तो भेजे गये प्रस्तावों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? गांवों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त भेजे गये प्रस्तावित जनजाति क्षेत्र के गांवों को जनजाति क्षेत्र टाडा एवं माडा में जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मावली विधान सभा क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र टाडा (अनुसूचित क्षेत्र) में कोई गांव नहीं आते हैं तथा माडा (परावर्तित क्षेत्र विकास उपागमन) योजना में आने वाले गांवों का विवरण निम्नानुसार है- बिकरनी, मारूवास, नउवा, रायसिंह जी का गुढा।

अनुसूचित क्षेत्र - राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित 5 जिलों की 23 तहसीलों को मिलाकर अनुसूचित क्षेत्र निर्मित किया गया है जिसमें जनजातियों का सघन आवास है। अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित 5 जिलों में बांसवाड़ा व डूंगरपुर सम्पूर्ण जिले, उदयपुर की सात पूर्ण तहसीलें एवं तहसील गिर्वा के 123 ग्राम व तहसील गोगुन्दा के 52 ग्राम तथा प्रतापगढ़ जिले की प्रतापगढ़, अरनोद, धरियावद व पीपलखूंट तहसीलें तथा सिरोही जिले की आबूरोड पंचायत समिति सम्मिलित है। इस क्षेत्र में आवासित जनजातियों में भील, मीणा, गरासिया व डामोर प्रमुख हैं।

माडा- जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अतिरिक्त जनजाति व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु जिले को एक इकाई मानते हुए प्रत्येक लघु खण्ड की कुल जनसंख्या 10,000 या इससे अधिक तथा उसमें निवास करने वाली जनजाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत हो तथा गांव एक दूसरे से जुड़े हुए हों व

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

सीमा पर स्थित सभी ग्रामों में 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी हो, के आधार पर माडा क्षेत्र बनाया गया है।

(2) जी हां यह सही है कि मावली विधानसभा में जनजाति बाहुल्य गावों को जनजाति क्षेत्र (टाडा) में जोड़ने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाये गये हैं। वर्तमान में टीएसपी (जनजाति उपयोजना क्षेत्र) के विस्तार के प्रस्ताव भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्तावों का राज्य मंत्रीमण्डल द्वारा आज्ञा क्रमांक 153/2014 दिनांक 09.12.14 से अनुमोदन पश्चात उक्त प्रस्ताव शासन के पत्र क्रमांक एफ.10( ) अनुसूचित क्षेत्र विस्तार/2014-15 दिनांक 26.12.14 से जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को अनुमोदन/अधिसूचना जारी करने हेतु भिजवाये गये।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-18013/2/2014-सी एण्ड एल एम-1 दिनांक 06.08.2015 की अनुपालना में विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के संवैधानिक आदेश के ड्राफ्ट को प्रमाणित कर पत्र क्रमांक-एफ 33 (81)(1) सीटीएडी/2014-15/23450-51 दिनांक 21.08.15 से जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भिजवाया गया। विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के ड्राफ्ट आदेश को प्रमाणित कर पत्र क्रमांक एफ 33 (81)(1) सीटीएडी/2014-15/1376-77 दिनांक 14.01.16 से जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भिजवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 15.2.2016, 11.7.2016 को पत्र एवं 23.1.2017 को अ.शा. पत्र लिखा गया। माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान की ओर से अ.शा. पत्र दिनांक 17.3.2017 के द्वारा माननीय मंत्री महोदय, जनजातिय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को निवेदन किया गया है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग भारत सरकार से शीघ्रातिशीघ्र निर्णय के संबंध में निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए हैं। उक्त संबंध में श्रीमान जुएल ओराम मंत्री, जनजातिय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 07.06.17 को प्राप्त पत्र में विस्तार के प्रस्ताव अंतत: मंत्रीस्तरीय परामर्श के तहत है एवं दिनांक 23.08.17 को पुन: श्रीमती विशु मैनी, उपनिदेशक सामान्य, जनजातिय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली को विस्तार के संबंध में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा पत्र लिखा गया। अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव के क्रम में जनजातिय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

विस्तार में सम्मिलित ग्रामों की सूची की Authenticated प्रति पुनः चाही गयी जिसकी अनुपालना में विभागीय पत्र क्रमांक 6078 दिनांक 19.02.18 द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में पुनरीक्षण कर प्रमाणित प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई।

वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्तावों को कैबिनेट में प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्तावों में मावली तहसील के सम्मिलित गांवों का विवरण-

मावली तहसील के नउवा ग्राम पंचायत के 4 ग्राम, जिनका उल्लेख निम्नलिखित है : नउवा ग्राम पंचायत के नउवा, खादरा, रायजी का गुढा तथा मारूवास ग्राम।

(3) भारत सरकार के स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बानसूर (अलवर) में कौशल विकास स्वरोजगार के कार्य

397. **श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में अनूसूचित जनजाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं के अंतर्गत कौशल विकास स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) अलवर जिले की बानसूर तहसील में माडा योजना के तहत गत चार वर्षों में कितने परिवारों को लाभान्वित किया गया? उक्त क्षेत्रों में कौशल विकास स्वरोजगार के लिए कितनी-कितनी राशि से कहां-कहां किस एजेन्सी के मार्फत कार्य स्वीकृत कर क्रियान्वित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति विकास के लिए माडा योजना पूरे प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है? यदि हां, तो अलवर जिले में तहसील स्तर पर उक्त योजना के तहत कौन-कौन से कार्य किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा वर्ष फरवरी 2015 से निरन्तर कौशल विकास प्रशिक्षण योजना का संचालन किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, जयपुर के मार्फत प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से संपादित कराये जा रहे हैं।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र बानसूर माडा क्षेत्र के अन्तर्गत नही आता है।

कौशल विकास स्वरोजगार की सूचना विधान सभा वार संधारित न कर जिलेवार संधारित की जाती है। उक्त योजना के अन्तर्गत राशि 1 करोड़ राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, जयपुर को हस्तांतरित कर क्रियान्वित की गई एवं इसके तहत अलवर जिले में राशि 67.61 लाख व्यय कर 499 जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

(3) जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति विकास के लिए विभाग द्वारा माडा योजना प्रदेश के 18 जिलों (माडा क्षेत्र) में संचालित की जा रही है।

अलवर जिले में तहसील स्तर पर माडा योजना अन्तर्गत पंचायत समिति राजगढ़, रेणी, लक्ष्मणगढ़, कठूमर व थानागाजी आती हैं।

पंचायत समिति राजगढ़, रेणी व थानागाजी में 10 माडा बालिका आश्रम छात्रावास व 02 एकलव्य माडल स्कूल संचालित हैं।

उक्त छात्रावास/स्कूलों में नि:शुल्क भोजन, यूनिफार्म, आवास सुविधा स्टेशनरी व पाठ्य पुस्तक, छात्रवृति व अन्य प्रकार की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

ग्राम छाण (टोंक) में अण्डरपास का निर्माण

398. **श्री अजीत सिंह** (टोंक): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करें:-

क्या यह सही है कि दूदू-मालपुरा टोडारायसिंह-छाण तक एस.एच. 37 ए तक सडक निर्माण का कार्य स्वीकृत है? यदि हां, तो क्या सरकार टोंक विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत छाण में अण्डरपास बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। स्वीकृत कार्य के अन्तर्गत टोंक विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत छाण में अण्डरपास बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है। सड़क कार्य की स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा के विज्ञान नगर में डाक बंगले का निर्माण

399. **श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नये डाक बंगले निर्माण के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित हैं?

(2) प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने डाक बंगले हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार को कोटा के विज्ञान नगर में पी.एच.ई.डी. के अनुपयोगी भवन में डाक बंगले के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या सरकार उक्त पी.एच.ई.डी. के अनुपयोगी भवन और भूमि पर डाक बंगले का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में नये डाक बंगले निर्माण के कोई निश्चित मापदण्ड नहीं हैं। डाक बंगले का निर्माण तहसील मुख्यालय एवं प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल पर राज्य सरकार के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के ठहराव/रात्रि विश्राम की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से किया जाता है।

(2) प्रदेश में वर्तमान में कुल 200 डाक बंगले हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं। कोटा दक्षिण विधान सभा क्षेत्र के विज्ञान नगर में पी.एच.ई.डी. के अनुपयोगी भवन में डाक बंगले के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) जी नहीं। कोटा शहर के विज्ञान नगर में पी.एच.ई.डी. के अनुपयोगी भवन और भूमि में डाक बंगले का निर्माण करवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि कोटा शहर सम्भाग मुख्यालय होने के कारण सर्किट हाउस तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग का डाक बंगला पूर्व में ही संचालित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हिण्डौन डिपो से नये मार्गों पर बसों का संचालन

400. **श्रीमती राजकुमारी** (हिण्डौन): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती राजकुमारी)

(1) हिण्डौन डिपो में वर्तमान में कितनी बसें कितने मार्गों पर संचालित हैं? वर्ष 2014 से 2017 तक कितनी नई बसें उक्त डिपो में लगाई गई व कितने नए मार्गों पर बसों का संचालन किया गया है? क्या सरकार और नए मार्ग खोलने पर विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार हिण्डौन से देवलेन मोड़ व मूडिया होते हुये टोडा भीम तक बस संचालन कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हिण्डौन डिपो में निगम की 79 वाहनों से 30 रूटों पर संचालन किया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

वर्ष 2014 से 2017 तक हिण्डौन डिपो में 24 नई बसें उपलब्ध कराई गई हैं। उक्त अवधि में हिण्डौन डिपो द्वारा दो नये मार्गों करौली से सरदारशहर एवं बाडी से जयपुर मार्ग पर बसों का संचालन प्रारम्भ किया गया है।

कैलादेवी से हरिद्वार तक सेवा संचालन के लिए अनुज्ञा पत्र लेने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है अनुज्ञा पत्र प्राप्त होने पर संचालन किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा करौली जिले में वर्ष 2014 से 2017 तक 51 नये मार्ग खोले गये हैं।

(2) हिण्डौन से देवलेन मोड व मूडिया होते हुए टोडाभीम तक एक अन्य श्रेणी स्टेज कैरिज मार्ग खोला गया है, जिस पर परमिट स्वीकृत करने हेतु आवेदन किया जा सकता है।

वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण और नए रूट पर निगम बस चलाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पीपल्दा में निगम बसों का संचालन

401. **श्री विद्याशंकर नन्दवाना** (पीपल्दा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कितनी बसें किन-किन मार्गों पर संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

(2) वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में उक्त बसों को कितना यात्री भार मिला एवं इससे कितने राजस्व की प्राप्ति हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले की विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की मार्गवार संचालित वाहनों का विवरण परिशिष्ट "।" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में इन बसों को मिलने वाले यात्रीभार एवं राजस्व का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मनोहरथाना में स्वीकृत पेयजल योजनाएं

402. **श्री कंवर लाल** (मनोहरथाना): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में गत 4 वर्षों में पेयजल की कितनी योजनाएं स्वीकृत कर कितनी-कितनी राशि के कार्य कहां-कहां पर करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाये रखने हेतु वर्ष 2014 से वर्ष 2017 की अवधि में पेयजल संबंधी 233 योजनाओं/कार्यों के निष्पादन हेतु राशि रुपये 1293.56 लाख की स्वीकृति जारी की गई।

उक्त स्वीकृति के विरुद्ध अब तक 193 योजना/कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। योजना/कार्यवार स्वीकृति एवं प्रगति संबंधी पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मोहनपुरा (बस्सी) में पेयजल की आपूर्ति

403. **श्रीमती गोलमा** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मोहनपुरा तहसील बस्सी,

(श्रीमती गोलमा)

जिला जयपुर के ग्राम मोहनपुरा में उच्च जलाशय का निर्माण पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो उक्त जलाशय के निर्माण, इससे पानी की सप्लाई करने तथा मोहनपुरा की जनता को पेयजल की आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाने, बोरिंग, बिजली की मोटरें, पूर्व में डाली गई पाइप लाइन व परिवार कनेक्शन देने तथा बीसलपुर योजना से जोड़ने में कुल कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई?

(2) क्या यही भी सही है कि संबंधित अभियंताओं, गांव के कतिपय लोगों व ठेकेदारों की मिलीभगत से बीसलपुर योजनान्तर्गत इस ग्राम में पेयजल सप्लाई हेतु जगह-जगह पर सीमेंट के ब्लाक व पाइंट रखे गये हैं? यदि हां, तो अब तक कितने पाइंट रखकर कितनी राशि व्यय की गई?

(3) क्या यह भी सही है कि कई मौहल्लों में तो एक या दो परिवारों के बीच एक पाइंट रखा गया है तथा अनुसूचित जाति की बस्तियों में आठ या दस परिवारों के बीच एक पाइंट रखा गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ग्राम मोहनपुरा के वार्ड संख्या 4 व 5 के निवासियों ने अधिशाषी अभियन्ता बीसलपुर योजना उपखण्ड बस्सी को पेयजल सप्लाई करने तथा पूर्व में डाली हुई पाइप से कनेक्शन करने हेतु ज्ञापन दिया गया है? यदि हां, तो ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार पेयजल की समस्या के निवारण हेतु हर परिवार को पेयजल की आपूर्ति करने की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत संवर्धन जल योजना, मोहनपुरा-भागीरथपुरा की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 10.06.2011 को राशि रुपये 82.45 लाख की जारी हुई थी तथा इस योजना का कार्य दिनांक 29.05.2013 को पूर्ण किया जा चुका है। इस योजना में उच्च जलाशय के निर्माण पर रुपये 25.00 लाख किया जाकर सम्पूर्ण योजना पर रुपये 70.94 लाख की राशि व्यय हुई है।

बस्सी तहसील के 210 ग्रामों एवं इनकी ढाणियों को बीसलपुर पेयजल परियोजना से लाभान्वित करने हेतु बीसलपुर-दूदू-बस्सी पेयजल परियोजना की

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 190वीं बैठक दिनांक 30.05.13 को राशि रुपये 299.55 करोड़ की जारी की गई थी। परियोजना के कार्य निष्पादन हेतु का दिनांक 18.09.13 को राशि रुपये 284.81 करोड़ (15.66 करोड़ की राशि संधारण पर व्यय की जानी सम्मिलित है) का कार्यादेश जारी किया गया था। इस परियोजना से ग्राम मोहनपुरा के बाहर विलेज ट्रांसफर चैम्बर (वी.टी.सी.) तक तथा ग्राम में आंतरिक पेयजल वितरण तंत्र बिछाकर तथा उक्तानुसार निर्मित उच्च जलाशय से जोड़ा जाकर ग्राम में निर्मित पी.एस.पी. के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

उक्त परियोजना के कार्यों के निष्पादन हेतु रुपये 269.15 करोड़ के विरुद्ध अब तक रुपये 210.08 करोड़ की राशि राज्य मद/केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जाति)/जनजातीय क्षेत्र उपयोजना मद में व्यय की गई है।

इस व्यय की गई राशि में से ग्राम मोहनपुरा के आंतरिक पेयजल वितरण तंत्र पर रुपये 57.61 लाख की राशि व्यय हुई है।

(2) जी नहीं। उक्त पेयजल परियोजना में सम्मिलित ग्रामों में विभागीय नीति एवं तय मानदण्डों के अनुसार 100 व्यक्तियों की आबादी पर एक सार्वजनिक नल (पी.एस.पी.) लगाने का प्रावधान स्वीकृत है।

विभाग द्वारा ग्राम मोहनपुरा की ग्राम जल स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति (वी.डब्ल्यू.एच.एस.सी.) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची एवं स्वीकृत प्रावधानों के अनुसार 60 पी.एस.पी. स्थापित की जाकर इनसे पेयजल आपूर्ति की जा रही है। ग्राम के पेयजल वितरण तंत्र पर उक्तानुसार व्यय की गई रुपये 57.61 लाख की राशि में से 60 पी.एस.पी. के निर्माण पर रुपये 11.34 लाख की राशि व्यय हुई है। वी.डब्ल्यू.एच.एस.सी. द्वारा ग्राम में पी.एस.पी. के निर्माण एवं स्थापना कार्य हेतु चिन्हित किये गये स्थान एवं इस संदर्भ में अभिशंषित सूची की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) उपरोक्तानुसार, ग्राम जल स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति (वी.डब्ल्यू.एच.एस.सी.) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची एवं स्वीकृत प्रावधानों के अनुसार 60 पी.एस.पी. स्थापित की जाकर इनसे पेयजल आपूर्ति की जा रही है। ग्राम मोहनपुरा में प्रावधान अनुसार स्वीकृत उक्त 60 पी.एस.पी. में से 9 पी.एस.पी. अनुसूचित जाति की बस्ती में स्थापित की जाकर इनसे वर्तमान में पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(4) जी नहीं।

(5) उक्त स्वीकृत पेयजल परियोजना में सम्मिलित ग्रामों में विभागीय नीति एवं तय मानदण्डों के अनुसार 100 व्यक्तियों की आबादी पर एक सार्वजनिक नल (पी.एस.पी.) लगाने का प्रावधान स्वीकृत है। इस प्रावधान अनुरूप समिति की अभिशंषा अनुसार ग्राम मोहनपुरा में 60 पी.एस.पी. स्थापित की जाकर इनसे पेयजल आपूर्ति की जा रही है। विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भादरा की प्रस्तावित पेयजल योजनाएं

404. **श्री संजीव कुमार** (भादरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा में वर्तमान में अनेक पेयजल योजनाएं प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी और कितनी-कितनी राशि की? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार क्षेत्र की उक्त प्रस्तावित पेयजल योजनाओं को शीघ्र स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा की शहरी पाइप्ड जल योजना, भादरा तथा ग्रामीण क्षेत्र की 2 पेयजल योजनाओं के पुनर्गठन/संवर्धन के प्रस्ताव सक्षम स्तर पर वर्तमान में तकनीकी परीक्षण में हैं। योजनावार वांछित विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) पुनर्गठित शहरी जल योजना, भादरा - अनुमानित लागत रुपये 5318.20 लाख

(ब) पुनर्गठित क्षेत्रीय जल योजना, घेऊ-मलसीसर - अनुमानित लागत रुपये 712.38 लाख एवं

(स) संवर्धन क्षेत्रीय जल योजना, जाटान - अनुमानित लागत रुपये 481.78 लाख

(2) सक्षम स्तर पर विचाराधीन उक्त पेयजल योजनाओं के प्रस्तावों के तकनीकी परीक्षण में सही पाये जाने के उपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार इनकी स्वीकृति पर विचार सम्भव हो सकेगा।

प्रदेश में डार्क जोन घोषित करने के मानदण्ड

405. **श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में डार्क जोन घोषित करने हेतु क्या-क्या नियम एवं मापदण्ड निर्धारित हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में भू-जल स्तर नीचे चले जाने के कारण डार्क जोन क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि होने से किसानों को कृषि कार्य हेतु दिये जाने वाले अनुदान एवं सहायता से वंचित होना पड़ रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों की उक्त समस्या का निराकरण करने हेतु क्या कार्ययोजना बनाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बाड़मेर जिले में कौन-कौन सी तहसीले डार्क जोन में आती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में किसी भी क्षेत्र के श्रेणी निर्धारण का कार्य केन्द्र सरकार द्वारा गठित भूजल आंकलन समिति की मार्ग निर्देशिका 1997 (संलग्न-1) के अनुसार किया जाता है। 1997 से पूर्व क्षेत्रों को वाईट, ग्रे एवं डार्क जोन में वर्गीकृत किया जाता था, जिसके तहत 85 से 100 प्रतिशत भू जल विकास दर वाले क्षेत्र को डार्क जोन कहा जाता था।

वर्तमान मार्ग निर्देशिका 1997 के अनुसार भू जल विकास की दर को प्रतिशत के आधार पर क्षेत्रों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है:-

1. सुरक्षित (Safe) श्रेणी - भूजल विकास दर 70 प्रतिशत से कम
2. अर्द्धविषम श्रेणी (Semi critical) - जहां भूजल विकास दर 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत
3. विषम श्रेणी (Critical) - भूजल विकास दर 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत
4. अतिदोहित श्रेणी (Over-exploited) - भू जल विकास दर 100 प्रतिशत से अधिक हो अर्थात् भूजल का दोहन भूजल रिचार्ज से अधिक हो।

(2) यह सही है कि प्रदेश में भू जल स्तर नीचे आने के कारण अतिदोहित क्षेत्रों में निरन्तर वृद्धि हुई है, समस्या के निराकरण हेतु सरकार द्वारा किसानों को कृषि कार्य हेतु फव्वारा सिंचाई पद्धति, बूंद-बूंद सिंचाई,

(भू-जल मंत्री)

सामुदायिक जल स्रोतों का विकास, फार्म पौण्ड इत्यादि के लिए अनुदान एवं सहायता उपलब्ध कराई जाती है। (संलग्न-2)

(3) राज्य में भू जल आंकलन पंचायत समितिवार किया जाता है। बाड़मेर जिले में वर्ष 2013 की भू जल आंकलन रिपोर्ट के अनुसार 8 पंचायत समितियों में से बायतु, बालोतरा, धोरीमन्ना, शिव, सिणधरी एवं सिवाना पंचायत समितियां अतिदोहित श्रेणी में आती हैं। (संलग्न-3)

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मारवाड़ जंक्शन के चवाडिया एनिकट का निर्माण

406. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के चवाडिया एनिकट का निर्माण कार्य कब करवाया गया तथा उस पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एनिकट के फूट जाने से किसानों के खेत एवं राजगियावास कल्ला ग्राम के अन्दर वर्षा ऋतु में पानी आ जाने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती हैं? हां, तो क्या सरकार उक्त एनिकट का सुदृढ़ीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में स्थित चवाडिया एनिकट, जो पूर्व निर्मित तालाब था, के क्षतिग्रस्त कार्य का पुन: निर्माण अकाल राहत योजना में वर्ष 1987-88 एवं 1988-89 के दौरान 2.00 लाख की राशि व्यय कर किया गया था। इस कार्य पर विभिन्न योजनाओं में मरम्मत पर अब तक व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त एनिकट के सुदृढ़ीकरण हेतु 134.64 लाख का प्रस्ताव तैयार किया गया है। संसाधन उपलब्धतानुसार कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गंगनहर व इन्दिरा गांधी नहर की टेलों तक पानी पहुंचाने की योजना

407. **श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती सोना देवी)

सरकार विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में आने वाली गंगनहर व इन्दिरा गांधी नहर की टेलों को निर्धारित मात्रा में कब तक पानी देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में आने वाली गंगनहर व इंदिरा गांधी नहर की टेलों को निर्धारित मात्रा में पानी प्रवाहित किया जा रहा है।

सहकारी बैंकों द्वारा नये काश्तकारों को ब्याज मुक्त ऋण

408. **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश के सहकारी बैंकों में नए काश्तकारों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र लालसोट में वित्तीय वर्ष 2016-17 में कितने काश्तकारों को ऋण उपलब्ध करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। सहकारी बैंकों द्वारा रुपये 1.50 लाख तक के वितरित फसली ऋण का समय पर चुकारा करने वाले सभी काश्तकारों से ब्याज नहीं लिया जाता है जिसमें नए काश्तकार भी सम्मिलित हैं। लालसोट विधान सभा क्षेत्र में दौसा केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 19681 काश्तकारों को ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से 71 नए काश्तकार हैं।

अलवर सरस डेयरी चेयरमैन के विरुद्ध कार्यवाही

409. **श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अलवर सरस डेयरी चेयरमैन को गंभीर मामलों में दोषी पाया गया हैं? यदि हां, तो उक्त डेयरी अध्यक्ष के साथ दोषी पाये गये तत्कालीन प्रबंध संचालक सहित अन्य सभी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त डेयरी के अधिकारी, जो जांच में दोषी पाये गये थे, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं संस्था को नुकसान पहुंचाने की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(3) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर द्वारा अलवर डेयरी अध्यक्ष के विरुद्ध राज्य सहकारी अधिनियम, 2001 की धारा 30 की कार्यवाही करने में विलम्ब के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या आर.सी.डी.एफ. लि. जयपुर के मार्केटिंग विपणन अधिकारी द्वारा पशु आहार डीलरशिप में कोई अनियमितता की गई है? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी को पद से हटा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त अधिकारी के विरुद्ध वर्तमान भ्रष्टाचार के मुकदमे लम्बित हैं? यदि हां, तो समस्त रिकार्ड व एफआईआर की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त अधिकारी को भ्रष्टाचार में लिप्त होने के उपरान्त भी दो पद ऊपर महाप्रबंधक के पद पर लगाने के क्या कारण हैं? इसके क्या कारण रहे तथा इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अलवर सरस डेयरी चेयरमैन राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 55 की जांच में गम्भीर मामलों में दोषी पाये गये हैं। अलवर सरस डेयरी चेयरमैन के विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 30 के अन्तर्गत कार्यवाही रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर के समक्ष प्रक्रियाधीन है।

तत्कालीन प्रबन्ध संचालक सहित अन्य सभी अधिकारियों के विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 57 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही अतिरिक्त रजिस्ट्रार, राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन के समक्ष प्रक्रियाधीन है। सम्पूर्ण दस्तावेजात प्रदर्श-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त डेयरी के अधिकारी जो जांच में दोषी पाये गये हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक एवं संस्था को नुकसान पहुंचाने की वसूली के सम्बन्ध में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 57 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही अतिरिक्त रजिस्ट्रार, राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन जयपुर के समक्ष कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विवरण प्रदर्श-2 पर संलग्न है।

(डेयरी मंत्री)

(3) राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 30 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) इस सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक तौर पर किये गये हैं।

(5) उक्त अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का एक मुकदमा वर्ष 2007 में दर्ज हुआ था। एफ.आई.आर. की प्रति प्रदर्श-3 पर संलग्न है।

(6) उक्त अधिकारी को उप प्रबन्धक (विपणन विभाग) के पद पर पदस्थापित किया गया था। पदोन्नति नहीं की गई थी। महाप्रबन्धक स्तर के अधिकारियों की कमी के मध्यनजर महाप्रबन्धक की सेवानिवृत्ति के पश्चात उप प्रबन्धक को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा जिले में छात्रों की बकाया छात्रवृत्ति

410. **श्रीमती अलका सिंह** (बांदीकुई): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी छात्रों की कई वर्षों की छात्रवृत्ति बकाया है? यदि हां, तो उक्त छात्रवृत्ति का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दौसा जिले में किस-किस श्रेणी की कितनी छात्रवृत्ति बकाया है तथा बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 से 2015-16 में प्राप्त आवेदन पत्रों में आक्षेप/कमियां होने के कारण से विद्यार्थियों द्वारा विलम्ब से आक्षेपों की पूर्तियां किये जाने से कुछ विद्यार्थियो की छात्रवृत्तियां लम्बित हैं। साथ ही वर्ष 2016-17 में प्राप्त आनलाइन आवेदन पत्रों की स्वीकृति का कार्य प्रक्रियाधीन है।

उक्त वर्षो में राज्य सरकार की मांग के अनुरूप केन्द्र सरकार से बजट प्राप्त नही होने के कारण भी आवेदन पत्रों की स्वीकृति में विलम्ब हुआ है। इन सभी छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों का 31 मार्च, 2018 तक निस्तारित किये जाने का लक्ष्य है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण प्राथमिकतानुसार पहले आओ पहले पाओ के अनुसार छात्रवृत्तियां स्वीकृत की जाकर भुगतान किया जाकर बजट राशि का उपयोग किया जा चुका है। अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्तमान में गत वर्षों के लम्बित आवेदन पत्रों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

(2) दौसा जिले में विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लम्बित आवेदन पत्रों का वर्गवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। उक्त वर्षों की लम्बित छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों का 31 मार्च, 2018 तक निस्तारित किये जाने का लक्ष्य है। उक्त वर्षों से पूर्व के वर्षों की नियमानुसार किसी भी पात्र विद्यार्थी की छात्रवृत्ति लम्बित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जायल के गाडिया लुहार परिवारों को मुख्य धारा में जोड़ने की योजना

411. **डा. मंजू बाघमार** (जायल): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र जायल में गाड़िया लुहार परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गई? जोडे गये परिवारों के नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जायल विधान सभा क्षेत्र में महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत निम्न गाडिया लुहार परिवारों को अनुदान सहायता दी गयी है-

क्र.सं.	नाम मय पूर्ण पता	व्यय राशि
1.	हेमाराम पुत्र अमराराम मु. सोनेली तह. जायल	12,000
2.	पूनाराम पुत्र मीठाराम मु. अड़सिंगा तह. जायल	17,500
3.	जाना पत्नी अमराराम मु. सोनेली तह. जायल	12,000
4.	मंगाराम पुत्र मीठाराम मु. अड़सिंगा तह. जायल	12,000

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

क्र.सं.	नाम मय पूर्ण पता	व्यय राशि
5.	रामपाल पुत्र नत्थूराम मु. सोनेली तह. जायल	12,000
6.	परमा देवी पत्नी रामलाल मु. अड़सिंगा तह. जायल	17,500
7.	तुलछीराम पुत्र अमराराम मु. सोनेली तह. जायल	12,000
8.	जगराम पुत्र नत्थूराम मु. सोनेली तह. जायल	12,000
9.	पारकी पत्नी दयालराम मु. डिडिया खुर्द तह. जायल	12,000
10.	श्रीमती मीरा पत्नी अर्जुनराम मु. डिडिया खुर्द तह. जायल	12,000
11.	सरजु पत्नी पुनाराम मु. डिडिया खुर्द तह. जायल	12,000
12.	छगनाराम पुत्र मनीराम मु. सोमणा तह. जायल	17,500
13.	मनीराम पुत्र रामरकराम मु. सोमणा तह. जायल	17,500
14.	रतुड़ी पत्नी बींजाराम मु. सोमणा तह. जायल	17,500
15.	सुण्डासम पुत्र भागीरथराम मु. सोमणा तह. जायल	17,500
16.	धर्माराम पुत्र दयालराम मु.जाखण तह. जायल	17,500
17.	भींयाराम पुत्र रामचन्द्र मु. जोचीणा तह. जायल	17,500
18.	मूलाराम पुत्र दयालराम मु. जाखण तह. जायल	17,500
19.	शिवराज पुत्र मांगीलाल मु. सोमणा तह. जायल	17,500
20.	मुलतान पुत्र सुण्डाराम मु. सोमणा तह. जायल	17,500
21.	श्रवणराम पुत्र सुण्डाराम मु. सोमणा तह. जायल	17,500
22.	थानाराम पुत्र हीराराम मु. सोमणा तह. जायल	17,500
23.	गेकू देवी पत्नी नथूराम मु. सोनेली तह. जायल	12,000
24.	प्रकाश पुत्र बींजाराम मु. सोमणा तह. जायल	17,500
25.	रामकिशोर पुत्र शैतानराम मु. डिडिया खुर्द तह. जायल	25,000

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

क्र.सं.	नाम मय पूर्ण पता	व्यय राशि
26.	गेनुड़ी पत्नी मीसाराम मु. डिडिया खुर्द तह. जायल	25,000
27.	सांवताराम पुत्र किशनाराम मु. रूपाथल तह. जायल	25,000
28.	प्रेमाराम पुत्र किशनाराम मु. रूपाथल तह. जायल	25,000
29.	बुद्धाराम पुत्र किशनाराम मु. रूपाथल तह. जायल	25,000
30.	रामदेव पुत्र रत्नाराम मु. रूपाथल तह. जायल	25,000
31.	मांगीलाल पुत्र रत्नाराम मु. रूपाथल तह. जायल	25,000
32.	मदनलाल पुत्र रत्नाराम मु. रूपाथल तह. जायल	35,000
33.	मांगीलाल पुत्र दुर्गाराम मु. डिडिया कलां तह. जायल	35,000
34.	हीराराम पुत्र भागीरथराम मु. सोमणा तह. जायल	35,000
35.	बावड़ी पत्नी मोहनराम मु. नोखा जोधा तह. जायल	15,000
36.	श्रवणराम पुत्र भागूराम मु. सिलारिया तह. जायल	15,000
37.	हरकाराम पुत्र चैथाराम मु. ऊंचाईड़ा तह. जायल	15,000

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विवादग्रस्त प्रकरणों में भूखण्डों का आबंटन

412. **श्री झाबर सिंह खर्रा** (श्रीमाधोपुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें:-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण की ऐसी कौन-कौनसी, कहां-कहां आवासीय योजना है, जिसमें आबंटन आवेदन प्राप्त करने के उपरान्त लाटरी से भूखण्ड आबंटित करने के बाद भूखण्डधारियों को आबंटित भूखण्डों का कब्जा, भूमि पर राजस्व वाद या अन्य विवाद होने के कारण नहीं दिया जा सका? जोन संख्या, योजना का नाम, भूखण्डों की साइज, आबंटन दर प्रति वर्ग मीटर, कितने भूखण्ड वाद से प्रभावित थे, राजस्व वाद का विवरण आबंटियों को अन्यत्र भूखण्ड आबंटन का विवरण आबंटन दर एवं तिथि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण ने ऐसे विवादग्रस्त प्रकरणों में भूखण्डों के आबंटियों को योजना के सृजन/लाटरी निकालने के कितने समय पश्चात् उन्हीं भूखण्डों अथवा अन्यत्र भूमि अवाप्त कर या जविप्रा स्वामित्व की भूमि पर कब्जा पत्र देकर प्रकरण समाप्त किये और कितने प्रकरण अभी भी कब से लम्बित हैं व प्राधिकरण की ऐसे प्रकरणों के त्वरित निस्तारण की क्या योजना हैं? जोनवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जविप्रा द्वारा ऐसे विवादग्रस्त प्रकरणों में भूखण्डधारियों को अन्यत्र भूखण्ड आबंटित किये हैं? यदि हां, तो कब और किस दर पर? जोनवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जविप्रा की आवासीय योजना में भूखण्डों की आबंटन दर वसूल करने के संबंध में विहित प्रावधानों के साथ ही ऐसे कितने प्रकरणों में जविप्रा ने सरकार से मार्गदर्शन/शिथिलता प्राप्त कर विवादित प्रकरणों में आबंटन दर का निर्धारण करवाया है? जोनवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण की ऐसी आवासीय योजनाऐं हैं, जिसमें आबंटन आवेदन प्राप्त करने के उपरान्त लाटरी से भूखण्ड आबंटित करने के बाद भूखण्डधारियों को आबंटित भूखण्डों का कब्जा, भूमि पर राजस्व वाद या अन्य विवाद होने के कारण नहीं दिया जा सका है, का विवरण जविप्रा की जोनवार सूची मय जोन संख्या, योजना का नाम, भूखण्डों की साइज, आबंटन दर (प्रति वर्ग मीटर), कितने भूखण्ड वाद से प्रभावित थे, राजस्व वाद का विवरण, आबंटियों को अन्यत्र भूखण्ड आबंटन का विवरण (आबंटन दर एवं तिथि सहित) परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसे विवादग्रस्त प्रकरणों में भूखण्डों के आबंटियों को योजना के सृजन/लाटरी निकालने के कितने समय पश्चात उन्हीं भूखण्डों अथवा अन्यत्र भूमि अवाप्त कर या जविप्रा स्वामित्व की भूमि पर कब्जा पत्र देकर प्रकरण समाप्त किये और अभी तक लम्बित प्रकरण मय लम्बित रहने की अवधि व जविप्रा द्वारा ऐसे प्रकरणों को त्वरित निस्तारण की योजना का जोनवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) जविप्रा द्वारा ऐसे विवादग्रस्त प्रकरणों में भूखण्डधारियों को अन्यत्र भूखण्ड आबंटित किये हैं। जोनवार आबंटन एवं दर का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) एक प्रकरण में जोन संख्या 7 में विधान सभा सचिवालय समूह आवास योजना के भूखण्ड संख्या 1 से 110 का आबंटन करने हेतु आबंटन दर के संबंध में प्रकरण को कार्यकारी समिति की 167वीं बैठक दिनांक 21.10.2011 में रखा गया। कार्यकारी समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ''प्रकरण में दर निर्धारण हेतु राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जावें।'' कार्यकारी समिति के निर्णय अनुसार प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली दिनांक 23.11.11 को जविप्रा अध्यक्ष एवं माननीय मंत्री नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित की गई। माननीय मंत्री महोदय ने पत्रावली के पैरा सं. 539/एन प अंकित किया है कि ''राजस्थान विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उक्त आवासीय योजना में दिनांक 18.08.2003 को राज्य सरकार की स्वीकृति अनुसार तत्समय की आरक्षित दर का 50 प्रतिशत की दर से आबंटन पत्र जारी किया जा चुका है और पूर्व में भी अन्य विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवासीय भूखण्ड आबंटन का निर्णय लिया गया है। विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मण्डल तत्कालीन माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से व्यक्तिशः सम्पर्क कर प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने का आग्रह करते हुए प्राधिकरण के प्रस्तावानुसार तत्कालीन आरक्षित दर रु .2500/- प्रति व.मी. की 50 प्रतिशत पर आबंटन किये जाने की सहमति व्यक्त की है।

इसी परिपेक्ष में उक्त योजना में तत्कालीन आरक्षित दर रुपये 2500/- प्रति व.मी. की 50 प्रतिशत (अर्थात् रुपये 1250/- प्रति व.मी.) पर आबंटन कर दिया जाएं। (संबंधित पत्रावली के पैरा 526/एन से 541/एन की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है)।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर के सोडाला में स्थित राठी पैट्रोल पम्प द्वारा किया गया अतिक्रमण

413. **श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री धीरज गुर्जर)

(1) जयपुर के अजमेर रोड सोडाला पर स्थित राठी पैट्रोल पम्प को कितनी भूमि आबंटित है एवं वर्तमान में कितनी भूमि पर कब्जा है? वर्तमान स्थिति का भौतिक सत्यापन कराकर व को-आपरेटिव कालोनी, जमना डेयरी एवं जमना नगर की विकास समितियों/सोसायटी द्वारा प्रस्तुत नक्शे एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नक्शे की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पैट्रोल पम्प के पास से को-आपरेटिव कालोनी जाने वाले रास्ते की चौड़ाई स्वीकृत नक्शे के अनुसार कितनी निर्धारित है एवं वर्तमान में कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पैट्रोल पम्प मालिक द्वारा को-आपरेटिव कालोनी एवं जमना नगर जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण किया हुआ है? यदि हां, तो कितनी भूमि पर एवं सरकार द्वारा उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त पैट्रोल पम्प के दूसरी ओर मोदी ड्राईविंग स्कूल के पास से जाने वाले मार्ग पर जमना डेयरी के भूखण्ड संख्या 1 से 12 के निवासियों द्वारा भी अतिक्रमण कर व्यवसायिक गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं? यदि हां, तो किस-किसके द्वारा एवं कितनी-कितनी भूमि?

(5) सरकार द्वारा उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर रोड सोडाला पर स्थित राठी पैट्रोल पम्प की आबंटन संबंधी पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के कारण आबंटन कितनी भूमि का किया गया है, स्पष्ट नहीं किया जा सकता। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राठी पेट्रोल पम्प की वर्तमान स्थिति का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसके अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल (लम्बाई 151"-8"Xचौड़ाई 92") 1550.37 वर्गगज है।

को-आपरेटिव कालोनी एवं जमना नगर दोनों योजनाओं के जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मानचित्रों की प्रति परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है। जमना डेयरी योजना का पी.टी. सर्वे के मानचित्र की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) राठी पैट्रोल पम्प के पास से गुजरने वाले मार्ग को कोपरेटिव कालोनी की ओर सड़क की चौड़ाई 11.6 फीट एवं कहीं 14.9 फीट एवं कहीं 19.6 फीट एवं राठी पैट्रोल पम्प की दूसरी तरफ कालोनियों को जोड़ने वाली सड़क की चौड़ाई वर्तमान में लगभग 20 फीट है। अनुमोदित योजना मानचित्र में राठी पैट्रोल पम्प की पश्चिम दिशा की ओर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नक्शे में रास्ते की चौड़ाई अंकित नहीं है। वर्तमान में मौके पर रास्ते की चौड़ाई 11 फीट 6 इंच है, लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मानचित्र में प्लाट नम्बर 10 के सामने 20 फीट चौड़ाई अंकित है, जो कि मौके पर 20 फीट मौजूद है।

(3) राठी पैट्रोल पम्प से संबंधित मूल पत्रावली के अभाव में कितनी भूमि का आबंटन किया गया है एवं उससे अधिक कितनी भूमि है अथवा नहीं स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मूल पत्रावली उपलब्ध होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(4) जमना डेयरी के भूखण्ड संख्या 1 से 6 एवं भूखण्ड संख्या 8 के भूखण्डधारियों द्वारा 3 फीट 6 इंच चौडी भू-पट्टी सड़क की भूमि पर अतिक्रमण है एवं भूखण्ड संख्या 7 से 12 तक के भूखण्डधारियों द्वारा 2 फीट 6 इंच चौडी भू-पट्टी सड़क की भूमि पर अतिक्रमण है। भूखण्ड संख्या 6 के भूखण्डधारी द्वारा आंशिक भाग पर व्यवसायिक गतिविधि संचालित है, इसके अतिरिक्त अन्य भूखण्डधारियों द्वारा किसी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां संचालित नहीं हैं।

(5) उक्त क्षेत्र वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण से नगर निगम, जयपुर को हस्तान्तरित हुआ है एवं बिन्दु संख्या-4 के उत्तर में अंकित अतिक्रमण उक्त क्षेत्र जयपुर विकास प्राधिकरण से नगर निगम, जयपुर को हस्तान्तरण पूर्व के ही किये हुए हैं। नगर निगम, जयपुर द्वारा उक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगर निगम जयपुर के हवामहल पश्चिम में स्टेट ग्रान्ट एक्ट के पट्टे

414. **श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम, जयपुर के हवामहल पश्चिम जोन में स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टे देने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो गत दो वर्ष में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्राप्त आवेदन पत्रों पर समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करवाकर आपत्तियां मांगी गयी हैं? यदि हां, तो कितने आवेदनकर्ताओं की सूची प्रकाशित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि आपत्तियां आमंत्रित करने के पश्चात् ऐसे आवेदनकर्ताओं को भी पट्टे दिये जा रहे हैं, जिनके विरुद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों?

(4) पट्टे देने में विलम्ब के क्या कारण हैं व इसके लिए कौन-कौन दोषी है तथा अब कब तक पट्टे दे दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विगत दो वर्षों में जोनल कार्यालय में 575 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करवाकर 552 आवेदनकर्ताओं की आपत्तियां मांगी गई। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्तियों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) आपत्तियां आमंत्रित करने के पश्चात् पट्टे जारी किये गये हैं तथा जिन आवेदकों के विरुद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, उन शेष पत्रावलियों की सबूतों की कमियों की पूर्ति करवाकर पट्टे जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) नगर निगम, जयपुर के हवामहल जोन पश्चिम में पट्टे देने में कोई विलम्ब नहीं हुआ, पत्रावलियों की सबूतों की कमियों की पूर्ति करवाकर पट्टे जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर की जल महल झील को संरक्षित झील घोषित करने की योजना

415. **श्री रामचन्द्र** (डग): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि झील प्राधिकरण अधिनियम, 2015 के तहत जयपुर की जलमहल झील को संरक्षित झील घोषित किया गया है? यदि हां, तो कब? इस संबंध में जारी अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा पूर्व में जलमहल योजना बनाकर उक्त झील पर विकास कार्य करवाये गये हैं? यदि हां, तो क्या उक्त योजना जलमहल झील को संरक्षित झील घोषित करने के कारण स्वतः ही निरस्त हो गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या F.8(Ga)(8)(Niyam)DLB (15)/8502 DATED 01-07-2015 के द्वारा "Rajasthan Lakes (Protection and Development) Authority ACT, 2015 (Act No. 5 of 2015) के अन्तर्गत Mansagar (Jalmahal) Lake in villages Vijayamahal Tehsil, Jaipur and Ammer, Tehsil Amer Distric Jaipur. को संरक्षित किया गया है। जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जलमहल झील के संरक्षण हेतु वर्ष 2004-05 में परियोजना बनाई गई जिसके उपरान्त निम्नलिखित कार्य करवाये गये:- Wetland tertiary treatment plant, insitu Bioremedeation, Tourist trail, path, Nesting island, Rajasthani Sculputure.

वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जलमहल योजना के अन्तर्गत कोई विकास कार्य नहीं करवाये जा रहे हैं। उक्त योजना जलमहल झील को संरक्षित घोषित करने के कारण निरस्त नहीं हुई है। चूंकि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु जलमहल योजना क्रियान्वयन हेतु भूमि अवाप्ति हेतु नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम क्रमांक: 1894 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1 की धारा) की धारा-4(1) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक: प.6(21)नविआ/3/82 दिनांक 08.01.1991 को तथा धारा-6 की अधिसूचना

(स्वायत्त शासन मंत्री)

दिनांक 17.01.1993 को जारी की गई थी। राज्य सरकार द्वारा अवार्ड दिनांक 22.11.1995 को अनुमोदित करने पर दिनांक 24.11.1995 को घोषित किया गया। दिनांक 24.11.1995 को घोषित अवार्ड का संशोधन खसरा नम्बर 170, 173 एवं 175 राजस्व ग्राम बदनपुरा तहसील जयपुर दिनांक 28.06.2016 को जारी किया गया। संशोधित अवार्ड अनुसार खसरा नम्बर 170, 173 एवं 175 राजस्व ग्राम बदनपुरा तहसील जयपुर की मुआवजा राशि का चैक माननीय सिविल न्यायाधीश (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट), जयपुर महानगर, जयपुर में जमा करवाये गये हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर के भाटावाला में पशु डेयरियों को आबंटित भूखण्ड

416. **श्रीमती संजना आगरी** (सोजत): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के भाटावाला गांव में शहर में संचालित पशु डेयरियों को भूखण्ड आबंटित किये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस को? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पशुपालकों द्वारा वर्तमान में शहर में भी डेयरी संचालित की जा रही है? यदि हां, तो किस-किस पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त भाटावाला डेयरी योजना में आवश्यक सुविधायें यथा पशु चिकित्सालय, पेयजल, चारा डिपो, सीवर लाइन व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त डेयरी योजना में चार दिन में एक बार पेयजल की आपूर्ति करने से पशुपालकों को पशु रखने में असुविधा हो रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार द्वारा महेन्द्रा सेज, जयपुर में भी रियायती दर पर भूखण्ड आबंटित किये गये हैं? यदि हां, तो किस-किसको व किस-किसके द्वारा भूखण्ड पर निर्माण कर व्यवसाय किये जा रहे हैं व कितने भूखण्ड खाली हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भाटावाला गांव में शहर में संचालित पशु डेयरियों को

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड आबंटित किये गये हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध डेयरी आबंटियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) इस प्रकार का कोई सर्वे नगर निगम, जयपुर द्वारा नहीं करवाया गया है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा योजना में पेयजल लाइनें डालने के पश्चात जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को संचालन एवं संधारण हेतु हस्तान्तरित की जा चुकी है, जिसकी प्रति परिशिट "ब" पर संलग्न है।

उक्त योजना के पास मुख्य सीवर लाइन/आउट फाल सीवर लाइन उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्तमान में सीवर लाइन उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है। इसी प्रकार पशु चिकित्सालय, चारा डिपो, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रस्ताव जयपुर विकास प्राधिकरण में विचाराधीन नहीं है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ग्राम बक्सावाला (मुख्य ग्राम शामिल नहीं है) गोविन्दपुरा (वर्तमान में नगर निगम में है) एवं सूरजपुरा डेयरी (मुख्य ग्राम शामिल नहीं है) को शामिल करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जल प्रदाय योजना का निर्माण किया गया था। जिसमें डेयरी हेतु आबंटन सिर्फ सूरजपुरा राजस्व ग्राम के अन्तर्गत किया गया। स्थानीय रहवासी इसे सूरजपुरा डेयरी/भाटावाला डेयरी के नाम से जानते हैं। योजना पर 4 नलकूपों का निर्माण किया गया था, जिसमें से वर्तमान में 2 नलकूप सूख जाने के कारण शेष बचे 2 नलकूपों से पाइप लाइन एवं घरेलू जल संबंधों के माध्यम से एक दिन छोड़कर एक दिन जल वितरण किया जा रहा है। वर्तमान जल सेवा स्तर 32 ली. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है।

(4) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने अवगत कराया गया है कि ग्राम बक्सावाला (मुख्य ग्राम शामिल नहीं है) गोविन्दपुरा (वर्तमान में नगर निगम में है) एवं सूरजपुरा डेयरी (मुख्य ग्राम शामिल नहीं है) को शामिल करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जल प्रदाय योजना का निर्माण किया गया था। जिसमें डेयरी हेतु आबंटन सिर्फ सूरजपुरा राजस्व ग्राम के अन्तर्गत किया गया। स्थानीय रहवासी इसे सूरजपुरा डेयरी/भाटावाला डेयरी के नाम से जानते हैं। योजना पर 4 नलकूपों का निर्माण किया गया था, जिसमें से वर्तमान में 2 नलकूप सूख जाने के कारण शेष बचे 2 नलकूपों से पाइप लाइन एवं घरेलू जल संबंधों के माध्यम से एक दिन छोड़कर एक दिन जल वितरण किया जा रहा है। वर्तमान जल सेवा स्तर 32 ली. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(5) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा महेन्द्रा सेज विकास हेतु रीको को 1949.8389 एकड़ भूमि की लीजडीड जारी की है एवं रीको द्वारा महेन्द्रा वर्ल्ड सिटी को आबंटित की गई है।

महिन्द्रा सेज में रियायती दर पर भूखण्ड आबंटित नहीं किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगरीय विकास विभाग में अभियन्ताओं की पदोन्नति

417. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विभाग के अधीन कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, सहायक अभियन्ता सिविल, अधिशाषी अभियन्ता सिविल, अधीक्षण अभियन्ता सिविल व अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सिविल के पदों की पदवार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक अन्तिम बार कब आयोजित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रत्येक पद की डी.पी.सी. कब से एवं क्यों लम्बित है?

(3) विभाग में उक्त प्रत्येक प्रकार के अभियन्ताओं के कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं?

(4) विभाग में उक्त प्रत्येक प्रकार के अभियन्ताओं के कितने-कितने पद तदर्थ अथवा अस्थाई रूप से पदोन्नति से भरे गये हैं?

(5) क्या सरकार उक्त प्रत्येक प्रकार के अभियन्ताओं के पदों की डी.पी.सी. आयोजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? समयबद्ध कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग के अधीन कार्यरत अभियांत्रिकी सिविल के विभिन्न पदों की पदवार विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित की गई अंतिम बैठक का पदवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**पदनाम**	**विभागीय पदोन्नति समिति की अंतिम बैठक आयोजित किये जाने का वर्ष एवं दिनांक**
1.	मुख्य अभियन्ता सिविल	वर्ष 2016-17 दिनांक 01.07.2016

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

क्र.सं.	पदनाम	विभागीय पदोन्नति समिति की अंतिम बैठक आयोजित किये जाने का वर्ष एवं दिनांक
2.	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सिविल	वर्ष 2016-17 दिनांक 01.07.2016
3.	अधीक्षण अभियन्ता सिविल	वर्ष 2012-13 दिनांक 16.11.2012
4.	सहायक अभियन्ता सिविल	वर्ष 2002-03 दिनांक 08.04.2003
5.	सहायक अभियन्ता सिविल	वर्ष 2001-02 दिनांक 10.10.2005

(2) इस बिन्दु का उत्तर परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(3) इस बिन्दु का उत्तर परिशिष्ट "ब" के अनुसार है।

(4) इस बिन्दु का उत्तर परिशिष्ट "स" के अनुसार है।

(5) जी हां। बिन्दु संख्या-2 में वर्णित याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय पारित किये जाने के उपरान्त ही प्रत्येक प्रकार के अभियन्ताओं के पदों की लम्बित डीपीसी आयोजित की जावेगी। उक्त वस्तुस्थिति के कारण डीपीसी हेतु समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता के पदों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक पात्र अभ्यार्थियों द्वारा पात्रता पूर्ण करने पर की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 418

(स्थगित)

तिजारा के आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण

419. **मास्टर मामन सिंह यादव** (तिजारा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र तिजारा में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं? क्या उक्त सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हो चुके हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र तिजारा के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना तिजारा संचालित है, जिसमें 292 आंगनबाडी केन्द्र स्वीकृत हैं।

जी नहीं। परियोजना तिजारा के अन्तर्गत 21 आंगनबाडी केन्द्र विभागीय भवनों में, 199 आंगनबाडी केन्द्र स्कूल भवनों में, 30 आंगनबाडी केन्द्र अन्य नि:शुल्क भवनों में, 13 आंगनबाडी केन्द्र अन्य सरकारी भवनों में तथा 29 आंगनबाडी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं।

किराये के भवनों में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों में से 03 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण प्रगतिरत है। शेष आंगनबाडी केन्द्र भवन भूमि आबंटन/पट्टा/अनापत्ति सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर निर्माण कराए जा सकेंगे।

(2) जी हां। तिजारा विधान सभा क्षेत्र में 03 आंगनबाडी केन्द्र क्रमश: चावण्डीकला, बेरला एवं असलीमपुर का भवन निर्माण कार्य प्रगतिरत है। आंगनबाडी केन्द्र भवन भूमि आबंटन/पट्टा/अनापत्ति सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर निर्माण कराए जा सकेंगे।

निवाई में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

420. **श्री हीरालाल** (निवाई): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां स्थित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने केन्द्र निजी भवनों में संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार निजी भवनों में संचालित उक्त केन्द्रों को बंद पड़े राजकीय विद्यालयों के भवनों में संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के अन्तर्गत दो परियोजनाएं क्रमश: निवाई एवं टोंक ग्रामीण संचालित हैं। जिसमें परियोजना निवाई के 239 एवं टोंक ग्रामीण के 127 आंगनबाडी केन्द्र संचालित हैं। आंगनबाडी केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

(2) विधान सभा क्षेत्र निवाई के अन्तर्गत परियोजना निवाई के 39 एवं टोंक ग्रामीण के 12 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। राज्य सरकार के आदेशानुसार बंद पड़े राजकीय विद्यालयों में आंगनबाड़ी केन्द्रों को स्थानान्तरित किया जा चुका है। साथ ही वर्तमान में संचालित विद्यालयों में भी निकटस्थ आंगनबाड़ी केन्द्रों को स्थानान्तरित किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में छोटे क्षेत्रफल के बजरी पट्टों का आबंटन

421. **श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में बजरी खनन की क्या स्थिति है? क्या बजरी खनन करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्वीकृति आवश्यक है? यदि हां, तो इस हेतु एनजीटी के नियम एवं शर्तें क्या हैं? क्या सरकार मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यों की तर्ज पर छोटे क्षेत्रफल के पट्टे आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस माप के व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11.2013, 24.02.2014 एवं 27.03.2014 की पालना में राज्य में बजरी के कुल 80 एल.ओ.आई. धारकों का जिन्होंने तत्समय ई.सी. हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया था, उन्हें अस्थाई कार्यानुमति जारी की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16.11.2017 से उपरोक्त 80 प्रकरणों में बिना पर्यावरण सहमति अथवा रिप्लेनिशमेंट स्टडी के खनन कार्य तुरन्त प्रभाव से बंद कराया गया। वर्तमान में बीकानेर, जैसलमेर एवं नागौर जिलों में खनिज बजरी के खनन पट्टे स्वीकृत किये हुए हैं जहां से बजरी की आपूर्ति हो रही है। राज्य सरकार द्वारा नियमों में संशोधन कर राजकीय निर्माण कार्यों के लिए खातेदारी भूमि में खनिज बजरी के एस.टी.पी. दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा स्टोन क्रेशर से जो डस्ट बनती है, उसको बजरी के रूप में काम में लिया जा रहा है। सभी एल.ओ.आई. धारकों को पाबंद किया गया है कि वह रिप्लेनिशमेंट स्टडी रिपोर्ट तैयार कर पर्यावरण विभाग को प्रस्तुत करें जिनमें से 19 एल.ओ.आई. धारकों द्वारा रिप्लेनिशमेंट स्टडी रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है।

(राज्य मंत्री, खान)

बजरी के खनन करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। बजरी के छोटे आकार के प्लाट बनाकर नीलामी से स्वीकृत करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश में अवैध खनन के दर्ज प्रकरण

422. **श्री बृजेन्द्र सिंह ओला** (झुंझुनूं): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार को प्रदेश में अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं? यदि हां, तो जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2017 तक अवैध खनन के कितने प्रकरण दर्ज हुए? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा अवैध खनन रोकने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कार्यवाही करने के उपरांत भी अवैध खनन नहीं रूक रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार को अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राज्य में जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2017 तक खान विभाग, वन विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा क्रमश: 2514, 5432 तथा 7906 अवैध खनन के प्रकरण दर्ज किये/बनाये गये हैं। जिलेवार संख्या का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की गई है। खान विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिये नियमित एवं आकस्मिक रूप से चैकिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्देशन में राजस्व, पुलिस, वन, यातायात व खान विभाग द्वारा भी अवैध खनन के विरुद्ध समय-समय पर संयुक्त जांच की जाती है।

अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हेतु एम.एम.डी.आर. (संशोधन) एक्ट, 2015 एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 में अवैध खनन पर दो वर्ष की सजा के प्रावधान को बढ़ाकर पांच वर्ष किया गया है।

अवैध खनन की रोकथाम हेतु अधिनियम/नियम में खान विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के अलावा संबंधित जिला कलेक्टर, एस.डी.एम. व तहसीलदार को भी अधिकार प्रदत्त किये गये हैं।

(राज्य मंत्री, खान)

अवैध खनन की रोकथाम हेतु मुख्य सचिव द्वारा परिपत्र जारी कर भूमि के स्वामित्व के आधार पर अलग-अलग विभागों यथा वन भूमि में वन विभाग, खातेदारी व चरागाह भूमि में राजस्व विभाग तथा राजकीय भूमि में खान विभाग की जिम्मेदारी तय की है।

राज्य में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आर.ए.सी. की सात कम्पनियां लगाई गई हैं।

खातेदारी भूमि में अवैध खनन पाये जाने पर खातेदारी भूमि निरस्त करने की कार्यवाही भी की जाती है। अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध संबंधित पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाती है तथा अवैध खनन में काम में आने वाले औजार एवं वाहनों को भी जब्त किया जाता है।

वन क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम हेतु वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा निरन्तर गश्त की जाती है तथा वन क्षेत्र में अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध राजस्थान वन अधिनियम, 1953 व संशोधित अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही कर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है।

इस प्रकार अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त प्रयास किये गये हैं।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा प्रश्न के भाग संख्या-1 व 2 में वर्णित जवाब अनुसार अवैध खनन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

ग्राम जाडन (मारवाड़-जंक्शन) में अंत्योदय योजना में आबंटित भूमि का कब्जा

महोदय,

पूर्व मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत साहब की देश में गरीबों के लिए एक अनूठी पहल पर मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम जाडन खालसा तहसील खारची (मारवाड़ जंक्शन) में आदेश क्रमांक राजस्व/5715 दिनांक 23/09/1978 के द्वारा ग्राम जाडन के खसरा नम्बर 429 रकबा 18 बीघा 2 बीस्वा भूमि चाही दोयम की कृषि भूमि से अकृषि भूमि में परिवर्तन कर ग्रामीण क्लस्टर भवन, जोधपुर के लिए इस शर्त पर आबंटित की गई थी कि इस भूमि पर निर्माणित भवनों का विक्रय इस कार्यालय द्वारा चयनित अंत्योदय एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को निर्धारित दर पर किया जाएगा।

उक्त आबंटित भूमि पर ग्रामीण आवास जोधपुर द्वारा 20 क्लस्टर हाउस का निर्माण कर जिला प्रशासन को सुपुर्द कर दिए गए कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक राजस्व/5715 दिनांक 23.09.1978 को शर्त संख्या 03 के अनुसार निर्मित भवनों का आबंटन चयनित अन्त्योदयी परिवार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को 17 भवनों का आबंटन ग्राम जोगडावास, खारडी, मालपूरिया, जाडन, सुरायता गांवों के लोगों को किया गया था।

सरकार की भावना एवं शर्तों के अनुसार उक्त चयनित अन्त्योदयी अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को अलोटमेन्ट तो कागजों में कर दिया किन्तु उन गरीब व्यक्तियों को मौके पर भौतिक रूप से कब्जा नहीं दिया गया जिससे वहां के भू माफिया बाहूबल एवं धनबल के आधार पर उक्त सभी मकानों पर काबिज होकर बैठ गये, आगे से आगे 100-100 रुपये के स्टाम्प पर बेचान भी करते गए। उन पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें भी बना दीं किन्तु वास्तव में जो हकदार थे उनको कब्जा नहीं मिला है। अतः मेरी सरकार से मांग है कि उक्त व्यक्तियों को कब्जा दिलाया जाए एवं भू माफियाओं पर सख्ती की जाए।

केसाराम चौधरी

(मारवाड़ जंक्शन)

राष्ट्रीय राजमार्ग ब्यावर से पिंडवाड़ा पर सोजत, निंबली नाड़ी विश्वकर्मा मंदिर के सामने फ्लाई-ओवर का निर्माण

महोदय,

सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 162 ब्यावर टू पिण्डवाड़ा का निर्माण करवाया गया। जिसके निर्माण कार्य के चलते कई तकनीक खामियां सामने आई। कंपनियों द्वारा जो नक्शा रोडमैप डिजाइन बनाया गया उसे मौके पर जाकर बनाया होता तो आज शहरों और गांवों के मध्य भाग होते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों का आवागमन नहीं होता। जनहित की भावनाओं को देखते हुए ग्रामवासियों द्वारा जो अपीलें पेश की गई, उसे मध्य नजर रखते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री युनूस खान साहब ने संशोधित बजट 61 करोड़ की लागत ब्यावर टू पिण्डवाड़ा स्वीकृत किया। जिसमें सोजत विधान सभा क्षेत्र के रायपुर बासिया पिपलीया, चण्डावल, साण्डिया, सोजत शहर बागावास आदि स्थानों पर सर्विस रोड्स, चार रास्तों पर सर्कल जंक्शन तक लेवें, जिस पर रोड़ लाइटस अण्डर ब्रिज के कार्य आज भी अधूरे पड़े हैं। इसके बावजूद भी टोल फ्री वसूली कंपनियों द्वारा की जा रही हैं। जिसका आर्थिक नुकसान जनता को उठाना पड़ रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग ब्यावर टू पिण्डवाड़ा 162 का गजट नोटिफिकेशन कब जारी हुआ और इसका कार्य पूर्ण होने तक की अवधि क्या रही, राजमार्गों का निर्माण कब तक पूर्ण होना था और समय रहते कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही कर टोल वसूली पर भी कार्य पूर्ण नहीं होने तक रोक लेनी चाहिए ताकि अधूरे कार्यों का निर्माण शीघ्र हो सके।

अतः माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि व्यावर टू पिण्डवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग सोजत शहर नगरपालिका के मध्य भाग लेते हुए गुजर रहा है जिसमें सोजत शहर दो भागों में बंट गया। शहर के एक ओर आबादी क्षेत्र व दूसरी ओर न्यायालय भवन उपखण्ड कार्यालय तहसील कार्यालय सभी समाजों के छात्रावास भवन सरकारी रेजीडेंशियल क्वाटर्स, खेल मैदान आदि घनी आबादी क्षेत्र में विकसित हैं। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि सोजत शहरवासियों की जनहित की भावना व अपीलों को ध्यान में रखते हुए सोजत, निंबली, नाड़ी विश्वकर्मा मंदिर के सामने फ्लाईओवर का निर्माण जाइन की तरह करवाया जाए।

संजना आगरी

(सोजत)

सलूम्बर में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत वन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा जन जाति क्षेत्रों के लिए 250 की जनसंख्या के प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़कें स्वीकृत की गई थीं। जिसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की भी कई सड़कें स्वीकृत हुई उसमें से बहुत सारी सड़कों का कार्य पूर्ण हो गया, मगर कुछ सड़कें वन क्षेत्र में आ रही थीं जो बन नहीं पाई। जैसे नठारा बड़ा चौराहा से घोटा पानी लंबाई 10 किमी, मण्डास से कलात लंबाई 5 किमी, मण्डास से राताखेत 5 किमी, जावर माइन्स से तालाब फला तक-श्यामपुरा से जाम्बुडा वाया जोतिला, चावण्ड-प्रसाद से भूआलिया काकरवली, बलुआ से हरघाटा, टेलाई से बोरिमलान, घोडासर से अणातफला खरबर, तालाबफला से बिलख आदि सड़कें 2013-14, 2014-15 की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें स्वीकृतशुदा पड़ी हुई हैं। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा तथा अन्य विभाग की लापरवाही से इन सड़कों का कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है।

अत: मेरा निवेदन है कि वन विभाग अन्य विभागों से नियमानुसार उचित कार्यवाही कराकर स्वीकृतशुदा सड़कों का कार्य प्रारम्भ करवाने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

अमृत लाल

(सलूम्बर)

जोधपुर में पूर्णकालिक खनिज अभियंता की नियुक्ति

मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खनि अभियन्ता कार्यालय, जोधपुर में पूर्णकालिक खनि अभियन्ता की नियुक्ति की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। विश्वप्रसिद्ध जोधपुरी पत्थर का विशाल उत्खनन क्षेत्र और उससे विशाल राजस्व की प्राप्ति का प्रबन्धन और नियन्त्रण खनि अभियन्ता कार्यालय, जोधपुर द्वारा होता है। परन्तु खेद का विषय है कि गत लंबे समय से उक्त पद से कनिष्ठ योग्यता और पद के व्यक्ति को खनि अभियन्ता के

पद पर नियुक्त किया हुआ है। जिस कारण उक्त पद की गरिमा और प्रबन्धन कौशल के अनुरूप कार्य नहीं हो पा रहा है । कनिष्ठ स्तर के अधिकारी होने के कारण अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है और निर्णय में देरी होने के कारण बार-बार उच्च स्तर का मुखापेक्षी होना पड़ता है। सामान्य से निर्णय के लिए भी अनावश्यक रूप से जयपुर पत्रावलियां भेजी जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में खनि अभियन्ता के पद का दायित्व कनिष्ठ स्तर के अधिकारी को दिया जाना युक्तिसंगत नहीं है। अतः मेरी मांग है कि सरकार उक्त विषय पर अविलम्ब कार्यवाही कराए और खनि अभियन्ता, जोधपुर के पद पर पूर्णकालिक नियुक्ति कराएं ताकि विश्वप्रसिद्ध जोधपुरी पत्थर के विशाल उत्खनन क्षेत्र का पूर्ण क्षमता और सुरक्षा नियमों के अनुरूप खनन सुनिश्चित हो सके।

सूर्यकान्ता व्यास

(सूरसागर)

मसूदा में ग्रामीण गौरव पथ सड़कों के निर्माण में तकनीकी खामियां

यह है कि राजस्थान सरकार द्वारा गावों में रहने वाले ग्रामीणों को बड़े शहर जैसी सड़क उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण गौरव पथ और गौरव पथ मनरेगा योजना न केवल प्रारम्भ की गयी, इस योजना को इसी कार्यकाल के दौरान ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण गौरव पथ और गौरव पथ मनरेगा का निर्माण कराया गया। इस योजना में गौरव पथ के दोनों ओर नाली निर्माण और पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए वृक्षारोपण का भी प्रावधान किया गया।

मुझे यह अवगत कराते हुए खेद का अनुभव हो रहा है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बने ग्रामीण गौरव पथ एवं गौरव पथ मनरेगा के निर्माण कार्य में तकनीकी अधिकारियों की और ठेकेदारों की मिलीभगत से हल्की निर्माण सामग्री प्रयोग में लाई गई हैं अधिकांश जगह नालियां नहीं बनायी गयी है तथा वृक्षारोपण तो कहीं भी नहीं किया। विभागीय अधिकारियों एवं ठेकेदारों के इस कृत्य से राज्य सरकार की योजना पर प्रभाव पड़ रहा है।

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर बताना चाहूंगी कि ऐसी महत्वपूर्ण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अन्य संस्थाओं के द्वारा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कराया जावे तो कार्य अधिक गुणवत्तापूर्ण होगे तथा गौरव पथ के अलावा रिक्त रही जमीन को सार्वजनिक हितार्थ सुरक्षित रखे जाने के लिए भी अधिकारीगणों को निर्देशित करावें। ग्रामीण गौरव पथ एवं गौरव पथ मनरेगा

के निर्माण में रही लापरवाही की जांच कराने के आदेश जारी कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराएं।

सुशील कंवर

(मसूदा)

रामगंजमण्डी में RSRDC के निर्माण कार्यों की जांच

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र में आरएसआरडीसी द्वारा विभिन्न सड़कें एवं आरओबी का निर्माण कार्य कराया गया है। क्षेत्रवासियों द्वारा निरन्तर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। आरएसआरडीसी द्वारा निर्माण कार्य समय पर पूर्ण नहीं कराये जाते हैं। मोडक पुलिया सहित अनेक निर्माण कार्यों में देरी होने के कारण स्थानीय जनता को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है, उण्डवा में साइड में सीसी ब्लॉक लगाने थे। लेकिन न पूरे नाले का निर्माण हुआ और न ही साइडें बन पाई। चेचट में नाला निर्माण अधूरा होने के साथ-साथ घटिया क्वालिटी का है, जो जनता के लिए आफत बना हुआ है। साथ ही दोनों साइडों का कार्य अभी तक अपूर्ण है। जिससे क्षेत्रवासियों में काफी रोष व्याप्त है।

अतः मेरा विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि रामगंजमण्डी में आरएसआरडीसी द्वारा किये गये निर्माण कार्यों की जांच, अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण एवं बचत राशि का उपयोग करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

सादर।

चन्द्रकान्ता मेघवाल

(रामगंजमण्डी)

किशनगढ़ में राजकीय कृषि महाविद्यालय की स्थापना

माननीय,

निवेदन है कि आज प्रदेश में ग्रामीण परिवेश के छात्रों का विगत 10-12 वर्षों में विज्ञान के क्षेत्र में रूझान बढ़ा है और विज्ञान के छात्र डाक्टर, इंजीनियर के साथ कृषि क्षेत्र में भी एक बेहतर कैरियर बना रहे हैं। लेकिन विद्यालय शिक्षा के पश्चात कृषि क्षेत्र में कैरियर बनाने हेतु वर्तमान में अजमेर जिले में कृषि महाविद्यालय की महत्ती आवश्यकता गत 10-8 वर्षों से महसूस

की जा रही है। वर्तमान में अजमेर जिले में रामसर, केकडी, सराधना, श्रीनगर, किशनगढ़ एवं अजमेर शहरी क्षेत्र में स्थित मोइनिया इस्लामिया उ.मा.वि. आदि में कृषि विज्ञान संकाय में अध्ययन कराया जा रहा है। तत्पश्चात् जिले के छात्र छात्राओं को इस विषय में उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, लालसोट, फतेहपुर स्थित राजकीय कृषि महाविद्यालय में जाना पड़ता है वहीं अजमेर स्थित निजी डी ऐ वी महाविद्यालय में समुचित अध्ययन व्यवस्था का पूर्णतया अभाव और शिक्षण शुल्क भी काफी अधिक होने से ग्रामीण छात्र-छात्राओं के लिए कृषि विज्ञान संकाय में उच्च अध्ययन संभव नहीं हो पा रहा है।

मान्यवर, अजमेर जिले का कृषि आधारित वृहत् क्षेत्र एवं ग्रामीण पृष्ठ-भूमि की अधिक आबादी होने के पश्चात् भी यहां पर एक भी कृषि महाविद्यालय नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि अजमेर जिले के किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्थित किशनगढ़ अथवा अराई पंचायत समिति क्षेत्र में राजकीय कृषि महाविद्यालय खोलने की सक्षम स्वीकृति आगामी बजट वर्ष 2018-19 की विभागीय कार्य योजनाओं में जारी कराने की कृपा करावें जिससे कृषि क्षेत्र में अजमेर जिले के ग्रामीण युवा अपना कैरियर बना सके तथा कृषि मे हो रहे नवाचारों के बारे में ज्ञानोपार्जन कर कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहयोग कर सकें।

भागीरथ चौधरी

(किशनगढ़)

बाड़मेर शहर में ठोस कचरा संग्रहण केन्द्र का संचालन

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं आपका ध्यान अत्यंत ही जनहित के मुद्दे पर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि एक बैंक भारत सरकार एवं राज्य सरकार स्वच्छ भारत को लेकर बड़े-बड़े अभियान चलाने की बात कह रही है। वहीं दूसरी तरफ बाड़मेर शहर में रोजाना सैकड़ों टन कचरा जो निकलता है उनका संग्रहण कर नष्ट करने हेतु बाड़मेर शहर के पास गेहूं ग्राम में कुछ वर्ष पूर्व ठोस कचरा संग्रहण केन्द्र बनाया था, लेकिन आज तक इसका कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके कारण कचरे के बड़े-बड़े पहाड़ खड़े हो गये हैं। बड़ी मात्रा में फैले इस गंदे कचरे के कारण गेहूं गांव के आस-पास के घरों में मच्छरों से बीमारियां फैल रही। हैं दुर्गन्ध आ रही हैं। ज्यादातर कचरा बाहर

सड़कों पर डाल दिया जाता है। आम जनता आन्दोलन कर रही है। सरकार अतिशीघ्र इस संग्रहण केन्द्र को शुरू कराये। मंत्री जी में पूर्व सत्र में भी इस कार्य को शुरू कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। साथ ही बाड़मेर शहर का बड़ा हिस्सा सिवरेज से वंचित है, जिसके कारण जहां, सिवरेज लगी हैं वहां भी यह शुरू नहीं हो रही है। क्योंकि शहर के सबसे बीच का क्षेत्र सिवरेज से वंचित है। जो राशि पूर्व में खर्च हुई हैं, वह भी बेकार चली जायेगी।

अतः आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि बाड़मेर में बंद पड़े ठोस कचरा संग्रहण प्लान्ट के कार्य को शुरू करवायें तथा सीवरेज से वंचित क्षेत्रों में सीवरेज स्वीकृत कराने का श्रम करावें।

सादर।

मेवाराम जैन

(बाड़मेर)

उदयपुर ग्रामीण की ग्राम पंचायत डाकन कोटड़ा, काला मगरा के किसानों को वन विभाग से परेशानी

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, उदयपुर ग्रामीण के वनखण्ड कालमगरा, गाँव: डाकन कोटडा में 50 वर्षो से खातेदारी अधिकार से काबिज काश्तकारों को अब वन विभाग, उदयपुर द्वारा परेशान किया जा रहा है। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार वर्ष 1968 1970 के बीच बिलानाथ भूमि काश्तकारों के लगान का 35 गुण जुर्माना व शास्ती लेकर उनके पुराने कब्जों का नियमन किया गया एवं उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे जिसे आज करीब 50 वर्ष हो गये हैं।

वन विभाग द्वारा खातेदारी भूमि को वनखण्ड की भूमि में से इन्टीरियर लाइन द्वारा पृथक नहीं करने की वजह से यह बिना वजह विवाद का कारण बन गया जबकि वन विभाग की अन्तिम विज्ञप्ति 1865.79 एकड़ भूमि वनखण्ड कालमगरा गांव डाकन कोटडा में सम्मिलित की गई थी। जबकि राजस्व रिकार्ड अनुसार 2098.65 एकड़ भूमि वर्तमान में वन विभाग के नाम वनखण्ड कालामगरा गांव डाकन कोटडा तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है और वन विभाग के नाम दर्ज भूमि के किसी खसरा नं. पर

किसी ग्रामवासी का कोई कब्जा था अतिक्रमण नहीं है फिर बिना वजह वन विभाग क्यों ग्रामवासियों को परेशान कर रहा है। जबकि वन विभाग की अन्तिम विज्ञप्ति में दर्ज रकबे से भी 231.80 एकड़ भूमि वन विभाग के पास राजस्व रिकार्ड में अधिक दर्ज है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वन मंत्री से यह आग्रह करता हूं। वन विभाग जो 1980 में आया है और काश्तकार 1959 से काबिज है एवं काश्तकारों को सरकार ने कृषि के लिये पट्टे भी दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में वन विभाग का कोई अधिकार नहीं होने के बावजूद भी किसानों को परेशान किया जा रहा है। कृपया वन विभाग से किसानों को परेशान करने से बचाया जाए।

धन्यवाद।

फूलसिंह मीणा

(उदयपुर ग्रामीण)

घड़साना के छप्पर खोखा वालों को दुकानें आबंटन

महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मुझे आपने नियम 295 के तहत बोलने का मौका दिया। अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की तहसील घडसाना में छप्पर खोखा वाले गरीब परिवारों की लम्बे समय से मांग है कि नई मण्डी में पड़ी मण्डी ए.डी.एम की खाली पड़ी भूमि में गरीब परिवारों को दुकान आबंटन कि जाएं। क्योंकि घडसाना में छप्पर खोखा वाली की संख्या बहुत है। इन छप्पर खोखा वालों से मण्डी में अव्यवस्था रहती है। आये दिन इन छप्पर खोखा में चोरी की घटना होती रहती है। वर्ष 1996 मण्डी ए.डी.एम. द्वारा सर्वे करवाकर छप्पर खोखा वाला का चयन किया गया था। जिनको मण्डी एडीएम द्वारा 2013 में 156 छप्पर खोखा वाला को दुकानों के लिए 8X12 का भूखण्ड आबंटन किया गया है। जिसमें आबंटी द्वारा स्वयं दुकान का निर्माण कर कोई भी कार्य कर सकता है। आबंटन के समय पात्र व्यक्ति की सूची में से 12 पात्र व्यक्तियों को दुकानों का आबंटन नहीं किया गया। जो कि आज दुकान के अभाव में इधर-उधर भटक रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पात्र व्यक्तियों द्वारा बार-बार दुकानें आबंटन करने की मांग की जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि पात्र 12 व्यक्तियों का पुनः सर्वे करवाकर दुकानें

आबंटन कि प्रकिया जल्द पूर्ण कर छप्पर खोखा वाले गरीब परिवारों को राहत प्रदान करें। ताकि उन गरीब परिवारों राहत मिल सकें।

सधन्यवाद

शिमला बावरी

(अनूपगढ़)

खैरवाड़ा के उपखण्ड मुख्यालय ऋषभदेव में महाविद्यालय की स्थापना

महोदय,

खैरवाडा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत निवेदन है कि उपखण्ड मुख्यालय ऋषदेव एवं नवसृजित पंचायत समिति सेमारी है। दोनों ही पंचायत समितियों में ऋषभदेव की 28 ग्राम पंचायत एवं सेमारी की 13 पंचायतें हैं जो कि जनजाति बहुल पिछडे क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं तथा यहां की जनता जीवन यापन के लिए खेती, मजदूरी करती है तथा आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है।

उपखण्ड ग्रामीण जनजाति बाहुल्य पहाडी दुर्गम क्षेत्र में सभी वर्ग बिरादरी के लोग निवास करते हैं देव उपखण्ड ऋषभदेव तथा पंचायत समिति समारी के ग्रामवाणियों का केन्द्र बिन्दु ऋषभदेव है।

सभी पंचायत मुख्यालयों पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालयों में सभी वर्गों के गरीब परिवारों के बच्चे अध्ययनरत हैं। सभी वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च माध्यमिक शिक्षा पूर्ण कर उच्च शिक्षा हेतु उदयपुर, डूंगरपुर एवं खैरवाडा जाना पड़ता है वहां उन्हें किराये के कमरों में रहकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। जो कि सभी लोग सक्षम नहीं होने से कई विद्यार्थी 12वीं कक्षा के बाद अपने परिवार के भरण पोषण हेतु शिक्षा को छोड़ अन्य पलायन कर मजदूरी में लग जाते हैं।

क्षेत्र के सभी स्थापित महाविद्यालय उपखण्ड मुख्यालय से काफी दूरी पर होने से छात्रों द्वारा रोजाना घर आना संभव नहीं है।

अतः माननीय से अनुरोध है कि ऋषभदेव उपखण्ड मुख्यालय पर महाविद्यालय खुलवाकर क्षेत्र के घर आना सम्भव नहीं है।

नानालाल अहारी

(खैरवाड़ा)

बड़ी सादड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंगलवाड़ में ट्रोमा सेंटर की स्थापना

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंगलवाड़, प.स. डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ छः लेन सड़क पर स्थित होने से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वर्तमान में छः लेन सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है जिससे प्रतिदिन कोई न कोई दुर्घटनाएं हो रही हैं और आस-पास कोई चिकित्सालय नही होने से दुर्घटना से ग्रसित मरीजों को उदयपुर जिला मुख्यालय पर या चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर ले जाना पड़ता है जो मंगलवाड़ के दोनों ओर से लगभग 60 से 70 किमी दूर हैं। जिससे दुर्घटना से ग्रसित मरीजों एवं परिवार के अन्य सदस्यों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दुर्घटना से ग्रसित मरीजों को इस हालात मे 60 से 70 किमी दूर ले जाने में उनकी जान को काफी खतरा रहता है। लगभग 80 प्रतिशत मरीज उदयपुर या चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय में ले जाते समय बीच रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती हैं। अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंगलवाड़ ब्लाक डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ मे ट्रोमा सेन्टर खुल जाये तो दुर्घटनाग्रस्त को तुरन्त उपचार मिल जाने से मृत्यु होने की सम्भावनाएं कम हो जाएंगी। इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंगलवाड़ में ट्रोमा सेन्टर अति आवश्यक है।

अतः माननीय सभापति महोदय जी के माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय जी को निवेदन करना चाहूंगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंगलवाड़ ब्लाक डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ में ट्रोमा सेन्टर खुलवाकर दुर्घटना से ग्रसित मरीजों को राहत प्रदान करवाने का कष्ट करावें।

गौतम कुमार

(बड़ी सादड़ी)